लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण
SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र / Twelfth Session]

5th Lok Sabha

Preservation Unit, Fumigated On 1-9-92 Parliament Library

[खंड 46 में अंक 11 से 20 तक हैं / Vol. XLVI contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

ल्य : दो रुपये

Price · Two Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 19, मंगलवार, 10 दिसम्बर, 1974/19 अग्रहायण, 1896 (शक)

No. 19, Tuesday, December 10, 1974/Agrahayana 19, 1896 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नकाल के निलम्बन के बारे में	RE-SUSPENSION OF QUESTION HOUR	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.		
392. ग्रांड कोर्ड सैक्शन में रेलवे सम्पत्ति की लूटपाट	Loot and plunder of Railway Property in Grand Chord Section ..	3–4
394. औषधि कम्पनियों द्वारा औषधियों की कीमतें बढ़ाया जाना	Increasing prices of Medicines by Drug Companies	4–8
396. पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नई रेलवे लाइनों के लिए परिव्यय में कटौती	Cut in outlay for New Railway Lines during Fifth Five Year Plan ..	8–11
398. कतिपय रेलवे संगठनों को मान्यता देना	Recognition of Certain Railway Unions	11–12
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
393. रूसी तेल विशेषज्ञों की भारत यात्रा	Visit of Soviet Oil Specialists to India	12–13
395. कलकत्ता में 'ट्यूब' रेलवे	Tube Railway at Calcutta ..	13
397. स्नेहक पदार्थों (लुब्रीकेन्टस्) की कमी	Shortage of Lubricants	13
399. भारत के तेल आयात व्यय में वृद्धि	Increase in India's Oil Import Bill ..	14
400. पानीपत में उर्वरक सयंत्र के लिए सहायता देने के बारे में जापान के साथ करार	Agreement with Japan to provide aid for Fertilizer Plant at Panipat	14
401. कोचीन तेलशोधक कारखाने का कार्यकरण	Working of Cochin Refineries	14
402. राज्यों को डीजल आयल सप्लाई	Supply of Diesel oil to States	15
403. राज्यों के लिए मिट्टी के तेल के कोटे में कटौती	Cut in quota for Kerosene for states	15–16
404. विश्व बैंक से तेल की खोज के बारे में सुझाव	Suggestions from World Bank on Oil Exploration	16
405. रामागुन्डम में उर्वरक संयंत्र	Fertilizer Plant at Ramagundam ..	16

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

2/Lok Sabha/75—1

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
406.	अशोधित तेल के मूल्यों में और वृद्धि	Further increase in prices of Crude Oil..	16–17
407.	रेलवे वैगनों का दुरुपयोग	Misuse of Railway Wagons	17
408.	रक्षा उद्योग को घटिया पैट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई	Supply of Inferior Petroleum Products to Defence Industries ..	17
409.	पनम्बूर-मंगलौर रेलवे लाइन	Panambur-Mangalore Railway line..	17
410.	नवम्बर 1 74 में बिहार में रद्द की गई यात्री गाड़ियां	Passenger Trains Cancelled in Bihar in November, 1974	17–18
411.	पानीपत में उर्वरक संयंत्र का निर्माण-कार्य	Work on Fertilizer Plant at Panipat	18
412.	नये कटनी यार्ड को नया रूप देने का प्रस्ताव	Proposal to Remodel New Katni Yard	18
अता०प्र० संख्या U. S. Q. Nos			
3785.	कोचीन में सुपर टैंकर आयल टर्मिनल प्राजेक्ट के बारे में केरल के मुख्यमंत्री का पत्र	Letter from Chief Minister of Kerala regarding Super Tanker Oil Terminal Project at Cochin ..	18
3786.	कम लागत पर आवश्यक औषधियों की सप्लाई के बारे में गठित समिति की सिफारिशें	Recommendations of Committee regarding supply of Essential Drugs at Low Cost	19
3787.	पठानकोट में चावल की बुकिंग	Booking of Rice at Pathankot ..	19
3788.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए जजों के पदों का आरक्षण करने सम्बन्धी प्रस्ताव	Proposal to reserve Posts of Judges for S. C./ S. T.	19
3789.	भिलाई से जाने वाली खाली वैगनों का उपयोग	Utilization of Empty Wagons going from Bhilai	19–20
3790.	गुजरात (पश्चिम रेलवे) की रेलवे कालोनियों में शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं	Educational Facilities in Railway Colonies in Gujrat (Western Railway)	20
3791.	गुजरात में रेलवे में (लोको) वर्कशाप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या	S.C./S.T. Working in Railway (Loco) Workshops in Gujrat	20
3792.	संगठित औषध उद्योग में पूंजी निवेश	Capital Investment in the Organised Drug Industry	21
3793.	मूल्य वृद्धि करके पैट्रोल की खपत को कम करना	Reduction in Consumption of Petrol by raising its Price	21
3794.	रेलवे के अस्थाई अधिकारियों के सम्बन्ध में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्णय	Decision on Recommendations of Third Pay Commission regarding Temporary Officers in Railway	21
3795.	दुर्गापुर तथा कोचीन उर्वरक परियोजनाओं में यांत्रिकी कठिनाईयों का दूर किया जाना	Rectification of Mechanical Troubles in Durgapur and Cochin Fertilizer Projects..	22

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
3796.	पेट्रो रसायन उद्योग समूह स्थापित करने के बारे में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ कलकत्ता से प्रस्ताव	Proposal from ICCI Calcutta for setting up of a Petro-Chemical Complex	22
3797.	सिंगरोली से कटनी तक नई रेलगाड़ी चलाया जाना	Introduction of Train from Singrauli to Katni	23
3798.	अपनी खपत के लिए विदेशी कम्पनियों द्वारा 'फारमूलेशन्ज' का उत्पादन	Production of Formulations by Foreign Companies for their own consumption	23
3799.	अक्तूबर और नवम्बर 1974 में बिहार में रोकी गयी यात्री तथा माल गाड़ियां	Passenger and Goods Trains detained in Bihar during the months of October and November, 1974 ..	24
3800.	दादरा और नागरहवेली को मिट्टी के तेल की सप्लाई	Supply of Kerosene Oil to Dadra and Nagar Haveli..	24
3801.	सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के रिक्त पद	Vacancies of Judges in Supreme Court	24
3802.	निपिन इन्स्टीट्यूट, सोवियत रूस में मथुरा तेल शोधक कारखाने के लिए योजना तैयार किया जाना	Plan for Mathura Refinery Completed at NIPIN Institute of U. S. S. R.	24–25
3803.	गाड़ियों में जंजीर खींचने की सुविधा हटाना	Withdrawal of Chain Pulling Facility from Trains	25
3804.	रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या में कमी करना	Reduction in Number of Casual Workers in Railways	25
3805.	दो मंजिले सवारी डिब्बों की लागत	Cost of Double-Decker Coaches	25–26
3806.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० के उत्पादों में वृद्धि	Increase in prices of products of IDPL	26
3807.	पूर्व रेलवे पर टैंक वैगनों का रुके खड़े रहना	Stagnation of Tank Wagons on Eastern Railway	26
3808.	पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि	Increase in prices of Petroleum Products	26
3809.	कोंकण रेलवे में आप्टा-मंगलौर सेक्शन का निर्माण	Construction of Apta Manglore Section on Konkan Railway ..	27
3810.	वातानुकूलित शयन कोचों में दो टायर बर्थों वाली डीलक्स गाड़ियों को चालू करने का प्रस्ताव	Proposal to Introduce Deluxe Trains with Two tier Berths in Air Conditioned Dormitary Coaches	27
3811.	तेल खोज कार्य में प्रगति	Progress in Oil Exploration ...	27–28
3812.	रेलवे हड़ताल के दौरान काम पर आने वाले रेल कर्मचारी	Railway Staff who attended Duty during Strike...	28
3813.	चिपकाने वाले तेलों का आयात	Import of Lubricants	28–29
3814.	दुर्गापुर में 'फार्मास्यूटिकल काम्पलेक्स' की स्थापना के लिए 'हाथी समिति' का सुझाव	Suggestion from the Hathi Committee for setting up of a Pharmaceutical Complex at Durgapur	29

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3815.	अशोधित तेल का मूल्य बढ़ाने के कारण विदेशी तेल कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही और उनका राष्ट्रीयकरण	Steps taken against Foreign Oil Companies for increasing prices of crude and for their Nationalisation	29–30
3816.	एक्ससेलसियर प्लांटस कारपोरेशन लिमिटेड फरीदाबाद के प्रबन्ध निदेशक द्वारा कारपोरेशन में अपने निकट संबन्धियों की कथित नियुक्ति	Alledged appointment of Relations of Managing Director of Excelsior Plants Corporation Ltd. in the Corporation..	30
3817.	फार्मूलेशन के निर्माण के लिए निपटान हेतु निर्णयाधीन आवेदन-पत्र	Applications for Manufacture of Formulations Pending Disposal..	30
3818.	मतदान आयु कम करने के प्रस्ताव को क्रियान्वित करना	Implementation of the proposal to Lower the Voting Age ..	30–32
3819.	धनबाद रेल डिविजन में अपराधियों की नियुक्ति	Appointment of criminals in Dhanbad Rail Division	32
3820.	रेलवे में नौकरशाही	Railway Bureaucrats	32-33
3821.	धनबाद डिवीजन (पूर्व रेलवे) में भर्ती	Recruitment in Dhanbad Division (Eastern Railway)	33
3823.	अशोधित तेल का मूल्य कम करने के बारे में खाड़ी के कुछ देशों द्वारा निर्णय लिया जाना	Decision of certain Gulf Countries to lower price of Crude Oil ..	34
3824.	पिछले वर्ष के दौरान बिना टिकट यात्रा और रेल सम्पत्ति की चोरी	Ticketless Travelling and Theft of Railway Property during the last year	34–35
8825.	तेल स्थिति के बारे में फ्रांस के राष्ट्रपति और अमरीका के सेक्रेटरी आफ स्टेट का प्रस्ताव	Proposals from French President and U. S. Secretary of State on Oil Situation..	35
3826.	डाक्टरों द्वारा जीवनरक्षक और कीमती औषधियों का दिया जाना	Prescription of Life Saving and Costly Drugs by Doctors ..	36
3827.	रेलवे सेक्शनल अफिसरों के पदों का समाप्त किया जाना	Abolition of Posts of Railway Sectional Officers	36
3828.	हिमाचल प्रदेश में छिद्रण कार्य	Drilling operations in Himachal Pradesh	36
3829.	वक्फ जांच समिति	Wakf Enquiry Committee ..	37
3830.	शाह वैलेस एंड कम्पनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, मेनेजिंग डायरेक्टर तथा अन्य डायरेक्टरों का वेतन और अन्य परिलब्धियां	Salary and Perquisites of Senior Executive, Chairman, Managing Director and other Directors in Shaw Wallace Company ..	37
3831.	वार्षिक ब्लू बुक	Annual Blue Book	38
3832.	बिलासपुर डिवीजन में यार्ड में रेल मालडिब्बों का रुकना	Detention of Wagons in the Yard in Bilaspur Division	38
3833.	उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाये गए मामले	Disposal of cases by the Supreme Court	38

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3834.	रेल हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों का सहारनपुर रेल स्टेशन पर किए गए स्वागत में अधिकारियों द्वारा भाग लिया जाना	Officers taking part in a reception to strikers at Saharanpur Railway Station	38–39
3835.	बेरोजगार शिक्षितों को बुकस्टाल दिया जाना	Book-Stalls to unemployed Educated Persons	39
3836.	अनधिकृत यात्रियों से रेल कर्मचारियों द्वारा गैर-कानूनी रूप से धन एकत्र किए जाने का आरोप	Alledged collection of Money Illegally by Railway Employee from unauthorised Passengers ..	39–40
3837.	10 और 15 नवम्बर, 1974 को बिहार में बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travelling in Bihar on 10th and 15th November, 1974..	40
3838.	तेल मूल्यों में कमी करने की डा० किसिंजर की पांच सूत्री योजना	Five Point Plan of Dr. Kissinger on Reduction in Oil Prices ..	40
3839.	गांवों में तेल तथा डीजल की वितरण व्यवस्था के बारे में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन	Conference with Chief Ministers on Distribution of Kerosene and Diesel in villages ..	41
3840.	तेल की स्थिति के बारे में फ्रांस के श्री मोरिस शोमान के साथ बातचीत	Discussion with Mr. Maurice Schumann of France on Oil Situation	41
3541.	'एटेन्डेंटों' का 'रनिंग स्टाफ' के अन्तर्गत वर्गीकरण	Classification of Attendents under Running Staff	41–42
3842.	माला पार्सल शैडों में माल का रुका रहना	Detention of Consignments in Goods/Parcel sheds	42
3843.	हड़ताल के दौरान पुलिस की हिरासत में मरने वाले व्यक्तियों को मुआवज़ा	Compensation to Persons died in Police custody during Strike Period..	42
3844.	हड़ताल से पूर्व रेल कर्मचारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Railwaymen prior to strike..	42
3845.	कोचीन-कोयमकुलम तटीय रेलवे लाइन	Cochin-Kayamkulam Castal Railway Line	43
3846.	छंटनी किए जाने वाले कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार	Alternative Employment to Workers proposed to be retrenched	43
3847.	बरौनी रेलवे यार्ड से पैट्रोलियम उत्पादों की चोरी	Pilferage of Petroleum Products from Barauni Railway Yard..	43–44
3848.	पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल विद्युतीकरण कार्यक्रम	Railway Electrification Programme during Fifth Five Year Plan ..	44
3849.	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री की अध्यक्षता में रूस का दौरा करने वाला शिष्ट मंडल	Delegation headed by the Minister of Law, Justice and Company Affairs to Russia	44–45
3850.	पायराइट आधारित संयंत्र की स्थापना के लिए पश्चिमी बंगाल का प्रस्ताव	Proposal from West Bengal for setting up of a Pyrites based Plant..	45
3851.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण सम्बन्धी अनुदेश	Instructions regarding reservation of Posts for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.. ..	45

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3852.	मिट्टी के तेल की बिक्री से होने वाली हानि	Loss incurred on sale of Kerosene ..	46
3853.	रेलवे हड़ताल के कारण सेवा से बरखास्त/हटाए/निकाले गए अनुसूचित जाति/जनजाति के रेलवे कर्मचारी	S.C./S. T. Railway Employees dismissed/removed/discharged from service due to Railway Strike..	46
3854.	रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इलाहाबाद डिवीजन में गाड़ियां लूटने वाले गिरोह का पता लगाया जाना	Gang of Looters of Trains unearthed by R.P.F. in Allahabad Division	
3855.	रेलवे में वस्तु-सूची नियंत्रण उपाय (इन्वेन्टरी कन्ट्रोल मैयर्स)	Inventory Control Measures on Railways..	46-47
3856.	जाखापुरा बांसपानी रेल मार्ग के लिए स्थान का अन्तिम सर्वेक्षण	Final Location survey for Jakhapura Banspani Railway Link ...	47-48
3857.	जिन रेल कर्मचारियों को निलम्बन तथा नौकरी से हटाने के नोटिस दिये गए हैं उनकी बहाली	Re-instatement of Railway Workers served with Notices of suspension and Termination..	48-49
3858.	जोनल रेल सेवा आयोगों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि	Representatives of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in zonal Railway Service Commission..	49
3859.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आकस्मिक श्रमिक प्रतिस्थापकों का खपाया जाना	Absorption of Casual Labour substitute belonging to S.C./S. T.	49-50
3860.	नैमित्तिक कर्मचारियों को स्थाई करना	Steps taken to De. Casualise Casual Workers ... — ..	50
3861.	मैसूर डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निष्ठावान कर्मचारियों के आश्रितों की संख्या	Number of SC/ST Dependents of Loyal Workers in Class III & IV Posts appointed in Mysore Division (Southern Railway) ...	50
3862.	मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड के कार्यकरण की जांच	Enquiry into Working of Madras Fertilizer Limited	50
3863.	स्वेज नहर से भारत को तेल वाहक जहाजों का आवागमन	Movement of ships carrying oil to India through Svez Canal ..	51
3864.	कोचीन पतन पर सुपर टैंकर आयल टर्मीनल प्रोजेक्ट के बारे में परियोजना प्रतिवेदन	Project Report of the Super Tanker Oil Terminal Project at Cochin Port..	51
3865.	वैगनों की तुलाई न किए जाने के कारण रेलवे को हानि	Loss to Railways due to Non-weighing of Wagons	51-52
3866.	बिहार राज्य को अलाट किए गए पेट्रोल पम्प	Petrol Pumps Allotted to Bihar State	52
3867.	मतदाता सूचियों में संशोधन	Revision of Electrol Rolls ...	52
3868.	लाभांश देयताओं के भुगतान से मुक्त नई रेलवे लाइनें	New Railway Lines Exempted from Payment of Divident Liabilities	53

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3869.	भावनगर और तारापुर के बीच रेलवे लाइन	Railway Line between Bhavnagar-Tarapore	53
3870.	वर्ष 1973-74 में गुजरात राज्य में नेफथा का उत्पादन	Naphtha produced in Gujrat State during 1973-74	54
3871.	मद्रास-बम्बई मेल के तीन डिब्बों में आग लगना	Fire in three bogies of Madras-Bombay Mail ..	54
3872.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल की खोज करने के लिए छिद्रण उपकरण बनाया जाना	Manufacture of Drilling Equipment by ONGC for Oil Exploration..	54–55
3873.	गुजरात राज्य में उत्पादित अशोधित तेल के लिए रायल्टी	Royalty for Crude Oil Produced in Gujrat State..	55
3874.	नैफथा का मूल्य और उसका उत्पादन	Production and Prices of Naphtha..	55–56
8875.	भारतीय तेल निगम द्वारा दक्षिणी प्रदेश में मिट्टी के तेल के खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्थापित किया जाना	Opening of Kerosene Retail Outlets in Southern Region by I. O. C...	56
3876.	प्लेटफार्म टिकटों की कम बिक्री होना	Decline in Sale of Plattorm Tickets	57
3877.	मैसर्ज होयस्ट को विविधीकरण को मंजूरी दिया जाना	Permission for Diversification granted to M/S Hoechst ..	57
3878.	विदेशी फर्मों द्वारा उत्पादित "बल्क औषधियां"	Bulk Drugs Produced by Foreign Firms	57–58
3879.	कुछ औषध कम्पनियों द्वारा औषधियों का उत्पादन	Production of items by certain Drug Firms	58
3880.	मैसर्ज होयस्ट द्वारा एनलजिन का प्रयोग करके निर्मित फार्मूलेशनस्	Formulations Produced by M/S Hoechst using Analgin.. ..	58–59
3881.	26 प्रतिशत से अधिक इक्वटी वाली विदेशी औषध कम्पनियों के विस्तार के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guidelines for expansion of Foreign Drug Companies with more than 26 percent equity ..	59–60
3882.	कुछ विदेशी फर्मों द्वारा कच्चे माल की तस्करी	Smuggling of raw materials by some foreign firms	60
3883.	विदेशी औषध कम्पनियों को लाइसेंस देने की पूर्व शर्तें	Pre-conditions for grant of licenses to foreign drug companies	60–61
3884.	नई औषधियों के विकास के लिए जानकारी	Knowledge for development of new drugs	61–62
3885.	विभिन्न आयोगों और समितियों में व्यक्तियों की नियुक्ति	Appointment of persons to various Commissions and Committees ..	62
3886.	मध्य प्रदेश में रसायन उद्योग समूह की स्थापना	Setting up of a Chemical Complex in M.P.	62–63
3887.	कर्नाटन के साऊथ कनारा जिले में नायलोन प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to set up a nylon plant in South Kanara District of Karnataka.. .. .	63
3888.	गुजरात में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण	Revision of Electro Rolls in Gujrat	63

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3890.	राज्यों में मिट्टी के तेल की सप्लाई में वृद्धि करने की मांग	Demand for increase in supply of kerosene oil in States..	64
3891.	हड़ताल की अवधि के दौरान तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा बल जैसे बलों पर हुआ व्यय	Amount spent on Forces deployed during strike period	64
3892.	मारुति लिमिटेड अथवा मारुति कंसलटेंसी में 1,000 रुपये अथवा इससे अधिक के राशि के शेयर रखने वाले शेयर होल्डर	Shareholders holding shares of Rs. 1,000 and above in Maruti Limited or Maruti Consultancy..	64
3893.	पटना आने वाली रेलगाड़ियों पर हमला	Attack on trains going to Patna ..	65
3894.	कैरिज और वैगन विभाग धनबाद डिवीज़न (पूर्व रेलवे) में स्थानापन्न कर्मचारियों का निकाला जाना	Removal of substitutes in carriages and Wagon Department in Dhan bad Division (Eastern Railway)..	65
3895.	भूमिगत रेलवे परियोजनाओं संबंधी निर्माण कार्य की गति धीमी पड़ना	Reduction in pase of work on under ground Railway Projects ..	65–66
3896.	उर्वरकों का उत्पादन	Production of Fertilizers ..	66
3897.	रेलगाड़ियों के रद्द किए जाने के कारण संगचल कर्मचारियों को संगचल भत्ते (रनिंग एलांउस) का घाटा	Loss of running allowance to Running staff due to Concellation of Trains	66–67
3898.	कश्मीर घाटी में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल की खोज	Oil exploration by OSNGC in Kashmir Valley	67–68
3899.	प्रोड्यूसर गैस जेनरेटरों का निर्माण	Manufacture of Producer Gas Generators	68
3901.	इन्जीनियर्स इन्डिया लिमिटेड के कार्यकरण की जांच	Inquiry into the Working of Engineers India Ltd.	68
3902.	मद्रास रिफाईनरीज लिमिटेड के कार्यकरण की जांच	Inquiry into the Working of Madras Refineries	68–69
3903.	एक्सेलसीयर प्लांट कारपोरेशन फरीदाबाद	Excelsior Plant Corporation, Faridabad	69
3904.	जनता को उपलब्ध होने वाली साबुन की लोकप्रिय किस्में बनाने के लिए कार्यवाही	Steps to make Popular Varieties of Soaps available to Common Men	69–70
3905.	खाद्य-पदार्थ विक्रेताओं तथा बुक स्टालों के मालिकों को ठेका देना	Contract to Food Vendors and Book Stall Owners	70
3906.	मारुति लिमिटेड के वर्ष 1973-74 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे	Annual Report and Accounts of Maruti Limited for 1973-74 ..	70
3907.	मंगलौर-हसन लाइन का न बनाया जाने वाला भाग	Missing Rail Link for Mangalore-Hassan Railway Line..	70–71
3908.	मंगलौर हसन रेलवे लाइन	Manglore-Hassan Railway Line	71

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Page
3909.	1973-74 के दौरान रेल दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्ति	Persons killed in Accidents during 1973-74	71
3910.	सोनीपत-पानीपत रेलवे लाइन को दोहरा बनाना	Doubling of Sonepat-Panipat Railway Line	71–72
3911.	गोहाना-पानीपत रेलवे लाइन का निर्माण-कार्य	Construction work on Gohana-Panipat Railway line ..	72
3912.	राज्यों को पेट्रोल पम्पों के आबंटन का आधार	Basis for allotment of Petrol Pumps to States	72
3913.	आगामी पांच वर्षों में दादर से नागर हवेली तक नई रेल लाइन	New Railway Line from Dadra to Nagar Haveli during next Five Years	73
3914.	वर्मा शैल तेल शोधक कारखाने से गैस की सप्लाई में कमी	Short supply of Gas from Burmah Shell Refinery — ..	73
3915.	रामपुर डुमरा के निकट तेज रफ़तार वाली समस्तीपुर यात्री गाड़ी में आग लग जाना	Fire in Samastipur Fast Passenger Train near Rampur Dumra ..	73
3916.	तेल का आयात और उसके मूल्य	Import of oil and its prices ...	74
3917.	खरौना स्टेशन में भोजपुर शटल के यात्रियों पर हमला	Attack on passengers of Bhojpur Shuttle on Kharota Station ..	74
3918.	बिहार बन्द के दौरान रद्द की गई गाड़ियां	Trains Cancelled during Bihar Bandh	74
3919.	सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में ग्रीष्मावकाश को समाप्त करने तथा अन्य छुट्टियों में कमी करने का प्रस्ताव	Proposal to abolish summer vacations and reduce their holidays in Supreme Court and High Courts	74–75
3920.	अरेराज, पूर्वी चम्पारन जिले में एक पेट्रोल पम्प लगाना	Installation of a Petrol Pump in Averaj East Champaran Distric	75–76
3921.	चितरंजन लोको मोटिव वर्क्स के सेवा से निकाले गए कर्मचारियों के विरुद्ध अपराधी मामले	Criminal cases against staff removed from service of C. L. W. ..	76
3922.	एक पत्रिका के प्रकाशन की मांग	Demand for Publication of a journal	76
3923.	कच्चे तेल के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा लिबिया का दौरा	Indian delegations visit to Libya for Crude Oil	76
3924.	मैसर्ज हिन्दुस्तान लीवर्स लिमिटेड की ओर से सोडियम ट्रिपोली फौस्फेट के निर्माण का प्रस्ताव	Proposal from M/S Hindustan Levers Limited for manufacture of Sodium Tripoly Phosphate	77–79
3925.	अखिल भारतीय रेल कर्मचारी महासंघ (फडरेशन) के महासचिव का अभ्यावेदन	Representation of General Secretary of All India Railway men's Federation	79
3927.	संसदीय चुनाव क्षेत्रों का पुनर्निधारण तथा मतदाता-सूची का पुनरीक्षण	Delimitation of Parliamentary Constituencies and revision of votors list	79-81
3928.	तालचेर में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र	Coal based Fertilizer Plant at Talcher	81

2/Lok Sabha/75—2

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3929.	एकाधिकार तथा निबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के प्रतिवेदनों का मुद्रण	Printing of reports of M. R. T. P. Commission	81
3930.	तेल छिद्रक जहाज 'सागर सम्राट, को उपयोग में लाया जाना	Utilization of Oil Drilling Ship 'Sagar Samrat'	81
3931.	टिकटों की बिक्री तथा भाड़े के माध्यम से एकत्र की गई राशि	Amount collected through sale of Tickets and freight charges ..	82
3932.	रेलवे अधिकारी संगठन द्वारा दिया गया हड़ताल नोटिस	Strike notice served by railway Officers Organisation	82
3933.	पूर्वी क्षेत्र में ढलाई-कारखानों (फाउन्ड्री) को स्लीपरों के लिए आर्डर न देने के कारण पश्चिम बंगाल तथा बिहार में बेरोजगारी	Unemployment in West Bengal and Bihar for not placing orders for sleepers with foundries in Eastern Region	82
3934.	कतिपय औषधियों के निर्माण के लिए ग्लैक्सो लैबोरेटरीज द्वारा प्रस्ताव	Proposal from Glaxo Laboratories for manufacture of certain drugs	82–83
3935.	राजस्थान में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना	Setting up of fertilizers plants in Rajasthan	83
3936.	कतिपय गैर सरकारी कम्पनियों के कदाचारों के बारे में एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा जांच	Enquiry into mal practices of certain private concerns by M. R. T. P. Commission	83
3937	डीजल के वितरण के बारे में राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक	Meeting with representatives of states on distribution of diesel..	84
3938.	वष 1972, 1973 तथा सितम्बर 1974 तक दिल्ली के न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामले	Cases pending in Delhi Courts in 1972, 1973 and September, 1974	84–85
3939.	हडताल में भाग लेने पर दण्डित किए गए कर्मचारियों का डिवीजन वार (पूर्वोत्तर रेलवे) ब्यौरा	Division-wise break up of employees punished for participating in strike (North Eastern Railway)	85–86
3941.	धनबाद रेल कर्मचारियों द्वारा रेलवे के धन का अपव्यय	Dhanbad Railway Authorities Squandering Railway Money ..	86
3942.	रेलवे कर्मचारियों को उनकी सेवा में व्यवधान के लिए जारी किए गए नोटिसों का प्रभाव	Consequences of break in-service notices served on Railway Employees	87
3943.	माल-डिब्बों, यात्री डिब्बों तथा लोकोमोटिव के उपयोगीकरण की कुशलता में गिरावट	Decline in efficiency of utilisation of wagons, coaches and locomotives	87
3944.	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के बारे में मालवीय समिति की सिफारिशें	Recommendations of Malaviya Committee on OSNGC.	87
3945.	हाल्दिया में एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना में हुई हानि	Loss suffered in setting up of the refinery at Haldia	88

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3946.	यूरोप, आस्ट्रेलिया तथा एशिया की रेलवे यूनियनों द्वारा रेल कर्मचारियों की बहाली की मांग	Railway Unions of Europe, Australia and Asia demanding reinstatement of railway employees	88
3947.	बाटा इण्डिया लिमिटेड (बम्बई) करुणा साहू कम्पनी लिमिटेड (कलकत्ता) तथा उषा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (दिल्ली) के बारे में जांच	Inquiry into Bata India Ltd. (Bombay) Carona Sahu Company Ltd. (Calcutta) and Usha Sales Private Ltd. (Delhi)	88-89
3948.	राजस्थान में झालावाड़ नगर के साथ रेल सम्पर्क	Railway link with Jhalawar City in Rajasthan	89
3949.	कोटा से दिल्ली तक के लिए तेज गति की गाड़ी चलाने का प्रस्ताव	Proposal to introduce fast train from Kota to Delhi	90
3950.	देश में बड़े औद्योगिक समूह	Large business houses in the Country	90
3951.	बंगलौर और नई दिल्ली के बीच बरास्ता मद्रास राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की योजना	Scheme to introduce Rajdhani Express between Banglore and New Delhi Via Madras ..	90
3952.	दानापुर रेलवे स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर पैदल उपरिपुल	Foot over bridge at Danapur Railway Station (Eastern Railway) ..	90-91
3953.	पूर्व रेलवे के इलैक्ट्रिकल विभाग में टी० एल० आई० बिजली घरों और हैड लाइट स्टेशनों में कारीगरों की व्यवस्था	Provision of artisan staff in TLIs Power Houses and Head Light Stations in Electrical Department (Eastern Railway) ..	91
3954.	चेतक एक्सप्रेस गाड़ी को सराए रोहिल्ला के स्थान पर दिल्ली जंकशन तक चलाने का प्रस्ताव	Proposal to terminate Chetak Express at Delhi Junction instead of Sarai Rohella	92
3955.	चुनाव याचिकाओं के निपटान के लिए विशेष न्यायाधिकरण	Special Tribunals to dispose of Election Petitions	92
3956.	पायराइट्स, फास्फेट और केमिकल्ज लिमिटेड को हुई हानि	Loss suffered by the Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited..	92
3957.	नाइलोन के धागे के मूल्य निर्धारण तथा वितरण के सम्बन्ध में समझौता	Agreement on pricing and distribution of Nylon Yarn	93-94
3959.	सन्तोष बेनेफिट प्राइवेट लिमिटेड गुजरात द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 147 का उल्लंघन	Violation of Section 147 of Companies Act by Santosh Benefits Pvt. Ltd. Gujrat	94
3960.	रेल कर्मचारियों की जोनवार/डिविजनवार विचाराधीन अपीलों की संख्या	Number of appeals by Railwaymen leding Zone-wise/Division-wise ..	94
3961.	रेलवे बोर्ड तथा जोनल रेलवे में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के पद	Class I and Class II Officers posts in Railway Board and Zonal Railways	95
3962.	कम्पनी अधिनियम की धारा 17, 18, 19, 79, 141 तथा 186 के अधीन मामले	Cases under sections 17, 18, 19, 79, 141 and 186 of the Companies Act	95

अता०प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3963.	'कम्पनी न्यूज़ एण्ड नोटस' नामक पत्रिका का प्रकाशन	Publication of Journal entitled 'Company news and Notes'	95–96
3964	पब्लिक ट्रस्टी द्वारा आम बैठकों में उपस्थित होना और इस पद का दर्जा बढ़ाया जाना	Attending of General Meetings by Public Trustee and upgradation of this post	96–97
3965.	कम्पनियों के स्वैच्छिक एवं अनिवार्य समापन के मामले	Cases of Voluntary Winding up and compulsory Winding up of Companies	97
3966.	बिलासपुर डिविजन में इमदादी 'साइडिंग' द्वारा वैगन प्राप्त न किए जाने का दावा	Wagons claimed as 'Not Received' by Assisted Sidings in Bilaspur Division	97
3967.	बिलासपुर डिविजन के इमदादी 'साइडिंग' में गैर-सम्बद्ध वैगन	Unconnected Wagons in Assisted Sidings of Bilaspur Division ..	98
3968.	बिलासपुर डिविजन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) की इमदादी साइडिंग में न्यून शुल्क का बढ़ाया जाना	Undercharges Raised in Assisted Sidings of Bilaspur Division (South Eastern Railway) ..	98–99
3969.	तेल मूल्य समिति का प्रतिवेदन	Report of Oil Prices Committee	99
3970.	हरिद्वार, लक्सर और सहारनपुर स्टेशन पर यात्रियों को परेशान करने के लिए टिकट चैकरों के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against TTEs for causing Harrasment to passengers at Haridwar, Laksar and Saharanpur Stations	99
3971.	मध्य प्रदेश में चूना उद्योग को वैगनों की कम सप्लाई करना	Short supply of Wagons to Lime Industry in Madhya Pradesh..	99–100
3972.	मध्य प्रदेश में वैगनों की कठिनाई	Wagons Difficulty in Madhya Pradesh	100
3973.	किरणादुल कोटसवासला लाइन पर लोह अयस्त का परिवहन	Transportation of Iron Orde on Kiranadul-Kokatvasalar ..	100
3974.	भूमिहीन व्यक्तियों एवं हरिजनों को रेलवे की भूमि का आबंटन	Allotment of Railway Land to Landless Persons and Harijans ..	100–101
3975.	गाड़ियों से सामान की चोरी	Theft of goods from trains ...	101
3976.	अधिकारियों सहित रेल-कर्मचारियों नकद पुरस्कार	Cash Rewards to Railwaymen including officers	101–102
3977.	'फ्यूल एफिशियन्सी' में सुधार करने से भट्टी तेल की खपत में कमी	Reducing consumptions of Furnance Oil by making improvements in Fuel efficiency	102–103
3978.	**इन्स्टीच्यूशन आफ रेलवे सिगनल इन्जीनियरिंग एण्ड टैलीकम्यूनिकेशन** सिकन्दराबाद के सिगनैलिंग तथा टैलीकम्यूनिकेशन कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए हिन्दी माध्यम	Hindi medium for training to signaling and tele-communications Staff at Irset, Secundrabad	103
3979.	विभिन्न ग्रेड के मेन्टेनरों सहायक इंस्पैक्टर और इंस्पैक्टर की ड्यूटी लिस्ट	Duty list of various grades of maintainers, Asstt. Inspector and Inspectors	103–104

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3980.	धनबाद में रेल कर्मचारियों की बैठक	Railwaymen meet at Dhanbad	104
3981.	रेलवे माल की चोरी	Theft of Railway goods ...	104
3982.	कालका-हावड़ा डाकगाड़ी में अप्रयाप्त स्थान	Inadequate accommodation in Kalka-Hawarha Mail ..	105
3983.	दिल्ली बम्बई लाइन पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को चायस्टालों, रेफ्रेशमेंट रूमों और ट्रालियों के ठेके	Contracts of Tea stalls, Refreshment rooms, Trolleys given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes on Delhi-Bombay line ..	105
3984.	हड़ताल की अवधि के दौरान माल उतारने के सामान्य समय से अधिक समय तक माल शेडों में रुके हुए वैगन	Detention of wagons beyond usual unloading time in good sheds during strike period	105
	आयात लाइसेंस कांड के बारे में व्यक्तव्य	Statement *Re.* Import Licence Case	105
	श्री मौरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	105
	नियम 377 के अधीन मामले के बारे में	*Re* Matter Under Rule 377 ..	106
	विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में	*Re* Questions of Privilege ..	106-109
	सभापटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the table	109–110
	मंत्री द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण	Personal Explantation by Minister ..	110
	श्री एच० आर० गोखले	Shri H.R Gokhale	110
	छोटे सिक्के (अपराध) संशोधन विधेयक	Small Coins (Offences) Amendment Bill	112
	विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	112
	श्रीमति सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatagi	112
	श्री दिनेश जोरदर	Shri Dinesh Joarder	112–113
	श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	113
	श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S.M. Benerjee	113
	श्री डी० एन० तिवारी	Shri D.N Tiwari	113
	श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder	113
	श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar ...	114
	सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi ...	114
	श्री दरबारा सिंह	Shri Darbara Singh ...	115
	खंड 2 और 1	Clauses 2 and 1	116

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
	पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	116
	श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatagi	116
	रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक	Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Bill ..	117
	खंड 2 से 5	Clauses 2 to 5	117–130

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 10 दिसम्बर, 1974/19 अग्रहायण, 1896 (शक)
Tuesday, December 10, 1974/*Agrahayana* 19, 1896 (*Saka*)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्न काल के निलम्बन के बारे में
Re : Suspension of Question Hour

Shri Janeshawar Mishra : I rise on a point of order. This way it will not be possible to proceed with the Question Hour or any other business which you may wish to proceed with. Respectfully I want to submit that you may clarify the serious matter which Shri Mavlankar wants to raise. We feel that you are more serious than us regarding this matter. It is a question of prestige of the House and all of us. The way the hon.-Prime Minister has ignored this House and the opposition, we cannot allow the question hour or any other proceedings to be held. I therefore request you to admit the notice of Shri Mavlankar and suspend the Question Hour. I do not want to come in to conflict. You may please clarify. Some way can be found out. We will not allow you to conduct the business of the House if you try to conduct it forcibly. Curruption is rampant in the country and people are not getting meals. Here you want to proceed with the Question Hour forcibly. We will not allow it. You may give your ruling on the notice given by Shri Mavlankar. You may suspend the Question Hour. We are, then, prepaired to cooperate with you. We have full respect for you.

Mr. Speaker: Question Hour cannot be suspended. It is wrong, even to bring such a motion.

Shri Janeshawar Mishra: We have been compelled to bring such a motion. The people sitting on the other side has compelled us to do so.

Mr. Speaker: There is no need of any rule or discussion if the decisions are to be taken on the basis of shouting.

श्री पी०जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं इस बारे में आपको पहले ही लिख चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है मैं इससे सहमत नहीं हो सकता।

श्री पी०जी० मावलंकर : मैं सभा की कार्यवाही यथासम्भव शीघ्र चलाना चाहता हूं। परन्तु प्रश्नकाल से या पूर्व इस मामले को उठाने की अनुमति मांगने का कारण यह था कि कल प्रधान मंत्री और श्री मोरार जी देसाई के

वक्तव्यों के बाद जो कुछ हुआ, वह शोर में दब गया और फिर भी कुछ बातों को रिकार्ड किया गया है जैसे कि यह सभी बातें इस सदन में हुई हों। परन्तु इनमें से कोई भी ठीक तरह से नहीं समझ सका कि वास्तव में क्या हुआ है। मध्याह्न भोजन के पश्चात् दोनों ओर के सदस्यों की ओर से व्यवस्था के अनेक प्रश्न उठाये गये थे और उपाध्यक्ष ने यह टिप्पणी की थी कि दोनों ओर के सदस्यों की ओर से उठायी गई बातों में कुछ अच्छी बातें भी थीं। हम प्रधान-मंत्री के वक्तव्य के बारे में कुछ स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि विरोधी दलों के नेताओं को दस्तावेजों के दिखाये जाने के पश्चात् क्या वे किसी प्रकार की संसदीय जांच का सुझाव दे सकते हैं। इस बात का संसदीय कार्य-मंत्री अथवा किसी अन्य मंत्री द्वारा स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है। मैं प्रश्नकाल के स्थगन सम्बन्धी इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ग्रांड कोर्ड सैक्शन में रेलवे संपत्ति की लूट-पाट

***392. श्री के०एम० मधुकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान पूर्व रेलवे के धनबाद डिवीजन में ग्रांड कोर्ड सैक्शन में हाल में हुई रेलवे सम्पत्ति की लूट-पाट की घटनाओं की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) 1974 से 5-12-1974 तक पूर्व रेलवे के धनबाद मण्डल के ग्रांड कार्ड खंड में रेल सम्पत्ति को लूटा और छीना-झपटी का कोई मामला नहीं हुआ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। परन्तु ग्रांड कार्ड खंड में चोरी और उठाईगीरी की रोक-थाम के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :-

(i) इस खण्ड के भेद्य खण्ड अर्थात् गया और गोमों के बीच लगभग सभी माल गाड़ियों, विशेषतया मूल्यवान परेषणों वाली गाड़ियों में अनुरक्षी-दल की व्यवस्था की जाती है।

(ii) इस खण्ड के पारसनाथ, निमियाघाट, गुरपा, गुमंडी और बंधुआ जैसे छोटे स्टेशनों पर, अपराधियों को चौंकाने के लिए समय-समय पर टुकड़ियों और गश्ती-दलों को नियुक्त किया जाता है।

(iii) रेलवे सुरक्षा दल/पुलिस द्वारा अपराधियों के अड्डों पर बार-बार छापे मारे जाते हैं और उनकी तलाशी ली जाती है।

(iv) अपराधियों और चुरायी गयी सम्पत्ति लेने वालों के कार्य-कलाप पर कड़ी निगरानी रखने के लिए अपराध असूचना कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं।

(v) चोरी की सम्पत्ति को बरामद करने और अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए इस क्षेत्र में अचानक छापे मारने के लिए कभी-कभी केन्द्रीय अपराध ब्यूरो, रेलवे बोर्ड, नयी दिल्ली के कर्मचारी तैनात किये जाते हैं।

Shri Janeshwar Mishra: We will not allow the business to go on like this. You may listen to him.

Mr. Speaker: Don't interrupt the proceedings. You may sit down.

Shri Janeshwar Mishra: You may listen to him.

Mr. Speaker: It does not look nice when speaker requests you to sit down and yo refuse to accede to his request. I do not want to take the extreme step. I also do not want to name you. All of you are respectable persons. Many things are provided in the rules. Many big leaders are among you. If you people will behave like this, what should I do?

Shri Janeshwar Mishra: The hon. Deputy Speaker had stated yesterday that some way could be found out. He said both sides, could sit together. We want clarification from you.

Shri P.G. Mavalankar: The whole matter will be finished if you clarify the position. I want to know whether there will be scope for parliamentary probe after the report has been seen by the leaders. If the hon. Minister of Parliamentary Affairs clarifies this position, the matter would be finished.

Mr. Speaker: From whose side I should clarify the position? The persons concerned should clarify the position.

Shri Janeshwar Mishra : I want to submit that during the Question Hour, only the Ministers reply. Now the situation has developed where the hon. Minister said something in the House and then they deny that. I want to know as to why then you want to have Question Hour ? You have said that, there are many things in the rules under which you can take action against us but you do not want to do that. We also do not want that such type of action should be taken against anybody. But if the ruling party with their absolute majority forced us to do such thing then you have the rules and you can extern us from the House and Mrs. Indira Gandhi has police and she can shoot us. We are prepared to welcome both the situations. But we will not allow the Question Hour to proceed in this way. (*Interruptions*)

Mr. Speaker: I do not want to extern anybody from the House. God may give you good sense so that you may behave according to parliamentary methods.

Shri Janeshwar Mishra: Even God is not prepared to give good sense to Shrimati Indira Gandhi.

Mr. Speaker: You may please sit down.

Shri K.M. Madhukar: Mr. Speaker, Sir, I have information that railway property has been stolen on this line. I am prepared to give proof in this respect. But the report made by the railway authorities in this respect is misleading. I am aware that in such cases high Government officials remain in collusion with other people and railway property is stolen. But when the enquiry is held, the report is given to the effect that no theft has taken place. May I know whether the hon. Minister is aware that some railway officers remain in collusion with antisocial elements and steal railway property and when the report is demanded they do not give any report ?

Shri Buta Singh: The Question of the hon. Member is not about theft. It is about loot and plunder. The meaning of loot and plunder is not theft. If the hon. Member wants to know about thefts, I can give figures.

Shri K.M. Madhukar: It appears that the hon. Minister does not want to give exact figures. In his statement, mention has been made about pilferage, theft, loot etc. If the Question is not about theft then why this word has been mentioned in his statement?

In this statement it has been said that some steps or action has been taken to check the thefts. I want to know the results thereof. May I know whether as a result of those steps, there has been now less number of cases of loot, theft and pilferage? We do not see any results of the action taken by Government. I want to know the net result of the steps taken by Government.

Shri Buta Singh: There are very good results of the action taken by us. It is clear from the figures that in 1972 the property worth 1,29,276 rupees was stolen where as upto November, 1974 when the prices have risen too high property worth 4,29,201 rupees has been stolen. Uptill now, property worth 15,341 rupees has been recovered and 25 persons have been arrested and 8 persons have been challaned.

Shri D.M. Madhukar: The cases of thefts have increased and not decreased as result of the action taken by the Government.

Shri Buta Singh: It is not true.

Shri Ram Dev Singh: The hon. Minister has now said about enquiry and arrest of some person. May I know whether it has been found that personnel of the R.P.F. are also involved in these thefts ?

Shri Buta Singh: It is true that in some cases persons belonging to R.P.F. were also involved. They have been arrested and action has been taken against them.

Shri D.N. Tiwari: Earlier, property worth one lakh rupees was stolen and now property worth four lakh rupees has been stolen, irrespective of the fact that more thefts have taken place or prices have risen. I want to know whether the cases regarding stealing of coal are also included in it or they are in addition to it? If they are included in this, then, I want to know as to how much coal has been stolen? We know that large quantity of coal is stolen.

Shri Buta Singh: As I have already stated in this case, the thefts of rice, wheat, sugar, pulse and turmeric are included. In addition to this, the railway property, such as utensils, motor cycles, cycles have also been stolen. The theft of coal has also taken place but that is not included in it.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री द्वारा दिए गये उत्तर को देखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि 5-12-74 तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ? अब तक कितने रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है ?

Shri Buta Singh: 25 persons have been arrested and 8 persons have been challaned on the Dhanbad section. No railway employee of this section was involved.

Shrimati Sabodrabai Rai: May I know whether in these cases, railway employees or outsiders are involved?

Shri Buta Singh: As I have already told, mostly they are outsiders but in some cases railway employees are also involved. Action has been taken against them also.

औषधि कम्पनियों द्वारा औषधियों की कीमतें बढ़ाया जाना

*394. **श्री बीरेन दत्त :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधि कम्पनियां औषधियों और दवाइयों की कीमतों में और वृद्धि करने वाली हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

औषधों का मूल्य संशोधन, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 के अन्तर्गत किया जाता है जिसमें इसके लिए पद्धति का उल्लेख किया गया है। वर्ष 1973-74 के उत्तरार्ध में हुए पेट्रोलियम सम्बन्धी संकट के परिणाम स्वरूप प्रपुंज औषधों को सम्मिलित करते हुए रसायनों के मूल्य बढ़ गये हैं इसके फलस्वरूप औषध निर्माताओं से अपने उत्पादों के मूल्य में वृद्धि करने के लिए बड़ी संख्या में आवेदन पत्र मिले हैं।

प्रपुंज औषधों के मामले में निर्माताओं ने उत्पादन लागत के विभिन्न तत्वों अर्थात् कच्चा माल, ईंधन, बिजली, वेतन कार्य पूंजी निवेश आदि के कारण मूल्य में वृद्धि करने का अनुरोध किया है। जहां तक सूत्रयोगों का सम्बन्ध है आवेदकों ने प्रपुंज औषध, कच्चे माल और पैकिंग सामग्री के मूल्य में हुई वृद्धि के कारण मूल्यों में वृद्धि करने का अनुरोध किया है।

औषधों के मूल्यों के निर्धारण/संशोधन के लिए प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की छानबीन करने से सम्बन्धित कार्य दिनांक 1-1-74 से औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को सौंप दिया गया है। 16-5-70 से जबकि औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1970 लागू किया गया था तब 17 अत्यावश्यक प्रपुंज औषधों के मूल्य टेरिफ आयोग द्वारा की गई लागत जांच के आधार पर निर्धारित किए गए थे और अन्य औषधों के मूल्य पर रोक लगा दी गई थी। अन्य 23 प्रपुंज औषधों तथा गलेटाइन कैप्सूल्स के मूल्य औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो के अध्यक्ष की अध्यक्षता में नियुक्त किए गए कार्यकारी दल द्वारा की गई लागत जांच के आधार पर निर्धारित किए गए थे। इस सम्बन्ध में 19-1-74 को एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा गया था। प्रपुंज औषधों के मूल्य औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो या वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा द्वारा की गई लागत जांच के बाद ही निर्धारित किए जाते हैं।

केवल मुख्य कच्चे माल के लागत मूल्यों में हुई वृद्धि की सीमा तक ही प्रपुंज औषधों के अन्तरिम मूल्य संशोधनार्थ अनुमति दी जाती है। सूत्रयोगों के मूल्यों के बारे में कच्चे माल और पैकिंग सामग्री में हुई मूल्य वृद्धि को पूर्णतया समाप्त करने हेतु मूल्य वृद्धि की अनुमति दी जाती है।

सरकार ने उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध एवं भेषज उद्योग पर एक समिति की नियुक्ति की है जिसके विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित भी सम्मिलित हैं:—

(i) ग्राहकों के लिए औषधों के मूल्यों में कमी करने के बारे में अब तक किये गये उपायों की जांच करना तथा ऐसे अग्रगामी उपायों के बारे में सिफारिश देना जो मूल औषधों तथा सूत्रयोगों के उचित मूल्य निर्धारण हेतु आवश्यक है।

(ii) आवश्यक औषधों तथा घरेलू दवाइयों को आम जनता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र की जनता, तक पहुंचाने के लिए उपायों के बारे में सिफारिश करना।

श्री बीरेन दत्त: इस बात को देखते हुए कि अपनी एकाधिकार की स्थिति के कारण ये कम्पनियां बहुत अधिक लाभ कमा रही हैं, क्या सरकार जनसाधारण के हित को देखते हुए इन उद्योगों को अपने हाथ में लेने और लोगों को औषधियां सस्ते दामों पर देने का विचार कर रही है, जैसाकि वास्तव में सिफारिश की गई है?

श्री के०आर० गणेश: औषधियों का मूल्य निर्धारण अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गए औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप कुछ औषधियों का मूल्य समय समय पर निर्धारित किया गया है। अब माननीय सदस्य ने पूछा है कि इस बात को देखते हुए कि मूल्य बढ़ रहे हैं क्या सरकार इन मूल औषध फर्मों को अपने अधिकार में लेगी। हाथी समिति औषध उद्योग के समूचे ढांचे तथा उपभोक्ताओं को सस्ते दामों पर औषधियां उपलब्ध कराने सम्बन्धी विभिन्न मामलों पर विचार कर रही है और जब उसकी रिपोर्ट आयेगी तो सरकार उस पर पूरी तरह से विचार करेगी।

श्री भागवत झा आजाद: रिपोर्ट से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मामलों में सरकार उत्पादन लागत के संबंध में अन्तरिम वृद्धि की अनुमति देने जा रही है। क्या औषध उद्योग समान औषध के लिए यूरोप की तुलना में इस देश में आठ गुना से आठ हजार गुना अधिक दाम ले रहा है। क्या अमरीकी उपभोक्ता अधिक दामों के विरुद्ध न्यायालय

में गये हैं। क्या इस तथ्य को देखते हुए कि इन फर्मों ने इस देश में गरीब लोगों से भारी मुनाफा कमाया है, सरकार और वृद्धि की अनुमति देने जा रही है। इस लागत ढांचे का औचित्य क्या है।

श्री के० आर० गणेश : औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत ही मूल्य निर्धारित किये जाते हैं। बी० आई० पी० सी० औषधियों की लागत के बारे में विचार करती है। आम उपयोग की 40 औषधियों जिनके मूल्य 1970 से बढ़े हैं, में से 17 औषधियों के मूल्य प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों से बढ़े हैं और 23 औषधियों के मूल्य कच्चे माल कीमतें बढ़ जाने के कारण तथा अन्य कारणों से बढ़े हैं।

मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि औषध उद्योग में मुनाफा बहुत अधिक होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हाथी समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है। उसके निर्देश पदों में से एक यह है कि उपभोक्ताओं को किस प्रकार से सस्ती दवाएं दी जायें और क्या सस्ती औषधियों के बारे में वर्तमान स्थिति संतोषप्रद है अथवा नहीं। इस प्रश्न के दो पहलू हैं : एक यह है कि पैट्रोल तथा अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण औषधियां बनाने में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि हो गई है। दूसरा पहलू यह है कि जनसाधारण को औषधियां सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध होनी चाहिए अन्यथा वे उन्हें नहीं खरीद सकेंगे। अतः एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

श्री राजा कुलकर्णी : गत वर्ष 26 मुख्य आधार औषधियों में से कितनी औषधियों के मूल्यों में वृद्धि हुई और इन औषधियों के मामले में समान सूत्र निर्धारित करने के बजाय इनमें से एक-एक के मूल्य में वृद्धि करने का क्या प्रयास किया जा रहा है? क्या मंत्रालय यह अनुभव कर रहा है कि औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 1970, जिसके आधार पर मूल्य निर्धारित किये जा रहे हैं, अनुपयोगी हो गया है और सम्पूर्ण मामले पर पुनर्विचार की आवश्यकता है?

श्री के० आर० गणेश : जैसा कि पहले बताया गया है, 17 आधार (बल्क) औषधियों का मूल्य 1970 में बढ़ाया गया था। ऐसा प्रशुल्क आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। बाद में 23 ऐसी औषधियों का मूल्य और बढ़ाया गया था और सभा पटल पर विवरण रख दिया गया था। माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि औषध मूल्य नियंत्रण आदेश अनुपयोगी हो गया है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि हाथी समिति इन सभी प्रश्नों पर विचार कर रही है। साथ ही वह, उद्योग की स्थिति, जनसाधारण को सस्ती औषधियों की उपलब्धता आदि के प्रश्नों पर भी विचार कर रही है। इसकी सिफारिशों के आधार पर सम्पूर्ण मामले पर विचार किया जा सकता है।

श्री पी० जी० मावलंकर : माननीय मंत्री ने मूल प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर नहीं दिया है। औषधियों और दवाइयों के मूल्यों में वृद्धि का मामला चिन्ता का विषय है। सरकार की इस मूल्य वृद्धि के बारे में क्या प्रतिक्रिया है? क्या इस दृष्टि से औषध मूल्य नियंत्रण आदेश 1970 और उस पर आधारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के पीछे कोई कानूनी शक्ति है? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि 80 प्रतिशत औषध निर्माता विदेशी हैं और वे अर्जित लाभ को स्वदेश भेज देते हैं, क्या सरकार सम्पूर्ण उद्योग के राष्ट्रीयकरण पर विचार नहीं कर रही है ताकि विदेशी एजेन्सियां इस उद्योग से बाहर निकल जाये और भारतीय एजेन्सियों को कार्य करने का अधिक और उचित अवसर मिल जाये?

श्री के० आर० गणेश : औषध मूल्य नियंत्रण आदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत जारी किया गया था और सभा पटल पर रख दिया गया था। औषध उद्योग के वर्तमान ढांचे को देखते हुए औषधियों के मूल्य उचित हैं अथवा नहीं, जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, इसका उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहूंगा कि विश्व व्यापी मूल्य वृद्धि के परिणामस्वरूप उद्योग में काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है और ईंधन के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है। इसका दूसरा पहलू यह है कि यह उद्योग निस्संदेह ऐसा उद्योग है जिसमें लाभ बहुत अधिक होता है।

श्री भागवत झा आजाद : यह एक महत्वपूर्ण बात है।

श्री के० आर० गणेश : जैसा कि मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं, यह देखना होगा कि मूल्य इतने अधिक न बढ़ जायें कि उसका उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े और हमारे जैसे देश में अनिवार्य औषधियों का उत्पादन इस

प्रकार हो कि जहां तक सम्भव हो जनसाधारण को वे उचित मूल्यों पर उपलब्ध होती रहें। चूंकि इन प्रश्नों पर एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति विचार कर रही है और उसका प्रतिवेदन फरवरी 1975 तक उपलब्ध होगा, इसलिए सरकार तब तक उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा करेगी।

श्री भागवत झा आजाद : क्या आपने समिति से लाभ के प्रश्न पर भी विचार करने के लिए कहा है ?

श्री के० आर० गणेश : यह उसके निर्देश पदों में है। अतः सरकार सम्पूर्ण प्रश्न पर समग्र रूप से विचार करने के लिए समिति की सिफारिशों की प्रतीक्षा करेगी।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : क्या यह सच है कि एक एकाधिकार उच्च गृह विटामिन 'सी' का उत्पादन करता है और इस औषधि का विश्व व्यापी अभाव है ? अतः इसके उत्पादन से एक एकाधिकार गृह असीम लाभ कमा रहा है ? दूसरी ओर इसी औषधि का उत्पादन लघु उद्यमियों द्वारा किया जा रहा है और उन्हें उत्पादन लागत भी नहीं मिल पा रही है। सरकार की इस सुझाव के प्रति क्या प्रतिक्रिया है कि एकाधिकार गृह द्वारा निर्धारित मूल्यों को कम किया जाये और उसके लाभ को सीमित किया जाये तथा अन्य लघु निर्माताओं के लाभ को बढ़ाया जाये ? मूल्यों में आमूल संशोधन के बजाय दोनों प्रकार के निर्माताओं के वर्तमान मूल्यों का औसत मूल्य निर्धारित किया जाये।

श्री के० आर० गणेश : यह प्रश्न औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को विचारार्थ भेज दिया गया है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : मंत्री महोदय इस बारे में आश्वासन क्यों नहीं दे रहे हैं ? मैं श्री मालवीय, जो मंत्रालय के मामलों में व्यवसाय की दृष्टि से विशेषज्ञ हैं, से इस बारे में आश्वसन चाहता हूं। इसके अलावा, यह नीति सम्बन्धी मामला भी है।

श्री भागवत झा आजाद : आप किसके हितों की रक्षा करना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें आश्वासन के बारे में विचार करने दीजिए।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : मेरे साथी ने प्रश्न का सामान्य उत्तर दे दिया है। मैंने हाथी समिति से शीघ्रता करने का अनुरोध किया है और हम उसकी सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सभी प्रश्न हाथी समिति के विचाराधीन हैं। ये प्रश्न जटिल हैं किन्तु सभा की इच्छा और आकांक्षाओं के अनुरूप हम उनका समाधान खोजेंगे। जहां तक श्री साल्वे के प्रश्न का सम्बन्ध है, वह समिति को सौंप दिया गया है और हम यह प्रयास करेंगे कि एकाधिकार गृह विटामिन 'सी' का अधिक मूल्य वसूल न करे और औसत मूल्य निर्धारित करने का कोई उपयुक्त सूत्र मिल जाये।

प्रो० मधु दंडवते : यह कांग्रेस सदस्यों के लिए आश्वासन है।

श्रीमती रोजा देशपांडे : क्या हमारे देश में औषध निर्माता एकाधिकार-गृह अपने उत्पादन के मूल्यों में वृद्धि चाहते हैं और इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण औषधियों का उत्पादन घटा दिया है ? यदि ऐसा है, तो क्या सरकार ऐसी औषधियों का उत्पादन भी सरकारी क्षेत्र के कारखानों में कराने के प्रश्न पर विचार कर रही है ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि 'एन्टी बायटिक्स' महत्वपूर्ण औषधियां हैं। सरकारी क्षेत्र में इस समय इन औषधियों का उत्पादन कुल कितना है और क्या सरकारी क्षेत्र का संयंत्र अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य कर रहा है ?

श्री के० आर० गणेश : यह सच है कि मूल्यों में वृद्धि की मांग की गई, जिस पर औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा विचार किया जाना है, और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन को रोक लेने या उसमें कमी कर देने की प्रवृत्ति पैदा हो गई है। जहां तक ऐसी कुछ औषधियों का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करने का प्रश्न है, कुछ औषधियों का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में हो रहा है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में 70 करोड़ रुपये की पूंजी इस

उद्योग के विस्तार के लिए रखी गई है ताकि सरकारी क्षेत्र में कुछ नयी औषधियों का उत्पादन किया जा सके और लोगों को उचित मूल्यों पर औषधियां उपलब्ध करने में सरकारी क्षेत्र अपना दायित्व पूरा कर सके।

जहां तक 'एन्टी बायटिक्स' का प्रश्न है, सरकारी क्षेत्र में बड़ी मात्रा में इनका उत्पादन होता है। किन्तु देश में इसका कुल उत्पादन संतोषप्रद नहीं है और उनका आयात करना पड़ता है। जहां तक पूर्णक्षमता के उपयोग की बात है, आई० डी० पी० एल० में कुछ बाधाएं और समस्याएं आई थी। उन्हें दूर करने के लिए प्रयास किया गया है। कुछ नये प्रयोग किये जा रहे हैं और अगले 6 महीनों में आई० डी० पी० एल० की क्षमता में और अधिक सुधार होगा।

श्री वसन्त साठे : उत्पादन में वृद्धि और मूल्य नियंत्रण के मार्ग में एक बाधा है 'बल्क ड्रग्स' के उत्पादन की। दुर्भाग्य से आज स्थिति यह है कि अधिकांश 'बल्क ड्रग्स' का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में होता है जब कि विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां मुख्यत: 'फार्मूलेशन' तैयार करती हैं और इस प्रकार वे मौके का अनुचित लाभ उठाती हैं। क्या यह सच है कि आई० डी० पी० एल० का प्रबन्ध, औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में करार के बावजूद मंत्रालय तक की सिफारिशों को नहीं मान रहा है, उसके विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

श्री के० आर० गणेश : जहां तक 'बल्क ड्रग्स' के उत्पादन का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य के पास मेरे से अधिक तथ्य होंगे क्योंकि वह हाथी समिति के सदस्य हैं। मेरी जानकारी के अनुसार विदेशी क्षेत्र, भारतीय क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में 33 प्रतिशत उत्पादन होता है। यह सच है कि अधिकतर विदेशी कम्पनियां तथा कुछ अन्य कम्पनियां 'फार्मूलेशन्स' तक ही सीमित रहती हैं और बहुत अच्छा लाभ कमाती हैं। जहां तक इस मामले में आत्म-निर्भरता का प्रश्न है 'बल्क ड्रग्स' का उत्पादन बढ़ाना होगा, क्योंकि ये औषधियां अन्य औषधियों के उत्पादन में काम आती हैं। हाथी समिति ने इस प्रश्न पर भी विचार किया है और उसकी सिफारिशें शीघ्र ही उपलब्ध हो जायेंगी। कुछ उपाय पहले ही किये जा चुके हैं। विदेशी कम्पनियों को तब तक लाइसेंस नहीं दिये जाते जब तक कि वे 'बल्क ड्रग्स' न बनायें। जहां तक आई० डी० पी० एल० में समस्या की बात है, इस विषय पर मुझे श्रीमती पार्वती कृष्णन के प्रश्न का उत्तर देना है। उसमें कुछ समस्या थी। मैं माननीय सदस्यों को आश्वसन देता हूं कि मैं इसे हल करने का प्रयास कर रहा हूं।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नई रेलवे लाइनों के लिये परिव्यय में कटौती

+

***396. श्री डी० बी० चन्द्रगौडा :**

श्री गजाधर माझी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के लिये निर्धारित परिव्यय को कम करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री वयालार रवि : मैं एक अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री गौडा के मामले में तो यह प्रश्न नहीं उठता। आपके मामले में यह प्रश्न कैसे उठता है? आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री वयालार रवि : क्या मैं एर्नाकुलम्-त्रिवेन्द्रम मीटर गेज लाइन को बदले जाने के बारे में प्रश्न पूछ सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय : यह एक सामान्य प्रश्न है। आप इसे सामान्य प्रश्न में नहीं पूछ सकते।

श्री वयालार रवि : वहां कार्य बहुत ही धीमी गति से हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न आपका एक विशिष्ट प्रश्न है। यदि आप इसे पूछना चाहते हैं तो इसके लिए पृथक नोटिस दीजिए।

श्री वयालार रवि : त्रिवेन्द्रम से एर्णाकुलम के बीच मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदला जा रहा है। किन्तु उसके लिए नियत राशि में कटौती के कारण वह कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है। उक्त लाइन के बड़ी लाइन में बदले जाने लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो पांचवीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित परिव्यय में कटौती के बारे में है। अतः मैं इसके लिए अनुमति नहीं दूंगा।

श्री वयालार रवि : यह पांचवीं योजना का लक्ष्य है। वह उत्तर देने के लिए तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। आप कार्य समिति में कैसे कार्य करते हैं।

Shri Bhan Singh Bhaura : The cut in Plan outlay has not been effected. I would like to know as to what happened to link railway line from Chandigarh to Ludhiana. About that you made a statement that....(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे पूछने की अनुमति नहीं दूंगा। आप एक विशिष्ट प्रश्न पूछ रहे हैं। अनेक रेलवे लाइनें हैं। वह उत्तर देने के लिए तैयार भी हो सकते हैं। परन्तु मुझे देखना है कि वह कहां तक तैयार हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए आप दोनों तैयार हैं। किन्तु मैं तैयार नहीं हूं। श्री लकप्पा, आपने अपनी सीट क्यों बदल ली है ?

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, नयी रेल लाइन के लिए नियत राशि...

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती कृष्णन। मैं आपको हमेशा ही खड़ा देखता हूं। यह उचित नही हैं। आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री के० लकप्पा : नयी रेल लाइनों के लिए नियत राशि में कटौती रेल-विकास की दृष्टि से उचित नहीं है। यही एक रेल लाइन है जो उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग से जोड़ती है। यह एक महत्वपूर्ण रेल लाइन है। रेल परिव्यय में कटौती से कर्णाटक सहित प्रत्येक राज्य की आर्थिक कठिनाई बढ़ी है। कर्णाटक में रेल लाइनों का बढ़ाया जाना और मीटर गेज लाइनों का बड़ी लाइनों में बदले जाने का काम प्रायः बन्द हो गया है। अलाभप्रद लाइनों को भी लेना होगा क्योंकि उनसे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वहां पर यातायात की भी बहुतायत है। यह प्रश्न बार-बार उठाया गया है। क्या इस पर पुनः विचार किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं तो उनके प्रश्न में खो ही गया हूं।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : माननीय सदस्य ने इतना व्यापक प्रश्न पूछा है कि उसका उत्तर देना मुश्किल है।

श्री के० लकप्पा : रेल व्यवस्था भी तो उतनी ही व्यापक है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : जहां तक मैं समझा हूं, उनका प्रश्न यह है कि क्या देश में रेल-विकास की कोई समेकित नीति है। हां ऐसी नीति है। दूसरी बात यह है कि पांचवीं योजना के परिव्यय में कटौती नहीं की गई है और जो कार्य निर्माणाधीन है उसे निर्धारित समय में पूरा किया जायेगा। हमारी नीति यह है कि पूरे देश में एक ही गेज की लाइन हो। परन्तु ऐसा करने के लिए हमें आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण कार्यक्रम को कई चरणों में विभक्त करना होगा। अन्ततः हम उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं।

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर : गत सप्ताह एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए कितने किलो मीटर रेल लाइन नियत है। क्या रेल-लाइन बिछाने की प्राथमिकताओं को इस क्रम में रखा

जायेगा कि जहां गत 25 वर्षों में केवल एक रेल लाइन दी गई है या जहां रेल लाइन किलोमीटरों की दृष्टि से निर्धारित लम्बाई से कम है, वहां रेल लाइनें अधिक प्रदान की जायें, ताकि इन सभी राज्यों का आर्थिक, वाणिज्य तथा कृषि विकास समान रूप से हो।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : लाइनों की प्राथमिकता निर्धारित करते समय कुछ बातों पर विचार किया जाता है जैसे, क्षेत्र का पिछड़ापन, यातायात की उपलब्धता और क्षेत्र का विकास। इसी आधार पर विचार किया जा रहा है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : माननीय मंत्री इस आश्वासन पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि राशि में कटौती नहीं की गई है। किन्तु जब भी हम उन अस्थायी और नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में बात करते हैं, जो हड़ताल के कारण शिकार बनाये गये, तो मंत्रालय और रेल प्रशासन यह उत्तर देता है कि बचत अभियान और निर्माण-कार्य में कटौती के कारण उन श्रमिकों को काम पर वापस नहीं लिया जा सकता। क्या मैं यह समझूं कि इन श्रमिकों को काम पर वापस ले लिया जायेगा क्योंकि विकास कार्यों में कोई कमी नहीं हुई है? (**व्यवधान**) अन्यथा वे आगामी पांच वर्षों में कैसे काम करेंगे? उन्होंने अभी अभी कहा है कि वे पंचवर्षीय योजना को पूरा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यह तो बड़ी चतुराई के साथ एक अन्य मामला लाया जा रहा है।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इस सदन में नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में अनेक बार चर्चा की जा चुकी है। मैंने अस्थायी किस्म के कामों में नियुक्त नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में पहले ही बता दिया है कि जहां कहीं काम को पुनः आरम्भ किया जाता है वहां उन्हीं श्रमिकों को काम पर ले लिया जायेगा जिनकी जबरन छुट्टी की गई है।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : वह सभा को गुमराह कर रहे हैं। यह नैमित्तिक श्रमिकों का मामला है जो वैसे ही अस्थायी होते हैं। उनकी संख्या लगभग 15000 है।

अध्यक्ष महोदय : अब यह संगत नहीं है।

Shri Bibhuti Mishra : May I know the principles of laying new railway lines? Will the Central Government adopt uniform policy in respect of all the regions?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : The principles are applicable to all the regions of the country but the question is that of availability of funds therefore ...

Shri Bibhuti Mishra : What are the principles?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : First of all, the priorities are fixed. Then some norms are evolved keeping in view the backwardness, industrial development, economic development and traffic requirements of a particular region.

Shri N.K.P. Salve : The principles are meant for those areas where there is no railway line but no principle is followed where railway lines are to be provided.

श्री दिनेश जोरदर : मंत्री महोदय का उत्तर अस्पष्ट और गुमराह करने वाला है। उन्होंने केवल यह कहा है कि रेलवे लाइनों के निर्माण के लिये परिव्यय में कोई कटौती नहीं की गई है। गत तीन वर्षों में देश के विभिन्न जोनों में कुल कितने मील रेलवे लाइनें बनाई गई हैं और उनके पास अब कौन-सी योजनाएं विचाराधीन हैं और इन योजनाओं को कितने समय में क्रियान्वित कर दिया जायेगा?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : रेलवे लाइनों का निर्माण जोनों के आधार पर नहीं किया जाता, देश में परिवहन व्यवस्था के समुचय विकास के लिये किया जाता है। निर्माणाधीन लाइनों के नाम ये हैं: रोहतक-भिवानी (49.30 किलोमीटर), हसनपुर-सकरी (74.90 किलोमीटर), रामनगर-काठगोदाम-रामपुर-हलद्वानी ब्राडगेज लिंक्स (62.00 किलोमीटर), मुरादाबाद-रामनगर कन्वर्शन (76.66 किलोमीटर), झंजरपुर-लौकाहा बाजार (42.30 किलोमीटर), बीबीनगर-नाडीकुडा (150 किलोमीटर), बांसपानी-जारवापुरा (176 किलोमीटर), धर्मनगर-कुमारघाट

(एन० ई० कौंसिल के खर्च पर 34 किलोमीटर लाइन का निर्माण किया जायेगा)। हमारा विचार उनको निर्धारित समय में पूरा करने का है . . . (**व्यवधान**) वर्ष 1974-75 में जो कि योजना का प्रथम वर्ष है।

श्री विश्वनारायण शास्त्री : क्या पांचवीं योजना में कटौती के बावजूद रेलवे के परिव्यय में विशेषकर रेलवे के पूर्वी क्षेत्र के सम्बन्ध में, कोई कटौती नहीं की जायेगी ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह काल्पनिक प्रश्न है। यदि पांचवीं योजना में कटौती की जाती है तो रेलवे पर उसका प्राभव पड़ना स्वाभाविक है।

Shri Onkar Lal Berwa : The honble Minister has stated that government do not have sufficient funds and the works in hand will be completed. They are prepared to lay that Railway line provided State Government is prepared to give funds. Kota-Bundi is a 22 mile long line. I want to know whether they are prepared to construct that line if State Government provides money ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi : We have no objection to it.

Shri Hukam Chand Kachwai : A former Railway Minister had said that narrow gauge lines will be converted into broad gauge lines. I would like to know the progress made in this respect. In how many cases narrow-gauge lines are being converted into metre-gauge and broad-gauge lines.

Shri Mohd. Shafi Qureshi : Nearly 600 crores rupees are required for conversion purposes. This work is being done in a phased manner.

कतिपय रेलवे संगठनों को मान्यता देना

***398. श्री चन्द्रिका प्रसाद :** क्या रेल मन्त्री रेल कर्मचारियों की वर्गवार यूनियन/एसोसियेशन के बारे में 18 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न सं० 3198 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा दल एसोसियेशन, रेलवे बोर्ड अनुसचिवीय कर्मचारी एसोसियेशन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय एसोसियेशनों के संगठन को रेलवे द्वारा मान्यता दे दी गई है; और

(ख) क्या सरकार इसी आधार पर अन्य एसोसियेशनों को मान्यता देने पर भी विचार कर रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख) एक विवरण-पत्र सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पश्चिम रेलवे को छोड़कर, जहां आर० पी० एफ० एसोसियेशन अभी भी संगठित होने की प्रक्रिया में है, सभी अन्य रेलवे जोनों के आर० पी० एफ० एसोसियेशनों को मान्यता प्रदान कर दी गई है। रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों पर रेलवे सुरक्षा दल अधिनियम लागू होता है, इसलिए वे दो मान्यता प्राप्त यूनियनों में से किसी में भी शामिल नहीं हो सकते हैं।

रेलवे बोर्ड के अनुसचिवीय कर्मचारी एसोसियेशन को पृथक मान्यता प्रदान की गई है, क्योंकि सचिवालयी कर्मचारी मजदूर संघ नहीं बना सकते।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एसोसियेशनों को मान्यता प्रदान नहीं की गई है, क्योंकि इन समुदायों के रेल कर्मचारियों को भी मान्यता प्राप्त यूनियनों में से किसी भी यूनियन में शामिल होने का अधिकार है। लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नागरिकों की विशिष्ट स्थिति होती है, जिसके अनुसार संविधान के अन्तर्गत उन्हें सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, इसलिए इस एसोसियेशन को आश्वासन दिया गया है कि उसके पत्रों की प्राप्ति-सूचना दी जायेगी, समुचित कार्यवाही की जाएगी और इन आरक्षित समुदायों के कर्मचारियों के लाभ के लिए सरकारी नीति-निर्णयों को प्रभावित किया जाएगा।

पहले से ही विशाल आधार के दो फैडरेशन हैं और उनसे सम्बद्ध यूनियनों में प्रत्येक जोनल रेलवे में सभी श्रेणियों के रेल कर्मचारी हैं, जिन्हें बातचीत करने की सुविधाएं प्राप्त हैं। सभी रेल कर्मचारी इन मान्यता प्राप्त यूनियनों के सदस्य बन सकते हैं। जब सरकार की नीति एक उद्योग में एक यूनियन की है, तब रेल कर्मचारियों के किसी अन्य एसोसियेशन को मान्यता प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Sh. Chandrika Prasad : It has repeatedly been stated that Government is for one Union in one industry. I want to know as to when this object will be achieved ?

Sh. Mohd. Shafi Qureshi : This is one policy that there should be one union in one Department. But there are some difficulties and we are discussing the matter with Recognised Unions and others to remove the same.

Sh. Chandrika Prasad : When it will be done ?

Sh. Mohd. Shafi Qureshi : The talks are being held and results will be known in due course.

Sh. Chandrika Prasad : Eastern Railway Employees Congress Union is a recognised union. There is the question of providing facilities to them. Will he consider this matter ? Besides, there is no single union for Metropolitan Railways of Calcutta, Bombay and Delhi. If the same comes into being, will be given recognition to it ?

Sh. Mohd. Shafi Qureshi : The existing union of Eastern Railway was given recognition long ago but unfortunately there are certain controversies among them and their case is *sub-judice*. A decision will be taken as soon as judgement of the court is received.

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं पूछना चाहता हूं कि आल इंडिया रेलवे वर्कर्स फैडरेशन को, जोकि अखिल भारतीय है और जो एक वर्ग की नहीं बल्कि सभी वर्गों की फैडरेशन है, मान्यता क्यों नहीं दी जा रही है ? क्या मैं पूछ सकता हूं कि उसको मान्यता कब तक दी जाएगी ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हमने भारतीय रेलवे की दो यूनियनों को मान्यता दी है। अभी किसी अन्य यूनियन को मान्यता दिए जाने की कोई सम्भावना नहीं है।

Sh. Chandra Shailani : May I know the number of Scheduled Caste and Scheduled Tribe employees in the unions recognised so far, what is their percentage ?

Sh. Mohd. Shafi Qureshi : We do not maintain the figures about the number of employees in A. I. R. F. and N. F. E. R.

Sh. Narsingh Narain Pandey : I want to know whether they will consider the question of all the categorywise unions and take action simultaneously alongwith the Federation about which the discussions are being held ?

Sh. Mohd. Shafi Qureshi : We shall discuss it with category-wise unions after finishing it with major unions. There is no difficulty in it.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

रूसी तेल विशेषज्ञों की भारत यात्रा

*393. **श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :**
श्री डी० के० पंडा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूसी तेल विशेषज्ञों ने कोयली, बरौनी और गौहाटी स्थित तेलशोधक कारखानों का अध्ययन दौरा करने के बाद तेल शोधन के नए तरीके का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) सोवियत विशेषज्ञों के एक दल ने सितम्बर-अक्तूबर, 1974 में भारतीय तेल निगम के कोयली, बरौनी और गौहाटी स्थित तीन चालू तेलशोधक कारखानों का दौरा किया था और नई दिल्ली में भारतीय तेल निगम के प्रबन्धकों से बातचीत की थी। चर्चा उपयोगिताओं की खपत में कमी करने और ईंधन, उत्पादन ढांचे के अधिकतम प्रयोग, संयन्त्रों के चालू करने के समय में सुधार और बरौनी तथा गौहाटी स्थित कोककारी एककों की क्षमता में वृद्धि करने के बारे में थी। पम्पों, लोडिंग बाल्वों, सेम्पलिंग पाइन्टों आदि जैसे संयंत्रों से रिसने के कारण होने वाले उत्पादन-ह्रासों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई थी। मगर इन तेलशोधक कारखानों में से किसी भी कारखाने के लिए सोवियत विशेषज्ञों ने किसी नई तेल शोधक प्रक्रिया का न तो सुझाव दिया और न ही इस बारे में चर्चा ही की।

कलकत्ता में 'ट्यूब' रेलवे

***395. श्री रानेन सेन :**
श्री समर गुह :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में ट्यूब रेलवे के निर्माण के काम में कठिनाई उत्पन्न हो गई है जिससे ऐसी आशंका पैदा हो गई है कि शायद यह परियोजना एक दशक में पूरी न हो सके;

(ख) यदि हां, तो इस संकट के क्या कारण हैं; और

(ग) इस योजना को इस कठिनाई से मुक्त करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) कलकत्ता भूगत परियोजना भारत जैसे विकासशील देश में अपने किस्म की पहली परियोजना है। यद्यपि इसके कार्यान्वयन के लिए अपने देश में न बनने वाले भण्डार और उपस्कर का आयात, भूमि का अधिग्रहण, सड़क यातायात का मार्ग-परिवर्तन जैसी कठिन समस्याओं का सामना करना होगा। तथापि अनुमान है कि यह परियोजना 10 वर्ष के भीतर पूरी हो जाएगी।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

स्नेहक पदार्थों (लुब्रीकेन्टस्) की कमी

***397. श्री धामनकर :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्नेहक पदार्थों की अत्याधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी है; और

(ग) इन स्नेहक पदार्थों को कार्यों के लिए उत्पादन उपलब्ध कराने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री (श्री० के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) जबकि द्वितीयक ग्रेड के स्नेहक पदार्थों की मात्रा आवश्यकताओं से बहुत अधिक है, प्रीमियम ग्रेड की अपूर्ण मांग का अनुमान 4,000 कि० लि० प्रतिवर्ष है।

(ग) (i) शोधनशालाओं में प्रीमियम ग्रेड के स्नेहक पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं; और

(ii) भारतीय तेल निगम प्रीमियम ग्रेड के स्नेहक पदार्थों के निर्माण हेतु देशीय उत्पादन बढ़ाने के लिए बेस आयल का आयात करने की योजना बना रहा है।

भारत के तेल आयात व्यय में वृद्धि

***399. श्री पी० गंगादेव :**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष भारत का तेल आयात-व्यय अनुमानित राशि से अधिक हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो आयात किए जाने वाले कच्चे तेल तथा पैट्रोलियम उत्पादों की मात्रा कितनी है;

(ग) क्या सरकार पैट्रोलियम उत्पादों के स्थान पर कच्चे तेल का आयात करना आरम्भ करने का विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूपरेखा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (घ) वर्तमान रबी फसल के दौरान अत्याधिक मांग को पूरा करने के लिए अशोधित तेल तथा पैट्रोलियम उत्पादों के आयात के सम्बन्ध में 1974-75 के दौरान नियत की गई उच्चत्तम सीमा से अधिक 18 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है । विश्व बाजार में परिशोधित पट्रोलियम उत्पादों के वर्तमान उच्च मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अशोधित तेल के लगभग 276,000 मी० टन का आयात करने के लिए इस राशि का उपयोग करने का विचार है ।

पानीपत में उर्वरक संयंत्र के लिये सहायता देने के बारे में जापान के साथ करार

***400. श्री प्रबोध चन्द्र :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान ने पानीपत में स्थापित किए जाने वाले उर्वरक संयंत्र के लिये सहायता देना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलिम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जापान ने उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अर्थात् भटिण्डा, पानीपत और मथुरा में स्थापित किए जाने वाले तीन उर्वरक संयन्त्रों पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा को पूरा करने के लिए 32.9 बिलियन येन की ऋण सहायता दी है । इसमें से भटिण्डा प्रायोजना के लिए 11 बिलियन येन के अनुसार ऋण सहायता उपलब्ध हो चुकी है जोकि इसके कार्यान्वियन के लिए ले ली गई है । पानीपत प्रायोजना के लिए ऋण करार अभी तक नहीं किया गया है ।

कोचीन तेलशोधक कारखाने का कार्यकरण

***401. श्री एस० एन० मिश्र :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान कोचीन रिफाईनरीज लिमिटेड, एरणाकुलम (कोचीन) के कार्यकरण की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को किस प्रकार की अनियमितताओं का पता लगा है; और

(ग) सरकार ने खामियां दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी०पी० मांझी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राज्यों को डीजल आयल सप्लाई

***402. श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि कार्यों के लिए डीजल आयल की कमी को ध्यान में रखते हुए राज्यों को अपेक्षित मात्रा में डीजल आयल सप्लाई करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का हैं; और

(ख) प्रत्येक राज्य को कितने डीजल आयल की आवश्यकता है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हाल ही गत समय में देश के अन्दर हाई स्पीड डीजल आयल और लाइट डीजल आयल की सामान्य कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है । राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि यदि आवश्यक हो तो अग्रता के आधार पर कृषि प्रयोजनों के लिए कृषकों में डीजल आबंटन कार्डों को जारी करने की प्रणाली के माध्यम से हाई स्पीड डीजल/लाइट डीजल आयल की उपलब्धता सुनिश्चित करें ।

(ख) राज्यवार के आधार पर डीजल आयल की आवश्यकता का हिसाब नहीं लगाया जाता है । तथापि राज्यों की सामान्य मांगों को पूरा करने के लिए डीजल आयल प्रयाप्त मात्रा में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है विशेष रूप से कृषि क्षेत्र की संपूर्ण मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है । तेल कम्पनियों के फुटकर बिक्री केन्द्रों पर डीजल आयल की फुटकर बिक्री पर अभी तक कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं ।

राज्यों के लिए मिट्टी के तेल के कोटे में कटौती

***403. श्री जी०वाई० कृष्णन :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को गत चार मास में अब तक आबंटित किए गए मिट्टी के तेल के कोटे में कटौती की गई है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार कितनी कटौती की गई ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां । अगस्त, 1974 के दौरान सभी राज्यों के लिए 30% की एक समान कटौती की गई थी । सितम्बर और अक्तूबर, 1974 के दौरान प्रतिवर्ष 500 मीटरी टन से कम खपत करने वाले राज्यों के संबंध में यह कटौती लागू नहीं थी । अन्य राज्यों के संबंध में 15% से 25% के बीच कटौती की गई । नवम्बर माह में कटौती की सीमा में औसतन 10% तक कमी की गई थी । किन्तु यह कमी उन राज्यों के संबंध में नहीं की गई जिनकी प्रतिवर्ष खपत 500 मीटरी टन थी ।

(ख) नवम्बर माह में की गई कटौती युक्त का एक विवरण पत्र सभा-पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

आंकड़े मीटरी टनों में

राज्य	नवम्बर, 1974 के दौरान राज्यों को आबंटित मात्रा में कटौती
आसाम	505
आंध्र प्रदेश	2079
बिहार	1553
गुजरात	2558
हरियाणा	776
हिमाचल प्रदेश	37
जम्मू और काश्मीर	84
कर्नाटक	2319
केरल	1568

महाराष्ट्र	7843
मध्य प्रदेश	1335
मेघालय	36
उड़ीसा	628
पंजाब	2288
राजस्थान	803
तामिलनाडु	8036
त्रिपुरा	49
उत्तर प्रदेश	2934
पश्चिम बंगाल	--
चंडीगढ़	914
दादर और नागर हवेली	—
दिल्ली	1318
पांडिचेरी	93

विश्व बैंक से तेल की खोज के बारे में सुझाव

*404. श्री के० मालन्ना : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत सरकार को यह बताया है कि यदि घरेलू तेल क्षेत्र को लम्बी अवधि तक ऊर्जा सप्लाई में क्रमिक योगदान निभाना है तो उसे पांचवीं योजना में तेल की खोज पर व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि करनी होगी; और

(ख) यदि हां, तो विश्व बैंक की सिफारिशों की संक्षिप्त रूप रेखा क्या है और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रामागुन्डम में उर्वरक संयंत्र

*405. श्री राम सहाए पांडे :
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में रामागुन्डम में उर्वरक संयंत्र प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) रामामुन्डम उर्वरक संयंत्र में अब 1977 के आरंभ में उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है । देशीय उपकरणों एवं मशीनों की कुछ मदों के मिलने में हुई देरी प्रायोजना प्रारभ करने में हुए विलम्ब का मुख्य कारण है।

अशोधित तेल के मूल्यों में और वृद्धि

*406. श्री बसन्त साठे :
श्री सी० जनार्दनन :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी तेल कम्पनियां अशोधित तेल के मूल्य में और वृद्धि करने वाली हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Misuse of Railway Wagons

***407. Shri M. S. Purty :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any scheme to ensure that the traders do not misuse the Railway wagons for concealing their goods; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b) A proposal is under consideration to amend the Indian Railways Act and/or the Rules mede thereunder so as to enable consignments which are not taken delivery of within seven days of their arrival at the terminals being disposed of at certain notified stations where such consignments get held up.

रक्षा उद्योग को घटिया पैट्रोलियम-उत्पादों की सप्लाई

***408. श्री मधु लिमये :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय अथवा उसके अधीन कम्पनियों को पूर्ति मंत्रालय की ओर से, रक्षा उद्योगों तथा सरकारी उपक्रमों को घटिया पैट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई के बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) सरकारी उपक्रमों तथा सामान्य जनता को सप्लाई किये जाने वाले पैट्रोलियम उत्पादों की किस्म में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के०डी० मालवीय) : (क) और (ख) जी हां। 6 मार्च, 1972 को सचिव, पूर्ति मंत्रालय, ने आई०ओ०सी० के अध्यक्ष के नाम एक पत्र भेजा था जिसके साथ त्रुटिपूर्ण तथा कम सप्लाई तथा दावों एवं बिलों के प्रस्तुत करने में अनियमितताओं के संबंध में आई०ओ०सी० के विरुद्ध शिकायत युक्त एक नोट संलग्न था। पत्र की एक प्रति सचिव, पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय को भी भेजी गई थी।

आई०ओ०सी० द्वारा मामले की पूर्ण रूप से जांच की गई तथा इसके बाद आई०ओ०सी० के अध्यक्ष के उत्तर के आधार पर पूर्ति मंत्रालय ने इसकी जांच की। डी०जी०एस०एण्ड०डी० (पूर्ति एवं निपटान के महानिदेशालय) के ठेकों के संबंध में सप्लाई की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए आई०ओ०सी० द्वारा आवश्यक सुधारात्मक उपाय किये गये थे।

पनम्बूर-मंगलौर रेलवे लाइन

***409. श्री पी०आर० शिनाय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई पनम्बूर-मंगलौर रेलवे लाइन के उद्घाटन के बाद वह लाइन काफी समय से अप्रयुक्त पड़ी है; और

(ख) वह लाइन प्रयोग में कब लाई जाएगी ?

रेल मंत्री (श्री एल० एन० मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Passenger Trains cancelled in Bihar in November, 1974

***410. Shri R.V. Bade :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of passenger trains cancelled in diffierent parts of Bihar during November, 1974; and

(b) the reasons therefor ?

The Minister of Railways (Shri L.N. Mishra) : (a) and (b) A total of 54 trains were cancelled fully/partially in Bihar area during November, 74 on account of Patna and Bihar Bandhs and 15 trains due to operational factors like accident etc.

पानीपत में उर्वरक संयंत्र का निर्माण-कार्य

***411. कुमारी कमला कुमारी :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानीपत में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिये कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो काम कब आरम्भ होगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) यथाशीघ्र वित्तीय और अन्य प्रबन्धों के कर दिए जाने पर प्रायोजना के कार्यान्वयन का कार्य आरम्भ किया जाएगा ।

नये कटनी यार्ड को नया रूप देने का प्रस्ताव

***412. श्री डी० डी० देसाई :**
श्री अनादिचरण दास :

क्या रेल मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय नये कटनी यार्ड को नया रूप देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे कोयला क्षेत्र से मध्य भारत को कोयले की ढुलाई में सुधार होगा;

(ग) क्या इससे यार्ड कोयला ढुलाई की बढ़ती हुई मांग को पूरा कर सकेगा; और

(घ) क्या कुल आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने तथा यार्ड के विस्तार का नक्शा तैयार करने के लिये कोई इंजीनियरिंग सर्वेक्षण किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) जी हां ।

कोचीन मेक सुपर टैंकर आयल टर्मिनल प्राजेक्ट के बारे में केरल के मुख्य मंत्री का पत्र

3785. श्री ए० के० गोपालन : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के मुख्य मंत्री ने 31 अगस्त, 1974 को प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि कोचीन पतन में सुपर टैंकर आयल टर्मिनल प्राजेक्ट के प्रस्ताव का विरोध कोचीन रिफाइनरीज में इस लिये किया है क्योंकि "संभवतः इसके प्रबन्ध पर अमरीका के निजी पूंजीपतियों के प्रतिनिधियों का प्रभाव है";

(ख) क्या केरल के मुख्य मंत्री के पत्र में निहित अरोपों की भारत सरकार द्वारा जांच कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष रहे ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) से (ग) केरल के मुख्य मंत्री ने 31 अगस्त, 1974 को प्रधान मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कोचीन सुपर टैंकर आयल टर्मिनल प्रोजेक्ट के लिए व्यय की शीघ्र मंजूरी दे देने का आग्रह किया है। उन्होंने अपने पत्र में और बातों के साथ साथ, इस बात का उल्लेख किया है कि इस प्रायोजना के प्रति कोचीन रिफाइनरीज लि० के रवैये पर रिफाइनरी के प्रबन्ध में अमरीका के निजी पूंजीपतियों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रभाव पड़ सकने की संभावना है । कोचीन रिफाइनरीज लि० कोचीन सुपर टैंकर आयल टर्मिनल प्रायोजना के विरोध में नहीं है लेकिन उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि वर्तमान मूल्य निर्धारण पद्धति के अन्तर्गत टर्मिनल का निर्माण किये जाने के फलस्वरूप होने वाली बचत शोधनशाला को नहीं होगी और, कि उनकी वित्तीय स्थिति उन्हें इस प्रायोजना में वित्तीय सहभागिता की इजाजत नहीं देती । उपर्युक्त बातों के अन्तर्गत, कोचीन रिफाइनरीज लि० ने कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को पूरी तरह से सहयोग देने की पेशकश की है ।

कम लागत पर आवश्यक औषधियों की सप्लाई के बारे में गठित समिति की सिफारिशें

*3786 **श्री अरविन्द एम० पटेल** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ड्रग्ज एण्ड फार्मास्यूटिकल उद्योग सम्बन्धी समिति ने सुझाव दिया है कि जन साधारण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये कम लागत पर 120 आवश्यक औषधियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाये; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सुझाव को कार्यरूप देने के लिये आवश्यक कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) श्री जय सुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध एवं भेषज सम्बन्धी समिति ने एक पेनल नियुक्त किया है जिस में इस के कुछ सदस्य तथा देश के प्रसिद्ध चिकित्सक शामिल किये गये हैं। पैनल के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं :—

(क) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अत्यावश्यक औषध एवं सामान्य घरेलू दवाइयां मुहैया करने के लिये उपाय अपनाना।

(ख) क्या ब्रांड नामों का सामान्य नामों में बदल देना राष्ट्रीय हित में होगा और यदि ऐसा हो तो ऐसा किस ढंग और किस सीमा तक किया जाना चाहिए।

पेनल की रिपोर्ट पर समिति विचार कर रही है और समिति ने इस विषय पर सरकार को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

पठानकोट में चावल की बुकिंग

3787. **श्री विक्रम महाजन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस तथ्य के बावजूद कि पंजाब से दिल्ली में चावल लाने के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है तथा इसके लिये परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है तथापि पठानकोट (पंजाब) के रेलवे प्राधिकारियों ने दिल्ली के लिए चावल बुक करने से मना कर दिया है और पठानकोट से चावल बुक न करने वाले बुकिंग प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : व्यापार खाते में पठानकोट से दिल्ली के लिए रेल द्वारा बुक किये जाने के लिए चावल अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है; अतः पठानकोट पर रेलवे अधिकारियों द्वारा चावल बुक करने से इन्कार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Proposal to reserve posts of Judges for S.C./S.T.

3788. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of Law, Justice and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether Government propose to reserve certain percentage of posts of Judges for persons belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes also;

(b) if so, the time by which it will be implemented; and

(c) if not, the constitutional difficulty involved therein ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

(c) The Constitution does not provide for any such reservation.

Utilisation of Empty Wagons going from Bhilai

3789. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether supplies to Bhilai (MP) are made from Raniganj mines and the wagons with their supplies are unloaded at Bhilai and sent back to Raniganj;

(b) whether large stock of bamboos purchased by Bengal Paper Mills, Calcutta, has been lying for the last three years at Ramgarh (MP) railway station on the above railway line; and

(c) if so, whether Government will issue instructions to the effect that the empty wagons going from Bhilai be utilized for transporting the bamboos of the aforesaid mills so that the mill and the Railways both are benefited ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Coal for Bhilai Steel Plant mainly moves from Jharia Sector. A small quantity, however, moves from Radha nagar-Chaurasia area of Raniganj sector to Bhilai.

(b) There is no station with the name of Ramgarh in Madhya Pradesh.

(c) Does not arise.

गुजरात (पश्चिम रेलवे) की रेलवे कालोनियों में शिक्षा संबंधी सुविधाएं

3790. श्री डी० पी० जडेजा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में स्थित पश्चिम रेलवे के डिवीजनों की विभिन्न रेलवे कालोनियों में रेलवे कर्मचारियों को प्रदान की गयी शिक्षा सम्बन्धी सुविधायें कौन-कौन सी हैं; और

(ख) प्रत्येक रेलवे कालोनी के स्कूल की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। [ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल टी०—8713/74]

गुजरात में रेलवे (लोको) वर्कशाप में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या

3791. श्री एन० आर० वेकारिया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में स्थित रेलवे (लोको) वर्कशाप की संख्या क्या है और किन-किन स्थानों पर है;

(ख) प्रत्येक वर्कशाप में कितने कर्मचारी काम कर रहें है ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक वर्कशाप में कितने कर्मचारी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हैं।

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) रेल इंजन मरम्मत के मुख्यतः तीन कारखाने दोहद, प्रतापनगर और भावनगर में हैं जो कि गुजरात राज्य में स्थित है।

(ख) और (ग) इन तीनों कारखानों में कर्मचारियों की कुल संख्या और उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के . र्मचारियों की संख्या नीचे दी गई हैं :

कारखाने का नाम	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति के कर्मचारी	अनुसूचित जन-जाति के कर्मचारी
योहद	2,777	215	405
प्रतापनगर	672	53	4
भावनगर	434	13	10

संगठित औषध उद्योग में पूंजी निवेश

3792. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में संगठित औषध उद्योग में कुल कितनी पूंजी निवेश है; और

(ख) इस समय देश में औषध उद्योग में विदेशी नियंत्रित औषध फर्मों का कितने प्रतिशत हिस्सा है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) औषध और भेषज उद्योग के संगठित क्षेत्र में साम्य रूप में कुल प्रदत्त पूंजी लगभग 113 करोड़ रुपये है जिसमें से 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली विदेशी नियंत्रित औषध फर्मों का शेयर 27.19 करोड़ रुपये है। मे० एण्ड बेकर लि०, एंगलो थाई कारपोरेशन, चेस ब्रो पाण्डस निगमित, कूपर लैबोरेटरीज सी डब्लू कार्निक, निकोलस आफ इण्डिया लि०, जान वेथ ब्रदर्स स्मिथ क्लिन और फ्रेंच को छोड़कर ये शाखाएं उन विदेशी कम्पनियों की हैं जिनका भारत में कारोबार है। विदेशी नियंत्रित औषध फर्मों को शेयर प्रतिशतता संगठित क्षेत्र में कुल साम्य पूंजी के अनुसार 24.1 है।

Reduction in consumption of Petrol by raising its Price

3793. Shri B. S. Chowhan : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the extent to which Government have succeeded in reducing the consumption of petrol by raising its prices;

(b) the consumption of petrol during the last three years, year-wise; and

(c) whether Government propose to impose restrictions on production of cars with a view to reducing the consumption of petrol ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi) : (a) & (b) As a result of the price increase and other measures taken by Government, the consumption of petrol from January to October, 1974, was about 24.5% less than the corresponding period of 1973. The consumption of petrol during the past three years is as below :

(Figures in '000 Mts)

1971	1515.4
1972	1585.9
1973	1605.9
1974 (Upto October 1974)	1047.1

(c) There is no such proposal under the consideration of Government at present.

रेलवे के अस्थाई अधिकारियों के सम्बन्ध में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर निर्णय

3794. श्री वीर भद्र सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच रेलवे के अस्थायी अधिकारियों के सम्बन्ध में तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर, जो प्रतिवेदन के खण्ड II (भाग II) के पैरा 53 में दी गई है, कोई निर्णय कर लिया हैं ;

(ख) यदि हां, तो किये गये निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) निर्णय के अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) रेलों पर अस्थायी अधिकारियों को श्रेणी I में समाहित करने की गति तीव्र करने के प्रश्न की आवधिक समीक्षा की गई है। हाल ही में यह विनिश्चय किया गया है कि अस्थायी अधिकारियों को प्रतिवर्ष, भरपूर बढ़ी दरों पर समाहित किया जाये। उन्हें अन्य विभागों अथवा सरकारी उपक्रमों में समाहित करने के लिए भारी संख्या में मुक्त करना व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

दुर्गापुर तथा कोचीन उर्वरक परियोजनाओं मे यांत्रिकी कठिनाइयों का दूर किया जाना

3795. **श्री वयालार रवि** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर तथा कोचीन उर्वरक परियोजनाओं की यांत्रिकी कठिनाइयां जिनसे उत्पादन अस्तव्यस्त हो गया था तथा देश को बहुत बड़ा घाटा हुआ था पूर्णतया दूर कर दी गई है और इन कारखानों में उत्पादन सामान्य हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इन कारखानों में वर्तमान उत्पादन कितना है और इनकी अपनी-अपनी उत्पादन क्षमताओं के अनुपात में इसकी स्थिति क्या है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) कोचीन और दुर्गापुर प्रयोजनाएं जो क्रमश: अप्रैल और अक्तूबर 1973 में आरम्भ की गई थी, वे दोनों प्रतिवर्ष यूरिया के 3,30,000 मी० टन उत्पादन करने के लिए रुपांकित है। मुख्यत: आयात की हुई मशीनरी और उपकरणों सहित उपकरणों के विभिन्न मदों में खराबी के कारण संयंत्र उपयुक्त स्तर तक उत्पादन स्थिर करने और अपनी निर्धारित क्षमताओं को भी प्राप्त करने में अभी तक असमर्थ रहे हैं। इस समय ये संयंत्र अमोनिया खण्ड में लगभग 50% से 60% तक उत्पादन करने में समर्थ है जब कि यूरिया खण्ड प्रत्येक संयंत्रों की लगभग निर्धारित क्षमता के लगभग तक चलाता जा सकया है।

उपयुक्त संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यांत्रिक खराबियों और अन्य समस्याओं को दूर करने तथा पता लगाने के लिए समय समय पर सुव्यवस्थित प्रयास किए गए हैं। चूंकि यह प्रयास पूर्ण रुप से सफल नहीं थे, मैसर्स टेक्नीमोंट, जो इंजीनियर्स कम्पनियों में से एक थे और जिनका इन प्रायोजनाओं के साथ निकटतम संबंध था, को दुर्गापुर संयंत्र का विस्तृत सम्पूर्ण सर्वेक्षण करने और उपयुक्त स्तर तक विश्वस्त संचालन को सुनिश्चित करने तथा अपेक्षित उपायों का सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस सम्पूर्ण सर्वेक्षण रिपोर्ट की सभी संबन्धित व्यक्तियों के साथ बातचीत की गई है और दोनों दुर्गापुर और कोचीन को कार्यान्वित करने के लिए सुधारात्मक उपायों का कार्यक्रम किया जा रहा है।

Proposal from ICCI Calcutta for setting up of a Petro-Chemical Complex

3796. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the Indian Chambers of Commerce and Industry, Calcutta approached the Central Government during October, 1974 for setting up a Petro-Chemical Complex;

(b) if so, the main aim of the Chamber in setting it up ;

(c) whether the Central Government have approved it; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh) : (a) & (b) Yes, Sir. The Chamber has suggested the expansion of the Haldia Refinery and setting up of a Petro-chemical Complex at Haldia to strengthen the economic and industrial base of the region.

(c) & (d) On account of steep increase in the price of imported crude oil and restricted availability of foreign exchange to import crude oil to meet the requirements of the exisiting refineries, there is no proposal at present to expand the capacity of the Haldia Refinery. Similarly, no new major programme for Petro-chemicals at Haldia, in public sector, beyond the Fertilizer Plant with its integrated methanol, sulphuric acid and soda ash plants, is currently contemplated during the Fifth Plan Period.

सिंगरौली से कटनी तक नई रेल गाड़ी चलाया जाना

3797. **श्री राम रतन शर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे में सिंगरौली से कटनी तक एक यात्री गाड़ी चलाने जा प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अपनी खपत के लिये विदेशी कम्पनियों द्वारा 'फारर्मूलेशन्ज' का उत्पादन

3798. **श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कम्पनियां अधिकांशत: फारर्मूलेशन्ज बना रही हैं और क्या वे जो भी 'बल्क औषधियां' बनाती हैं उन्हें अपने 'फारर्मूलेशन्ज' में ही उपयोग कर लेती हैं ;

(ख) क्या हमारे देश में प्रारम्भ से ही कुछ विदेशी कम्पनियां फारमुलेशन्ज वना रही थी और विकास की दो दशाब्दियों के बाद ही कुछ भारतीय कम्पनियां ऐसे फारर्मूलेशन्ज बनाने की स्थिति में हुई हैं ;

(ग) क्या विदेशी कम्पनियों द्वारा बेचे जाने वाले फारर्मूलेशन के क्षेत्र में भारतीय कम्पनियों के प्रवेश को रोकने के लिये 2 करोड़ रुपये की नीति बनायी गयी थी ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार विदेशी कम्पनियां से उन वल्क औषधियों तथा फारर्मूलेशन्ज के उत्पादन के लिये क्यों नहीं कहती हैं जिनकी बिक्री इन कम्पनियों द्वारा पिछली एक दशाब्दि से की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) औषधि एवं भेषज के क्षेत्र में कार्य कर रहीं विदेशी कम्पनियां अर्थात् वे फर्म जिनमें 50% से अधिक विदेशी पूंजी लगी हुई है, देश में औषधों की कुल बिक्री के लगभग 45% तथा देश में कुल प्रपुंज औषधों के उत्पादन के तीसरे भाग का उत्पादन कर रही हैं ।

(ख) औषधों के उत्पादन के लिए योग्यताएं प्राप्त करना विकास की एक निरतंर प्रक्रिया है तथा कुछ विदेशी कम्पनियों के द्वारा उत्पादित औषधों के समान भारतीय कम्पनियां भी सूत्रयोगों का उत्पादन करने के योग्य हो गई हैं ।

(ग) औषध एवं भेषज के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि देश में प्रपुंज औषधों का उत्पादन अधिकतम किया जाए । भारतीय कम्पनियों जिनकी बिक्री प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपये की बिक्री से अधिक है, से भी आशा की जाती है कि इस कार्य हेतु प्रयत्न करेंगे जिससे प्रपुंज औषधों के आयात को कम से कम किया जा सके तथा विदेशी फर्मों पर निर्भरता कम हो सके । सम्पूर्ण रूप में भारतीय कम्पनियां अथवा वे कम्पनियां जिनमें विदेशी पूंजी 26 प्रतिशत से कम है, को सम्बंधित प्रपुंज औषध का उत्पादन करने के लिए 2 अथवा 3 वर्ष का समय दिया जाता हैं तथा उस बीच प्रपुंज औषधों को आयात करके अथवा अन्यों से इसकी खरीद द्वारा सूत्रयोगों को बेचने की अनुमति दी जाती है । दूसरी ओर 26 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की विदेशी साम्य पूंजी वाली कम्पनियों की स्वीकृति के सम्बन्ध में उनको अब सामान्यतया उनके द्वारा उत्पादित प्रयुज औषधों से सूत्रयोगों के उत्पादन करना होता है । ऐसी कम्पनियों को अपने प्रपुंज औषधों के उत्पादन को एक बड़े भाग को असम्बन्द्ध सूत्रधारियों या निर्यात के लिए देने की आवश्यकता होती है । लघु क्षेत्रीय एकक जो विदेशी फर्मी या बड़े घरानो से सम्बंधित नहीं हैं जिनकी संख्या देश में 2000 से अधिक है, को औद्योगिक लाइसेंस देने की आवश्यकता नहीं होती हैं ।

(घ) प्रपुंज औषधों के उत्पादन के साथ सम्बद्ध किये बिना अब सामान्तया औद्योगिक लाइसेंस सूत्रयोगों के उत्पादन करने के लिए जारी नहीं किये जाते हैं । उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए सरकार ने श्री जयसुख लाल हाथी की अध्यक्षता में औषध एवं भेषज उद्योग पर एक कमेटी गठन की है । कमेटी की रिपोर्ट की फरवरी, 1975 तक प्राप्त होने की आशा है ।

अक्तूबर और नवम्बर, 1974 में बिहार में रोकी गयी यात्री तथा मालगाड़ियां

3799 **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर और नवम्बर, 1974 में बिहार विधान सभा भंग कराने के लिये आन्दोलन करने वालों द्वारा बिहार क्षेत्र के अन्दर कितनी यात्री गाड़ी तथा कितनी मालगाड़ियां रोकी गयीं ; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप रेलवे को कितनी हानि हुई और इस संदर्भ में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

दादरा और नागरहवेली को मिट्टी के तेल की सप्लाई

3800. **श्री आर० आर० पटेल** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 तथा 1974-75 में दादरा और नागरहवेली को कुल कितने मिट्टी के तेल की आवश्यकता थी;

(ख) वर्ष 1973-74 तथा 30 सितम्बर, 1974 तक माहवार, कुल कितने तेल की सप्लाई की गई; और

(ग) मांग की तुलना में सप्लाई बहुत कम किए जाने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) से (ग) संघ शासित राज्य दादरा और नागर हवेली के लिए मिट्टी के तेल की आवश्यकताओं का अनुमान अलग से नहीं लगाए गए हैं। इस संघ शासित राज्य को मिट्टी के तेल की सप्लाई सर्वदा गुजरात राज्य को की गई सप्लाई में से दी जाती रही। स्थानीय प्रशासन ने वर्ष 1974-75 के लिए अपनी मिट्टी के तेल की आवश्यकता 778 मीटरी टन बताई है। इस संघ शासित राज्य को अब अलग से भी एक आवंटन किया गया है। नवम्बर और दिसम्बर के माह में इसे 50 मीटरी टन प्रति वर्ष के हिसाब से मिट्टी के तेल का आवंटन किया गया था इस क्षेत्र के सम्बन्ध में गत वर्षों में की गई सप्लाई के पृथक आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं ।

उच्चतम न्यायलय में न्यायाधीशों के रिक्त पद

3801. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) 30 सितम्बर, 1974 को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त थे ;

(ख) कितने समय तक ये पद रिक्त पड़े रहे हैं; और

(ग) इन रिक्त पदों को भरने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) शून्य ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

निपिन इन्सटीट्यूट, सोवियत रूस में मथुरा तेल शोधक कारखाने के लिए योजना तैयार किया जाना

3802. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निपिन इन्सटीट्यूट, सोवियत रूस में मथुरा तेल शोधक कारखाने के लिए योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) और (ख) भारत और सोवियत रूस के बीच हस्ताक्षर हुए नयाचार में मथुरा शोधनशाला के निर्माण कार्य में सहयोग करने की परिकल्पना है। इस नयाचार के अनुसरण में; इण्डियन आयल कम्पनी ने मैसर्स नेफ्टैक्नीप्रोमएक्सपोर्ट, मास्को, के साथ मथुरा शोधनशाला के एक भाग का प्रारूप तैयार करने के बारे में एक करार किया है। इस करार के अनुसार, मैसर्स नेफ्टैक्नी-प्रोमएक्स-पोर्ट द्वारा एक विस्तरित प्रयोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है विनीपीनैफ्ट जो प्रमुख डिजाइनर हैं; मैसर्स नैफ्टैक्नीप्रोमएक्सपोर्ट के उपलक्ष में इस विस्तरित प्रायोजना रिपोर्ट को तैयार कर रहे हैं। विस्तरित प्रायोजना रिपोर्ट अब पूर्ण होने के अग्रिम चरणों में है तथा इसकी जनवरी 1975 तक तैयार होने की आशा है।

Withdrawal of Chain pulling facility from Trains

3803. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have withdrawn chain pulling facility from some trains ;

(b) if so, whether as a result thereof 56 persons were killed and several others injured at Mahoharganj on Northern Railway; and

(c) whether Government propose to provide the facility of chain pulling in all Mail, Express and Vestibule trains ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) No.

(c) The alarm chain apparatus already exists on all Mail, Express and Passenger trains but has had to be blanked off on some trains on some vulnerable sections to avoid dislocation of train running as anti-social elements resort to pulling the alarm chain to stop trains without valid reasons. Even on such trains the alarm chain apparatus is not blanked off in ladies compartments, in full postal vans, in composite RMS-cum-Passenger coaches and ordinary coaches when these are fully or partially utilised for carrying mail.

रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या में कमी करना

3804. **श्री समर मुखर्जी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 8 मई, 1974 से पूर्व रेलवे में काम कर रहे नैमित्तिक श्रमिकों की कुल संख्या का जोन-वार ब्योरा क्या है;

(ख) 28 मई, 1974 को नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या कितनी थी; और

(ग) 31 अक्तूबर, 1974 को उनकी संख्या कितनी थी और श्रमिकों की संख्या में कमी होने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दो मंजिले सवारी डिब्बों की लागत

3805. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री एम० वी० कृष्णपा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977-78 से प्रत्येक रेलगाड़ी में कितने दो मंजिले सवारी डिब्बे लगाए जाएंगे तथा प्रत्येक सवारी डिब्बे के निर्माण में कितना खर्चा आएगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : बड़ी लाइन के एक प्रोटोटाईप दुमंजिले सवारी डिब्बे के निर्माण का आदेश दिया गया है। परीक्षण के तौर पर 1977-78 के दौरान इसे लाइन पर चलाए जाने की सम्भावना

है। इस प्रोटोटाइप सवारी डिब्बे के चालन का परिणाम उपलब्ध हो जाने के बाद ही और आगे निर्माण के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा।

आशा है कि इस प्रोटोटाइप सवारी डिब्बे की लागत लगभग 6 लाख रुपये आएगी।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० के उत्पादों की कीमतों में वृद्धि

3806. श्री एन० ई० होरो : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 के बाद से इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० के प्रत्येक उत्पाद की कीमत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या छोटे एककों को उनके उत्पादों की कीमतों में वृद्धि करने की अनुमति न देने के कारण वे बन्द हो रही हैं; और

(ग) यदि हां, तो औषधि उत्पादन में संलग्न छोटे एककों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) वर्ष 1970 और मार्च, 1974 के बीच की अवधि में सोडियम पी० ए० एस० के अलावा अन्य किसी समूह औषधि और फार्मूलेशन की कीमत में वृद्धि करने के लिए इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० को अनुमति नहीं दी गई थी। समूह औषधियों और फार्मूलेशनों की वर्ष 1970 की कीमतों और वर्तमान कीमतों का ब्यौरा अनुबन्ध I और II में दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए सं० एल० टी० 8714/74]**

(ख) और (ग) औषधि (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1970 के अधीन अपने उत्पादों की कीमतों के निर्धारण/संशोधन के लिए सरकारी मंजूरी की आवश्यकता से 50 लाख रुपये से कम मूल्य का वार्षिक उत्पादन करने वाले एककों को मुक्त रखा गया है। इसलिए, अपने उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के लिए मंजूरी न मिलने की वजह से छोटे एककों के बन्द होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पूर्व रेलवे पर टैंक वैगनों का रुके खड़े रहना

3807. श्री मौलाना इसहाक सम्भली : क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भट्टी तेल के परिवहन के लिए प्रयोग में लाए जा रहे खाली और भरे हुए टैंक वैगनों के एक ही स्थान पर रुक जाने से पूर्व रेलवे के सामने गम्भीर समस्या पैदा हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पैट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि

3808. श्री राजदेव सिंह : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस देश में पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि अरब देशों के अशोधित तेल की कीमतों में वृद्धि के अनुरूप ही है?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सी० पी० मांझी) : आयातित अशोधित तेल के वर्तमान मूल्य, 1-6-1970 को प्रचलित मूल्यों के लगभग 8.5 गुणा हैं। इस अवधि के दौरान प्रमुख पैट्रोलियम उत्पादों के मूल अधिकतम विक्रय मूल्य 1.3 से बढ़ा कर 3.2 गुणा तक कर दिए गए हैं।

कोंकण रेलवे में आप्टा-मंगलौर सेक्शन का निर्माण

3809. श्री मधु दण्डवते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "अकाल राहत कार्य" के रूप में प्रारम्भ किया गया कोंकण रेलवे के निर्माण के लिए मिट्टी डालने सम्बन्धी कार्य को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कोंकण रेलवे का बाकी कार्य कब शुरू किया जाएगा; और

(ग) आप्टा से मंगलौर तक कोंकण रेलवे का सम्पूर्ण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) आप्टा-मेंगलूर रेल परियोजना के आप्टा-मेंगलूर खण्ड में मिट्टी का काम सूखा राहत कार्य के रूप में 1973 में किया गया था और इसे महाराष्ट्र सरकार ने अपने खर्च से कराया था। मिट्टी का कुल काम 18.90 लाख घन मीटर था, जिसमें से राज्य सरकार ने 1.07 घनमीटर कार्य पूरा कराया था। सूखे की स्थिति में सुधार हो जाने के फलस्वरूप राज्य सरकार ने 15-6-1973 से यह काम बन्द कर दिया था। दासगांव और रत्नगिरि के बीच अन्तिम स्थल निर्धारण सर्वेक्षण जिसमें रत्नगिरि और मेंगलूर के बीच स्थल जांच भी शामिल है, की भी मंजूरी दी जा चुकी है और यह काम हो रहा है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने और सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच कर लिए जाने के पश्चात और साथ ही धन उपलब्ध होने पर इस लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में आगे विचार किया जाएगा।

वातानुकूलित शयन कोचों में दो टायर बर्थों वाली डीलक्स गाड़ियों को चालू करने का प्रस्ताव

3810. श्री अर्जुन सेठी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में वातानुकूलित शयन कोचों में दो टायर बर्थों वाली डीलक्स गाड़ियां शीघ्र ही चालू करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी हां। 2-टियर वाले दस (48 सीटों वाला) वातानुकूल शयन यानों का आर्डर दिया हुआ है और उन्हें वर्तमान वातानुकूल एक्सप्रैस गाड़ियों में लगाने का प्रस्ताव है।

तेल खोज कार्य में प्रगति

3811. श्री एस० आर० दामाणी : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नए क्षेत्रों में तेल खोज कार्य में कितनी प्रगति हुई है और अब तक इसमें कितनी सफलता मिली है;

(ख) क्या तेल के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए वैकल्पिक ईन्धन का पता लगाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ग) इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाता है।

(ख) और (ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

विवरण

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग वर्तमान में 18 स्थानों में जमीन पर व्यधन कार्य कर रहा है जिनमें से 12 स्थान गुजरात में हैं जिनके नाम है अंक्लेश्वर, अहमदाबाद वलोल, गलोघा, देतरोज, नवागांव, ढौलका, उत्तरी सरखेज, खम्बेल, बारा, उत्तरी कदी और सोभासन; 3 स्थान असम में स्थित हैं जिसके नाम हैं लकवा, गलेकी और अमगुरी और त्रिपुरा में बारामुरा, पांडेचेरी में करायकल और राजस्थान में शुमाखाली तलाई। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने बम्बई हाई संरचना पर दूसरे कूप का व्यधन कार्य पूरा करा लिया है।

आयल इण्डिया लिमिटेड का नहरकाटिया हुग्रीजान, दम-दम क्षेत्र तथा निगुं क्षेत्र में खरसंग में तेल अन्वेषण कार्य जारी है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा हाल ही में चिराती, अमगुरी और बोरहोला तथा बम्बई हाई अपतटीय संरचना पर तेल पाया गया।

इसके अतिरिक्त बंगाल और कच्छ थालों के अपतटीय अन्वेषण काम हेतु विदेशी तेल कम्पनियों की दो संस्थाओं के साथ-साथ अन्वेषण ठेकों को भी अंतिम रूप दे दिया गया है। इन थालों के प्रारंभिक भूकंपीय सर्वेक्षण पूरे कर लिए गए हैं।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने ईराक में तेल अन्वेषण का एक ठेका भी प्राप्त किया है और इसका प्रारंभिक सर्वेक्षण प्रगति पर है।

रेलवे हड़ताल के दौरान काम पर आने वाले रेल कर्मचारी

3812. श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 दिन लम्बी रेल हड़ताल में प्रत्येक रेलवे में कितने रेल कर्मचारी काम पर आए; और

(ख) जो रेल कर्मचारी हड़ताल के दौरान काम पर आए थे उन्हें इस बीच क्या लाभ दिए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) उन रेल कर्मचारियों की रेलवेवार संख्या, जिन्होंने मई, 1974 की हड़ताल में भाग नहीं लिया था, नीचे बताई गई है:—

मध्य	1,16,7 9
पूर्व	88,612
उत्तर	1,67,233
पूर्वोत्तर	77,550
पूर्वोत्तर सीमा	18,161
दक्षिण	68,443
दक्षिण मध्य	58,598
दक्षिण पूर्व	1,05,059
पश्चिम	1,11,176
चि०रे०इं० कारखाना	2,648
डी०रे०इं० कारखाना	336
सवारी डिब्बा कारखाना	745

(ख) उन कर्मचारियों को जो मई, 74 की हड़ताल के दौरान अपने काम पर डटे रहे, एक अग्रिम वेतन वृद्धि, अथवा नकद पुरस्कार, अथवा सेवा काल में एक वृद्धि या पुनर्नियोजन, अथवा एक पुत्र या पुत्री का अनुकम्पा के बतौर नियुक्ति का लाभ दिया जा सकेगा।

चिकनाने वाले तेलों का आयात

3813. श्री नवल किशोर शर्मा :
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चिकनाने वाले तेलों का आयात करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में इसे आयात किया जाएगा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे चिकनाने वाले तेलों का देश के भीतर ही उत्पादन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मामले में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) जी हां ।

(ख) बेस स्टाक की अनेक किस्मों का आयात किया जाता है। इसमें ब्राइट स्टाक सिलिण्डर आयल, रेफ्रिजिरेशन आयल, नेफथेनिक आयल, टर्बाइन आयल और एक्सल आयल शामिल हैं । विश्व भर में इन उत्पादों की कमी है और इसलिए इनका पर्याप्त मात्रा में आयात करना सम्भव नहीं है । चालू वर्ष में इन ग्रेडों की उपलब्धता लगभग 58,000 मी० टन तक होने की आशा की जाती है जबकि आवश्यकता का पूर्वानुमान 116 मी०टन लगाया था।

(ग) और (घ) परीक्षणात्मक प्रयोजन के लिए टरबाइन आयल और एक्सिल आयल का नमूना एच० पी०सी०एल० और एम०आर०एल०शोधनशालाओं में तैयार किया गया है और इनका विकास किया जा रहा है । जब हल्दिया शोधनशाला का लूब संयंत्र कार्य 1975 के अन्त तक चालू होगा। तब ब्राइट स्टाक का उत्पादन आरम्भ हो जाएगा ।

दुर्गापुर में "फार्मास्यूटिकल काम्पलेक्स" की स्थापना के लिए हाथी समिति का सुझाव

3814. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता वाली औषध तथा "फार्मास्यूटिकल" सम्बन्धी संसदीय समिति ने सुझाव दिया है कि पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में फार्मास्यूटिकल काम्पलेक्स स्थापित किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सुझाव की रूपरेखा क्या है; और

(ग) उसके बारे में सरकार का क्या निर्णय है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० के० आर० गणेश) : (क) से (ग) औषध तथा भेषज उद्योग पर समिति के अध्यक्ष ने सरकार को दुर्गापुर में औषध उद्योग समूह की स्थापना करने के लिए कोई सुझाव नहीं दिया है । हाल में तीन अन्य सदस्यों सहित समिति के अध्यक्ष ने दुर्गापुर प्रायोजना का दौरा किया और वहां इस समय लिए गए कार्यक्लयों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने और औषध उद्योग द्वारा अपेक्षित कच्चे माल की वहां सप्लाई करने अथवा वहां उसे विकसित किया जाए का पता लगाने के लिए दुर्गापुर प्रायोजना लिमिटेड और दुर्गापुर केमिकल्स लि० के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया । इस सम्बन्ध में समिति की रिपोर्ट तथा सिफारिशें यदि कोई है तो समिति द्वारा अभी प्रस्तुत की जानी है ।

अशोधित तेल का मूल्य बढ़ाने के कारण विदेशी तेल कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही और उनका राष्ट्रीयकरण

3815. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री अशोधित तेल के मूल्यों में वृद्धि और विदेशी तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में क्रमश: 12 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 336 और 340 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोधित तेल का मूल्य बढ़ाने के कारण विदेशी तेल कम्पनियों के विरुद्ध इस बीच क्या कार्यवाही की गई है और उसका राष्ट्रीयकरण करने के बारे में बर्मा शैल और काल्टेक्स के साथ हुई बातचीत का क्या परिणाम निकला है;

(ख) क्या विदेशी तेल कम्पनियों का पूरी तरह राष्ट्रीयकरण करने तथा तेल उद्योग में हितों के विभाजन को समाप्त करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसके बारे में तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) से (ग) विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा 1-10-74 से अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि के लिए दिए गए कारणों पर जांच की जा रही है। तेल

उत्पादन और निर्यात करने वाले देशों की 12 दिसम्बर, 1974 को होने वाली बैठक के बाद ही वास्तविक स्थिति का पता चलेगा। जहां तक भारत में बर्मा शैल और काल्टैक्स के कार्य को लेने का सम्बन्ध है, विचार विमर्श प्रगति पर है।

एक्ससेलसियर प्लांटस कारपोरेशन लिमिटेड फरीदाबाद के प्रबन्ध निदेशक द्वारा कारपोरेशन मे अपने निकट सम्बन्धियों की कथित नियुक्ति

3816. श्री एम० कतामुत्तु : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक्ससेलसियर प्लांट्स कारपोरेशन लिमिटेड, फरीदाबाद के प्रबन्ध निदेशक ने कारपोरेशन में उच्च पदों पर अपने अधिकांश निकट सम्बन्धियों को नियुक्त किया है; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरूआ) : (क) तथा (ख) कम्पनी अधिनियम, 1958 की धारा 209 (4) के अन्तर्गत कम्पनी की लेखा बहियों के निरीक्षण के दौरान, यह देखा गया कि कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक श्री जे० एन० रैना का पुत्र श्री ए० के० रैना 495 रु० प्रति माह के वेतन पर विशेषाधिकारी के पद पर कार्य कर रहा है। रिपोर्ट में कोई अन्य दृष्टान्त संदर्भित नहीं किया गया है।

फार्मूलेशनों के निर्माण के लिए निपटान हेतु निर्णयाधीन आवेदन पत्र

3817. श्री के० एस० चावड़ा : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फार्मुलेशनों के निर्माण के लिए 1973 में भारतीय कम्पनियों से प्राप्त सरकार के पास निर्णायाधीन आवेदन पत्रों का संक्षिप्त ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कम्पनियों ने किन-किन फार्मूलेशनों के निर्माण हेतु आवेदन पत्र दिये थे;

(ग) विदेशी कम्पनियों और बड़े गृहों द्वारा निर्मित उसी प्रकार के फार्मूलेशनों के नाम क्या हैं तथा वे कब से बनाए गए हैं;

(घ) क्या इन फार्मूलेशनों के लिए 'ब्लक' औषधियों विदेशी कम्पनियों/बड़े गृहों द्वारा बनाई जाती है तथा क्या इन गृहों द्वारा निर्मित फार्मूलेशनों की सप्लाई कम है; और

(ङ) यदि हां, तो भारतीय फर्मों के आवेदन पत्रों को अनिर्णीत रखने के क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश): (क) और (ख) 1973 के दौरान केवल औषध सूत्रयोगों के निर्माण के लिए भारतीय कंपनियों अर्थात् ऐसी कंपनियों, जिनमें 50% तक की विदेशी पूंजी लगी हुई है, की ओर से औद्योगिक लाइसेंस के लिए प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों में से इस समय 8 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। उन कंपनियों, जिन के आवेदन पत्र विचाराधीन हैं, के नाम तथा औषध सूत्रयोगों के नाम तथा मांगी गई क्षमताओं का उल्लेख संलग्न विवरण पत्र में किया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०–8715/74**]

(ग) और (घ) 50% से अधिक विदेशी साम्यपूंजी वाली ऐसी 36 फर्में हैं जो औषध सूत्रयोगों का निर्माण कर रही हैं। सूत्रयोगों की संख्या कई हजारों में हैं। प्रत्येक सूत्रयोग के ब्यौरे तथा रचना और विभिन्न संघटकों से युक्त इतने सारे सभी सूत्रयोगों के तुलनातमक विश्लेषणों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) आवेदन पत्र इस लिये निलम्बित पड़े हुए हैं क्योंकि इन पर अन्य संबंधित विभागों के परामर्श से कार्यवाही की जा रही है।

मतदान आयु कम करने के प्रस्ताव को क्रियान्वित करना

3818. श्री भागीरथ भंवर :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :
श्री बी० मयावन :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मतदान आयु कम करके 18 वर्ष करने का प्रश्न सभी राज्य सरकारों को भेजा गया था और यदि हां, तो उनसे मिले उत्तरों का ब्यौरा क्या हैं ;

(ख) इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के संबंध में यदि कोई प्रगति हुई है तो वह क्या है ; और

(ग) इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : (क) निर्वाचन विधि से संबंधित संशोधनों पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट जिसमें अन्य बातों के साथ मतदान के लिए न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश भी है, सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजी गई थी ।

प्राप्त उत्तरों की विशिष्टयां देने वाला विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

(ख) और (ग) इस प्रस्ताव पर उसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक विचार किए जाने और उसका अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है और इस विषय में कोई विनिश्चय किए जाने के लिए अभी कुछ और समय लगने की संभावना हैं ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	प्राप्त उत्तर की विशिष्टियां
1.	त्रिपुरा	संविधान में संशोधन करके मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के लिए समिति की सिफारिश को नहीं माना गया, क्योंकि इससे शैक्षणिक संस्थाएं, जिसमें स्कूल भी सम्मिलित हैं, राजनीति के अखाड़े बन जाएगें और यह विद्यार्थियों को उनके अध्ययन से विमुख करेगी, जैसा कि सभी को मालूम है कि 18 वर्ष के आयु वर्ग के विद्यार्थी अधिकांशत: उन ग्रामीण-क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ते हैं जहां शिक्षा देर से प्रारभं होती है ।
2.	मेघालय	यथाप्रस्थापित
3.	दिल्ली	इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मतदान आयु को कम करने से शैक्षणिक सस्थाओं में दलगत राजनीति व्याप्त हो जाएगी, मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना स्वीकार्य नहीं है ।
4.	आन्ध्र प्रदेश	इस विषय पर, इस राज्य सरकार ने अभी तक कोई निश्चित राय नहीं बनाई है और मामला अभी भी विचाराधीन है ।
5.	गुजरात	संविधान के अनुच्छेद 326 का संशोधन किया जाना चाहिए जिससे मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष हो जाए ।
6.	मध्य प्रदेश	इसके द्वारा न केवल विश्व-विद्यालय के विद्यार्थी मताधिकार प्राप्त करेंगे अपितु उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के विद्यार्थियों को भी यह अधिकार प्राप्त हो जाएगा । चूंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की राष्ट्रीय राजनीति में आसदित वांछनीय नहीं है अतः राज्य सरकार इस सुझाव से सहमत नहीं है ।
7.	तमिलनाडु	यह सरकार मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने के विरुद्ध नहीं है । इस प्रस्ताव पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया जा सकता है । तथापि, यह नीति का विषय है और इस पर विनिश्चय भारत सरकार को करना है ।

निम्नलिखित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने इस विषय पर कोई विचार व्यक्त नहीं किए हैं :

1. श्रासाम
2. चंडीगढ़
3. दादरा श्रौर नागर हवेली
4. गोवा, दमन श्रौर दीव
5. हरियाणा
6. हिमाचल प्रदेश
7. कर्नाटक
8. केरल
9. लक्षद्वीप
10. मणिपुर
11. नागालैंड
12. राजस्थान

शेष राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों ने कोई उत्तर नहीं भेजे है ।

धनबाद रेल डिवीजन में श्रपराधियों की नियुक्ति

3819. श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 15 सितम्बर, 1974 के कोलफील्ड गजट में प्रकाशित "सेवन नटोरियस क्रिमिनल्स श्रपोइन्टिड इन धनबाद रेल डिवीजन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की श्रोर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे में एवजी कर्मचारियों की नियुक्तियों के बारे में सरकार की क्या नीति है ; श्रौर

(ग) नियमों श्रौर वर्तमान प्रक्रियाश्रों की श्रवहेलना करके उक्त नियुक्तियां करने के लिए श्रधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) श्रौर (ग) यद्यपि कोलफील्ड गजट में प्रकाशित सामग्री इस मन्त्रालय के नोटिस में नहीं श्रायी हैं, तथापि यह बात प्रकाश में श्रायी है कि कुछ व्यक्तियों ने ऐसे पत्रों के श्राधार पर श्रस्थायी नियुक्तियां प्राप्त की हैं जिनके जाली होने का सन्देह है । इस मामले की जांच की जा रही है ।

(ख) नियमित वेतनमानों श्रौर भत्तों पर एवजियों को केवल तभी लगाया जाता है जब किसी रेल कर्मचारी के छुट्टी पर होने श्रथवा किसी श्रनुमोदित उम्मीदवार के तुरंत उपलब्ध न होने के कारण नियमित पद खाली हो जाते हैं ।

रेलवे में नौकरशाही

3820. श्री भोला मांझी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय का ध्यान 6 श्रक्तूबर, 1974 के कोल्फील्ड गजट में "रेलवे ब्यरोक्रेट्स श्रार श्राऊट टू फिनिश बेसिक नामर्स श्राफ डेमोक्रेसी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की श्रोर दिलाया गया है ;

(ख) क्या 18 सितम्बर, 1974 को डी० पी० श्रो०, धनबाद के गोपनीय पत्र में सरकार की नीति का पालन किया गया है तथा 6 सितम्बर, 1974 को कलकत्ता में एच० श्रो० डी० की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया है ;

(ग) रेलवे में गत श्राम हड़ताल के दौरान नोकरी से निकाले गए कर्मचारियों को बहाल करने श्रौर सेवा में व्यवधान की माफी देने के सबंध में महाप्रबन्धकों को दिए गए नीति तथा निदेशों का ब्योरा क्या है ; श्रौर

(घ) नीति तथा अनुदेशों का पालन न करने के लिए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : जी नहीं।

(ख) और (ग) सरकार की नीति समय-समय पर सदन में स्पष्ट कर दी गई है :-

(1) हड़ताल में बिना अनुमति अनुपस्थित रहने के परिणामस्वरूप सेवा भंग स्वतः ही हो जाता है और अपील के आधार पर उसे यह जांच करने के बाद ही माफ किया जा सकता है कि इस तरह की माफी के लिए लघुकारी परिस्थितियां हैं या नहीं।

(2) सेवा समाप्ति अथवा बर्खास्तगी "रेलवे अनुशासन और अपील नियम, 1968" पर निर्भर करती है और कर्मचारी के लिए यही रास्ता होता है कि वह निर्धारित समय के भीतर अपील करें। अपील पर अपील प्राधिकारी द्वारा विचार किया जाना होता है और उसके विनिश्चय की सूचना कर्मचारी को दे दी जाती है जिस पर वह मामले की पुनरीक्षा के लिए आगे भी अभ्यावेदन दे सकता है।

(3) अस्थायी कर्मचारियों की सेवा स्थापना संहिता के नियम 149 के आधार पर यथोचित नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है। ऐसे मामलों में भी कर्मचारी को पुर्ननियुक्ति के लिए अभ्यावेदन देना होता है।

(4) अवैध हड़ताल में भाग लेने के कारण औद्योगिक विवाद अधिनियम के नियम 25(ख) के आधार पर नैमित्तिक श्रमिकों और एवजी कर्मचारियों की सेवा स्वतः ही भंग हो जाती है। उनको दुबारा काम पर लिया जाना निर्माण कार्यों और साधनों की स्थिति पर निर्भर करता है। इसके अलावा, यह उस अभ्यावेदन पर भी निर्भर करता है जो उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए कर्मचारी द्वारा दिया जाता है जिनमें उसने इस तरह भी अवैध हड़ताल में भाग लिया था।

इससे स्पष्ट है कि सेवा-भंग में माफी को छोड़कर जो कि केवल राष्ट्रपति अथवा उस प्राधिकारी द्वारा ही दी जा सकती है जिसे यह अधिकार प्रायोजित किया गया हो, अन्य सभी कार्रवाई व्यक्तिगत अपीलों और अभ्यावेदनों पर निर्भर करती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

धनबाद डिवीजन (पूर्व रेलवे) में भर्ती

3821. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में नई भर्तियां प्रायः स्थानीय निवासियों तथा रेल कर्मचारियों के रिश्तेदारों को लेकर की जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या पूर्व रेलवे के धनबाद डिवीजन के असिस्टेंट पर्सोनल आफिसर ने (दिनांक 30-7-74 के अपने कार्यालय आदेश संख्या ई०एम०/एस० डबल्यू/74 के अधीन) 6 ऐसे नए व्यक्तियों की भर्ती की थी जो न तो स्थानीय निवासी हैं और न ही रेलवे कर्मचारियों के रिश्तेदार है ;

(ग) क्या कम से कम दो व्यक्तियों ने ओ० सी० जी०/आर० पी० एस० को बताया था कि उनकी भर्ती रेलवे बोर्ड के स्थानीय प्राधिकरण ने नहीं की थी और कि वे रेल मंत्री के निकट संबंधी हैं ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) धनबाद के सहायक कार्मिक अधिकारी ने 6 व्यक्तियों को उपयुक्त पाये जाने पर एवज़ी कर्मचारियों के रूप में चौथी श्रेणी में भर्ती किया था।

(ग) ओ० सी०/जी० आर० पी० के सामने दिये गये ऐसे किसी ब्यान की जानकारी रेल मंत्रालय को नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अशोधित तेल का मूल्य कम करने के बारे मे खाड़ी के कुछ देशों द्वारा निर्णय लिया जाना

3823. **श्री के० मालन्ना :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाड़ी के छ: देशों, जिनके पास विश्व का आधा तेल भंडार हैं, में से तीन देशों ने अशोधित तेल की 'पोस्टेड प्राइस' कम करने और तेल कम्पनियों द्वारा कमाये जा रहे 'बड़े लाभ' को उनके द्वारा उत्पादित देशों को दिये जाने वाले शुल्कों में वृद्धि करके कम करने के बारे में निर्णय किया है ;

(ख) क्या इस बैठक में, जो खाड़ी के देशों द्वारा आयोजित पहले किस्म की है ; तीन अन्य देशों ने, जो विश्व का 30 प्रतिशत तेल उत्पादित करते हैं मूल्यों में परिवर्तन का सुझाव अस्वीकार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो 10 नवम्बर 1974 को अबू धाबी में आयोजित उस बैठक में लिये गए निर्णयों का मुख्य ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) से (ग) खाड़ी के तेल उत्पादक देशों को दिनांक 10 नवम्बर 1974 को हुई बैठक में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कतार ने निम्नलिखित निर्णय किया है :—

1. अपरिष्कृत तेल की दर्ज शुदा मूल्य में दिनांक 1 नवम्बर 1974 से 40 यू एस सेन्ट प्रति बैरल तक कमी करना ।
2. 20 प्रतिशत तक रायल्टी दर में वृद्धि करना ।
3. तेल कंपनियों पर लागू आयकर में 85 प्रतिशत तक वृद्धि करना ।

संशोधित मूल्य नियम वर्ष 1975 के जुलाई मास के अंत तक लागू होगा ।

तथापि ईरान, ईराक और कुवेत, इस बैठक में भाग लेने वाले अन्य तीन सदस्यों ने इस निर्णय को इस साल दिसम्बर में होने वाले तेल उत्पादक और निर्माता देशों की मिनिस्टरिंग कान्फ्रेंस को देखते हुए नहीं माना ।

पिछले वर्ष के दौरान बिना टिकट यात्रा और रेल सम्पत्ति की चोरी

3824. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में बिना टिकट यात्रा और रेल सम्पत्ति की चोरी बढ़ रही है;

(ख) पिछले वर्ष के दौरान इन दो कारणों से हुई हानि का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बुराइयों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) (i) भारतीय रेलों पर बिना टिकट यात्रा से होने वाली राजस्व की हानि के वर्षानुवर्ष के अनुमानित आंकड़े तैयार नहीं किये जाते । अत: पिछले वर्ष के आंकड़े अलग से उपलब्ध नहीं हैं । 1967-68 के दौरान सभी भारतीय रेलों पर की गयी नमूने की जांच के आधार पर इस हानि का अनुमान 20 से 25 करोड़ रुपये प्रति वर्ष लगाया गया था । बाद में की गई जांचों से पता चला था कि बिना टिकट यात्रा कम हो गयी है । भारतीय रेलों पर बिना टिकट यात्रा कितनी हो रही है इस का अनुमान लगाने के लिए एक और नमूने का सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

(ii) पिछले वर्ष अर्थात् 1973-74 में रेलों के सामान और जुड़नार की चोरी के कारण हुई हानि लगभग 42.88 लाख रुपये हुई थी ।

(ग) (i) 10 जून, 1969 से बिना टिकट यात्रा करने का कम से कम जुर्माना 50 पैसे से बढ़ा कर 10 रुपये कर दिया गया था ताकि यात्रियों को बिना टिकट यात्रा से रोका जा सके। इसके अलावा निम्नलिखित और उपाय भी किये गये हैं :—

(1) टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों, रेलवे सुरक्षा दल और रेलवे पुलिस कर्मचारियों के एक बड़े दल को लगा कर बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध विशेष रूप से व्यापक जांच की जाती है और बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने वालों का चालान किया जाता है ।

(2) राज्य सरकारों के सहयोग से बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाये जाते हैं ।

(3) छात्र समुदाय के बीच बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध शिक्षात्मक प्रचार किया जाता है ।

(4) रेल मंत्रालय में काम कर रही गैर सरकारी स्थायी स्वयं सेवी सहायता समिति भी रेलों पर बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए पूरा पूरा प्रयास कर रही है ।

(ii) रेलवे के सामान और जुड़नार की चोरी को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं :-

(1) यार्डों और गर्त लाइनों पर खड़े चल स्टाक पर रेलवे सुरक्षा दल द्वारा निगाह रखी जाती है ।

(2) अपराध का पता लगाने और अपराधियों को पकड़ने के लिए यांत्रिक, बिजली और सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से संयुक्त जांच की जाती है ।

(3) रेलवे सुरक्षा दल के सादी वर्दी वाले कर्मचारियों और अपराध आसूचना ब्यूरो के कर्मचारियों से मिली सूचना के आधार पर अक्सर छापे मारे जाते हैं और अपराधियों तथा चुराई गयी सम्पत्ति लेने वाले व्यक्तियों को रेल सम्पत्ति (गैर कानूनी कब्जा) अधिनियम, 1966 की व्यवस्थाओं के अधीन उन पर कार्रवाही की जाती है ।

(4) बुरी तरह से प्रभावित यार्डों और स्थलों में अपराधों की रोकथाम करने के लिए सशस्त्र कर्मचारियों और कुत्ता दस्तों द्वारा पहरा दिया जाता है ।

(5) अपराध की गतिविधियों को रोकने के लिए स्थानीय और रेलवे पुलिस के साथ निकट सम्पर्क रखा जाता है ।

तेल स्थिति के बारे में फ्रांस के राष्ट्रपति और अमरीका के सैक्रेटरी आफ स्टेट का प्रस्ताव

3825. **श्री बी०वी० नायक :**
श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :
श्री आर०वी० स्वामीनाथन :
श्री वी० मायावन :
श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :
श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फ्रांस के राष्ट्रपति श्री गिस्कार्ड डी एस्टाग का तेल उत्पादक और तेल उपभोक्ता देशों के 12 राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रस्ताव और तेल सकंट से निपटने के लिए अमरीका के सेकरेटरी आफ स्टेट, श्री किसिंजर की पांच सूत्री योजना जो 15 नवम्बर, 1974 को साथ-साथ प्रकाशित हुए थे, पर विचार कर लिया है ।

(ख) यदि हां, तो भारत को किस प्रस्ताव से शुद्ध और अधिक लाभ होगा ;

(ग) क्या भारत ने विश्वव्यापी तेल संकट के बारे में कोई अपना स्वतंत्र प्रस्ताव तैयार किया है और उसके परिणामी लाभ क्या होंगे; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री के०डी० मालवीय) : (क) और (ख) फ्रांस का तेल सम्मेलन संबंधी प्रस्ताव हमें प्राप्त हो चुका है और यह विचाराधीन है। सरकार के पास अमेरिका के राज्य सचिब की योजना के बारे में कोई सूचना नहीं है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

डाक्टरों द्वारा जीवन-रक्षक और कीमती औषधियों का दिया जाना

3826. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल डाक्टरों के पास जीवन-रक्षक औषधियां कीमती होने के बावजूद भी उपलब्ध है और वे उपचार-पर्चियों में लिखी जाती हैं;

(ख) क्या विशेषकर बहिरंग रोगियों को डाक्टर कीमती औषधियां नहीं देते है और उनके स्थान पर अन्य विकल्प औषधियां देते हैं;

(ग) क्या पूर्व रेलवे में औषधियों पर होने वाले खर्च में मितव्ययिता के नाम पर 50 प्रतिशत कटौती कर दी गई, हालांकि रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे आदेश देने का है कि अस्पतालों में जीवन-रक्षक औषधियां पर्याप्त मात्रा में रखी जायें और जरूरतमंद रोगियों को ऐसी औषधियां देने से डाक्टरों को मना न किया जाये ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। अन्तरंग और बहिरंग रोगियों के बीच कोई भेदभाव नहीं रखा जाता। नुस्खे में लिखी गयी अपेक्षित दवाइयां उपलब्ध की जाती हैं, चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो।

(ग) जी नहीं।

(घ) रेलवे डाक्टरों को पहले से ही ये अधिकार हैं कि वे जरूरतमन्द रोगियों के लिए दवाइयों की बाजार से आपातकालीन खरीद कर सकते हैं।

रेलवे सेक्शनल आफिसरों के पदों का समाप्त किया जाना

3827. **श्री लालजी भाई :** क्या रेल मंत्री सेक्शमल आफिसरों के पद समाप्त किये जाने के बारे में 30 जुलाई, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1075 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान आर्थिक संकट को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन का विचार इन पदों को 31 दिसम्बर, 1974 के बाद जारी रखने का नहीं है; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो के परामर्श से इस प्रश्न पर अभी भी विचार किया जा रहा है कि 1974 के बाद रेलवे सेक्शनल अधिकारियों के पदों को बनाये रखा जाये या नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हिमाचल-प्रदेश में छिद्रण कार्य

3828. **श्री नारायण चन्द्र पराशर :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और गैस का पता लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश के किसी स्थान पर छिद्रण कार्य किया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन स्थानों पर और छिद्रण कार्य किस तारीख को किया गया था; और

(ग) उक्त कार्य के निष्कर्ष क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी०पी० मांझी) : (क) जी, हां।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ज्वालामुखी क्षेत्र में अवेषण व्यधन प्रक्रिया 1957 में आरम्भ गई थी। दो गहरे कुएं और पांच संरचना कुएं ज्वालामुखी क्षेत्र में खोदे गए थे।

(ग) वाणिज्य महत्वपूर्ण की दृष्टि से कोई तेल या गैस प्राप्त नहीं हुआ था।

Wakf Enquiry Committee

3829. Shri M.C. Daga : Will the **Minister of Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state:

(a) whether the Wakf Enquiry Committee was constituted in December, 1970: and if so, the particulars of the members thereof :

(b) whether the Committee has submitted its final report: and if so, the main recommendations contained therein: and

(c) the total expenditure incurred by Government on this Enquiry Committee ?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Dr. (Smt.)-Sarojini Mahishi) : (a) The Wakf Enquiry Committee was constituted in December, 1970, with Shri Syed Ahmed, Member, Rajya Sabha, as its Chairman, and S/Shri F.H. Mohsin and Ishaq Sambhali, Members of the Lok Sabha, as its Members. The Committee was reconstituted on the 23rd September, 1971, by the appointment of Shri Zulfiquar Ali Khan, Member, Lok-Sabha, in place of Shri Mohsin. The composition of the Committee continues to be the same after the 23rd September, 1971.

(b) The Committee has not yet submitted its final report.

(c) An expenditure of Rs. 3,68,622/- has been incurred on the Committee upto the 31st October, 1974.

शा वैलेस एंड कम्पनी के सीनियर एक्जीक्यूटिव, चेयरमेन मेनेजिंग डायरेक्टर तथा अन्य डायरेक्टरों का वेतन और अन्य परिलब्धियां

3830. श्री माधुर्य हालदार : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री शा वैलेस एंड कम्पनी के बारे में 27 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3709 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या शा वैलेस एंड कम्पनी लिमिटेड के चेयरमेन, मेनेजिंग डारेक्टर तथा अन्य डारेक्टरों सहित प्रत्येक सीनियर एग्जीक्यूटिव को कितना मासिक वेतन और अन्य परिलब्धियां मिलती हैं;

(ख) उन में से प्रत्येक को कितने मूल्य की परिलब्धियां प्राप्त होती है; और

(ग) प्रत्येक को प्राप्त परिलब्धियां का ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उप मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) 31 दिसम्बर, 1973 की वर्ष समाप्ति के मध्य, मै० शा वालेस एंड कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशकों तथा पूर्व-कालिक निदेशक में से प्रत्येक द्वारा वेतन तथा कमीशन के रूप में ली गई कुल उपलब्धियां निम्न प्रकार थी :—

1.	श्री ए०डबल्यू०बी० हैवर्ड, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक	1,75,000 रु०
2.	श्री एस०पी० आचार्य, प्रबन्धक निदेशक	1,25,000 रु०
3.	श्री डी०ए०डबल्यू० हाल, 1-1-1973 से 15-9-1973 तक प्रबन्ध निदेशक	95,625 रु०
4.	श्री एम०के० कुमार, 1-5-1973 से 31-12-1 73 तक पूर्णकालिक निदेशक	56,000 रु०

निष्पादन विहीन निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं मिला है, परन्तु बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए उन्हें, 1973 में 31,000 रु० दिया गया था ।

(ख) उक्त वर्ष के मध्य, उनमें से प्रत्येक द्वारा उपभोग की गई परिलब्धियों का कुल मूल्य इस प्रकार था :—

1.	श्री ए०डबल्यु०बी० हेवर्ड	1,31,012 रु०
2.	श्री एस०पी० आचार्य	41,651 रु०
3.	श्री डी०ए०डबल्यू० हाल	71,596 ए०
4.	श्री एम०के० कुमार	24,245 ए०

(ग) उनमें से प्रत्येक द्वारा उपभोग की गई परिलब्धियों में, भविष्य निधि, अधिवार्षिकी निधि, गैस एवं बिजली सहित मुफ्त आवासगृह, कम्पनी की कार का मुफ्त प्रयोग, चिकित्सा व्यय, नौकर, यात्रा/अवकाश किराया, क्लब चंदा तथा उपदान सम्मिलित है ।

वार्षिक ब्लू बुक

3831. **श्री हेमेन्द्र सिंह :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कम्पनी कार्य विभाग, कम्पनी ला बोर्ड, द्वारा निकाली गई वार्षिक ब्लू बुक (काम कर रही कम्पनियों के नाम आदि देने वाली पुस्तक) का नवीनतम अंक कौन सा है;

(ख) क्या कम्पनी कार्य विभाग द्वारा पिछले कई वर्षों से काम कर रही कम्पनियों की कोई वृहद् सूची नहीं निकाली गई है; और यदि हां, तो इस प्रकाशन को अद्यतन न बनाने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरूआ) : (क) तथा (ख) 31-3-1970 तक कम्पनियों के नाम, उनके पंजीकृत कार्यालय, औद्योगिक वर्गीकरण, एवं प्रदत्त पूंजी, देते हुए "डायरेक्टरी आफ जाइन्ट स्टाक कम्पनीज इन इण्डिया, 1970" 1974 में प्रकाशित की गई थी। इस बीच में, 1970-71 व 1971-72 के वर्षों में, दोनों में से प्रत्येक के मध्य पंजीकृत व परिसमापित कम्पनियों के ब्यौरे युक्त, दोनों वर्षों की संयुक्त स्कन्ध कम्पनियों की दो वर्णानुक्रम सूचियां भी प्रकाशित की गई हैं। इसी प्रकार की 1972-73 की वर्ष की वर्णानुक्रम सूची का संकलन किया जा रहा है व यह शीघ्र प्रकाशित की जायेगी।

विलासपुर डिविजन यार्ड में रेल माल डिब्बों का रुकना

3832. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण पूर्व रेलवे के विलासपुर डिवीजन में वर्ष 1972, 1973 और 1974 में "असिस्टिड साइडिंग" के मालिकों के कहने पर रेल माल डिब्बे रोक लिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने वैगन रोके गये और कितने दिन तक;

(ग) उन माल डिब्बों पर कितना विलम्ब शुल्क बैठता है;

(घ) क्या विलम्ब शुल्क वसूल कर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उच्चतम न्यायालय द्वारा निपटाये गए मामले

3833. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों में उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्षवार कितने मामले निपटाये गए ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) :

वर्ष	निपटाए गए मामले
1971	6,491
1972	6,822
1973	6,606

Officers taking part in a reception to Strikers at Saharanpur Railway Station

3834. **Shri Mulki Raj Saini** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether some high ranking officers took part in the reception and raising slogans at the Saharanpur Station during the welcome accorded to the employees who had participated in the May strike;

(b) whether they were garlanded;

(c) whether they joined in raising slogans; and

(d) whether any enquiry has been conducted against these officers and report submitted by the Intelligence Department in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No.

(b) to (d) Do not arise.

Books-Stalls to Unemployed Educated Persons

3835. Shri Shanakar Dayal Singh : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Railways have taken a decision to give railway book-stalls to unemployed educated persons and have also implemented the decision;

(b) if so, the extent to which this policy has been implemented and the number of educated unemployed persons who have been allotted railway book-stalls during the last six months in accordance with the policy indicating the names and the addresses of the persons allotted railway book-stalls; and

(c) The total number of railway book-stalls in the entire country at present and number of stalls, out of them, with A. Wheeler and the number with others ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) Bookstalls at 124 stations were offered for allotment to educated unemployed persons. During the last six months nine bookstalls have been allotted :

Names and addresses of the allottees.

1. M/s. Saroj Kumar Singh & Parasnath Singh, Village Uttardehan, P.O. Mannudihari, District Bhojpur, Bihar.
2. M/s. Laxman Prasad & Phulchand Patel, Nawadah Haris Chandra Talab, District Nawadah, Bihar.
3. M/s. Kanhaiya Prasad & Braj Mohan Kumar, Qrs. No. 9/5, Dalminagar, Bihar.
4. M/s. M.R. Enterprises, Ram Niwas Katra, Lahanipur West, Patna, Bihar.
5. M/s. Tushar Kanti Mukherjee & Satya Ranjan Roy, Dum Dum Cantt., Calcutta.
6. M/s. Ashok Ashutosh, P.O. Semaria Ojha Patti, District Bhojpur, Bihar.
7. M/s. United Bookstall, 15-Jadav Ghosh Road, Calcutta.
8. M/s. Achamka Enterprises, P-228, CIT Road, Calcutta.
9. Mohd. Shamsul Alam and Shahadullah Akanda, Nowgong, Assam.

(c) Out of a total of 779 bookstalls of Indian Railways, 380 stalls are with M/s. A.H. Wheeler & Co., 49 with M/s. Higginbothams, 30 with M/s. Sarvo Seva Saugh Prakashan, 20 with M/s. Gulab Singh & Sons and the remaining 300 with others.

अनधिकृत यात्रियों से रेल कर्मचारियों द्वारा गैर-कानूनी रूप से धन एकत्र किए जाने का आरोप

3836. श्री आर० एन० बर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूजा की छुट्टियों में यात्रियों के आंकड़े सरकारी तौर पर कम दिखाए गए जब कि हावड़ा स्टेशन से वस्तुत: अधिक लोगों ने यात्रा की थी क्योंकि रेलवे के कुछ कर्मचारियों ने अपने लिए पैसे बनाये और सरकार को उसे होने वाली उचित आय से वंचित किया; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि 17 अक्टूबर, 1974 को हावड़ा-नयी दिल्ली 31 अप वेस्टीब्यूल गाड़ी के दूसरी श्रेणी के तीन-टायर वाले एक डिब्बे में गाड़ी के 'कन्डक्टर गार्ड' ने एक संसद सदस्य की पत्नी के सामने 300 रुपये से अधिक अनधिकृत यात्रियों से एकत्र किये थे ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस वर्ष पूजा के दिनों में हावड़ा से टिकट लेकर चलने वाले यात्रियों की संख्या 1973 के पूजा के दिनों की तुलना में कुछ कम है, परन्तु यह सच नहीं है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें रेल कर्मचारियों ने बिना टिकट यात्रियों से पैसे बनाये, जिसके कारण सरकार को उसकी आमदनी से वंचित किया गया।

(ख) पूरे मामले की जांच करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं।

10 और 15 नवम्बर, 1974 को बिहार में बिना टिकट यात्रा

3837. श्री पी० ए० सामिनाथन :
श्री प्रसन्न भाई मेहता :
श्री वीरभद्र सिंह :
श्री विश्वनाथ झुंनझुंनवाला :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में भारतीय साम्यवादी दल की रैली के पूर्व दिन 10 नवम्बर, 1974 को बिहार संघर्ष समिति ने बिना टिकट यात्रा करते हुए अनेक यात्री पकड़े थे; यदि हां, तो कितने;

(ख) क्या ये बिना टिकट वाले यात्री रेलवे अधिकारियों को सौंप दिये गये थे और यदि हां, तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(ग) क्या समिति ने पटना में कांग्रेस रैली के पूर्व 15 नवम्बर, 1974 को और भी अधिक बिना टिकट यात्री पकड़े थे;

(घ) यदि हां, तो उस दिन उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) क्या सभी यात्रियों को तत्काल छोड़ दिया गया था ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) रेलों को ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलों को ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

तेल मूल्यों में कमी करने की डा० किसिंजर की पांच सूत्री योजना

3838. श्री राम शेखर प्रसाद सिंह :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के मूल्यों को कम करने संबंधी डा० किसिंजर की पांच सूत्री योजना पर उनकी भारत यात्रा के दौरान चर्चा हुई थी; और

(ख) तेल उत्पादक देशों से उक्त योजना अनुमोदित कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

गांवों मे तेल तथा डीजल की वितरण व्यवस्था के बारे में मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

3839. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने गांवों में तेल और डीजल की वितरण व्यवस्था को सुधारने के लिए कार्यवाही करने के बारे में राज्यों के मुख्य मंत्रियों के एक सम्मेलन का आयोजन किया था;

(ख) यदि हां, तो यह बैठक कब आयोजित की गई थी और इसमें किए गए निर्णयों की मोटी रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या गुजरात राज्य के प्रतिनिधियों ने गांवों तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में तेल ले जाने के बारे में कतिपय कठिनाइयों का उल्लेख किया है और केन्द्रीय सरकार इस बारे में सहायता करने के लिए सहमत हो गई है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार की सहायता से इन सूखाग्रस्त राज्यों का आवंटन बढ़ा दिया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) और (ख) पैट्रोलियम और रसायन मंत्री की, गुजरात सहित, कुछ राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ विशेषकर आने वाले रबी मौसम में उनकी डीजल आवश्यकताओं को आंकने के लिए 16-11-74 को बैठक हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल में सुधार करने हेतु कदम उठाने के लिए भी विचार विमर्श हुआ।

राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था कि वास्तविकता के आधार पर अपनी डीजल तेल की आवश्यकताओं का पुनः मूल्यांकन करें और कृषि मशीनरी और सिंचाई पम्पों द्वारा खपत के लिए उपयुक्त मापदण्ड निर्धारित करें। राज्य सरकारों से और भी अनुरोध किया गया था कि यदि अनिवार्य हो तो कोटा कार्डों के जरिए प्राथमिकता के आधार पर कंट्रोल के डीजल तेल की उपलब्धता को सुनिश्चित करें और काला बाजारी और जमाखोरी जैसे कदाचारियों को वास्तविक रूप में समाप्त करें। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया था कि विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल के वितरण की पद्धति को प्रभावी बनाएं। उनको आश्वासन दिया गया था कि केन्द्रीय सरकार विशेषकर कृषि कार्यक्रमों के लिए डीजल तेल की पूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास कर रही है।

(ग) और (घ) गुजरात में कृषि के लिए डीजल की आवश्यकताओं की बैठक में चर्चा हुई। नवम्बर महीने से मिट्टी के तेल के कोटे में कमी जो कुछ महीनों में 30% तक बढ़ाई गई थी वह अब केवल लगभग 10% की खपत में कुल बचत को प्राप्त करने के लिए कम की गई है। इसके कारण गुजरात के लिए मिट्टी के तेल का आवंटन अक्तूबर में 19,550 की तुलना में नवम्बर 1974 में 23,024 एम टी एस तक बढ़ाया गया था। दिसम्बर में गुजरात के लिए कोटा और भी 25,316 एम टी एस तक बढ़ाई गई थी।

तेल की स्थिति के बारे में फ्रांस के श्री मोरिस शोमान के साथ बातचीत

3840. श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस के राष्ट्रपति के विशेष दूत श्री मोरिस शोमान नवम्बर, 1974 में भारत आए थे और भारतीय नेताओं और मंत्रियों से विचार-विमर्श किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने तेल विवाद को बढ़ने से रोकने के लिए तेल सम्मेलन बुलाने की फ्रांसीसी योजना पर भी विचार-विमर्श किया था ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

Classification of Attendants under Running Staff

3841. Shri Mahadeepak Singh Shakya : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the employees falling under the category of Railway Running staff are given promotions; and

(b) whether attendants also come under Running Staff and if so, the reasons for not promoting them so far ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) and (b) As per extant orders, Drivers, Shunters, Firemen, Guards and Brakesmen are classified as "Running Staff". There are Corridor Coach Attendants, Air Condiotioned Coach attendants etc. who are not treated as "Running Staff". All staff, including Running staff, are considered for promotion according to their respective channels of promotion prescribed by the Railway Administration. Promotions are made on the basis of seniority-cum-suitability or selection.

माल/पार्सल शैडों में माल का रुका रहना

3842. **श्रीमती विभा घोष गोस्वामी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल हड़ताल के दौरान माल/पार्सल शैडों में कितना प्रेषित माल सामान्य समय से अधिक समय तक रुका रहा;

(ख) उस पर कितना स्थान शुल्क बनता और उसी अवधि में कितनी राशि प्राप्त की गई; और

(ग) इस कारण से कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

हड़ताल के दौरान पुलिस की हिरासत में मरने वाले व्यक्तियों को मुआवजा

3843. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे हड़ताल के दौरान पुलिस को हिरासत में कितने व्यक्ति मरे और क्या उनके परिवारों को इसके लिये कोई मुआवजा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि दी गई; और

(ग) रेल हड़ताल के संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे और रेल मंत्रालय में इस संबंध में कितनी धनराशि खर्च की थी ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) मई, 1974 के हड़ताल के संदर्भ में 19,883 कर्मचारी गिरफ्तार किये गये थे । गिरफ्तारियों के सम्बन्ध में कितना खर्च किया यह अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

हड़ताल से पूर्व रेल कर्मचारियों की गिरफ्तारी

3844. **श्री दिनेश जोरदार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 27 फरवरी, 1974 से 7 मई, 1974 के बीच रेल हड़ताल के पहले ही कितने रेल कर्मचारी गिरफ्तार किये गये थे और उन में से कितने व्यक्ति अभी तक जेल में हैं;

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति अनुशासन तथा अपील नियम 14(दो), भारतीय संविधान की धारा 311(2)(ख) तथा प्रशासन कोड, भाग 1 के नियम 149 के अधीन बर्खास्त कर दिये गये हैं;

(ग) उनमें से कितने व्यक्ति बहाल कर दिये गये है; और

(घ) उनमें से कितने व्यक्ति अभी तक निलम्बित हैं तथा इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय म उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Cochin-Kayamkulam Coastal Railway Line

3845. Shri Jagannathrao Joshi : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the people of Kerala have sent a memorandum demanding a Cochin-Kayamkulam coastal railway-line; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action being taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) Due to the limited funds allotted for construction of new lines which is not even sufficient for completing the works in progress and those required in the core sector, it will not be possible to take up construction of this line at present.

छंटनी किए जाने वाले कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार

3846. श्री स्वर्ण सिंह सोखी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे शीघ्र ही लगभग 20,000 कर्मचारियों की छंटनी करने जा रहा है;

(ख) क्या दूसरी ओर रेलवे राजपत्रित अधिकारियों के पद बढ़ा रहा है और अधिकारियों के लगभग 1200 पदों का दर्जा बढ़ा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इन कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार देने के लिये सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है जिन्हें भूखा मरना पड़ सकता है तथा राजपत्रित अधिकारियों के पद बढ़ाने तथा उनका दर्जा बढ़ाने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) नियमित कर्मचारियों की छंटनी नहीं की जायेगी। लेकिन विभिन्न निर्माण कार्यों में लगे नैमित्तिक मजदूरों को मितव्ययिता अभियान और निर्माण कार्यों की गति धीमी करने के कारण कुछ हद तक हटाना पड़ेगा।

(ख) राजपत्रित पदों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और पुनर्वर्गीकरण योजना के एक अंश के रूप में विभिन्न ग्रेडों में केवल 900 पदों का ग्रेड ऊंचा किया गया है।

(ग) फालतू पाये जाने पर जिन नैमित्तिक मजदूरों की छंटनी की जायेगी उन्हें नये निर्माण कार्यों की मंजूरी मिलने या क्षेत्र में अन्य रिक्तियां होने पर फिर से काम पर लगाने के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा। अफसरों के पदों का ग्रेड बढ़ी हुई जिम्मेवारी और कार्यभार के आधार पर ऊंचा किया गया है।

बरौनी रेलवे यार्ड से पैट्रोलियम उत्पादों की चोरी

3847. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी रेलवे यार्ड से काफी मात्रा में पैट्रोलियम उत्पाद की चोरी होती है;

(ख) क्या इस कारण होने वाली हानि का गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कोई अनुमान लगाया गया है; और

(ग) क्या सरकार उक्त रेलवे यार्ड के दायित्व को सेना को सौंपने की वांछनीयता पर विचार कर रही थी और यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। पिछले तीन वर्षों में बरौनी रेलवे यार्ड से पैट्रोलिजन्य पदार्थों की चोरी के मामलों की संख्या और इस सम्बन्ध में रेलवे विभाग को हुई हानि और चोरी हुये जिन पैट्रोलिजन्य पदार्थों को बरामद कर लिया गया उनकी राशियां नीचे दी गई हैं :–

वर्ष	पेट्रोलिजन्य पदार्थों की चोरी के मामलों की संख्या		हानि की राशि (लगभग)	बरामद सम्पत्ति का मूल्य (लगभग)
			रु०	रु०
1971	कोई नहीं		कुछ नहीं	कुछ नहीं
1972	कोई नहीं		कुछ नहीं	कुछ नहीं
1973	1		6000	2400
1974 (23-11-74 तक)	2	(i)	पता नहीं	25000
		(ii)	45000	6941

(ग) बरौनी विन्यास यार्ड में सुरक्षा प्रबन्ध और मजबूत कर दिये गये हैं। वरौन यार्ड से शोधक पदार्थों की हानि की मिकदार और उनके कारणों के बारे में जांच की जा रही है। ऐसी जांच के पूरी हो जाने पर सुरक्षा प्रबन्धों को किसी अन्य एजेन्सी को सौंपने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल विद्युतीकरण कार्यक्रम

3848. श्री बनमाली पटनायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रेल विद्युतीकरण का कोई व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) किन-किन लाइनों का विद्युतीकरण करने का प्रस्ताव है, इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है और इन लाइनों पर कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) विभिन्न खण्डों की स्थिति इस प्रकार है :–

(i)	विरार-भेस्तान (विरार-साबरमती विद्युतीकरण योजना के भाग के रूप में)	आशा है कि यह काम पांचवीं योजना में पूरा हो जायेगा।
(ii)	पांशकुड़ा-हल्दिया	
(iii)	टूण्डला-दिल्ली	
(iv)	वाल्तेरू-किरदुंल	साधनों की स्थिति के अनुसार काम को आगे बढ़ाया जायेगा।
(v)	मद्रास-विजयवाड़ा	
(vi)	मद्रास-त्रिवेल्लूर	
(vii)	भुसावल-नागपुर	

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री की अध्यक्षता में रूस का दौरा करने वाला प्रतिनिधिमंडल

3849. श्रीमती सावित्री श्याम :
श्री के० एम० मधुकर :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनकी अध्यक्षता वाले प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में रूस की यात्रा की थी;

(ख) उक्त प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त यात्रा का क्या प्रयोजन था; और

(घ) वहां किन मुख्य विषयों पर विचार-विमर्श किए गए और उसके क्या परिणाम निकले ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : (क) रूस के न्याय मंत्रालय के निमंत्रण पर विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री ने रूस के लिए भारतीय अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।

(ख) (1) डा० वी० ए० सईद मुहम्मद, संसद-सदस्य।
　　(2) श्री ललित भसीन, अध्यक्ष, दिल्ली विधिज्ञ परिषद्।

(ग) और (घ)) दिसम्बर, 1973 में रूस के उप न्याय मंत्री के नेतृत्व में सोवियत अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंणल ने भारत के विधि अधिकारियों, विधिज्ञों, अधिवक्ताओं और विधि निकायों से मिलने के लिए भारत की यात्रा की थी। पारस्परिक सद्भावना के रूप में रूस के न्याय मंत्रालय ने भारत से प्रतिनिधिमंडल को निमंत्रण दिया था। प्रतिनिधि-मंडल ने रूस में न्यायाधीशों, विधिज्ञों, अधिवक्ताओं और विधि निकायों से जो विचार-विमर्श किये वे रूस में विधि प्रक्रिया के कार्यकरण और न्यायालयों को कार्य-विधि से अपने आपको सुपरिचित करने की दृष्टि से खोजपूर्ण थे। कोई विनिश्चय किए जाने का प्रश्न ही नहीं था।

पाइराइट आधारित संयंत्र की स्थापना के लिए पश्चिमी बंगाल का प्रस्ताव

3850. श्री शंकर नारायण सिंह देव :
श्री टर्ना उरांव :
श्री शक्ति कुमार सरकार :
श्री देवेन्द्र नाथ मेहता :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल में पाइराइट आधारित संयंत्र की स्थापना के बारे में उनके मंत्रालय को पश्चिम बंगाल से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) एसिड और केमिकेल्स निर्माता संघ कलकत्ता ने कलकत्ता के निकट सल्फ्यूरिक एसिड संयन्त्र पर आधारित पाइराट्स की स्थापना करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में प्रबन्धक निदेशक पी० सी० एल० (पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय की प्रति के साथ) को लिखा था किन्तु उसमें उसका ब्यौरा नहीं दिया था।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण सम्बन्धी अनुदेश

3851. श्री पी०एम० सईद :
श्री शक्ति कुमार सरकार :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की सेवाएं तथा पदों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण तथा सेवा सम्बन्धी रियायतों के सम्बन्ध में कार्मिक तथा प्रशासनात्मक सुझाव विभाग द्वारा जारी किए गए सभी अनुदेश उनके मंत्रालय से सम्बद्ध सभी स्वायतशासी, सांविधिक तथा सरकारी उपक्रमों में लागू कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक ऐसे कार्यालयों में यह आदेश कब से लागू किए गए हैं; और

(ग) यदि ऐसे किसी संगठन के बारे में यह आदेश लागू नहीं किए गए हों तो उसके क्या कारण है?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Loss incurred on sale of Kerosene

3852. **Shri Chandu Lal Chandrakar:** Will the Minister **of Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether Government incur any loss on the sale of Kerosene oil; and

(b) if so, the total loss incurred by Government so far on this account since price hike in petroleum products ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi) : (a) & (b) In the general price increases of petroleum products w.e.f. 2-3-74 due to the steep increas in the prices of imported crude oil, the prices of Kerosene oil, HSD oil and Cooking gas were not increased to the full extent to match the crude oil price. In the case of Kerosene, the resulting under-recovery to the oil companies was Rs. 394.34 per KL w.e.f. 2-3-74 and Rs. 344.34 per KL w.e.f. 18-9-74.

The under-recoveries are partly compensated by increases on other petroleum products. The under-recoveries are not treated as 'Loss' in the Accounts of the companies but are debited to a separate Account. No loss, however, is incurred by Government on the sale of Kerosene oil.

रेलवे हड़ताल के कारण सेवा से बर्खास्त/हटाये/निकाले गए अनुसूचित जाति/जन जाति के रेलवे कर्मचारी

3853. **श्री अंबेश :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मई 1974 की हड़ताल में भाग लेने के कारण हड़ताल की अवधि में तथा उसके पश्चात् अनुसूचित जातियों के श्रेणीवार, डिवीजनवार, कितने-कितने स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारी सेवा से बर्खास्त अथवा हटाये अथवा निकाले गये ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मई 1974 की हड़ताल के सन्दर्भ में, जहां कहीं अपेक्षित था, रेल कर्मियों के रूप में हड़ताली रेल कर्मचारियों की गतिविधियों के लिए उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है चाहे वे अनुसूचित जातियों के थे या अन्य जातियों के। इसके लिए कोई अलग आंकड़े नहीं रखे गये हैं।

रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इलाहाबाद डिवीजन में गाड़ियां लूटने वाले गिरोह का पता लगाया जाना

3854. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल ने बदमाशों के ऐसे गिरोह का पता लगा लिया है जो इलाहाबाद डिवीजन में गाड़ियां लूटा करता था;

(ख) क्या गिरफ्तार किए गए बदमाशों ने यह स्वीकार किया है कि वे भिन्न-भिन्न अवसरों पर गार्डों पर हमला करते थे और उन्हें लूटा करते थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे में वस्तु सूची नियंत्रण उपाय (इन्वेंटरी कन्ट्रोल मेजर्स)

3855. **श्री शशि भूषण :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे में वस्तु-सूची नियंत्रण उपायों (इन्वेंटरी कन्ट्रोल मेजर्स) को कठोर बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) भारतीय रेलवे में वस्तु-सूची का कम्प्यूटरों से नियंत्रण करने की व्यवस्था लागू करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या भारतीय रेलवे के बारे में मैटिरियल्ज मैनेजमेंट सम्बन्धी कुरेशी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और यह यदि नहीं, तो यह प्रतिवेदन कब तक मिलने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) रेलों पर वस्तु-सूची प्रबंध के बारे में गठित समिति की पहली रिपोर्ट शीघ्र ही पेश किये जाने की आशा है ।

विवरण

भाग (क) वस्तु-सूची पर नियंत्रण कड़ा करने के लिए रेलों ने वस्तु-सूची नियंत्रण के आधुनिक तरीके अपनाये हैं जैसे कूट संकेत, मानकीकरण, विविधता में कमी, मूल्य विश्लेषण, क ख ग विश्लेषण आदि । 1972 के अंत तक क्षेत्रीय रेलों में से प्रत्येक पर एक वस्तु-सूची नियंत्रण कक्ष भी गठित किया गया था और अन्य बातों के साथ-साथ उसे रेलों पर कारगर वस्तु-सूची प्रबंध का अनुपालन करने के लिए कार्यविधि और परिपाटियों का निर्धारण करने और रेलों पर सामान के प्रबन्ध के सभी पहलुओं पर चयनात्मक नियंत्रण क्रियान्वित करने का काम सौंपा गया था ।

इसके अलावा, रेलों पर सामान के प्रबन्ध के लिए रेलवे राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार समिति गठित की गयी थी जिसमें कुछ गैर सरकारी विशेषज्ञ भी शमिल थे और उसे अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय रेलों पर वस्तु-सूची नियंत्रण और भण्डार उपलब्ध करने के सम्बन्ध में अपनायी जाने वाली नीतियों और कार्यविधियों की समीक्षा करनी थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवश्यक सामानों को उपलब्ध किया जाये और साथ ही साथ सामान सूचियों को उच्चतम स्तर पर बनाये रखा जा सके ।

भाग (ख) भण्डार लेखे का संगणकीकरण और सामान सूची नियंत्रण का काम व्यापक रूप से कई चरणों में बांट दिया गया है और उसे, फिलहाल क्रियान्वित किया जा रहा है । इस सम्बन्ध में नवीनतम स्थिति यह है कि तीन चरणों में संगणक पर दाम छपी बहियों को रखने, विभिन्न लेखा विवरणों को तैयार करने, सामान के बेहतर प्रबन्ध के लिए आपवादिक रिपोर्टें तैयार करने, सभी क्रयादेशों का संगणकीकरण, क्रयादेशों का चयनात्मक अनुसरण करने के लिए, आपवादिक रिपोर्टें तैयार करने का काम अब तक क्रियान्वित किया जा चुका है ।

दूसरा चरण स्टाक की समीक्षा लेने से सम्बंधित है और नियमित तारीखों पर संगणक से अपने आप सामान उपलब्ध करने के लिए पूर्व निश्चित दुबारा आर्डर के स्तर के अनुसार जब और जैसे वह आवश्यक हो, सामान की प्रतिपूर्ति जारी करने का काम सभी रेलों पर क्रियान्वयन की स्थिति में है ।

जाखापुरा-बांसपानी रेल मार्ग के लिए स्थान का अंतिम सर्वेक्षण

3856. **श्री अनादि चरण दास :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों के बार-बार स्थानान्तरण के कारण जाखापुरा-बांसपानी रेल मार्ग के स्थान के अन्तिम सर्वेक्षण की प्रगति में बहुत अधिक बाधा पड़ रही हैं;

(ख) क्या इस सर्वेक्षण कार्य के मुख्य अभियन्ता और प्रभारी लेखाधिकारी अभी भी कलकत्ता में कार्य कर रहे हैं; और

(ग) राज्य के आर्थिक विकास में इस लाइन के महत्व को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उक्त सर्वेक्षण को इसी कैलेंडर वर्ष के अन्त तक पूरा करने पर विचार कर रही है?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां, फिलहाल।

(ग) चालू वित्त वर्ष के अन्त तक सर्वेक्षण पूरा करने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं।

जिन रेल कर्मचारियों को निलम्बन तथा नौकरी से हटाने के नोटिस दिये गये हैं उनकी बहाली

3857. **श्री सरजू पांडे :**
श्री फुल चन्द वर्मा :
श्री एस०एम० बनर्जी :
श्री रामावतार शास्त्री :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेल कर्मचारियों के बारे में जोनवार नवीनतम आंकड़े क्या हैं जिनके विरुद्ध जारी किए गए निलंबन तथा नौकरी से हटाने के नोटिसों को वापिस ले लिया गया है और जिन्हें इस प्रकार बहाल कर दिया गया है : सभी नियमित श्रमिकों को बहाल करने तथा जिन कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया था उनकी सेवा में हुए व्यवधान को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है तथा ऐसे व्यक्ति कितने हैं जिन्हें नौकरी पर वापिस नहीं लिया गया हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में रेलवे के संघों तथा अखिल भारतीय संगठनों से वार्ता पुन: आरम्भ करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कितने मामले दायर किये गये हैं; और

(घ) गत रेल हड़ताल से सम्बन्धित अनुशासनात्मक कार्यवाही के कितने मामले अभी तक विचाराधीन पड़े हैं?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

काम की आवश्यकताओं और साधनों की स्थिति के आधार पर रेल प्रशासन नैमित्तिक श्रमिकों को फिर से काम पर लगा रहे हैं।

जहां तक सेवा-भंग को माफ करने का सम्बन्ध है, महाप्रबन्धकों को लघुकारी परिस्थितियों के आधार पर सेवा-भंग को माफ करने का अधिकार दिया गया है और वह व्यक्तिगत अपीलों पर विचार कर रहे हैं और अब तक उन्होंने लगभग 3.90 लाख कर्मचारियों की सेवा-भंग को माफ किया है। अलग-अलग रेल कर्मचारियों द्वारा की गयी अपीलों और उनकी जांच के आधार पर यह प्रक्रिया जारी है।

(ख) दो मान्यता प्राप्त फेडरेशनों के लिए पहले ही एक मंच उपलब्ध है और वे स्थायी वार्ता तंत्र और संयुक्त परामर्श तंत्र में विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श कर सकते हैं।

(ग) कुछ कानून-विरोधी गतिविधियों के मंतव्य को देखते हुए रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और अपील करने पर रिहा कर दिया गया। राज्य सरकारों ने कुछ मुकदमें चलाये थे। अब तक केवल 5,300 मामले अदालतों में बकाया हैं।

(घ) अदालत/पुलिस द्वारा चलाये गये मुकदमों के कारण जो कर्मचारी निलम्बित हैं और जिन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है अथवा हटा दिया गया है, उन्हें छोड़कर लगभग 350 मामलों में रेल कर्मचारी अनुशासन एवं अपील नियमों के अधीन विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

रेलवे	निलम्बत के नोटिस वापस लिए गए	व्यक्तिगत अपील/अभ्यावेदन पर ड्यूटी पर वापस लिये गये स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की संख्या
मध्य	871	1,477
पूर्व	1,049	1,738
उत्तर	1,175	1,172
पूर्वोत्तर	681	610
पूर्वोत्तर सीमा	88	2,141
दक्षिण	226	247
दक्षिण मध्य	34	567
दक्षिण पूर्व	1,737	1,251
पश्चिम	3,398	2,745
चित्तरन्जन रेल इंजन कारखाना	--	43
डीजल रेल इंजन कारखाना	402	--
सवारी डिब्बा कारखाना	107	20

Representatives of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Zonal Railway Service Commission

3858. Shri Nathu Ram Ahirwar : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the representatives of Scheduled Castes and Scheduled Tribes have been included in all the Zonal Railway Service Commissions; and

(b) If so, their names and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) The Chairman of the Railway Service Commission, Bombay, belongs to the Secheduled Caste community.

(b) His name is Shri Nardeo Snatak.

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आकस्मिक श्रमिक प्रतिस्थापितों का खपाया जाना

3859. श्री शक्ति कुमार सरकार : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संवीक्षा समिति द्वारा संवीक्षित फालतू आकस्मिक श्रमिक प्रतिस्थापितों का विलय किए जाने के कारण विभिन्न रेलों में अनेक पद, जो कि सामान्य अवस्था में अनुसूचित जातीय और अनुसूचित जन जातीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखे जाने चाहिएं थे, गत कुछ वर्षों में सामान्य उम्मीदवारों से भरे गए थे; और

(ख) यदि हां, तो रेल मंत्रालय ने सम्बद्ध अधिकारियों की इस चूक को ठीक करके इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए हैं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के इस प्रकार के पदों पर उनकी ही भर्ती हो ?

रेल मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, कुछ मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए नियमित श्रेणी चौथी के संवर्ग में आरक्षित कोटे को भरने के लिए नैमितिक मजदूर/एवजियों की जांच करते समय इन जाति के अपेक्षित संख्या में उम्मीदवार प्राप्त करना संभव नहीं हो सका था ।

(ख) रेलों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि नैमितिक मजदूर/एवजियों को काम पर लगाते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को पर्याप्त संख्या में जो

उनके लिए निर्धारित की गई आरक्षण कोटे के प्रतिशत के बराबर हो लिया जाना चाहिए ताकि नियमित नियुक्ति के लिए जाँच करते समय उनके आरक्षित कोटे को भरने में कोई कठिनाई न हो। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों का जो कोटा भरा नहीं जाता उसे बाद के तीन भर्ती वर्षों तक अग्रानीत किया जाता है।

नैमित्तिक कर्मचारियों को स्थायी करना

3860. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के सभी नैमितिक कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए क्या अगामी कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या कोई योजना बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) रेल प्रशासनों के नाम उपयुक्त हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि यदि यह देखने में आये कि कारखानों, इंजन शेडों, गाड़ी रोशनी स्थापनाओं, सवारी और माल-डिब्बा डिपुओं, यार्डों और स्टेशनों में नियमित किस्म के कामों पर नैमित्तिक मजदूर लगाये जा रहे हैं तो संवर्ग में संशोधन कर दिया जाये और, यदि आवश्यक हो, अतिरिक्त पदों का सृजन किया जाये। जहां तक सिविल इंजीनियरिंग, सिगनल और पुल अनुरक्षा का सम्बन्ध है, आवधिक और कमी-बेशी वाले निर्माण कार्यों, नैमित्तिक नवीकरण और सामयिक नवीकरण के कार्यों को छोड़कर इनमें नैमित्तिक श्रमिकों को नहीं लगाया जाएगा।

मैसूर डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के निष्ठावान कर्मचारियों के आश्रितों की संख्या

3861. श्री एस० एम० सिद्दया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1974 में रेलवे हड़ताल के दौरान और उसके बाद निष्ठावान कर्मचारियों के कितने पुत्रों तथा पुत्रियों को रेलवे के प्रत्येक जोन में तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त किया गया है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति हैं और रेलवे के प्रत्येक जोन में इन जातियों तथा जनजातियों से कितने आवेदन पत्र मिले थे; और

(ग) क्या दक्षिण रेलवे के मैसूर डिवीजन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रति भेदभाव बरता गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी नहीं।

मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड के कार्यकरण की जांच

3862. श्री एस० एन० मिश्र : क्या पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, मद्रास के कार्यकरण की कोई जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को किस प्रकार की अनियमितताओं का पता लगा है; और

(ग) कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान मद्रास उर्वरक लि० मद्रास के कार्य से संबंधित कोई जांच नहीं की गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

स्वेज नहर से भारत को तेलवाहक जहाजों का आवागमन

3863. कुमारी कमला कुमारी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वेज नहर से होकर भारत आने वाले तेल के परिवहन पर इस नहर के फिर से खोले जाने का क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) क्या इस नहर से होकर तेल की ढुलाई करने में भारतीय जहाजों को कुछ कठिनाई हो रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) स्वेज नहर समुद्री यातायात के लिए अभी खोली नहीं गई है। नहर के पुनः खुलने से टैंकर मार्केट स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा जिसका इस समय स्पष्ट अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। सोवियत संघ से आयात के अलावा, भारत की पैट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई के बारे में देश की प्रपुंज आवश्यकताएं दीर्घकालीन प्रबन्धों के अन्तर्गत परशियन खाड़ी से पूरी की जाती है और स्वेज नहर के पुनः खुलने से इस पर प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कोचीन पत्तन पर सुपर टैंकर आयल टर्मीनल प्रोजेक्ट के बारे में परियोजना प्रतिवेदन

3864. श्री ए० के० गोपालन : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन पर सुपर टैंकर आयल टर्मीनल प्रोजेक्ट के बारे में मैसर्स इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए ब्यौरे-वार परियोजना प्रतिवेदन से आंकड़ों के आधार पर यह पता लगा था कि नयी परियोजना के चालू हो जाने पर कोचीन तेलशोधक कारखाने के लिए अशोधित तेल प्रति टन 8.26 रुपया सस्ता हो जाएगा जिससे प्रति वर्ष 2.8 करोड़ रुपए की बचत होगी;

(ख) क्या परियोजना प्रतिवेदन के उक्त निष्कर्षों के बावजूद उनका मंत्रालय कोचीन पत्तन पर सुपर टैंकर आयल टर्मीनल प्रोजैक्ट के मार्ग में बाधक बन रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वैगनों की तुलाई न किए जाने के कारण रेलवे को हानि

3865. श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 27 अप्रैल, 1974 से 27 मई 1974 के बीच वर्ष 1973 की इसी अवधि की तुलना में वैगनों के लदान से कितनी आय हुई :

(ख) 2 मई, 1974 से 27 मई, 1974 के बीच कोयला खानों, खानों तथा खदानों से कितनी वैगन लादी गई जो तुलाई कोटे (वे ब्रिज) पर कहीं भी नहीं तोली गई;

(ग) भाड़ा का हिसाब किस प्रकार लगाया गया और क्या अधिक लदाने (ओवर लोडिंग) की जांच करने के लिए कोई व्यवस्था की गई थी; और

(घ) इस संदर्भ में आय का कितना घाटा हुआ ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) वास्तविक कोचिंग आमदनी के आंकड़े केवल मासिक आधार पर रखे जाते हैं। 1973 के इन्हीं महीनों के आंकड़ों की तुलना में अप्रैल और मई, 1974 के महीनों के कोचिंग आमदनी आंकड़े आगे दिए गए हैं :–

	कोचिंग आमदनी (करोड़ रुपयों में)	
	1973	1974
अप्रैल	38.03	40.54
मई	42.02	24.07

(ग) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बिहार राज्य को अलाट किए गए पैट्रोल पम्प

3366. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में बिहार राज्य को जिलेवार, कुल कितने पैट्रोल पम्प अलाट किए गए ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : राज्यवार आधार पर पैट्रोल पम्पों का कोई आवंटन नहीं किया गया है। गत दो वर्षों के दौरान बिहार राज्य में जिलावार खोले गए पैट्रोल पम्पों की संख्या नीचे दी गई है:-

	जिले का नाम	1972	1973
1.	हजारीबाग	1	—
2.	चम्पारन	2	1
3.	पूर्निया	1	1
4.	शाहाबाद	3	—
5.	रांची	1	—
6.	सरन	1	—
7.	मुजफ्फनगर	1	1
8.	धनबाद	3	—
9.	पटना	2	1
10.	गया	1	—
11.	पालाम	—	1
12.	दरभंगा	1	
13.	मुंगेर	2	—
14.	चपरा	—	1
15.	सन्टल परगना	—	1
16.	भागलपुर	1	—
17.	सीतामारही	—	1
18.	जमसेदपुर	—	1
	कुल	20	10

निर्वाचक नामावलियों में संशोधन

3867. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में निर्वाचक नामावलियों में संशोधन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में संशोधन कार्य कब से शुरू किया गया; और

(ग) प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र में यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अपेक्षित जानकारी वाला विवरण संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8716/74]

लाभांश देयताओं के भुगतान से मुक्त नई रेलवे लाइनें

3868. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों में निर्मित उन नई रेलवे लाइनों के जोनवार, नाम क्या हैं जिनको केन्द्रीय राजस्व को लाभांश देयताओं के भुगतान से पूरी या आंशिक रूप से छूट दी गई है;

(ख) प्रत्येक मामले में यह छूट दिये जाने के लिये क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह रियायत कुछ अन्य नई रेलवे लाइनों के सम्बन्ध में भी दी जायेगी जो सामरिक दृष्टि से मंजूर की गई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी लाइनों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) कोई ऐसी नयी रेलवे लाइन नहीं बनायी गयी है जिसे केन्द्रीय राजस्व को लाभांश के भुगतान की दायिता से आंशिक छूट प्राप्त हो। पिछले दस वर्षों में निर्मित निम्नलिखित सामरिक लाइनों को केन्द्रीय राजस्व को लाभांश के भुगतान से पूरी छूट दी गयी है :—

उत्तर रेलवे

जैसलमेर-पोकरण खंड

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

(i) रंगपाडा नार्थ-नार्थ लखीमपुर-मुरकांग सेलक खंड

(ii) बड़ी लाइन में परिवर्तित सिलीगुडी-हल्दी वाड़ी खंड पर रानीनगर से बड़ी लाइन।

इनके अलावा, जम्मू और काश्मीर राज्य के साथ रेल सम्पर्क जो कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद बंद हो गया था, के पुनःस्थापन के लिए बनायी गयी कठुआ-जम्मू लाइन को भी लाभांश की भुगतान-दायिता से, निम्नलिखित शर्तों के साथ, मुक्त रखा गया था :—

"बीस वर्षों के लिए अथवा जब तक यह लाइन लाभांश दायित्व पूरा करने के लिए लाभकारी न हो जाए, इसके संचालन में यदि कोई हानि होगी तो उसे रेलवे वहन करेगी और यदि कोई लाभ होगा तो उसे केन्द्रीय राजस्व के जमाखाते में डाला जायेगा। लेकिन रेलवे विभाग उस समय तक केन्द्रीय राजस्व को लाभांश का भुगतान नहीं करेगा जब तक यह लाइन लाभकारी न हो जाये"।

(ग) इस समय कोई नयी सामरिक लाइन निर्माणाधीन नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भावनगर और तारापुर के बीच रेलवे लाइन

3869. श्री अरविन्द एम पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भावनगर और तारापुर के बीच रेलवे लाइनें बनाने सम्बन्धी प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) काम कब तक आरंभ हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) भावनगर-तारापुर बड़ी लाइन के निर्माण के सम्बन्ध में विचार करने के लिए अंतिम स्थल निर्धारण इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण जारी हैं। आशा है कि सर्वेक्षण शीघ्र ही पूरा हो जायेगा। जब सर्वेक्षण पूरा हो जायेगा और सभी पहलूओं से रिपोर्ट की जांच कर ली जाएगी उसके बाद ही इस लाइन के निर्माण के बारे में कोई अंतिम विनिश्चिय किया जायेगा बशर्ते कि इस प्रयोजन के लिए धन उपलब्ध हो।

वर्ष 1973-74 में गुजरात राज्य में नैफ्था का उत्पादन

3870. **श्री अरबिन्द एम० पटेल :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में गुजरात राज्य में नैफ्था का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उसे किस फर्म को बेचा गया;

(ग) वर्ष 1973-74 में कितना नैफ्था अन्य राज्यों को भेजा गया; और

(घ) यदि हां, तो किस राज्य को और किस दर पर ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) वर्ष 1973-74 के अन्तर्गत कोयाली शोधनशाला में लगभग 293300 मीटरी टन नैफ्था का कुल उत्पादन किया था।

(ख) उपरोक्त मात्रा निम्निलिखित एककों को बेची गई :—

1. श्रीराम फर्टिलाइज़र एण्ड कैमीकल्स, कोटा।
2. गुजरात राज्य उर्वरक निगम, बरौदा।
3. इण्डियन पैट्रोकेमिकल्ज लिमिटेड, बरौदा।
4. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, भिलाई।

(ग) और (घ) उपरोक्त 4 एककों में से, 2 एकक गुजरात राज्य से बाहर के हैं और उन्हें वर्ष 1973-74 के अन्तर्गत निम्नलिखित दरों पर माल दिया गया :—

उर्वरक एकक	मात्रा	दर	
	(मीटरी टन)	रु०/मीटरी टन	
श्री राम फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमीकल्ज, कोटा, राजस्थान	185400	10—6—1973 तक	144.13
		11—6—1973 से	192.25

मद्रास-बम्बई मेल के तीन डिब्बों में आग लगना

3871. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 8 नवम्बर, 1974 को मद्रास-बम्बई मेल की तीन डिब्बों में आग लग गई थी;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं। इस दुर्घटना में गाड़ी के इंजन और एक डिब्बे में आग लग गयी थी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल की खोज करने के लिए छिद्रण उपकरण बनाया जाना

3872. **श्री गजाधर माझी :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अशोधित तेल की खोज और उत्पादन के लिए देश में छिद्रण उपकरण बनाने का निर्णय किया है; और

(क) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) और (ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल संबंधी अपने वृहद अन्वेषण एवं विकास कार्य-क्रम हेतु आवश्यक अनेक सामग्री निवेश के निर्माण के लिए देशीय क्षमता का खोज एवं विकास के बारे में अनेक उपाय किए हैं। इसके कार्य-क्रम में निम्नलिखित रिगों का निर्माण भी सम्मिलित है :–

(i) 50 मीटरी टन क्षमता पर कार्य कर सकने वाली रिगें :

(ii) 28 मीटरी टन क्षमता पर कार्य कर सकने वाली क्रौलर प्रकार की रिगें।

गुजरात राज्य में उत्पादित अशोधित तेल के लिए रायल्टी

3873. श्री वेकारिया : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में गुजरात राज्य में अशोधित तेल का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उस में से गुजरात राज्य का हिस्सा कितना है; और

(ग) वर्ष 1973-74 में रायल्टी के रूप में उससे कुल कितनी धनराशि प्राप्त की गई ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सी०पी० माझी) : (क) 3,575 मिलियन मीटरी टन।

(ख) भारतीय तेल निगम को तेल, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बेचा जाता है।

(ग) इस वर्ष के लिए अशोधित तेल पर रायल्टी के रूप में गुजरात सरकार को 535.96 लाख रुपये का भुगतान किया गया था।

नैफ्था का मूल्य और उसका उत्पादन

3874. श्री वेकारिया : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 और 1973-74 में प्रत्येक भारतीय तेल शोधक कारखाने में नैफ्था का पृथक-पृथक कितना उत्पादन हुआ;

(ख) कौन सी कम्पनियां इस नैफ्था का प्रयोग कर रही हैं;

(ग) वर्ष 1972-73 में नैफ्था का मूल्य क्या था और अब क्या है; और

(घ) यदि मूल्य में कोई अन्तर है तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) भारत में 1972-73 और 1973-74 के दौरान नैफ्था की उत्पादित मात्राएं निम्नलिखित हैं :–

	आंकड़े 000 मी० टनों में	
शोधनशाला का नाम	1972–73	1973–74
असम तेल कम्पनी	—	—
बर्मा शैल रिफाइनरी	253.4	343.4
एस्सो रिफाइनरी	156.9	233.1
काल्टैक्स रिफाइनरी	61.8	71.8
गोहाटी शोधनशाला	—	—
बरौनी शोधनशाला	267.2	260.9
कोयली ,,	245.9	293.2
कोचीन ,,	80.1	89.3
मद्रास ,,	174.6	210.1
कुल	1239.9	1501.8

(ख) मुख्या उपभोक्ता जो नैफ्था का प्रयोग कर रहे हैं वे संलग्न विवरण पत्र में दिए गए हैं।

(ग) बम्बई में 1 अप्रैल 1972 को नैफ्था का मूल निर्धारित बिक्री मूल्य 144.13 रुपये प्रति मीटरी टन था इस समय नैफ्था का मूल्य जब उर्वरकों के निर्माण के लिए प्रयोग में किया जाता है 486.31 रुपये प्रति मीटरी टन और अन्य उपभोक्ताओं के लिए 1000 रुपये प्रति मीटरी टन था।

(घ) मूल्यों में भिन्नता, आयातित अशोधित तेल के मुल्य में अत्यधिक वृद्धि के कारण थी।

विवरण

नैफ्था के मुख्य उपभोक्तओं की सूची :

(1) मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०, मद्रास

(2) भारतीय उर्वरक निगम

(i) दुर्गापुर

(ii) गोरखपुर

(iii) सिनद्री

(iv) बरौनी

(v) ट्राम्बे

(3) श्री राम फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल लि०, कोटा

(4) इण्डियन एक्सप्लोसिव्ज लि०, कानपुर

(5) हिन्दुस्तान स्टील लि०, राउरकेला

(6) गुजरात स्टेट फर्टिलाइज कारपोरेशन लि०, बड़ोदा

(7) प्लास्टिक रेजिन्स एण्ड कैमिकल लि०, साहूपुरम

(8) फर्टिलाइजर एण्ड कैमीकल ट्रावनकोर लि०, कोचीन

(9) ,, ,, ,, अलवाई

(10) इण्डियन पैट्रोकैमिकल्स लि०, बड़ोदा

(11) जारी एग्रो कैमिकल, गोवा

(12) इण्डियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लि०, कलोल

(13) नेशनल अर्गनिक कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लि०, बम्बई

(14) ई० आई० डी० पैरी लि०, मद्रास

(15) मंगलौर उर्वरक लि०, मंगलौर

(16) साउदर्न पेट्रोकैमिकल्स इंडस्ट्रीज कारपोरेशन, टूटीकोरिन

(17) कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स, विजाग

(18) हिन्दुस्तान आर्गनिक कैमिकल्स, रासायनी

(19) यूनियन कारबाइड इंडिया लि०, बम्बई

(20) हिन्दुस्तान स्टील लि०, भिलाई

भारतीय तेल निगम द्वारा दक्षिणी प्रदेश में मिट्टी के तेल के खुदरा बिक्री केन्द्रों का स्थापित किया जाना

3875. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने दक्षिणी प्रदेश में मिट्टी के तेल के अपने खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी०पी० माझी) : (क) और (ख) इस समय भारतीय तेल निगम का दक्षिण क्षेत्र में अपना मिट्टी के तेल के पम्प खोलने का कोई विचार नहीं है।

प्लेटफार्म टिकटों की कम बिक्री होना

3876. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्लेटफार्म-टिकटों की दर में वृद्धि के बाद से उनकी बि्री में गिरावट आई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सबन्धी तथ्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) प्लेटफार्म टिकटों की बिक्री में कमी स्पष्टत: 1-4-1974 से प्लेटफार्म टिकटों के मूल्य में वृद्धि के कारण हुई है । मूल्य में वृद्धि इस उद्देश्य से की गयी थी कि स्टेशन के प्लेटफार्मों पर आने वाले व्यक्तियों की प्रवृति की रोकथाम की जा सके, जिससे सदाशयी यात्रियों को असुविधा होती है ।

मैसर्स होयस्ट को विविधीकरण की मंजूरी दिया जाना

3877. श्री के० एस० चावड़ा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस नीति के उपबन्ध क्या हैं जिनके अधीन मैसर्स होयस्ट को तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकरण की मंजूरी दी गई थी और गत तीन वर्षों में विविधीकरण की अनुमति दी गई थी;

(ख) उपरोक्त भाग (क) के अधीन दी जाने वाली मंजूरी के लिए किस किस कच्चे माल की आवश्यकता थी;

(ग) वर्ष 1973 में सी० ओ० बी० लाइसेंस देने के लिए इस कम्पनी द्वारा प्रस्तुत विभिन्न आवेदन-पत्रों में वस्तु के नाम, आवेदित क्षमता संबंधी विवरण क्या हैं; और

(घ) क्या उपरोक्त भाग (ग) में उल्लिखित आवेदन-पत्रों के आधार पर इस कम्पनी को पहले ही सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी कर दिए गए हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी । एक विवरण पत्र, जिसमें मद का नाम वह पंजीकरण के अन्तर्गत निर्मित की गई थी अथवा विविधीकरण के, सूचित की गई क्षमता तथा प्रत्येक मद के लिए अपेक्षित कच्चे माल के नामों के बारे में उल्लेख किया गया है, संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-8717/74]**

(ग) एक विवरण-पत्र, जिसमें मद का नाम तथा सी० ओ० बी० लाइसेंस की मंजूरी के लिए मांगी गई क्षमता का उल्लेख किया गया है, संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०-8717/74]**

(घ) जी, नहीं ।

विदेशी फर्मों द्वारा उत्पादित बल्क औषधियां

3878. श्री के० एस० चावड़ा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बल्क औषधियों के नाम क्या हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में विदेशी फर्मों को इन औषधियों के लिए दिए गए लाइसेंसों की संख्या, तिथि और क्षमता क्या है;

(ख) क्या ये कम्पनियां अपनी 'बल्क' औषधियां अपनी रक्षित खपत के लिए उपयोग करती हैं और यदि हां, तो उत्पादन का वर्षवार, ब्यौरा क्या है और रक्षित खपत के लिए कितनी मात्रा में औषधियों का उपयोग किया गया;

(ग) क्या 2 करोड़ रुपये वाली नीति लागू हो जाने से इन विदेशी कम्पनियों को इतना लाभ पहुंचा है कि वे आई (डी० एण्ड आर०) एक्ट की परवाह किये बिना क्षमता से अधिक फार्मूलेशन्स बना रही हैं; और

(घ) इन फर्मों के विरुद्ध सरकार का क्या कर्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) अपेक्षित ब्यौरे 3-12-1974 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2919 के उत्तर के साथ संलग्न विवरण पत्र के द्वारा पहले ही दे दिए गये हैं।

(ग) और (घ) संगठित क्षेत्र में 36 यूनिट, जिनमें अधिकांश विदेशी पूंजी लगी है, सूत्रयोगों का निर्माण कर रही हैं जिनकी हजारों में संख्या है। कम्पनियों में से अधिकांश कम्पनियां प्रपुंज औषधों एवं औषध सूत्रयोगों का उत्पादन (i) पंजीकरण प्रमाण पत्र (ii) अनुमति/अनापत्ति पत्र (iii) औद्योगिक लाईसेंस (iv) विविधीकरण योजना के अन्तर्गत किये गये उत्पादन और सी० ओ० बी० लाईसेंसों के अन्तर्गत स्वीकृत क्षमताओं के अन्तर्गत उनको जारी किये गये प्राधिकार द्वारा कर रही हैं। अतः उनका मूल्य आंकना या सूत्रयोगों के लिए एक निश्चित लाइसेंस प्राप्त क्षमता, ऐसे सूत्रयोगों से अधिक उत्पादन या उनके मूल्य को नियत करना या फर्मों द्वारा निर्मित प्रपुंज औषधों के साथ सूत्रयोगों के निर्माण को निश्चित करना या फर्मों द्वारा निर्मित प्रपुंज औषधों के साथ सूत्रयोगों को संबद्ध करना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सूत्रयोग/औषध की विपण्यता पर निर्भर करने वाले सूत्रयोगों का निर्माण वर्ष प्रति वर्ष बदलता रहता है।

औषध एवं भेषज के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि देश में प्रपुंज औषधों का उत्पादन अधिकतम किया जाये। भारतीय कम्पनियां जिनकी बिक्री प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपये की बिक्री से अधिक है, से भी आशा की जाती है कि इस कार्य हेतु प्रयत्न करेंगे जिससे प्रपुंज औषधों के आयात को कम से कम किया जा सके तथा विदेशी फर्मों पर निर्भरता कम हो सके। सम्पूर्ण रूप में भारतीय कम्पनियों अथवा वे कम्पनियां जिनमें विदेशी पूंजी 26 प्रतिशत से कम है को संबंधित प्रपुंज औषध का उत्पादन करने के लिए 2 अथवा 3 वर्ष का समय दिया जाता है तथा उस बीच प्रपुंज औषधों को आयात करके तथा अन्यों से इसकी खरीद द्वारा सूत्रयोगों को बेचने की अनुमति दी जाती है। दूसरी ओर 26 प्रतिशत अथवा इससे अधिक की विदेशी साम्य पूंजी वाली कम्पनियों की स्वीकृति के संबंध में उनको अब सामान्यतया उनके द्वारा उत्पादित प्रपुंज औषधों से सूत्रयोगों का उत्पादन करना होता है। ऐसी कम्पनियों को अपने प्रपुंज औषधों के उत्पादन को एक बड़े भाग को असंबद्ध सूत्रधारियों या निर्यात के लिए देने की आवश्यकता होती है। लघु क्षेत्रीय एकक जो विदेशी फर्मों या बड़े घरानों से संबंधित नहीं हैं जिनकी संख्या देश में 2000 से अधिक है, को औद्योगिक लाइसेंस देने की आवश्यकता नहीं होती है।

औषध एवं भेषज उद्योग के बारे में भी जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षयता में गठित समिति औषध उद्योग के शीघ्रगामी विकास को प्रोत्साहन देने सहित विशेष रूप से भारतीय और लघु उद्योग क्षेत्रों को तथा मूल औषधों और कच्चे मोल का समान वितरण सुनिश्चित करने हेतु औषध उद्योग के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है। उक्त समिति के प्रतिवेदन मिलने पर उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

कुछ औषध कम्पनियों द्वारा औषधियों का उत्पादन

3879. श्री के० एस० चावड़ा : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स रोश और एम० एस० डी० बिना किसी औद्योगिक लाइसेंस या मंजूरी के कौन-कौन सी औषधियों का उत्पादन कर रही हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके उत्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिना किसी वैध स्वीकृति के उक्त औषधियों का उत्पादन करने के लिये इन फर्मों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

मैसर्स होयस्ट द्वारा एनलजिन का प्रयोग करके निर्मित फार्मूलेशन्स

3880. श्री के० एस० चावड़ा : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स होयस्ट द्वारा माल के रूप में अनलजिन के प्रयोग से निर्मित विभिन्न वस्तुओं के फार्मूलेशन्ज के नाम क्या हैं ?

(ख) उपरोक्त अनुमोदनों के आधार पर इस फर्म को कितनी अनलजिन मिलती है; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में मैसर्स होयस्ट को कितनी एनलजिन आवंटित की गई थी और आवंटन का आधार क्या था ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्र सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

26 प्रतिशत से अधिक इक्विटी वाली विदेशी औषध कम्पनियों के विस्तार के लिये मार्गदर्शी सिद्धान्त

3881. **श्री भालजी भाई परमार** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 26 प्रतिशत से अधिक इक्विटी वाली विदेशी औषध कम्पनियों के विस्तार को विनियमित करने के लिये निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या है; और

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और उनके विस्तार के लिये स्वीकृत प्रस्ताव क्या हैं, इक्विटी में कितनी कमी की मांग की गई थी परन्तु अभी क्रियान्वित नहीं की गई है, उसे क्रियान्वित न किये जाने के कारण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सरकारी खजाने को कितनी हानि हुई है और भारतीय फार्मस्युटिकल उद्योग के विकास और प्रगति के लिये कितनी हानि कर रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) इस समय विदेशी कम्पनियों, अर्थात् ऐसी कम्पनियों जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी है, की संख्या 36 है । औषध एवं भेषज उद्योग को औद्योगिक विकास मंत्रालय की दिनांक 16 फरवरी, 1973 की अधिसूचना के अनुबन्ध 1 में शामिल है किया गया है । विदेशी कम्पनियां तथा उनकी सहायक कम्पनियां और विदेशी कम्पनियों की शाखाए औषधों के क्षेत्र में कार्य करने की हकदार हैं किन्तु उनके निवेश विदेशी साम्य पूंजी के कम किये जाने के सम्बन्ध में बनाये गये मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार होंगे और इनकी जांच प्रौद्योगिक पहलुओं, निर्यात संभावनाओं तथा भुगतान के बकाया पर समग्र रूप से पड़े प्रभाव के विशेष संदर्भ में की जायेगी । वित्त मंत्रालय के दिनांक 19-2-72 के प्रेस नोट के द्वारा घोषित निम्नलिखित सूत्र के अनुसार साम्य पूंजी में कमी की जायेगी ।

विस्तार की अनुमानित लागत का 40 प्रतिशत	विदेशी पूंजी वाली कम्पनियों के बारे में	75 प्रतिशत से अधिक
$33\frac{1}{3}$ प्रतिशत	,,	60 प्रतिशत से अधिक किन्तु 75 प्रतिशत से अधिक नहीं है ।
25 प्रतिशत	,,	51 प्रतिशत से अधिक किन्तु 60 प्रतिशत से अधिक नहीं ।

इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत निगमित की गई विदेशी कम्पनियों तथा ऐसी भारतीय कम्पनियों, जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी है, को व्यापार के नये क्षेत्र में कार्य करने से पहले रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी ।

प्रपुंज औषधों के उत्पादन से संबद्ध किये बिना विदेशी फर्मों को सूत्रयोगों के उत्पादन के लिये सामान्यत: औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिये जाते हैं तथा उन्हें अधिक मूल स्तरों से प्रपुंज औषधों का उत्पादन शुरू करने तथा प्रपुंज औषधों के अपने उत्पादन के एक उपयुक्त भाग देश के असम्बद्ध निर्माताओं को देने के लिये कहा जाता है । इनके लिये क्षमता में विस्तार करने अथवा नया कार्य शुरू करने के लिये यह शर्त लगाई गई है ।

(ख) एक विवरण-पत्र, जिस में कम्पनियों के नाम, 1971, 1972, 1973 तथा 1974 (अक्तूबर, 1974 तक) के दौरान अनुमोदित प्रस्ताव, साम्य पूंजी में कमी करने के लिये लगाई गई शर्त पर और वर्तमान स्थिति के

बारे में उल्लेख किया गया है, संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8718/74]** चूंकि आवेदकों के लिये समय सीमा निश्चित की गई है जिसके भीतर उन्हें साम्य पूंजी में कमी कर देनी चाहिए और यह समय सीमा अभी पूरी नहीं हुई है, साम्य पूंजी में कमी किये जाने की शर्त के कार्यान्वित न होने के कारण राजकोष को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से कोई हानि होने का प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि प्रस्ताव विदेशी साम्य पूंजी में कमी किये जाने से संबंधित है, इस में भारतीय क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

इस के अतिरिक्त, मैसर्स जर्मन रेमिडीज लि०, और मैसर्स स्मिथ एण्ड नेफ्यू (इण्डिया) लिमिटेड बम्बई ने भी स्वेच्छा से विदेशी साम्य पूंजी में कमी कर दी है मैसर्स सार्ले (इण्डिया) लि० बम्बई ने भी विदेशी साम्य पूंजी में स्वेच्छा से कमी करने की इच्छा व्यक्त की है।

कुछ विदेशी फर्मों द्वारा कच्चे माल की तस्करी

3882. **श्री भालजी भाई परमार :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी वाली कुछ विदेशी फर्में मूल कच्चे माल की, जिनके लिये उन्हें लाइसेंस प्राप्त हैं, तस्करी करती हैं और उसको अपने द्वारा निर्मित माल के रूप में बेचती हैं;

(ख) यदि हां, तो उन फर्मों के नाम क्या हैं, चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में चोरी से निकाले गये और बेचे गये कच्चे माल का ब्यौरा क्या है और वह माल कितने मूल्य का था; और

(ग) उनके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है और क्या सरकार उनके विरुद्ध आंसुका के अधीन कार्यवाही करेगी।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विदेशी औषध कम्पनियों को लाइसेन्स देने की पूर्व-शर्तें

3883. **श्री भालजी भाई परमार :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी औषध कम्पनियों को औद्योगिक लाइसेंस देने के लिये वे पूर्व शर्तें कौन सी हैं जिनका सरकार ध्यान रखती है;

(ख) ऐसी कौन सी समान पूर्व शर्तें हैं जिनका सरकार भारतीय कम्पनियों को औद्योगिक लाइसेंस देते समय ध्यान रखती है;

(ग) मध्यम दर्जे के और तकनीकियन प्रधान प्रस्तावों के सम्बन्ध में नये उपक्रमों के लिये पूर्व शर्तें क्या हैं; और

(घ) (एक) विदेशी कम्पनियों (दो) भारतीय निर्माताओं और (तीन) नये उपक्रमों को गत एक वर्ष में दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों/आशय-पत्रों में मुख्य अन्तर क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सम्बद्ध औषधि के वर्तमान उत्पादन, यदि कोई हो, और उसकी सम्भावित भावी मांग को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक मंजूरी प्रदान की जाती है और यह भी ध्यान रखा जाता है कि क्या प्रस्ताव पर्याप्त रूप से मौलिक है। निर्माण योजनाओं की मंजूरी में भारतीय उद्योग-क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है।

समूह औषधियों से जब तक सम्बद्ध न हो, तब तक फार्मूलेशनों के उत्पादन के लिए विदेशी फर्मों को सामान्यतः औद्योगिक लाइसेन्स जारी नहीं किये जाते हैं। उनसे अधिक मूलभूत स्तरों से समूह औषधियों का उत्पादन करने के लिए और गैर-सम्बद्ध फर्मूलेशन निर्माताओं को समूह औषधि उत्पादन का समुचित भाग

उपलब्ध करने के लिए कहा जाता है। समुचित निर्यात सम्बन्धी दायित्व भी लागू किये जाते हैं। विदेशी कम्पनियों के विस्तार सम्बन्धी प्रस्तावों को मंजूरी भी विदेशी साम्य पूंजी विलीनीकरण सूत्र के अधीन दी जाती है।

(ग) सरकार की नीति सक्षम लघु और मध्यम श्रेणी के उद्यमकर्त्ताओं को प्रोत्साहन देने की है। एक करोड़ रुपये तक के पूंजी निवेश वाला गैर-लाइसेन्सीकृत क्षेत्र प्रौद्योगिकी विदोन्मुख प्रस्तावों सहित मूलतः लघु और मध्यम श्रेणी के उद्यमकर्त्ताओं के लिए है। ब्यौरा औद्योगिक विकास मन्त्रालय के दिनांक 16 फरवरी, 1973 की अधिसूचना सं० आई० डी० आर० ए०/29 बी०/73-I में देखा जा सकता है।

(घ) पूंजीगत सामान के आयात और विदेशी सहयोग प्रबन्धों आदि के बारे में सरकार की पूर्व-स्वीकृति से सम्बन्धित सामान्य शर्तों के अलावा आम तौर पर निम्नलिखित प्रकार की शर्तें लागू की जाती हैं :–

विदेशी औषधि कम्पनियां

(i) विदेशी साम्य पूंजी सहयोग को कम करना।

(ii) निर्यात दायित्व।

(iii) अन्य गैर-सहयोजित फार्मूलेशन निर्माताओं को वास्तविक समूह औषधि उत्पादन को विनिर्दिष्ट प्रतिशत भाग की सप्लाई।

(iv) समूह औषधि के मूलभूत निर्माण को शामिल किया जाना।

भारतीय औषधि कम्पनियां और नये उपक्रम

(i) किसी विशिष्ट औषधि फार्मूलेशन का निर्माण आरम्भ करने के बाद विनिर्दिष्ट अवधि में सम्बद्ध समूह औषधि के मूलभूत निर्माण का सम्बन्धित किया जाना।

(ii) अन्य गैर-सहयोजित फार्मूलेशन निर्माताओं को समूह औषधि के वास्तविक उत्पादन के विनिर्दिष्ट प्रतिशत भाग की सप्लाई।

(iii) समुचित मामलों में निर्यात दायित्व।

नई औषधियों के विकास के लिए जानकारी

3884. श्री मालजी भाई परमार : क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में काम कर रही केवल कुछ विदेशी कम्पनियों के पास विश्व में विकसित सभी नई औषधियों/विकसित होने वाली औषधियों के बारे में जानकारी है;

(ख) क्या अन्य बहुत सी विदेशी कम्पनियां भी हैं जो अनेक नई औषधियों के लिए आवश्यक जानकारी रखती हैं और ये विदेशी कम्पनियां थोड़ी सी एक मुश्त धनराशि अथवा रायल्टी देने पर भारतीय औषध फर्मों को यह जानकारी देने के लिये तैयार हैं;

(ग) क्या सरकार कुछ विदेशी बहुराष्ट्रीय बड़ी फर्मों को संरक्षण प्रदान करेगी और सरकारी अधिकारियों के साथ हेराफेरी की अनुमती देगी या एकमुश्त धनराशि अथवा रायल्टी देकर भारतीय क्षेत्र और नये उपक्रमों को नई औषधियों के अनुसन्धान और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिये खुली छूट देना पसन्द करेगी; और

(घ) डाक्सीसाइक्लीन की जानकारी के लिये एक विदेशी इक्विटी कम्पनी पर एक सरकारी उपक्रम और एक भारतीय फर्म के प्रस्ताव को तरजीह न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

पट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) चिकित्सा व्यवसाय में एक बड़ी संख्या में औषधों का प्रयोग किया जाता है। औषध एवं भेषज उद्योग अत्यधिक अनुसंधान प्रधान है तथा अनेक देशों में विभिन्न रोगों के लिए नई औषधों के बारे में खोज और विकास कार्य चल रहा है। इसलिए किसी विशेष कम्पनी की संस्थाओं द्वारा समस्त नई औषधों के बारे में जानकारी रखना सम्भव नहीं हैं।

(ख) आवश्यक जानकारी रखने वाली अन्य विदेशी औषध निर्माता कम्पनियां भी हैं और शायद वे विभिन्न शर्तों के आधार पर भारतीय कम्पनियों को कुछ औषधों के बारे जानकारी देने के लिए इच्छुक हों।

(ग) विदेशी तकनीकी जानकारी के प्रत्येक प्रस्ताव पर उसकी श्रेष्ठता के आधार पर विचार किया जाता है। विदेशी सहयोग की स्वीकृति केवल तब दी जाती है जब विदेशी तकनीक का आयात आवश्यक समझा जाता है। सरकार ने श्री जयसुखलाल हाथी की अध्यक्षता में औषध और भेषज उद्योग पर एक समिति की नियुक्ति की है जिसका अन्य कार्यक्लापों के अतिरिक्त एक निम्नलिखित कार्य भी है:—

"उद्योग में प्रौद्योगिकी के अंतर्वाह के बारे में वर्तमान व्यवस्था की जांच करना तथा उसके बारे में सिफारिशें देना"

(घ) इण्डियन ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्ज लिमिटेड तथा मैसर्स रेनबैक्सी लैबोरेटरीज को डैक्सीसाइक्लीन के निर्माण हेतु आशय-पत्र मंजूर किए गए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ साथ एक यह भी शर्त है कि विदेशी सहयोग की शर्तें, यदि कोई हों, तो सरकार की संतुष्टि के अनुसार तय की जायेंगी। उपरोक्त दोनों कम्पनियों ने डैक्सीसाइक्लीन के निर्माण हेतु विदेशी तकनीकी सहयोग के प्रस्ताव दिये हैं तथा उसके प्रस्तावों की सरकार द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है।

विभिन्न आयोगों और समितियों में व्यक्तियों की नियुक्ति

3885. **श्री समर गुह:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा बनाये जाने वाले आयोगों और समितियों में नियुक्ति के लिए सेवा निवृत न्यायाधीशों का कोई पेनल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो पेनल बनाने के लिए सेवा निवृत न्यायाधीशों के चयन के मार्ग दर्शी सिद्धांत क्या हैं और विद्यमान पेनल के न्यायाधीशों के नाम क्या हैं;

(ग) वर्ष 1970 से सरकार द्वारा बनाये गये विभिन्न आयोगों और समितियों में नियुक्त किये गये भूतपूर्व न्यायाधीशों के नाम क्या हैं और उनको सौंपे गए काम का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे व्यक्तियों को दी गई परिलब्धियों तथा अन्य प्रसुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच०आर० गोखले): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

मध्य प्रदेश में रसायन उद्योग समूह की स्थापना

3886. **श्री भरत सिंह चौहान:**
श्री नाथूराम अहिरवार:
डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय:

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से केन्द्रीय सरकार से यह अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश में चूना-पत्थर और कोयले पर आधारित रसायन उद्योग समूह स्थापित किया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०आर० गणेश): (क) से (ग) मध्य प्रदेश में कुछ रसायनों जैसे कैल्शियम कारबाईड, विनाइल क्लोराईड एवं पी वी सी, विनाईल एसीटेट, सोडा ऐश, जिनसे इस मंत्रालय का सम्बन्ध है, के निर्माण हेतु, मूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, कोक, नमक आदि के प्रयोग पर आधारित एककों की स्थापना करने के लिए लगभग गत वर्ष के अंतर्गत कुछ प्रस्ताव प्राप्त किए गए थे। कुछ प्रस्तावों को

नामंजूर भी कर दिया गया है गैर सरकारी पार्टियों से कैल्शियम विनायल क्लोराईड एवं पी वी सी तथा एसीटेट के निर्माण सम्बन्धी प्राप्त कतिपय प्रस्तावों की वर्तमान में जांच की जा रही है ।

कर्नाटक के साऊथ कनारा जिले में नायलोन प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव

3887. श्री पी०आर० शिनाय : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य के साऊथ कनारा जिले में नायलोन प्लांट स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) इस प्लांट की अनुमानित लागत क्या है और प्रस्तावित प्लांट की रोजगार क्षमता क्या होगी;

(ग) यह प्लांट स्थापित करने में किन पार्टियों की रुचि है; और

(घ) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति दी है?

पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के०आर० गणेश) : (क) से (घ) कुछ शर्तों पर प्रतिवर्ष 2100 मीटरी नायलोन फिलामेंट यार्न के निर्माण के लिए बंगलौर में एक नये औद्योगिक उपक्रम की स्थापना करने के सम्बन्ध में दिसम्बर, 1971 में मैसर्स मैसूर स्टेट इण्डस्ट्रीयल इनवैस्टमेंट एण्ड डिवेलपमेंट कारपोरेशन लि०, बंगलौर को एक आशय पत्र जारी किया गया था ।

प्रयोजना के लिए टाटा ग्रुप और सिन्डीकेट बैंक के साथ उनके प्रस्तावित वित्तीय सांझेदारी की स्वीकृति के लिए कारपोरेशन ने जनवरी, 1974 में केन्द्रीय सरकार से कहा था । कुछ शर्तों पर इस पर भारत सरकार ने जनवरी, 1973 में स्वीकृति दी थी । इसके बाद नाइलोन प्रयोजना के कार्यान्वियन के सम्बन्ध में एक नई संयुक्त कम्पनी नाईलोन लि० के नाम से पंजीकृत की गई थी जिसके बोर्ड में स्टेट डिवैलपमेंट कारपोरेशन के 3 प्रतिनिधि सिन्डिकेट बैंक के दो प्रतिनिधि सम्मिलित किये गये तथा स्टेट डिवैलपमेंट कारपोरेशन का नामित व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था । जून, 1973 में नई कम्पनी ने अपने नाम पर आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदलने के लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । इस आवेदन पत्र में प्रायोजना की अनुमानित लागत 16.8 करोड़ रुपये दिखाया गया । प्रायोजना के कार्यान्वियन हेतु 300 व्यक्तियों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है । नायलोन यूनिट को कर्नाटक में दक्षिणी कनारा जिले के शिवाली, मनीपटल नामक स्थान पर स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

देश में नायलोन उद्योग के सम्पूर्ण विकास तथा नायलोन संयंत्र के लिए विदेशी प्रौद्योगिकी की आयात की आवश्यकता जैसे कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं की विभिन्न सम्बन्धित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है । विभिन्न स्टेट इण्डस्ट्रीयल डिवैलपमेंट कारपोरेशन से प्राप्त पूंजी गत माल विदेशी सहयोग प्रस्तावों-आशय पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदलने आदि सम्बन्धी प्रस्तावों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही आम बातों के तय हो जाने के बाद की जाएगी ।

गुजरात में निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण

3888. श्री अरविंद एम० पटेल : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन कराने के लिए गुजरात राज्य में निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण किया गया हैं;

(ख) क्या निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन भी पूरा हो गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : (क) गुजरात राज्य में निर्वाचक नामावलियों का इन दिनों पुनरीक्षण किया जा रहा हैं।

(ख) राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य पूरा हो चुका है और परिसीमन आयोग का अन्तिम आदेश 8 नवम्बर, 1974 को प्रकाशित किया जा चुका है ।

(ग) निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण से सम्बन्धित कार्य के 6 जनवरी, 1975 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ।

राज्यों में मिट्टी के तेल की सप्लाई में वृद्धि करने की मांग

3890. श्री गजाधर माझी :
श्री एन० ई० होरो :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हाल में राज्यों के मिट्टी के तेल के कोटे में राज्यवार, कितनी वृद्धि की है; और

(ख) क्या अधिकांश राज्यों ने केन्द्र से इसमें और वृद्धि किए जाने का अनुरोध किया है क्योंकि वे वहां की जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) एक विवरण-पत्र, जिसमें अक्टूबर और नवम्बर के दौरान दिए गए राज्यवार कोटे तथा गत माह से नवम्बर में की गई वृद्धि दिखाई गई है संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8719/74]**

(ख) अब तक मीजोराम ने सरकार से नवम्बर, 1974 से आवंटन में वृद्धि करने के लिए प्रार्थना की है।

हड़ताल की अवधि के दौरान तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सीमा सुरक्षा दल जैसे बलों पर हुआ व्यय

3891. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1974 के रेलवे हड़ताल के सम्बन्ध में (एक) प्रादेशिक सेना (दो) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस (तीन) सीमा सुरक्षा बल (चार) प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस दल (पांच) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तथा सेना के अतिरिक्त अन्य बल की कितनी यूनिटें तैनात की गई तथा (एक) वेतन और भत्तों (दो) विमान यात्रा सहित यात्रा तथा परिवहन (तीन) विशेष भत्तों तथा कोई खुराक/कठोर कार्य आदि के लिए कितनी धनराशि व्यय की गई;

(ख) इस सम्बन्ध में सेना यूनिटों/सिगनल कोर तथा अन्य कितने यूनिटें तैनात की गयीं और वेतन/यात्रा/परिवहन, विशेष भत्तों आदि पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) इन यूनिटों के लिए रेल अधिकारियों द्वारा कितने तम्बू तथा अन्य साज-सामान खरीदा गया ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) सूचना इक्ट्ठी की जा रही हैं और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Shareholders Holding Shares of Rs. 1,000 and above in Maruti Limited or Maruti Consultancy

3892. Shri R. R. Sharma : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state the names and addresses of individuals, companies or parties which held shares of Rs. one thousand or more in the Maruti Limited or in Maruti Consultancy ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Bedabrata Barua) : There is no company by the name of 'Maruti Consultancy' registered under the Companies Act, 1956.

As per the latest Annual Return made upto 28-9-74 filed by M/s. Maruti Ltd. with the Registrar of Companies, the company had 571 shareholders holding shares worth Rs. 1000 or more as on 28-9-74. The names of these shareholders and their shareholdings are given in the Annual Return of the company, which is open for inspection by any member of the public on payment of a nominal fee.

पटना आने वाली रेलगाड़ियों पर हमला

3893. श्री के० एम० मधुकर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1974 के दूसरे सप्ताह में विभिन्न दिशाओं से आने वाली विभिन्न रेलगाड़ियों पर हमला किया गया था और इसके फलस्वरूप यात्री घायल हो गए थे; और

(ख) यदि हां, तो जिन गाड़ियों पर हमला किया गया उनका ब्यौरा क्या है तथा कितने व्यक्ति घायल हुए ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जिन गाड़ियों पर हमला किया गया और जितने यात्री घायल हो गए उनकी संख्या नीचे बताई गयी है :—

(1) भोजपुर शटल—9 व्यक्ति

(2) 25 अप पाटलीपुत्र एक्सप्रैस—1 व्यक्ति

कैरिज और वैगन विभाग धनबाद डिवीजन (पूर्व रेलवे) में स्थानापन्न कर्मचारियों को निकाला जाना

3894. श्री के० एम० मधुकर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्व रेलवे के धनबाद डिवीजन से कैरिज और वैगन विभाग से कितने स्थानापन्न कर्मचारियों को निकाला गया है;

(ख) इतनी बड़ी संख्या में स्थानापन्न कर्मचारियों को, जिन्हें अस्थाई कर्मचारियों का दर्जा प्राप्त हो चुका था, बिना समुचित जांच-पड़ताल किए निकाले जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सेवा से इस प्रकार निकाले जाने पर उच्च न्यायालयों और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक माह का नोटिस तथा वेतन दिए जाने के फैसले के बावजूद उन्हें वापस सेवा में न लिए जाने का क्या औचित्य है जबकि इन स्थानापन्न कर्मचारियों को निकाले जाने पर एक माह का नोटिस और वेतन नहीं दिया गया ?

रेल मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 102 ।

(ख) उनकी सेवाएं मई, 1974 के गैरकानूनी हड़ताल में भाग लेने और वक्त जरूरत पर काम के लिए उपलब्ध न रहने के कारण खत्म कर दी गयी ।

(ग) ऐसा कोई फैसला नहीं है जिसमें इन एवजी कर्मचारियों को फिर से काम पर लेने की बात कही गयी हो ।

भूमिगत रेलवे परियोजनाओं सम्बन्धी निर्माण-कार्य की गति धीमी पड़ना

3895. श्री रानेन सेन :
श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने बम्बई सहित सभी स्थानों पर भूमिगत रेलवे-परियोजनायें, जिनके लिए पहले निश विदेशी मुद्रा स्वीकृत हो चुकी थी, के निर्माण कार्यों की गति को धीमा करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त परियोजनाएं संभवतः कब तक पूरी हो जाएंगी ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की कठिनाई तथा कलकत्ता भूगत परियोजना की लागत में वृद्धि के कारण इसकी प्रगति को तब तक के लिए नियंत्रित कर दिया गया है जब तक कि इस परियोजना के सम्बन्ध में सरकार को नया निदेश नहीं जारी हो जाता ।

बम्बई की महानगर परिवहन परियोजना के निर्माण कार्य की स्वीकृति सरकार ने अभी तक नहीं दी है क्योंकि तत्सम्बन्धी अन्य काम अभी पूरे नहीं हुए हैं।

योजना-व्यय को घटाने की आवश्यकता के कारण महानगर परिवहन परियोजना के 1974-75 के मूल बजट व्यवस्थाओं में काट-छांट करनी है।

दिल्ली और मद्रास में महानगर परिवहन परियोजनाओं के सम्बन्ध में जो जांच कार्य हो रहे हैं उनकी गति में कोई परिवर्तन करने का विचार नहीं है।

(ग) दमदम-टालीगंज द्रुत परिवहन लाइन के निर्माण के लिए जो मूल समय अर्थात् 1979 निर्धारित किया गया था उस पर, संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रख कर फिर विचार किया जा रहा है और कुछेक वर्षों में उसके और विस्तार की संभावना है।

निर्माण की स्वीकृति मिल जाने के बाद बम्बई-परियोजना पांच वर्षों में पूरी हो जाएगी।

दिल्ली और मद्रास की परियोजनाएं अभी निर्माण की स्थिति में नहीं पहुंच पाई हैं।

उर्वरकों का उत्पादन

3896. श्री धामनकर :
श्री वसन्त साठे :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के वर्तमान उत्पादन की मात्रा से कृषि क्षेत्र में हमारी केवल 33 प्रतिशत मांग ही पूरी हो सकती है;

(ख) यदि हां, तो मांग और पूर्ति के अन्तर को दूर करने के लिए क्या अल्पावधि तथा दीर्घावधि उपाय किए जाने का विचार है; और

(ग) वर्तमान उर्वरक संयंत्रों की क्षमता के उपयोग में वृद्धि किए जाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 1974-75 के दौरान अब उर्वरक उत्पादन के नाईट्रोजिन के लगभग 12.70 लाख मी० टन० और पी० 205 के 3.50 लाख मी० टन का अनुमान है जब कि इसी वर्ष नाईट्रोजिन के लगभग 27.86 लाख मी० टन और पी० 205 के 9.31 लाख मी० टन की मांग का अनुमान है।

(ख) और (ग) अतिरिक्त उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है और जब यह कार्यक्रम कार्यान्वित हो जाएगा तब 1978-79 में नाईट्रोजिन सम्बन्धी उर्वरकों के उत्पादन की क्षमता, नाईट्रोजिन की लगभग 6 मिलियन मी० टन और पी० 205 के 1.7 मिलियन मी० टन तक बढ़ जाएगी। इसके अतिरिक्त वर्तमान एककों में नवीकरण, कठिनाईयों को दूर करने तथा आधुनिकता आदि जैसे उपायों के जरिए लगातार उत्पादन को इष्टतम तक बनाए रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

रेल गाड़ियों के रद्द किए जाने के कारण संगचल कर्मचारियों को संगचल भत्ते (रनिंग एलांउस) का घाटा

3897. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संगचल कर्मचारियों को 60 प्रतिशत मजूरी (रनिंग एलाउंस) रनिंग एलाउंस के रूप में दी जाती है तथा रेल गाड़ियों को रद्द किए जाने से संगचल कर्मचारियों को मजूरी (संगचल भत्ते में वेतन का भाग) में घाटा हो रहा है और इस घाटे को पूरा करने के लिए कोई भत्ता दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रशासनिक कारणों से कई दिनों तक रेल गाड़ियां रद्द किए जाने पर, एक दिन के लिए रद्द किए जाने पर अथवा रेलगाड़ियां न चलाये जाने पर मजूरी में होने वाले इस घाटे को पूरा करने के लिए दिए जा रहे भत्ते की मुख्य बातें क्या हैं और यदि कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है तो इसके क्या कारण हैं तथा इससे सम्बन्धित नियमों की रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो संगचल कर्मचारियों को संगचल भत्ता अर्जित करने के लिए बुक न किए जाने पर मजूरी में होने वाले घाटे को पूरा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क), (ख) और (ग) यह सच नहीं है कि संगचल कर्मचारियों को 60 प्रतिशत मजूरी संगचल भत्ते के रूप में अदा की जाती है। विभिन्न वर्गों के संगचल कर्मचारियों को यह भत्ता उनके द्वारा की गई प्रत्येक 100 किलोमीटर यात्रा के लिए निर्धारित दरों पर अदा किया जाता है। इसलिए, "संगचल कर्मचारियों" का वेतन जहां उसके द्वारा की गई वास्तविक "संगचल" से सम्बद्ध नहीं है, वहीं उसको देय "संगचल भत्ता" महीने के दौरान उसके हिसाब में आई "किलोमीटर यात्रा" के अनुसार परिवर्तित होता रहता है ।

इस प्रकार किसी विशिष्ट महीने के दौरान वेतन की तुलना में संगचल भत्ते का भाग एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी के लिए ही नहीं, बल्कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भी बदलता रहता है।

संगचल भत्ता आवश्यक रूप से "संगचल" ड्यूटी के लिए मुआवजे का एक विशिष्ट प्रकार है और इसके लिए संगचल ड्यूटी को ध्यान में रखे बिना दावा नहीं किया जा सकता। मगर, नियमों में इस बात का प्रावधान है कि सम्बद्ध संगचल कर्मचारियों द्वारा ड्यूटी पर आ जाने के बाद जब कोई रेलगाड़ी रद्द हो जाती है, तो प्रतीक्षा ड्यूटी भत्ता अदा किया जाना चाहिए।

जब रेल सेवाओं में दीर्घकालिक कटौती के परिणामस्वरूप किसी विशिष्ट ग्रेड में संगचल कर्मचारियों की आवश्यकता कम हो जाती है, तो उस ग्रेड में कर्मचारियों की प्रभावी संख्या को समुचित से समायोजित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे कर्मचारियों के खाली रहने से बचा जा सके।

काश्मीर घाटी में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल की खोज

3898. श्री पी० गंगादेव :
श्री डी० डी० देसाई :
श्री राजदेव सिंह :
श्री श्रीकिशन मोदी :
श्री पुरुषोत्तम काकोडकर :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने काश्मीर घाटी में तेल की खोज के लिए किसी स्थान को चुना है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग के विशेषज्ञों को इस क्षेत्र में मिलने वाली प्राकृतिक गैस की मात्रा के बारे में विश्वास है;

(ग) क्या आयोग ने जम्मू के सुरिनसार स्थान में छिद्रण कार्य के लिए विशेष छिद्रण यंत्र का आदेश भी दिया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या प्राकृतिक गैस मिलने की काफी संभावनाएं हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(ख) और (घ) इस अवस्था में तेल/गैस मिलने की विद्यमान संभावनाओं के बारे में पहले से ही कुछ कहना संभव नहीं है।

प्रोड्यूसर गैस जेनरेटरों का निर्माण

3899. श्री नरेन्द्र कुमार सांघी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईंधन के विशेषज्ञों का विचार है कि भारी उद्योगों के मामले में भी भट्टी तल का प्रयोग करने के बजाय प्रोड्यूसर गैस जेनरेटरों का प्रयोग अधिक किफायती होगा ;

(ख) क्या भारत के पास इन जेनरेटरों का निर्माण करने की आवश्यक निपुणता तथा संसाधन हैं;

(ग) क्या जेनरेटरों तथा ईंधन गैस के तुलनात्मक लाभ का हिसाब लगाया गया है; और यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है; और

(घ) विभिन्न, उद्योगों में जेनरेटरों के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) यह विचार व्यक्त किए गए हैं कि जलने की प्रणाली में कुछ परिवर्तनों के साथ, उत्पादक, गैसें भारी उद्योगों के मामले में भी प्रयुक्त की जा सकती है किन्तु इससे भट्टी तेल का पूर्ण बदल कर सकना संभव नहीं है। किफायत की तुलना अनेक तथ्यों पर निर्भर करेगी जिसमें कोल और भट्टी तेल के मूल्य शामिल हैं।

(ख) और (घ) हाल में देशी तकनीकी जानकारी के साथ प्रोडयूस गैस संयंत्र का निर्माण करने के लिए तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास केवल एक यूनिट का रजिस्ट्रेशन हुआ है। जब तक इस यूनिट द्वारा निर्मित संयंत्र कार्य करना आरम्भ नहीं कर देता है तब तक इस संयंत्र की गुणवत्ता के संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता है इस प्रकार निर्माण करने के लिए दक्षता की आवश्यकता थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड के कार्यकरण की जांच

3901. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड के कार्यकरण की अभी जांच की है;

(ख) यदि हां, तो वहां सरकार की किन किन अनियमितताओं का पता लगा; और

(ग) उक्त कमियों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मद्रास रिफाईनरीज लिमिटेड के कार्यकरण की जांच

3902. श्री एस० एन० मिश्र : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान मद्रास रिफाईनरीज लिमिटेड के कार्यकरण की कभी जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार को वहां किन किन अनियमितताओं का पता लगा; और

(ग) उक्त कमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी माझी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

एक्सेलसीयर प्लांट कारपोरेशन फरीदाबाद

3903. श्रीमती पार्वती कृष्णन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि एक्सेलसीयर प्लांट कारपोरेशन, फरीदाबाद के निदेशक मण्डल ने 22 मई, 1974 और 7 सितम्बर, 1974 को हुई बैठकों में प्रस्ताव पारित किया है जिसमें प्रबन्ध निदेशक द्वारा सेवा से निकाले गए वर्क्स मैनेजर को पुन: सेवा पर लिए जाने तथा प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध आरोपों की जांच किए जाने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या उक्त निर्णय को लागू कर दिया गया और जांच करा ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) दिनांक 17–5–1974 की एक शिकायत श्री आर० एस० अस्थना से यह अभिकथन करते हुए प्राप्त हुई कि एक्सेलसीयर प्लांट कारपोरेशन लिमिटड के वर्क्स मैनेजर श्री आर० हजारा को 16–5–1974 से विधि विरुद्ध उनके कार्य से मुक्त कर दिया। कम्पनी अधिनियम की धारा 209(4) के अन्तर्गत कम्पनी की लेखा बहियों के निरीक्षण से निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं :—

कम्पनी के निदेशक मंडल ने 22–5–74 को उन परिस्थितियों पर जिनके अन्तर्गत श्री आर० हजारा वर्क्स मैनेजर व मुख्य अभियन्ता की सेवाओं को समाप्त करने के जिए उसे बाध्य होना पड़ा था, पर प्रबन्ध निदेशक से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 16–5–74 तथा श्री आर० हजारा के अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात श्री आर० हजारा को 16–5–74 से नौकरी पर बहाल करने का निर्णय किया तथा प्रबन्ध निदेशक से प्राप्त पत्र तथा वर्क्स मैनेजर तथा मुख्य अभियन्ता के अभ्यावेदन में उल्लिखित आरोपों के संबंध में बोर्ड ने लेखा परीक्षक, की सहायता से जहां संभव हुआ, अध्यक्ष द्वारा नियुक्त स्वतन्त्र अभिकरण द्वारा जांच पर यह निर्णय किया।

बोर्ड की 23–8–74 की उत्तरवर्ति बैठक के कार्यवृत्त में प्रदर्शित किया कि मुकदमें से उत्पन्न कानून के कतिपय प्रश्नों के आधार पर जो श्री आर० हजारा द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और जिसको बाद में बोर्ड की सूचना में लाया गया था, के पूर्व बैठक के निर्णय के कार्यान्वयन पर विचार दूसरी बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया था।

इस विभाग के पास बाद की प्रगतियों के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

जनता को उपलब्ध होने वाली साबन की लोकप्रिय किस्में बनाने के लिए कार्यवाही

3904. श्री जी वाई० कृष्णन :
श्री के० मालन्ना :
श्री ओकिशन मोदी :
श्री पी० गंगादेव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता द्वारा खरीदे जा सकने वाले साबुन की लोकप्रिय किस्मों की उपलब्धता में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) 19–9–1974 से संगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादित साबुन पर अनौपचारिक मूल्य नियंत्रण को हटा देने से साबुन की सुविख्यात किस्मों की उपलब्धता में सुधार हुआ है। औषध उद्योग के संगठित क्षेत्र ने 3 से 6 महीनों के अन्तर्गत इसे प्रस्तुत करने

का वचन दिया है। उस दिन से नहाने का जनता नामक साबुन उपभोक्ताओं को प्रति 100 ग्राम की टिकिया पर 1 रुपए से 1.05 रुपए पर उपलब्ध होगा। दो कम्पनियों ने इस प्रकार के साबुन को बाजार में प्रस्तुत कर दिया है।

खाद्य-पदार्थ विक्रेताओं तथा बुक स्टालों के मालिकों को ठेका देना

3905. श्री मधु लिमये :
श्री भागीरथ भंवर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवेज में खाद्य-पदार्थ विक्रेताओं तथा बुक स्टालों के मालिकों के ठेके रेलवे बोर्ड/मंत्रालय के आदेशों द्वारा समय से पूर्व ही समाप्त कर दिए गए थे;

(ख) क्या नए ठेके रिश्वत में बड़ी धनराशि दिए जाने पर ही दिए गए थे;

(ग) एक समाजवादी संसद सदस्य ने मंत्री महोदय का ध्यान झाझा के अधिकारियों तथा दानापुर डिवीजन के अधिकारियों से संबंधित एक ऐसे मामले की ओर दिलाया था जिसमें प्रत्येक आवेदनकर्त्ता से घूस की राशि ली गई थी तथा बाद में उन लोगों को वह राशि वापस कर दी गई थी जिन्हें अन्ततः ठेका प्राप्त नहीं हो सका; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां।

(घ) जांच पड़ताल जारी है।

मारुति लिमिटेड के वर्ष 1973-74 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे

3906. श्री मधु लिमये : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री दिल्ली स्थित कम्पनियों के रजिस्ट्रार के पास भेजे गये मारुति लिमिटेड के वर्ष 1973–74 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखों के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस कम्पनी ने तकनीकी जानकारी तथा सेवा प्रभारों के रूप में 10,22,000 रु० से अधिक की राशि अदा की ;

(ख) यदि हां, तो यह राशि किन व्यक्तियों/फर्म/कम्पनी को अदा की गई तथा प्रत्येक को कितनी-कितनी राशि दी गई; और

(ग) इन व्यक्तियों/फर्मों के भागीदारों, निदेशकों तथा कम्पनियों की तकनीकी अर्हतायें क्या थीं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) 1973–74 के वर्ष में 3,21,923 रु० की राशि "तकनीकी जानकारी तथा सेवा प्रभारों" शीर्षक के अन्तर्गत विकलित की गई हैं।

(ख) 31–3–1974 की वर्ष समाप्ति के लाभ-हानि लेखे में पूछा गया विश्लेषण उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

मंगलौर-हसन रेलवे लाइन का न बनाया जाने वाला भाग

3907. श्री पी० आर० शिनाय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर-हसन रेलवे लाइन के निर्माण का मुख्य उद्देश्य हास्पेट क्षेत्र से मंगलौर पत्तन को लोह अयस्क की ढुलाई करना था;

(ख) क्या इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोहर और हरीहन के बीच रेलवे लाइन बनाई जानी चाहिए; और

(ग) यह रेलवे लाइन बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) कोत्तूर-हरिहर रेल सम्पर्क का निर्माण मिरज-हुबली-हास्पेट मीटर लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन के साथ भी संबद्ध है । इस आमान परिवर्तन की सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा कोत्तूर-हरिहर रेल सम्पर्क के रिपोर्ट की जांच की जा रही है और जांच का काम सभी दृष्टियों से पूरा होते ही नये रेल सम्पर्क के बारे में विनिश्चय किया जाएगा ।

मंगलौर हसन रेलवे लाइन

3908. श्री पी० आर० शिनाय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर-हसन रेलवे लाइन कब तक पूरी हो जायेगी; और

(ख) इस लाइन के पूरे होने में कितना काम बाकी है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस लाइन को 1976 तक पूरा करने का लक्ष्य है, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो ।

(ख) इस लाइन को पूरा करने के निम्नलिखित काम बकाया हैं :—

(क) तटबंधों पर मिट्टी का काम	6.70 लाख घन मीटर ।
(ख) कटानों पर मिट्टी का काम	11.72 ,,
(ग) चट्टान तोड़ना	3.08 ,,
(घ) बड़े/छोटे पुल बनाना	67 ,,
(ङ) सुरंग बनाना	937 मीटर
(च) मुख्य/साइडिंग लाइन को जोड़ना	121.12 कि०मी०

1973-74 के दौरान रेल दुर्घटनाओं में मारे गये व्यक्ति

3909. कुमारी कमला कुमारी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973–74 के दौरान रेल दुर्घटनाओं में कुल कितने व्यक्ति मारे गए ; और

(ख) इस अवधि में उन में से कितने व्यक्तियों के संबंधियों को मुआवजा दिया गया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) 1–4–1973 से 31–3–1974 की अवधि के दौरान भारत की सरकारी रेलों पर गाड़ी दुर्घटनाओं की विभिन्न श्रेणियों में टक्कर, पटरी से उतरना, समपार पर हुई दुर्घटनायें और गाड़ियों में आग लगने की दुर्घटनाओं जैसी विभिन्न गाड़ी दुर्घटनाओं में 241 व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।

(ख) 1973–74 के दौरान जो दुर्घटनायें हुई उसमें मरने वाले 13 व्यक्तियों के आश्रितों को भारतीय रेल अधिनियम के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया, जबकि रेल कर्मचारियों के 12 मामलों में क्षतिपूर्ति का भुगतान कामगर क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत किया गया ।

सोनीपत-पानीपत रेलवे लाइन को दोहरा बनाना

3910. कुमारी कमला कुमारी : क्या रेल मंत्री सोनीपत-पानीपत और दिल्ली के बीच रेलवे लाइन को दोहरा बनाने के बारे में 26 फरवरी, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 973 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोनीपत से पानीपत तक रेलवे लाइन को दोहरा बनाने का कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) सब्जी मण्डी और गन्नौर (सोनीपत इनके बीच पड़ता है) के बीच 56.35 कि०मी० में दोहरी लाइन बिछाने का काम 1974–75 के बजट में शामिल कर लिया गया है । निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है क्योंकि यातायात को रोहतक-गोहाना-पानीपत के रास्ते भेजने के संदर्भ में

दोहरी लाइन की आवश्यकता पर पुर्नविचार किया जा रहा है। गन्नौर और पानीपत के बीच दोहरी लाइन बिछाने का, फिलहाल, कोई प्रस्ताव नहीं है।

गोहाना-पानीपत रेलवे लाइन का निर्माण-कार्य

3911. कुमारी कमला कुमारी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोहाना-पानीपत रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालम में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अभी नहीं।

(ख) निर्माण-कार्य संतोषप्रद ढंग से चल रहा है और इसके पूरे होने का लक्ष्य 1-4-1977 रखा गया है।

राज्यों को पैट्रोल पम्पों के आबंटन का आधार

3912. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) राज्यों को पैट्रोल पम्पों के आवंटन का क्या आधार है; और

(ख) इस आधार पर वर्ष 1973-74 में राज्यवार कितने पेट्रोल पम्प आवंटित किए गए ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) और (ख) पेट्रोल पम्पों का राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता। तेल कम्पनियों द्वारा नए पेट्रोल पम्पों की स्थापना करते समय क्षेत्र की व्यापार संभाव्यता तथा अन्य वाणिज्यिक बातों पर विचार किया जाता है।

विभिन्न राज्यों में उपरोक्त आधार पर जिन नये पैट्रोल पम्पों की स्थापना की गई, उनकी संख्या निम्नलिखित है।

राज्य का नाम	कम्पनी का नाम				
	आई ओ सी 1973-74	काल्टैक्स 1973-74	एच पी सी 1973-74	आई बी पी 1973	बर्मा शैल 1973
1. उत्तर प्रदेश	25	—	1	12	—
2. दिल्ली	17	—	—	—	8
3. हरियाणा	3	—	—	3	—
4. जम्मू और काश्मीर	20	—	—	—	—
5. पंजाब	27	—	—	6	2
6. राजस्थान	5	—	—	1	2
7. मध्य प्रदेश	12	—	—	1	—
8. पश्चिम बंगाल	24	1	—	2	1
9. बिहार	8	—	—	5	2
10. उड़ीसा	1	1	—	—	—
11. असम	12	—	—	1	—
12. मेघालय	1	—	—	—	—
13. तामिलनाडु	4	2	—	—	—
14. केरल	3	—	1	—	2
15. आंध्र प्रदेश	9	2	—	1	1
16. कर्नाटक	11	—	1	6	1
17. गोवा	1	—	—	—	1
18. महाराष्ट्र	10	—	1	1	2
19. गुजरात	22	—	2	9	3
कुल	215	6	6	48	25

आई०बी०पी० और बर्मा शैल के संबंध में यह सूचना केवल कैलेंडर वर्ष के आधार पर उपलब्ध है।

अगामी पांच वर्षों में दादर से नागर हवेली तक नई रेल लाइन

3913. श्री आर० आर० पटेल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी पांच वर्षों में दादर और नागर हवेली में नयी रेल लाइन बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बर्मा शैल तेल शोधक कारखाने से गैस की सप्लाई में कमी

3914. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया: क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा शैल के तेल अधिक कारखाने से गैस सप्लाई कम हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान इस सप्लाई में कितनी कमी होने की आशंका है; और

(घ) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) और (ख) बम्बई में, बर्मा शैल शोधनशाला से एल०पी०जी० (घरेलू गैस) की उपलब्धिता पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम होने की संभावना है। इस उपलब्धिता में कमी, वर्तमान वर्ष के दौरान अशोधित तेल और पैट्रोलियम उत्पादों के आयात के लिए दी गई सीमित विदेशी मुद्रा से शोधनशाला में अशोधित तेल के कम उत्पादन के कारण हुई है। मांग की तुलना में उपलब्धिता में कमी लगभग 2400 मीटरी टन प्रतिमास का अनुमान है।

इस कमी को पूरा करने के लिए एस०पी०सी० तथा भारतीय तेल निगम के बीच बम्बई शोधनशाला से माल सप्लाई करने के कार्य को कोयाली से सप्लाई करने तथा बर्मा शैल बम्बई के पास कुछ उपभोक्ताओं के खातों को एच०पी०सी० को देकर बाजारों के पुनः आवंटन द्वारा समायोजन की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था से प्रतिमास लगभग 1100 मीटरी टन तक की कमी को पूरा करने की संभावना है। शेष कमी, कमी वाले क्षेत्र में, मिट्टी के तेल के अधिक आबंटन से पूरा करने का प्रस्ताव है। तथापि उत्पाद और अशोधित तेल के आयात के पुनः समायोजन और हाल में अतिरिक्त विदेशी मुद्रा मिलने से अब सम्भवतः बम्बई शोधनशालाओं से एल०पी०जी०की उपलब्धिता बढ़ने से इस कमी को पूरा करने की संभावना है।

Fire in Samastipur fast Passenger Train near Rampur Dumra

3915. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Sukhdeo Prasad Verma :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Sealdah bound Samastipur fast passenger train caught fire between Ram ur Dumra and Hathidah stations on Eastern Railway on 12th November, 1974; and

(b) if so, the causes thereof and the number of persons killed or injured in this incident as also the estimated value of the property destroyed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes. The train was, however, bound for Samastipur.

(b) The report of the Additional Commissioner of Railway Safety, Eastern Circle Calcutta is awaited.

In this accident no one was killed. However 12 persons sustained injuries.

The cost of damage to railway property is estimated at approximately Rs. 1,00,000.

Import of Oil and its Prices

3916. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether during 1974-75, oil has been imported in the country during the period from 1st January, 1974 to 31st October, 1974; and

(b) if so, the per litre price of oil at which it was imported ?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum & Chemicals (Shri C. P. Majhi) : (a) Yes, Sir.

(b) Different types of crude oils are being imported from different sources at different prices/terms and it is therefore not possible to give per litre price.

Attack on Passengers of Bhojpur Shuttle on Kharota Station

3917. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the passengers travelling in the Barauni-Bhojpur shuttle train bound for Patna were attacked bv some persons on Kharota station near Patna on the 10th November, 1974 as a result of which many persons are reported to have been injured; and

(b) if so, who were the persons who had attacked the pessengers and the number of persons injured in the attack ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes, on Karauta Station and not on Kharota Station.

(b) The identity of the persons who had attacked the passengers has not been established so far. Nine persons were injured.

Trains cancelled during Bihar Bandh

3918. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the number of passenger and goods trains cancelled partially and totally, on all the Railways in Bihar in the wake of Bihar Bandh on the 4th November, 1974 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : 33 Passenger carrying trains were cancelled fully and 17 partially. No goods trains were cancelled on this account.

Proposal to abolish Summer Vacations and reduce their holidays in Supreme Court and High Courts

3919. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the **Minister of Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether there are summer vacations in various High Courts and Supreme Court;

(b) whether a number of other holidays in addition to summer vacations are observed by them;

(c) whether a large number of cases are pending in the said courts; and

(d) whether Government propose to abolish summer vacations and reduce the number of other holidays ?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri H. R. Gokhale) : (a) & (b) Since 1961, it has been left to each High Court to fix the periods of vacation in such a manner as to ensure that the number of working days does not fall below 210 days in a year. As regards the Supreme Court, the Supreme Court Rules, 1966 provide that the period of summer vacation shall not exceed ten weeks, it being left to the Chief Justice of India to fix the actual period.

(c) A statement is attached.

(d) No Sir.

Statement

Name of the Court	Pendency at the end of June, 1974
SUPEREME COURT	12,895
HIGH COURT	
1. Allahabad	93,276
2. Andhra Pradesh	22,332
3. Bombay	47,124
4. Calcutta	65,990
5. Delhi	20,554
6. Gauhati	4,907
7. Gujarat	12,860
8. Himachal Pradesh	2,195
9. Jammu & Kashmir	2,556
10. Karnataka	11,601
11. Kerala	31,660
12. Madhya Pradesh	31,569
13. Madras	35,828
14. Orissa	5,865
15. Patna	26,006
16. Punjab & Haryana	29,509
17. Rajasthan	16,142

Installation of a Petrol Pump in Averaj, East Champaran District

3920. **Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether a private person has been given the contract for selling diesel oil by the Indian Oil Corporation in Averaj, in East Champaran District of Bihar;

(b) whether the public there have made a demand for the sale of petrol also at that place and if so, the reasons for not installing petrol pump there;

(c) whether hundreds of buses, cars and jeeps pass through that place;

(d) whether the petrol pump is at a distance of 20 miles from there; and

(e) whether in such circumstances Government propose to instal a petrol pump there?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri C. P. Majhi) : (a) IOC has a retail outlet at Averaj for HSD which was commissioned under IOC's scheme for award of dealerships to unemployed graduates.

(b) to (d) The need for installing facilities for Motor Spirit at Averaj retail outlet was examined earlier and approved by IOC. However, because of the steep increase in the price of

Motor Spirit in November 1973, the estimated sales were likely to fall below the economic level. As such, it was not considered economical for the present to put up MS facilities there. Moreover only a small number of vehicles are located at Averaj and the tourist traffic in the area is also limited. IOC has a retail outlet at Motihari which is about 18 miles from Averaj.

(e) At present the proposal is not considered economically justified. However, the matter will be reviewed by the IOC when trade potential of the area justifies installation of facilities for Motor Spirit.

चितरंजन लोको मोटिव वर्क्स के सेवा से निकाले गए कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले

3921. श्री समर मुखर्जी : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स के कर्मचारियों के विरुद्ध जिनको कि मई, 1974 की रेल हड़ताल में भाग लेने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया था, कोई आपराधिक मामले लम्बित हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उनको किन कारणों से सेवा से निकाला गया था ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) वे हड़ताल संबंधी अपने गम्भीर कदाचरण के कारण नौकरी से निकाल दिये गये।

एक पत्रिका के प्रकाशन की मांग

3922. श्री समर मुखर्जी : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी काय** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 सितम्बर, 1973 को भारत निर्वाचन आयोग के कर्मचारी संघ द्वारा एक पत्रिका के प्रकाशन के बारे में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से की गयी मांग की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) सरोजनी महिषी) : (क) जी हां।

(ख) इस मामले पर निर्वाचन आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

लिबिया को कच्चे तेल के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा लिबिया का दौरा

3923. श्री वीरेन्द्र सिंह राव :
श्री मुख्तियार सिंह मालिक :
श्री आर० वी० स्वामीनाथन् :
डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आर्थिक प्रतिनिधि मण्डल ने अक्तूबर, 1974 में लिबिया का दौरा किया था ;

(ख) क्या इस प्रतिनिधि मण्डल ने वर्ष 1975 के दौरान भारत को कच्चे तेल के निर्यात के बारे में लिबिया सरकार से बातचीत की थी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी०पी० माझी) : (क) से (ग) भारत सरकार तथा लीबिया सरकार द्वारा सितम्बर 1973 में तेल क्षेत्र में सहयोग करने संबंधी संविदा के अनुसरण में; इस संविदा को कार्यान्वित करने तथा इन दो देशों के बीच तकनीकी सहयोग का विकास करने के बारे में तेल पर एक संयुक्त समिति की स्थापना की गई। इस समिति की प्रथम बैठक में, जो ट्रिपोली में 9 से 12 अक्तूबर 1974 को हुई थी, सिद्धांत रूप से यह तय किया गया था कि भारत वर्ष 1975 के अंतर्गत लीबिया से 2 मिलियन मीटरी टन कच्चा तेल खरीदेगा जिसकी शर्तों और आधार के बारे में बाद को बताया जाएगा। भारत इस कच्चे तेल के बदले उर्वरक देने की संभावनाओं की जांच करेगा।

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर्स लिमिटेड की ओर से सोडियम ट्रिपोली फौस्फैट के निर्माण का प्रस्ताव

3924. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर्स लिमिटेड बम्बई द्वारा सोडियम ट्रिपोली फौस्फेट तथा अन्य तत्संबंधी रसायनों के निर्माण हेतु हल्दिया में एक नये उपक्रम की स्थापना के बारे में पेश किए गए आवेदन पत्र पर निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इस बहु-राष्ट्रीय कम्पनी को और आगे अपना विस्तार करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जी हां। प्रत्येक के सामने उल्लिखित क्षमताओं के लिए निम्नलिखित मदों के निर्माण के लिए हल्दिया (पश्चिमी बंगाल) में एक नया उपक्रम स्थापित करने के लिए मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर्ज को 6 मार्च, 1974 को एक आशय पत्र दिया गया था:—

सोडियन ट्रिपोली फास्फेट	30,000 मीटरी टन/प्रतिवर्ष
सलफुरिक एसिड	54,000 मीटरी टन/प्रतिवर्ष
फास्फोरिक एसिड	19,500 मीटरी टन/प्रतिवर्ष (एस०टी०पी०पी० के निर्माण के केप्टिव प्रयोग के लिये)

आशय पत्र में निम्नलिखित शर्तें लगाई गई हैं :—

(1) विदेशी शेयरधारियों को उस सीमा तक जिस से प्रत्येक 6 शेयरों को एक नये शेयर के अनुपात से प्रस्तावित बोनस शेयर जारी करने के पश्चात सल्फ्युरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड तथा औद्योगिक फास्फेटस (एस० टी० पी० पी०) के निर्माण के लिये केवल इस परियोजना को कार्यान्वित किए जाने के दौरान अनावासी शेयरधारी के शेयर 85 प्रतिशत के मौजूदा आंकड़ों से अधिक से अधिक 70 प्रतिशत तक बट जायेंगे, निकालने के लिए कम्पनी भारतीय जनता को नये शेयर जारी करे।

(2) कम्पनी इस प्रस्ताव के संबंध में आवेदन—पत्र में व्यक्त किये गये चरणबद्ध कार्यक्रम का पालन करेगी अर्थात् उत्पादन शुरू होने के प्रथम वर्ष में 18,000 मीटरी टन का उत्पादन, दूसरे वर्ष में 27,000 मीटरी टन का उत्पादन तथा तीसरे वर्ष में 30,000 मीटरी टन का उत्पादन करेगी।

(3) परियोजना के लिये पूंजीगत सामग्री का आयात करने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी।

(4) परियोजना पश्चिमी बंगाल के मिदनापुर जिले के हल्दिया नामक स्थान पर स्थापित की जायेगी।

(5) प्रस्तावित परियोजना के लिये कम्पनी प्रौद्योगिकी तथा जानकारी भारतीय साधनों से प्राप्त करेगी और इस प्रायोजना के लिए भारतीय पार्टियों से प्रस्ताव मंगवाते हुए विज्ञापन जारी करेगी और इन पर तथा इन से संबंधित शर्तों पर विचार करेगी।

(6) कम्पनी विदेशी स्रोतों से प्रौद्योगिकी तथा जानकारी का आयात तभी करेगी यदि उसे प्रौद्योगिकी तथा जानकारी भारत में उपलब्ध न हो अथवा उद्यतम और संतोषजनक न हो अथवा उपयुक्त शर्तों पर उपलब्ध न हो और आयात के लिये सरकार की पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी।

(7) कम्पनी एस० टी० पी० पी० के अपने उत्पादन की कुछ प्रतिशतता बाहरी पार्टियों को बिक्री किये जाने के लिए नियत करेगी और सरकार की पूर्व अनुमति के लिए इस प्रयोजना के लिए एक योजना प्रस्तुत करेंगी।

(8) कम्पनी एस० टी० पी० पी० का अपना उत्पादन सिन्थेटिक डेटरजेन्ट के अन्य निर्माताओं को उसी दर पर सप्लाई करेगी जिस पर कम्पनी अपनी केपटिव खपत के लिए एस० टी० पी० पी० की सप्लाई करेगी : इस प्रयोजन के लिए अलग लागत के लेखे रखेगी ताकि एस० टी० पी० पी० के उत्पादन की लागत का अलग से निधारण किया जा सके और यदि आवश्यक समझा जाए तो सरकार समवाय

अधिनियम, 1956 के खण्ड 209(1)(घ) और/अथवा खण्ड 233 ख के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने के प्रश्न पर विचार कर सके।

(9) कम्पनी एस० टी० पी० पी० के अपने वार्षिक उत्पादन के कम से कम 20 प्रतिशत के स्तर तक का निर्यात दायित्व निभायेगी। तथापि, कम्पनी इस मूल कच्चे माल की मांग तथा सप्लाई के बारे में देश में उस समय के हालात के प्रकाश में कुछ अवधि के लिए इस निर्यात दायित्व से छूट दिये जाने के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार से अनुरोध कर सकेगी।

(10) वित्तीय संस्थानों से ऋण सरकार की नीति के अनुसार परिवर्तनीयता धारा के सन्निवेश के अधिकार की शर्तों पर होगी।

(11) कम्पनी इस बात को सुनिश्चित करेगी कि ऋण साम्य शेयर का अनुपात 2 : 1 से न बढ़े तथा शुद्ध खण्ड ऋण का अनुपात 1 : 0.5 से न बढ़े।

(12) आशय पत्र की वैधता एक वर्ष की अवधि के लिए होगी।

आशय पत्र देने के कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) प्रस्ताव एकाधिकार एवं निर्बन्धनात्मक व्यापार पद्धति अधिनियम में निर्धारित अनुमति की कसौटी के अनुरूप है अर्थात् वर्तमान एकाधिकार के मुकाबले में प्रत्युपयोग के रूप में किसी नये उद्यम को अस्तित्व में लाना, प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देना, पिछले इलाकों का विकास करने से 'क्षेत्रीय असमानता में कमी करना, रोजगार के अवसर बनाना आदि।

(2) संयंत्र पूंजी प्रधान है जिस में जटिल प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है और इसे किसी पिछड़े क्षेत्र में स्थापित किया जाना है। इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा आयात प्रतिस्थापन के लाभ प्राप्त होंगे। सरकार की वर्तमान औद्योगिक लाइसेंस नीति के अनुसार हिन्दुस्तान लीवर लि० जो अधिकांशतः विदेशी पूंजी वाली कम्पनी है द्वारा इस प्रकार की परियोजना में निवेश लगाये जाने की नीति है।

(3) हल्दिया के प्रस्तावित संयंत्र में प्रतिवर्ष 30,000 मीटरी टन एस०टी०पी०पी० उत्पादित होगा और इस से शुद्ध विदेशी मुद्रा में लगभग 5 करोड़ रुपये की बचत होगी। इस के अतिरिक्त, 30,000 मीटरी टन एस०टी०पी०पी० से लगभग 1,00,000 मीटरी टन सिन्थैटिक का उत्पादन होगा जिस से साबुन बनाने के लिए लगभग 10,000 मीटरी टन चर्बी के आयात से बचा जा सकेगा। बाहर भेजी जाने वाली विदेशी मुद्रा में प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपये की बचत होगी।

(4) समस्त स्थिति का पुनरीक्षण करने पर एस०आर०टी०पी० ने महसूस किया कि हिन्दुस्तान लीवर द्वारा प्रस्तावित संयंत्र के अतिशीघ्र कार्यान्वित किए जाने वाले संयंत्रों में से एक होने की आशा है क्योंकि कम्पनी के व्यवसायिक प्रबन्ध है और इसका एक मजबूत आर० एण्ड डी० आधार के साथ क्षमता के शीघ्र उपभोग करने तथा अनुसंधान-उन्मुख दृष्टिकोण का सिद्ध रिकार्ड है।

(5) यह अनुमान है कि परियोजना प्रत्यक्ष रूप से 300 व्यक्तियों के लिए और अप्रत्यक्ष रूप से इस से कई गुणा व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी।

(6) राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों को विभिन्न शीर्षकों के अन्तर्गत लगभग 14 करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।

(7) पांचवीं योजना अवधि के अन्त तक एस०टी०पी०पी० के लिए अखिल भारतीय मांग के 1,33,000 मीटरी टन होने का अनुमान है। उस मांग के 34 प्रतिशत के पूर्वी क्षेत्र में होने की आशा है, अर्थात् 45,000 मीटरी टन। हिन्दुस्तान लीवर ही केवल एक आवेदक है जो पूर्वी क्षेत्र में और वह भी पिछड़े क्षेत्र में संयंत्र स्थापित करने के लिए तैयार है।

(8) इस समय एस० टी० पी० पी० के उत्पादन में लगभग 100 प्रतिशत एकाधिकार स्थिति मैसर्स एलब्राइट मोरारजी एवं प्र० प्राइवेट लिमिटेड, जिन के पास 40 प्रतिशत अनावासी शेयर हैं तथा धमेसी मोरारजी

ग्रुप की एक कम्पनी है, के पास है । हिन्दुस्तान लीवर की परियोजना एक ऐसी होगी जिस के वह एकाधिकार शीघ्र टूट जाएगा ।

(9) यह परियोजना एक पिछड़े जिले में स्थापित की जायेगी और इस से इलाके में कई सहायक तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा ।

(10) प्रस्ताव से आवेदक कम्पनी की विदेशी पूंजी में 15 प्रतिशत तक की एक बहुत महत्वपूर्ण कमी हो जायेगी । कम्पनी विदेशी पूंजी से 85 प्रतिशत के वर्तमान स्तर को 70 प्रतिशत तक घटाने के लिए सहमत हो गई है ।

(11) परियोजना की अब तक अनुमोदित तथा विचाराधीन अखिल भारतीय क्षमता के 20 प्रतिशत से कम की क्षमता होगी और ऐसी कोई संभावना नहीं है कि आवेदक कम्पनी एस० टी० पी० पी० के क्षेत्र में प्रभावशाली हैसियत धारण कर लेगी ।

अखिल भारतीय रेल कर्मचारी महासंघ (फेडरेशन) के महासचिव का अभ्यावेदन

3925. श्री समर गुह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रेल कर्मचारी महासंघ के महासचिव ने हाल में प्रधान मंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री तथा रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री से भेंट की थी और उन स्थायी तथा नैमित्तिक रेल कर्मचारियों के बारे में अभ्यावेदन दिया था जिनको अभी तक नौकरी पर वापिस नहीं लिया गया है और जिनके विरुद्ध न्यायालय में मामले अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके द्वारा दिये गए अभ्यावेदन संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उन रेल कर्मचारियों के मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है जिनके मामलों के बारे में, सामान्य रूप से, अखिल भारतीय रेल कर्मचारी महासंघ के महासचिव ने प्रतिनिधित्व किया है

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) यद्यपि अभ्यावेदन उन कर्मचारियों को वापस लिए जाने के संबंध में है जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया है, सेवा से हटा दिया गया है, सेवामुक्त कर दिया गया है, या जिनकी सेवायें समाप्त कर दी गई हैं, फिर भी माफी दिये जाने का संकेत निहित है ।

सरकार की नीति यह है कि यद्यपि राष्ट्र की जीवन रेखा को बनाये रखने जैसे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध रेल कर्मचारियों की कार्रवाईयों की गम्भीरता का लिहाज किये बिना उन्हें आम माफी नहीं दी जा सकती, फिर भी, रेल प्रशासन सभी अपीलों और अभ्यावेदनों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं, और यथा संभव कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस ले रहे हैं और जहां अपील में उल्लिखित परिस्थितियां स्वीकार योग्य हैं और जिन्हें नजर अन्दाज किया जा सकता है, सेवा भंग माफ किया जा रहा है । साथ ही जहां गम्भीर आरोप नहीं हैं मामले छोड़ दिये जा रहे हैं ।

स्थायी वार्ता तंत्र तथा सयुंक्त परामर्श तंत्र के अधीन आल इण्डिया रेलवेमेन फैडरेशन को बातचीत की सुविधाएं उपलब्ध हैं ।

संसदीय निर्वाचनक्षेत्रों का परिसीमन तथा मतदाता-सूची का पुनरीक्षण

3927. श्री समर गुह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1975 तक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन कार्य को पूरा किए जाने के बाद इस संबंध में आपत्तियां किए जाने के अवसर दिये जाएंगे ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या उन क्षेत्रों की मतदाता सूचियां भी उस उमय तक पूरी हो जायेंगी ;

(घ) निर्वाचनक्षेत्रों के परिसीमन और मतदाता सूचियों के पूरा हो जाने के पश्चात् लोक सभा अथवा विधान सभा के लिए निर्वाचनों को कराने में कितना समय लगेगा ;

(ङ) लोक सभा तथा विधान सभाओं के लिये निर्वाचन कराने के लिए किन-किन शर्तों को पूरा करना होगा ;

(च) क्या इन अपेक्षाओं से बचने के लिए भी कोई उपबन्ध है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) जी नहीं। परिसीमन अधिनियम, 1972 की धारा 10 की उपधारा (2) में यह उपबन्ध है कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने पर, अधिनियम की धारा 8 या धारा 9 के अधीन परिसीमन आयोग द्वारा किए गए हर आदेश को विधि का बल होगा और वह किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(ग) जी हां। नए परिसीमित निर्वाचन क्षेत्रों की बाबत सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण, सिवाय उन क्षेत्रों में समाविष्ट कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में, जो 1975 के पूर्वार्द्ध में बर्फ से ढके हुए होंगे, जुलाई, 1975 तक समाप्त हो जाने की आशा है।

(घ) निर्वाचनक्षेत्रों के परिसीमन के या मतदाताओं की सूचियों के पुनरीक्षण के समाप्त हो जाने के पश्चात निर्वाचन कराए जाने के लिए कोई विनिर्दिष्ट अवधि विहित नहीं की गई है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 14 में, जो लोक सभा के साधारण निर्वाचन के लिए अधिसूचना से संबंधित है, इस आशय का एक उपबंध अन्तर्विष्ट है कि जहां वर्तमान लोक सभा के विघटन पर होने से अन्यथा साधारण निर्वाचन होता है वहां संसदीय निर्वाचनक्षेत्रों से सदस्यों का निर्वाचन करने के लिए अपेक्षा करने वाली ऐसी कोई अधिसूचना, उस तारीख से, जिसको सदन की अस्तित्वावधि का अवसान अनुच्छेद 83 के खंड (2) के उपबन्धों के अधीन होता, पूर्व के छह मास के पहले न निकाली जाएगी। राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन के मामले में वैसी ही अपेक्षा, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (2) के परन्तुक में की गई है, जो सुसंगत उपबंध है, और जो राज्य विधान सभा के साधारण निर्वाचन के लिए अधिसूचना से संबंधित है। यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त अधिनियम की धारा 30 के उपबन्धों के आधार पर, लोक सभा या राज्य की विधान सभा का निर्वाचन कराए जाने के पूर्व अपेक्षित समय-अन्तराल की न्यूनतम कानूनी अवधि, निर्वाचन कराए जाने के लिए अधिसूचना निकाली जाने के पश्चात् तीस दिन होगी।

(ङ) लोक सभा और राज्य की विधान सभा के साधारण निर्वाचन कराए जाने के लिए पुरोभाव्य शर्तें, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 में और सुसंगत परिसीमन अधिनियम के उपबन्धों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 82 और 170 में अधिकथित की गई हैं। वे निम्नानुसार है :-

(1) **निर्वाचक नामावलि का विहित रीति में पुनरीक्षण** तब के सिवाय जब कि उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जायेंगे, निर्वाचन आयोग अन्यथा निदेश दे, लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा के हर एक साधारण निर्वाचन से पहले तथा निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित स्थान में आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए हर एक उप निर्वाचन से पहले अर्हता की तारीख के प्रति निर्देश से किया जाना।

(2) संविधान के सुसंगत उपबंधों (अर्थात्, अनुच्छेद 82 और 170) द्वारा यथाअपेक्षित विधि (अर्थात् सुसंगत परिसीमन अधिनियम) द्वारा गठित प्राधिकरण (अर्थात् परिसीमन आयोग) द्वारा **अंतिम आदेशों का प्रकाशन,** जिनके द्वारा सुसंगत अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में जनसंख्या के सुसंगत आंकड़ों के आधार पर, जो सुनिश्चित और प्रकाशित हो चुके हैं, लोक सभा में स्थानों की संख्या और प्रत्येक राज्य की विधान सभा को दिए जाने वाले स्थानों को संख्या का (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के अधीन रहते हुए) **पुनर्समायोजन** किया गया हो और सुसंगत परिसीमन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार **निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन** किया गया हो।

(च) और (छ) ऊपर बताई गई अपेक्षायें, सांविधानिक उपबन्धों और साथ ही सुसंगत विधियों, अर्थात् लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 और परिसीमन अधिनियम, 1972 के उपबन्धों के आधार पर

है। इन अपेक्षाओं को दूर किए जाने के संबंध में कोई उपबन्ध नहीं है। तथापि, जैसा कि प्रश्न के भाग (ङ) के उत्तर में बताया जा चुका है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 निर्वाचन आयोग को उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जायेंगे यह निदेश देने की शक्ति प्रदान करता है कि निर्वाचक-नामावलियों का पुनरीक्षण जो उक्त धारा के उपबन्धों के अधीन अन्यथा अपेक्षित होगा, किया जाना आवश्यक नहीं है।

तालचेर में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र

3928. श्री राजदेव सिंह : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व का सबसे बड़ा कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र उड़ीसा में तालचेर में तेजी से बन रहा है जिसकी लागत लगभग 140 करोड़ रुपये है और जिसमें से एक-तिहाई लागत विदेशी-मुद्रा में होगी; और

(ख) क्या प्रति पांच लाख टन यूरिया खाद बनाने के लिए इस संयंत्र में ईंधन के रूप में दस लाख टन कोयले की खपत होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) इस प्रायोजना, जिस पर इस समय लगभग 140 करोड़ रुपये (40 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा अंश सहित) की लागत आने का अनुमान है, के निर्माण कार्य में काफी प्रगति हो गई है।

(ख) जी नहीं।

एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग के प्रतिवेदनों का मुद्रण

3929. श्री मधु दण्डवते : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से इस आशय का अनुरोध किया गया है कि एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग की प्रशासनिक प्रतिवेदनों सहित सभी प्रतिवेदन मुद्रित किये जायें ताकि वे संसद सदस्यों को उपलब्ध हो सकें ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) आयोग ने अपनी 31 दिसम्बर, 1973 के कलेंडर वर्ष समाप्ति की अपने कार्य-कलापों से सम्बन्धित वार्षिक रिपोर्ट, जो शीघ्र ही सदन के पटल पर प्रस्तुत की जाएगी, के अध्याय 5 में अपना सुझाव फिर से दुहराया है कि एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अध्याय तीन के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई इसकी रिपोर्टों का मुद्रण किया जाये। सरकार सिद्धान्त रूप से आयोग से सहमत है कि आयोग की रिपोर्टों को मुद्रित करना एवं इसे बिक्री योग्य प्रकाशन बनाना वांछनीय है। तथापि, इन रिपोर्टों की संभाव्य मांग निर्धारित करना, यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक होगा कि रिपोर्टों का मुद्रण सब मिलाकर आर्थिक रूप से हानिकर न हो। रिपोर्टों के सम्पूर्ण समूहों के मुद्रण के लिये व्यय करना, सभी परिहार्य व्यय निरसन के द्वारा उग्र मितव्ययता को प्रभावी बनाने की आवश्यकता तथा आभासी कागज अकाल को दृष्टि से लेखन तथा मुद्रण के कागज के प्रयोग के लिए कठोर परिस्थितियों को विहित करते हुए, वर्तमान प्रसंग में, न्यायसंगत नहीं होगा।

तेल छिद्रक जहाज 'सागर सम्राट' को उपयोग में लाया जाना

3930. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री तेल छिद्रक जहाज 'सागर सम्राट' को उपयोग में लाये जाने के बारे में 6 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1635 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) सागर सम्राट को पूरे वर्ष तथा सभी प्रकार के मौसमों में उपयोग में लाये जाने योग्य बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) दिनांक 6 अगस्त, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1635 के आश्वासन को पूरा करने के लिये, उत्तर विवरण पत्र 11 के मद संख्या 69 द्वारा 20 नवम्बर, 1974 को सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) सागर सम्राट निर्धारित पानी की गहराई और साफ मौसम में सारे वर्ष के प्रयोग के लिये उपयुक्त है।

टिकटों की बिक्री तथा भाड़े के माध्यम से एकत्र की गई राशि

3931. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार टिकटों की बिक्री के माध्यम से क्षेत्रवार कुल कितनी राशि एकत्र की गई; और

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार भाड़े के माध्यम से क्षेत्रवार कुल कितनी राशि एकत्र की गई ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एक विवरण जिसमें पिछले तीन वर्षों में टिकट की बिक्री से हुई क्षेत्रवार आमदनी की कुल रकम दिखाई गई है, अनुबन्ध 'क' के रूप में संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8720/74]**

(ख) एक विवरण जिसमें पिछले तीन वर्षों में भाड़ा प्रभार से हुई क्षेत्रवार आमदनी की कुल रकम दिखाई गई है अनुबन्ध 'ख' के रूप में संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8720/74]**

रेलवे अधिकारी संगठन द्वारा दिया गया हड़ताल का नोटिस

3932. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1974 में हुई रेल हड़ताल में भाग लेने के लिये किसी रेल के अधिकारी संगठन ने हड़ताल का नोटिस दिया था;

(ख) क्या हड़ताल के सम्बन्ध में उनको कोई लाभ दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो किस आधार पर रेलवे अधिकारियों को ऐसा लाभ दिया गया था ?

रेल मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सरकार की नीति यह रही है कि हड़ताल की अवधि में जो रेल कर्मजारी अपने काम पर डटे रहे थे उनकी सेवाओं को उपयुक्त मान्यता दी जाये और इस मामले में अधिकारियों को लाभ दिये जाने के मानदण्ड भी वही थे जो दूसरे कर्मचारियों के लिये थे।

पूर्वी क्षेत्र में ढलाई-कारखानों (फाउंड्री) को स्लीपरों के लिए आर्डर न देने के कारण पश्चिम बंगाल तथा बिहार में बेरोजगारी

3933. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड ने पूर्वीक्षेत्र के विशेषकर पश्चिम बंगाल तथा बिहार के ढलाई-कारखानों को स्लीपरों के बारे में क्या कोई आर्डर न देने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप 50,000 से भी अधिक श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

कतिपय औषधियों के निर्माण के लिए ग्लैक्सो लैबोरेटीज द्वारा प्रस्ताव

3934. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्लैक्सो लैबोरेटरीज तीन अन्य औषधियों के निर्माण के लिये प्रस्ताव कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो बनाये जाने वाली औषधियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस कम्पनी ने इन औषधियों के निर्माण हेतु ऋण मंजूर करने के लिये सरकार से अनुरोध किया है; और

(घ) औषधियों का अनुमानतः वार्षिक उत्पादन कितना होगा और इनसे देश की मांग किस हद तक पूरी होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क), (ख) और (घ) उनके वर्तमान स्तरों सहित अन्य औषधों के निर्माण के लिये ग्लैक्सो लैबोरेटरीज के प्रस्तावों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :-

क्रम सं०	उत्पाद का नाम	क्षमता, जिसके लिये आवेदन दिया गया है	देश की अनुमानित आवश्यकताएं (1978-79)	वर्तमान स्तर
1.	सोलबुटामोल	100 कि० ग्राम	निर्धारित नहीं किया गया है	आशय पत्र जारी किया गया है ।
2.	मैप्लाजाइन हाईड्रोक्लोराइड	500 कि० ग्राम	—वही—	विचाराधीन

(ग) जी, नहीं ।

राजस्थान में उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

3935. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, क्या राजस्थान में कोई नये उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के बारे में एक प्रस्ताव है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैसर्ज दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स कं० लि० को राजस्थान में कोटा नामक स्थान पर उनके उर्वरक संयंत्र का और विस्तार करने के लिये एक आशय पत्र दिया गया है जिसमें यूरिया तथा अन्य उत्पादों के रूप में 3.45 लाख मीटरी टन नाइट्रोजन की अतिरिक्त उत्पादन करने की परिकल्पना की गई है । इसके अतिरिक्त स्थानीय उपलब्ध पाइराइट्स एवं रोक फास्फेट के आधार पर राजस्थान में एक उर्वरक उद्योग समूह की स्थापना की संभाव्यता के बारे में भी अध्ययन किये जा रहे हैं ।

कतिपय गैर-सरकारी कम्पनियों के कदाचारों के बारे में एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा जांच

3936. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने देश में कुछ गैर-सरकारी कम्पनियों के कथित कदाचारों के बारे में जांच करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों सम्बन्धी ब्यौरा क्या है जिनके विरुद्ध जांच की जानी है तथा इसके क्या कारण है; और

(ग) उक्त जांच प्रतिवेदन के सरकार को कब तक पेश हो जाने की आशा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा आरोपित कदाचारों में लिप्त रहने के विरुद्ध, समय समय पर एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग द्वारा की गई जांचों से सम्बन्धित सूचना, सदन के पटल पर पहले ही प्रस्तुत, एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के कार्य-कलापों एवं प्रशासन पर प्रथम एवं द्वितीय वार्षिक रिपोर्टों तथा 1-1-1973 से 31-12-1973 तक की अवधि की तृतीय वार्षिक रिपोर्ट, जो शीघ्र ही सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी, में दी गई है ।

(ग) एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आयोग के लिये, इस अधिनियम की धारा 10 (क) (1), (2), (3) तथा (4) के अन्तर्गत की गई जांच के मामलों की कोई जांच-रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है । धारा 31 व 37(4) की बाबत, सरकार को आयोग की रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के लिये कोई समय सीमा विहित नहीं की गई है । तथापि, अधिनियम की धारा 31 व 37 (4) के अन्तर्गत सभी मामलों को आयोग के समक्ष कार्यवाहियां, कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत की गई लिखित याचिकाओं पर उच्च-न्यायालयों द्वारा रोक दी गई है ।

डीजल के वितरण के बारे में राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक

3937. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की थी ;

(ख) यदि हां, तो राज्यों में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों को 'हाई स्पीड' तथा 'लाइट' डीजल तेल की सप्लाई करने के बारे में उनके साथ हुई बातचीत की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या उन ट्रकों की आवश्यकताओं को जो कि इस समय नहीं चलाये जा रहे हैं, पूरा करने के लिये राज्यों की डीजल की सप्लाई करने के बारे में भी कोई बातचीत हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो उत्पादन तथा ट्रकों में उपयोग के लिये पृथक पृथक हाई स्पीड तथा लाइट डीजल तेल की सप्लाई संबंधी मोटी बातें क्या हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) पैट्रोलियम और रसायन मन्त्री से हाल ही में कुछ राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी डीजल तेल की आवश्यकताओं, विशेष रूप से आने वाली रबी की फसल के लिये कृषि संबंधी कार्य-क्रम के बारे में एक बैठक में विचार-विमर्श किया था।

(ख) राज्य सरकारों से अपनी डीजल तेल की आवश्यकताओं को वास्तविक आधार पर पुर्नअनुमानित करने तथा सिंचाई पम्पों और कृषि मशीनरी के उपभोग के लिये उचित मानक निर्धारित करने को कहा गया था। राज्य सरकारों से यह भी प्रार्थना की गई थी कि कृषकों के लिये डीजल तेल की सप्लाई यदि आवश्यक हो तो प्राथमिकता के आधार पर कोटा कार्डों द्वारा सुनिश्चित की जाये और जमाखोरी तथा काले बाजारी जैसे अनाचारों को प्रभावकारी रूप से रोका जाये। उनको यह भी आश्वासन दिया गया कि केन्द्रीय सरकार डीजल तेल की आवश्यकताओं, विशेष रूप से कृषि विकास के लिये, को पूर्ण रूप से पूरा करने की कोशिश कर रही है।

(ग) और (घ) जहां तक परिवहन क्षेत्र के लिए हाई स्पीड डीजल तेल की आवश्यकता का प्रश्न है, राज्य सरकारों से विभिन्न उपायों द्वारा हाई स्पीड डीजल की खपत में अधिकतम बचत करने के लिये कहा गया है। तथापि राज्य सरकारों को दिये गए कुछ सुझावों का केन्द्रीय सरकार द्वारा पुनरीक्षण किया गया है तथा संशोधित अनुदेश जारी किये जा रहे हैं।

वर्तमान में एच० एस० डी० और एल० डी० ओ० के कोटे का राज्यवार या कृषि और परिवहन क्षेत्र के लिये अलग से आवंटन नहीं किया जाता।

वर्ष 1972, 1973 तथा सितम्बर, 1974 में दिल्ली के न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामले

3938. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972, 1973 और सितम्बर, 1974 के अन्त में दिल्ली के न्यायालयों में (उच्च न्यायालय को छोड़कर) किराया नियंत्रण के मुकदमों सहित कितने सिविल तथा दाण्डिक मुकदमे अनिर्णीत थे ;

(ख) इन अवधियों में दिल्ली में उप-न्यायाधीशों, किराया नियंत्रकों तथा न्यायिक मजिस्ट्रेटों की केडरवार कुल संख्या कितनी रहीं ;

(ग) क्या अनिर्णीत मामलों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) (*i*) दिल्ली उच्च न्यायालय ने **नौ** विशेष महानगर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की है तथा विशेष और स्थानीय अधिनियमों के अधीन, विभिन्न प्रकार के मुकदमे उन्हें निपटाने के लिए सौंप दिये गये हैं।

(*ii*) उच्च न्यायालय ने उसके द्वारा 1973 में आयोजित की गई प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, दिल्ली न्यायिक सेवा में बीस अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की है, जिनमें से नौ अधिकारियों ने अब तक पद

ग्रहण कर लिए हैं और शेष की निकट भविष्य में पद ग्रहण करने की संभावना है। इन अधिकारियों में से कुछ अधीनस्थ न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किये जाएंगे और कुछ मजिस्ट्रेटों के रूप में।

(*iii*) दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपर किराया नियंत्रकों और अपर जिला और सेशन न्यायाधीशों के कुछ और पदों के सृजन का प्रस्तावों रखा है। इन प्रस्तवों पर विचार किया जा रहा है।

विवरण-I

		1972 के अन्त में	1973 के अन्त में	सितम्बर, 1974 के अन्त में
1.	सिविल मुकदमे जिनके अन्तर्गत किराया नियंत्रण से संबंधित मुकदमे भी हैं।	46830	47372	47304
2.	दाण्डिक मुकदमें	798	1094	2291
3.	महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में अन्य मुकदमें।	224170	226775	236258

विवरण-II

क्रम सं०	काडर संख्या	1972 के अन्त में	1973 के अन्त में	सितम्बर, 1974 के अन्त में
1.	उप-न्यायाधीश	19	24	27
2.	अवैतनिक उप-न्यायाधीश (मुस्लिम विधियों के अधीन मुकदमे निपटाते हैं)	1	1	1
3.	किराया नियंत्रक	4	5	5
4.	न्यायिक मजिस्ट्रेट/महानगर मजिस्ट्रेट	30	46	41 (और 9 विशेष महानगर मजिस्ट्रेट)

हड़ताल में भाग लेने पर दण्डित किए गए कर्मचारियों का डिवीजन-वार (पूर्वोत्तर रेलवे) ब्यौरा

3939. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या रेल मन्त्री मई, 1974 की हड़ताल से पूर्व विद्यमान यथास्थिति कायम करने के बारे में 12 नवम्बर, 1974 के अतारांकित प्रश्न संख्या 338 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर रेलवे में डिवीजन-वार तथा पूरे देश में जोन-वार ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है जिन्हें सेवा में व्यवधान, निलम्बन, सेवा से निकालने की सजा दी जा रही है, अथवा जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा है;

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न डिवीजनों में ऐसे कर्मचारियों का यूनियनवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के अन्तर्गत बारामी-गराघरा क्षेत्र में 33 दिवसीय हड़ताल के सम्बन्ध में अब भी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया जा रहा है और समस्तीपुर डिवीजन की ए० आई० टी० यू० सी० से सम्बद्ध यूनियन की शाखा का प्रेसीडेंट को लिखित समझौते का उल्लंघन करते हुए जिस पर तत्कालीन श्रम मन्त्री ने हस्ताक्षर किये थे, सेवा से निकाला हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो क्या समझौते को पूर्ण रूप से लागू किया जाना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह): (क) एक विवरण संलग्न है। पूर्वोत्तर रेलवे पर जितने कर्मचारी सेवाभंग और निलम्बन की सजा भुगत रहे हैं और जितने कर्मचारियों के खिलाफ अदालतों में अदालती/पुलिस के मुकदमें चल रहे हैं, उनकी अलग अलग मण्डलवार संख्या के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) रेल प्रशासन द्वारा यह सूचना नहीं रखी जाती।

(ग) और (घ) मार्च-अप्रैल, 1971 में पूर्वोत्तर रेलवे के बरौनी-गढ़हरा क्षेत्र में अवैध हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कारवाई करने के सम्बन्ध में तत्कालीन श्रम मन्त्री के हस्ताक्षरयुक्त कोई लिखित करार उपलब्ध नहीं है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांफ्रेंस से सम्बद्ध यूनियन के पदाधिकारियों के बारे में भी रेल प्रशासन को कोई सूचना नहीं है क्योंकि यह मान्यता प्राप्त यूनियन नहीं है।

विवरण

रेलवे	उन कर्मचारियों की संख्या जो अभी भी सेवा भंग भुगत रहे हैं	उन कर्मचारियों की संख्या जो अभी भी निलम्बित हैं	उन स्थायी और अस्थायी कर्मचारियों की संख्या जो बर्खास्त किये गये/नौकरी से निकाल दिये गये थे लेकिन जिन्हें अभी तक नौकरी पर वापस नहीं लिया गया	उन कर्मचवारियों की संख्या जिन के खिलाफ अदालती पुलिस के मुकदमे चल रहे हैं।
मध्य	20,552	113	224	1,349
पूर्व	15,611	147	847	337
उत्तर	16,947	33	217	577
पूर्वोत्तर	7,100	179	216	412
पूर्वोत्तर सीमा	50,944	9	1,195	15
दक्षिण	15,665	60	283	108
दक्षिण-मध्य	7,043	—	140	65
दक्षिण-पूर्व	38,900	198	838	408
पश्चिम	17,381	33	762	1,937
चित्तरंजन रे०इं० कारखाना	8,414	12	1	43
डीजल रे०इं० कारखाना	792	—	11	36
सवारी डिब्बा कारखाना	2,296	20	4	20
		अलग-अलग मण्डलवार संख्या/पूर्वोत्तर रेलवे		
इज्जतनगर	*	*	37	*
लखनऊ	*	*	37	*
वाराणसी	*	*	45	*
समस्तीपुर	*	*	51	*

*सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

धनबाद रेल प्राधिकारियों द्वारा रेलवे के धन का अपव्यय

3941. **श्री चन्द्रशेखर सिंह :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मन्त्री का ध्यान 31 मार्च, 1974 के कोयला क्षेत्र राजपत्र (गजट) में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि धनबाद रेल प्राधिकारी रेलवे के धन का अपव्यय कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे के धन के अपव्यय सम्बन्धी इन विशिष्ट आरोपों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे कर्मचारियों को उनकी सेवा में व्यवधान के लिये जारी किये गये नोटिसों का प्रभाव

3942. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेलवे कर्मचारियों को रेलवेवार तथा रेलवे डिवीजन-वार संख्या कितनी है जिन्हें रेलवे की अखिल भारतीय हड़ताल में भाग लेने के कारण "सेवा में व्यवधान" के नोटिस जारी किये गए हैं ;

(ख) रेलवे-वार तथा डिवीजन-वार ऐसे कितने मामले हैं जिनमें सेवा में व्यवधान के नोटिस आज तक प्रभावी बने हुए हैं;

(ग) सेवा में व व्यवधान के क्या प्रभाव होते हैं; और

(घ) इन नोटिसों को वापस लेने संबंधी शर्तें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

माल डिब्बों, यात्री डिब्बों तथा लोकोमोटिव के उपयोगीकरण की कुशलता में गिरावट

3943. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल-जुलाई, 1974 की अवधि में 1973 की इसी अवधि की तुलना में, एक स्वतंत्र जांच के अनुसार, भारतीय रेलवे में माल डिब्बों, यात्री डिब्बों तथा लोकोमोटिव के उपयोगीकरण की कुशलता में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) अप्रैल से जुलाई, 1974 तक की अवधि तथा गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान मालडिब्बों, रेल इंजनों और कोचिंग स्टाक के उपयोग का कोई तुलनात्मक विशिष्ट अध्यन नहीं किया गया है।

किन्तु चल स्टाक के उपयोग की सूचियों से अप्रैल से जुलाई, 1974 के दौरान इस में सामान्यतः गिरावट दिखायी देती है जिसके मुख्य कारण हैं 'धीरे काम करो', नियमानुसार काम करो और कर्मचारियों द्वारा अप्रैल 1974 में अन्य आन्दोलन जिसकी पराकाष्ठा थी मई, 1974 की आल इण्डिया रेलवे मेन्स की हड़ताल। जिन कुछ अन्य बातों का इनके उपभोग पर बुरा प्रभाव पड़ा है वे हैं नागरिक उपद्रव, बिजली की कटौती के कारण उद्योग धन्धों का ठप होना, बाढ़ें और लाइनों की टूट-फूट आदि।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के बारे में मालवीय समिति की सिफारिशें

3944. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के बारे में मालवीय समिति की मुख्य सिफारिशें क्या थीं;

(ख) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है; और

(ग) उक्त समिति के प्रतिवेदन को संसद के सामने पेश न करने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी०पी० माझी): (क) से (ग) श्री केशवदेव मालवीय की अध्यक्षता में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का पुनरीक्षण करने वाली समिति की रिपोर्ट दिनांक 12 दितम्बर, 1972 को सभा पटल पर प्रस्तुत की गई थी। जिस रिपोर्ट में मालवीय समिति की विभिन्न सिफारिशें विस्तृत रूप से दी गई हैं उनमें से अधिकांश पर सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों सहित उन पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट दिनांक 22 अगस्त, 1973 को सभा पटल पर प्रस्तुत की गई थी। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन/पुनर्रचना से संबंधित सिफारिशें विचाराधीन हैं।

हाल्दिया में एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना में हुई हानि

3945. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल्दिया में एक तेल शोधक कारखाने की स्थापना में कितनी हानि हुई; और

(ख) इस तेल शोधक कारखाने की कुल उत्पादन-क्षमता कितनी है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी): (क) सरकार द्वारा जुलाई 1972 में हल्दिया शोधनशाला की जो संशोधित लागत अनुमोदित की गई थी वह 67.50 करोड़ रुपये थी। शोधनशाला के पूर्ण रूप से पूरे हो जाने पर कुल पूंजी लागत में वृद्धि होने की संभावना है। यह मुख्य रूप से शोधनशाला को चालू करने में हुए विलंब, निर्माणाधीन अवधि में हुए व्यय में वृद्धि, निर्माण सामग्री के मूल्यों में तेजी, मजदूरी की दरों में वृद्धि तथा विशेषज्ञों के और अधिक समय तक ठहरने के कारण अतिरिक्त लागत आने के परिणामस्वरूप हुई। क्योंकि यह शोधनशाला अभी भी निर्माणाधीन है, इसलिए इसके द्वारा किसी प्रकार की हानि उठाये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) इस शोधनशाला की प्रतिवर्ष परिष्करण क्षमता 2.5 मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल की होगी।

यूरोप आस्ट्रेलिया तथा एशिया की रेलवे यूनियनों द्वारा रेल कर्मचारियों की बहाली की मांग

3946. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोप, आस्ट्रेलिया तथा एशिया की ग्यारह मुख्य रेल कर्मचारी यूनियनों ने गत मई की हड़ताल के कारण सेवाओं से निकाले गए सभी रेल कर्मचारियों की बहाली के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विशेषतायें क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, दस यूनियनों ने।

(ख) सरकार की यह नीति नहीं है कि कर्मचारियों को वैध ट्रेड यूनियन गतिविधियों के लिए उत्पीड़ित किया जाए। लेकिन जब वे देश के कानून के विपरीत काम करते हैं तब उपयुक्त कार्रवाई करनी पड़ती है। व्यक्तिगत अपीलों पर सहानुभूतिपूर्वक गौर करने के संबंध में नीति संसद में पहले ही घोषित की जा चुकी है और इसके फलस्वरूप बर्खास्त किए गए अथवा नौकरी से हटाये गए उन कर्मचारियों में से जिन्होंने अपीलें कीं, लगभग 85 प्रतिशत को पुनः सेवा में ले लिया गया है।

बाटा इण्डिया लिमिटेड (बम्बई), करुणासाहु कम्पनी लिमिटेड (कलकत्ता) तथा उषा सेल्स प्राइवेट लि० दिल्ली के बारे में जांच

3947. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाटा इंडिया लिमिटेड (बम्बई) करुणासाहु कम्पनी लिमिटेड (कलकत्ता) तथा ऊषा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड (देहली) बड़ी संख्या में निबन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं में अन्तर्ग्रस्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या एकाधिकार तथा निबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग का विचार इन तीन कम्पनियों के बारे में जांच करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री वेदव्रत बरुआ): (क) तथा (ख) तीन कम्पनियों द्वारा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं में निरत होने के आरोप निम्न प्रकार उल्लिखित हैं :—

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम	निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं की प्रकृति
1.	बाटा इण्डिया लिमिटेड, बम्बई	निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 33(1) के खण्ड (क), (ख), (च) और (ड़) के उपबन्ध को प्रभावित करती हुई मितिकाटे/बोनस की पूर्ण बलकृत अदायगी, पुनर्बिक्री मूल्य का रख-रखाव ।
2.	कारोना साहु कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता	एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 33(1) के खण्ड (क), (ख), (छ) (च) तथा (ड़) के उपबन्धों को प्रभावित करता हुआ कम्पनी द्वारा जिस विक्रेता को माल बेचा जाता है पूर्ण बलकृत प्रतिबन्ध, पुर्नबिक्री मूल्य का रख-रखाव और मितिकाटे/बोनस की अदायगी ।
3.	उषा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली	एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 33(1) के खण्ड (छ), (क), (ड़) तथा (च) के उपबन्धों को प्रभावित करता हुआ बेचने को छोड़कर क्षेत्रीय प्रतिबन्ध, पुर्नबिक्री मूल्य का रख-रखाव और छूट/मितिकाटे की अनुमति दी जाना ।

(ग) तथा (घ) रजिस्ट्रार, निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा ने, इन तीन कम्पनियों नामशः बाटा इण्डिया लिमिटेड, कारोना साहु कम्पनी लिमिटेड और ऊषा सेल्ज प्रीइवेट लिमिटेड के विरुद्ध एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग के पास 23–2–1974, 16–2–1974 और 19–6–1974 को एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 10(क) (iii) के अन्तर्गत इन कम्पनियों द्वारा निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं में निरत होने के आरोपों में अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत जांच करने के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए है । आयोग द्वारा जांच प्रगति पर है । सदस्य महोदय का ध्यान दिनांक 26–11–74 को सदन में अतारांकित प्रश्न संख्या 2138 में मैसर्स बाटा इण्डिया लिमिटेड के संबंध में दिए गए उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

राजस्थान में झालावाड नगर के साथ रेल सम्पर्क

3948. श्री ओंकार लाल बैरवा : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का राजस्थान के औद्योगिक रूप से पिछड़े ऐसे क्षेत्रों में, जहां आर्थिक विकास के लिए आधार ढांचा अपेक्षित है, नई रेलवे कालोनी का निर्माण करने का है;

(ख) क्या झालावाड़ जिले की निश्चित गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक पिछड़ेपन को देखते हुए झालावाड़ नगर को रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा ;

(ग) क्या सरकार ने भूतकाल में यह आश्वासन दिया था कि देश की आर्थिक अवस्था सुधरने पर उक्त प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा; और

(घ) क्या इस पर फिर से सोचा गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) सरकार की नीति है कि पिछड़े क्षेत्रों में, जहां आर्थिक विकास के लिए आधार-ढांचा अपेक्षित है, नयी रेलवे लाइनों का निर्माण करे । इस नीति के अनुसार, रतलाम से बांसवाड़ा तक जो राजस्थान का एक पिछड़ा क्षेत्र है, बड़ी लाइन के निर्माण के लिए प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं-यातायात सर्वेक्षण का काम प्रगति पर है । सर्वेक्षण का काम पूरा होने के बाद इस प्रस्ताव पर और आगे विचार किया जाएगा ।

(ख) से (घ) धन बहुत कम होने के कारण ज्वालापुर सिटी को जोड़ने के लिए एक नयी लाइन की व्यवस्था का कोई प्रस्ताव नहीं है । धन की स्थिति में पर्याप्त सुधार हो जाने के बाद ही ज्वालापुर सिटी को जोड़ने के लिए नयी लाइन के निर्माण के प्रश्न पर विचार किया जा सकेगा ।

Proposal to introduce fast train from Kota to Delhi

3949. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state whether in view of the increase in population, Government propose to introduce a fast train to be called as Haroti Express having only IInd class coaches from Kota to Delhi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No.

देश में बड़े औद्योगिक गृह

3950. श्री बी० वी० नायक : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय बड़े औद्योगिक गृहों की संख्या क्या है;

(ख) उनके नियन्त्रणाधीन स्वतन्त्र निर्माण, व्यापारिक और अन्य व्यवसायिक एककों की कुल संख्या क्या है; और

(ग) प्रत्येक गृहों के अधीन, अलग-अलग कितनी निगमित कम्पनियां चल रही हैं और प्रत्येक उक्त गृह का नाम क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी काय मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) से (ग) फरवरी 1973 में घोषित संशोधित औद्योगिक लाइसेंस नीति की दृष्टि से, एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रम, अर्थात्

(1) वे उपक्रम जो स्वयं अथवा अपने अन्तः संबंधित उपक्रमों सहित, 20 करोड़ रु० से कम नहीं की परिसंपत्तियां रखते हों, वे इस प्रकार धारा 20(क) के उपबन्धों को आकर्षित करते हों, अथवा

(2) वे प्रमुख उपक्रम जो स्वयं अथवा अपने अन्तः संबंधित उपक्रमों सहित, एक करोड़ रु० से कम नहीं की परिसंपत्तियां रखते हों, व इस प्रकार एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 20(ख) के उपबन्धों को आकर्षित करते हों, बृहद् व्यापार घराने समझे जाते हैं।

2.—31 दिसम्बर, 1974 तक विभिन्न समूहों से संबंधित उपक्रमों, की संख्या, जो एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत हुए हैं एवं उनमें सम्मिलित कम्पनियों की संख्या जो या तो कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत विनिगमित हुई हैं, अथवा उक्त अधिनियम की धारा 591 के उपबन्धों के अन्तर्गत आती हों, संलग्न विवरण-पत्र में प्रदर्शित की गई हैं। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8721/74]**

3.—प्रत्येक उपक्रम से संबंधित स्वतंत्र एककों की संख्या की बाबत सूचना, उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के एककों का एकाकीरूप से एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण नहीं हुआ है।

बंगलौर और नई दिल्ली के बीच बरास्ता मद्रास राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की योजना

3951. श्री बी० वी० नायक : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर और नई दिल्ली के बीच बरास्ता मद्रास राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी चलाने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बात क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दानापुर रेलवे स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर पैदल उपरिपुल

3952. श्री रामावतार शास्त्री : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानापुर रेलवे स्टेशन (पूर्व रेलवे) का वर्तमान पैदल उपरिपुल, जो कि बहुत पुख्ता है, अप और डाउन प्लेटफार्मों को मिलाता है ;

(ख) क्या जनसंख्या एवं गाड़ियों की संख्या में वृद्धि के कारण उपरिपुल पर बहुत भीड़ रहती है और जब अप और डाउन प्लेटफार्मों पर एक साथ गाड़ियां आ जाएं तो वहां से गुजरना असम्भव हो जाता है ;

(ग) क्या पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर गुड्स शेड के निकट एक अन्य उपरिपुल का निर्माण करने और तब वर्तमान पैनल उपरिपुल को चौड़ा करने को सहमत हो गए थे; और

(घ) यदि हां, तो प्रयोक्ता सलाहकारी समिति की पूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर और डिविजनल सुपरिन्टेन्डेंट के साथ हुई बैठकों में दिए गए आश्वासन कब कार्यान्वित किए जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी हां। ऊपरी पैदल पुल को पहुंच मार्गों तक बढ़ा दिया गया है जो रेलवे लाइन के दोनों ओर की बस्तियों को मिलाता है।

(ख) जी नहीं। लेकिन कभी-कभी ऊपरी सड़क पुल पर थोड़े समय के लिए भीड़-भाड़ हो जाती है केवल उस समय जब बहुत सी गाड़ियां एक ही साथ अप और डाउन प्लेटफार्मों पर पहुंचती हैं और बस्ती के निवासी भी उसी समय इस सुविधा का उपयोग करते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पूर्व रेलवे के इलैक्ट्रिकल विभाग में टी०एल०आई० बिजली घरों और हैड लाईट स्टेशनों में कारीगरों की व्यवस्था

3953. श्री रामावतार शास्त्री : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में इलैक्ट्रिकल विभाग में टी०एल०आई० बिजली घरों और हैड लाईट स्टेशनों पर कारीगरों की नियुक्ति का कोई मानदण्ड है;

(ख) क्या इलैक्ट्रिकल विभाग में कुशल, अर्ध-कुशल और गैर-कुशल वर्गों के पदों की कोई निर्धारित प्रतिशतता है ;

(ग) क्या पूर्व रेलवे में इलैक्ट्रिकल विभाग में टी०एल०आई० बिजली घरों और हैड लाईट स्टेशनों के लिए कर्मचारियों की अलग-अलग नियुक्ति निर्धारित मानदण्ड और प्रतिशतता के अनुसार की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार पूर्व रेलवे के इलैक्ट्रिकल विभाग में प्रत्येक सेक्शन के लिए मानदण्ड एवं प्रतिशतता निर्धारित करने का है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) रेलवे बोर्ड द्वारा कोई मानपदण्ड निर्धारित नहीं किया गया है। रेलों ने स्वयं अपने कुछ सिद्धांत बना रखे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जिन रेल प्रशासनों ने विभिन्न कोटियों के लिए कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं किया हुआ उन्हें उनके द्वारा तैयार किए गए निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार कर्मचारी दिए गए हैं। तथापि पूर्व रेलवे पर इन अगुभागों में कर्मचारियों की वर्तमान प्रतिशतता इस प्रकार है :—

कोटि	बिजली घर	शीर्ष बत्ती	गाड़ी की बिजली
कुशल	37%	49%	44%
अर्ध कुशल	14%	3%	1%
अकुशल	49%	48%	55%

(घ) पूर्व रेलवे के विभिन्न बिजली यूनिटों में कर्मचारियों की वर्तमान प्रतिशत संख्या से संतोषजनक ढंग से काम चल रहा है क्योंकि यह प्रतिशतता प्रत्येक क्षेत्र में कार्यभार पर आधारित है।

2/L.S./75—14

Proposal to terminate Chetak Express at Delhi Junction instead of Sarai Rohella

3954. **Shri Lalji Bhai** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to terminate Chetak Express at Delhi junction instead of at Sarai Rohella; and

(b) if so, by what time ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) No.

(b) The termination of Chetak Express at Delhi junction is not feasible due to lack of stabling and maintenance facilities at Delhi Junction.

निर्वाचन याचिकाओं के निपटाये जाने के लिए विशेष अधिकरण

3955. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न न्यायालयों में काम की अधिकता के कारण निर्वाचन याचिकाओं के निपटान में अत्यधिक विलम्ब के कारण अभ्यर्थियों को होने वाली कठिनाइयों एवं असुविधा का पता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का उक्त मामलों को कम अवधि में निपटाने और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए विशेष अधिकरण/प्राधिकरण का गठन करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजनी महिषी) : (क) सरकार के विचार से, उच्च न्यायालयों द्वारा निर्वाचन याचिकाओं के विचारण की प्रणाली से, जो इस देश में 1966 में, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन करके प्रारंभ की गई थी, निर्वाचन याचिकाओं का निपटारा, निर्वाचन अधिकरणों की प्रणाली की अपेक्षा शीघ्र होता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Loss Suffered by the Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited

3956. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be please to stated: (a) whehter Pyrites, Phosphates and Chemicals Limited has suffered a loss to the tune of Rs. 126.26 lakhs upto 31st March, 1972 and if so, the causes of the loss so sustained; and

(b) whether the Committee on Public undertakings (1972-73) has, in its 39th report, made some suggestions to make good this loss and if so, the particulars thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals (Shri K. R. Ganesh) : (a) Yes, Sir. The loss was mainly due to the low off take of pyrites for production of Sulphuric Acid at the Sindri Unit of Fertilizer Corporation of India.

(b) The Committee's recommendation in this regard is reproduced below :

> "The Committee are distressed to note that the Company had suffered a loss of Rs. 126.26 lakhs upto 31st March, 1972 which comes to more than 20 per cent of the paid up capital. The loss would be still more if the losses on account of shortages and deterioration of pyrites or the loss. if any, which may arise on account of final sale price of the ore, are taken into consideration. There was also an expenditure of Rs. 6.39 lakhs incurred on the proposed elemental Sulphur plant which is to be ultimately written off and thereby increase further the loss of the company. The Committee would urge that immediate steps should be taken by the Management/Government to accelerate the production in the two Sulphuric Acid Plants, as scheduled in April, 1973 and 1974 respectively, so that the rate of production at the Amjhore mines could be increased so as to check the mounting losses of the Company and to ensure that it remains a viable economic entity rather than becoming a burden on the national exchequer."

नाइलोन के धागे के मूल्य निर्धारण तथा वितरण के सम्बन्ध में समझौता

3957. **श्री माधुर्य्य हालदार :** क्या विधि, **न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1974 में कताई करने वालों तथा बुनाई करने वालों के बीच नाइलोन के धागे के मूल्य निर्धारण तथा वितरण के बारे में हुए स्वैच्छिक समझौते की मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ख) क्या एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग ने कहा है कि उक्त समझौता निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रियाओं से परिपूर्ण है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में एकाधिकार तथा निर्बन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया आयोग द्वारा की गयी टिप्पणी की मोटी रूपरेखा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) 9 सितम्बर, 1973 को चार नाइलोन कताई कर्ताओं और 18 वास्तविक प्रयोगकर्ता संगठन के बीच नाइलोन के धागे के मूल्य निर्धारण और वितरण के बारे में हुए समझौते की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करता हुआ विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है ।

(ख) तथा (ग) चूंकि यह मामला अभी तक उसके विचाराधीन है अतः एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा आयोग ने इस मामले में अन्तिम आदेश पारित नहीं किया है । कताई कर्ताओं द्वारा उठाए गए कतिपय विषयों के संबंध में उसके आदेश दिनांक 21–10–1974 द्वारा, साथ साथ यह भी उल्लेख किया गया है कि इस समझौते का प्रचलन एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 2(न) की परिभाषा में निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं में परिणत हुआ । आयोग ने यह भी देखा कि कथित समझौते के बहुत से खण्ड, अधिनियम की धारा 33(1) के अन्तर्गत, निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाओं के वर्ग में आते हैं । प्रारम्भिक विषयों पर समझौता हो जाने पर, आयोग ने अन्तिम सुनवाई का निर्णय किया है, साथ साथ निर्धारण हेतु कि पाई गई निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथाएं क्या लोक हित के विपरीत हैं और धारा 37(1) के अन्तर्गत कौन से आदेश उचित होंगे ।

(घ) जो कुछ ऊपर (ख) तथा (ग) में कहा गया है, को देखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

विवरण

चार नाइलोन कताईकर्ता—जे०के० सिन्थेटिक्स, निरलोन सिन्थेटिक फिब्रज एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, गरबारे नाइलोन लिमिटेड एण्ड मोदी पन लिमिटेड में 18 वास्तविक प्रयोगकर्ता संगठनों में नाइलोन धागे की बिक्री एवं वितरण हेतु 9–9–1973 को एक समझौता हुआ ।

2. समझौते में व्यवस्था है कि 4 कताईकर्ताओं द्वारा उत्पादित नाइलोन धागे का 75 प्रतिशत "समझौते में उल्लिखित निश्चित मूल्य पर वास्तविक प्रयोगकर्ताओं" को वितरित किया जायेगा और 4 कताईकर्ता उत्पादन के शेष 25 प्रतिशत को किसी भी मूल्य पर जिसका बाजार समर्थन करे पर बेचने को स्वतंत्र होंगे । 18 बुनाईकर्ता संगठन के सदस्यों हेतु और निमित्त जो समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता हैं, और जिनके पास परमिट और लाइसेंस हैं, नाइलोन धागे से अलग कपड़े की बुनाई और विनिर्माण हेतु कार्य करने का आशय है । "वास्तविक प्रयोगकर्ताओं" की व्याख्या कपड़े और/या हथ-कर्घा या मशीन पर रिबन के लाइसेंस प्राप्त विनिर्माण कर्ताओं के रूप में समझौते में की गई है । वे अकेले ही वास्तविक प्रयोगकर्ता समझे जाते हैं, जबकि वास्तविक प्रयोगकर्ताओं "समझे जाने" की परिभाषा से क्रिम्पर्स और ट्विस्टर्स स्पष्ट रूप से छोड़े जाते हैं ।

3. समझौते में व्यवस्था है कि एक संस्था नामशः "केन्द्रीय नाइलोन समिति" कताई कर्ताओं और बुनाई कर्ताओं के संगठनों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किए जाते हुए स्थापित की जाएगी । बुनाई कर्ता संगठन को नाइलोन धागें की जिस बिक्री का उपलब्ध कराया जाएगा, के निश्चित मूल्यों की व्यवस्था करने से अलग, समझौते में यह भी व्यवस्था है कि बुनाईकर्ताओं की आवश्यकताओं के आधार पर उत्पादन के ढांचे को रखना होगा, जो समझौते के अन्तर्गत लाभ के अधिकारी है और अप्रैल, 1972 से मार्च, 1973 तक का उत्पादन ढांचा यथा संभव उसी प्रकार रखा जाएगा ।

4. समझौते के एक खण्ड में व्यवस्था है कि समझौते की पार्टियां राजी हैं कि क्रिम्पर्स केवल प्रक्रियावादी हैं वे नाइलोन धागे के वास्तविक प्रयोगकर्ता नहीं हैं। लेकिन, इसको दृष्टि में रखते हुए कि वे कताईकर्ताओं या उनके प्राधिकृत व्यापारियों से सीधे धागे की आपूर्ति कर रहे हैं, समझौते में उल्लिखित मूल्यों पर अप्रैल, 1972 से मार्च, 1973 तक की अवधि में कुल खरीद का अनुपातित कताईकर्ताओं से नाइलोन धागे की आपूर्ति प्राप्त करेंगे। उस शर्त के आधार पर कि इस प्रकार के क्रिम्पर्स राजी है कि वे वास्तविक प्रयोगकर्ता नहीं हैं तथा वास्तविक प्रयोगकर्ताओं के प्रक्रियावादी हैं एवं बुनाई कर्ताओं को उनके द्वारा लाए गए तंतू धागे की मात्रा के समकक्ष क्रिम्प किए धागे को केन्द्रीय नाइलोन समिति द्वारा देने हेतु निर्धारित मूल्य एवं शर्तों पर देने के लिए राजी हैं, उनके लिए जो समझौते की पार्टियां हैं।

5. समझौते में यह भी है कि बुनाई करने के व्यापार में नवीन आगन्तुकों को भी केन्द्रीय नाइलोन समिति को आवेदन करना है तथा हस्ताक्षरकर्ता संगठनों में से एक का सदस्य बनने के पश्चात समिति उन सब आवेदन पत्रों पर विचार करेगी और नाइलोन धागे की उपलब्धता के आधार पर निर्भर होते हुए नवीन आगन्तुकों को नाइलोन धागे के वितरण हेतु उचित पद्धति निर्धारित करेगी।

6. समझौते में कहा गया है कि यह 1 सितम्बर, 1973 से प्रभावी है और 31 अगस्त, 1975 तक लागू रहेगा, और उसके पश्चात आपसी सहमति द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

सन्तोष बेनीफिट प्राईवेट लिमिटेड, गुजरात द्वारा कम्पनी अधिनियम की धारा 147 का उल्लंघन

3959. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में निगमित सन्तोष बेनेफिट प्राइवेट लिमिटेड ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 147 का उल्लंघन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस दोषकर्ता कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; अथवा की जानी है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरुआ): (क) एक शिकायत में कि कम्पनी ने अपने सरनामे पर अपने पंजीकृत कार्यालय का सही पता वर्णित करने में कम्पनी अधिनियम की धारा 147 का पालन नहीं किया, कम्पनी रजिस्ट्रार, अहमदाबाद ने सूचित किया है कि शिकायत सही नहीं है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

रेल कर्मचारियों की जोनवार/डिवीजन-वार विचाराधीन अपीलों की संख्या

3960. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल कर्मचारियों की जोनवार और डिवीजन-वार कितनी अपीलें रेलवे प्राधिकारियों द्वारा नामंजूर की गयी हैं ;

(ख) क्या इन अपीलों को नामंजूर करते समय कलकत्ता, गुजरात तथा केरल उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर भी विचार किया गया था ; और

(ग) नामंजूर अपील-कर्ताओं का संबंध किन-किन मजदूर संगठनों से है ?

रेल मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०–8722/74]** ।

(ख) अपीलें दायर कर दी गई हैं या की जा रही हैं।

(ग) अपीलकर्ता उन मजदूर संघों के नाम नहीं देते जिनसे वे संबंधित होते हैं और रेल प्रशासनों को पदाधिकारियों, मुख्यतः मान्यता प्राप्त यूनियनों के पदाधिकारियों के नामों को छोड़कर इनके ब्यौरे का पता नहीं है।

रेलवे बोर्ड तथा जोनल रेलवे में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के पद

3961. श्री वाई ईश्वर रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में रेलवे बोर्ड कार्यालय तथा जोनल रलवे में प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के कितने पद बनाये गए ;

(ख) इसी अवधि में प्रथम श्रेणी तथा द्वितीय श्रेणी के कितने पदों का दर्जा बढ़ाया गया; और

(ग) इन परिवर्तनों के करने से कितना अतिरिक्त व्यय होगा ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिह) : (क) 2,116 ।

(ख) 938 ।

(ग) 1971—72—50 लाख रुपये (लगभग) ।
1972–73—80 लाख रुपये (लगभग) ।
1973–74—190 लाख रुपये (लगभग) ।

Cases under Sections 17, 18, 19, 79, 141 and 186 of the Campanies Act

3962. Shri Hemendra Singh Banera : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of cases involving change in object Clause or location of registered office under Sections 17, 18 and 19 of the Companies Act 1956, detected during the last three years;

(b) the total number of cases of violation of Section 79 of the Companies Act relating to issue of shares at a discount noticed during the last three years;

(c) the total number of cases in which violation of Section 141 of the Companies Act relating to rectification of Registrar of Charges was committed during the last three years; and

(d) the total number of cases in which Section 186 of the Companies Act relating to convening of a general meeting was violated during the last three years ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Vedabrata Barua) : (a) to (d) The required information is being collected and the same will be laid on the table of the House.

कम्पनी न्यूज एण्ड नोट्स नामक पत्रिका का प्रकाशन

3963. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "कम्पनी न्यूज एण्ड नोट्स" पत्रिका का, जो कि द्विमासिक पत्रिका है, नियमित रूप से प्रकाशन नहीं हो रहा है यद्यपि कम्पनी कार्य विभाग के रिसर्च एण्ड स्टेटिसटिक्स डिवीजन में इस काम के लिए पर्याप्त कर्मचारी हैं;

(ख) इस पत्रिका का गत तीन वर्षों में, वर्ष वार परिचालन क्या था,

(ग) क्या यह पत्रिका आत्मनिर्भर है व वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद है; और

(घ) क्या इस पत्रिका का परिचालन कम हुआ है अथवा स्थिर हो गया है और उसके क्या कारण हैं जबकि कम्पनियों की संख्या में वृद्धि हुई है जिससे इस सरकारी प्रकाशन की मांग में वृद्धि होनी चाहिए थी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उप-मन्त्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) "कम्पनी न्यूज एण्ड नोट्स" नामक पत्रिका कम्पनी कार्य विभाग द्वारा, दिसम्बर, 1972 तक द्विमासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित की जाती रही थी । उसके पश्चात

यह मासिक पत्रिका के रूप में नियमित रूप से प्रकाशित की जाती रही है। एक सहायक संपादक, अपने लिपिकीय कर्मचारी वर्ग की सहायता से पत्रिका के लिए पूर्ण समय कार्य करते हैं। पत्रिका का संपादक एक पदेन क्षमता से कार्य करता है।

(ख) से (घ) गत तीन वर्षों के मध्य, पत्रिका का प्रदत्त संचालन निम्न प्रकार है :—

1972	948
1973	882
1974	730

पत्रिका आर्थिक रूप से आत्म निर्भर रही है व यथापूर्व आत्मनिर्भर है। तथापि, संचालन में अवनति की प्रवृत्ति को गणना में रखते हुए, नवीन अभिदाता बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पब्लिक ट्रस्टी द्वारा आम बैठकों में उपस्थित होना और इस पद का दर्जा बढ़ाया जाना

3964. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971, वर्ष 1972, वर्ष 1973 और वर्ष 1974 में इन कम्पनियों की कितनी आम बैठकें (1) आयोजित की गई थी जिसमें ट्रस्टों के शेयर थे और (2) धारा 153 क के अन्तर्गत नियुक्त किए गए पब्लिक ट्रस्टी ने भाग लिया था ;

(ख) पब्लिक ट्रस्टी की ओर से कम्पनी कार्य/कम्पनी विधि बोर्ड के अन्य अधिकारियों ने इन कम्पनियों की कितनी आम बैठकों में भाग लिया था और इन बैठकों में पब्लिक ट्रस्टी स्वयं ही उपस्थित क्यों नहीं हुए;

(ग) क्या सरकार ने पब्लिक ट्रस्टी के पद के लिए कोई अर्हतायें तथा अनुभव निर्धारित किए हैं; और

(घ) इस पद के लिए नियुक्त किए गए प्रत्येक अधिकारी को सुविधा का ध्यान रखते हुए पब्लिक ट्रस्टी के पद का दर्जा कितनी बार बढ़ाया गया है अथवा कम किया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उप-मन्त्री (श्री वेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) सूचना प्रदर्शित करते हुए एक विवरण-पत्र सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(ग) लोक न्यासी के पद की नियुक्ति तथा निबंधन, दिनांक 24 अगस्त, 1973 के कम्पनी (लोक न्यासी), नियम, 1973 (सा०का०नि० 983) जिसकी एक प्रति दिनांक 17–12–73 को सदन के पटल पर प्रस्तुत की गई थी, से नियंत्रित होते हैं।

(घ) 1–9–64 से 30–9–66 तक की अवधि के मध्य, यह पद लोक-सभा के अवकाश-प्राप्त सचिव द्वारा धारण किया गया था। इसके पश्चात् यह पद निरंतर भारत सरकार के संयुक्त सचिव को प्रास्थिति के व्यक्ति द्वारा धारित किया जाता रहा है।

विवरण

	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75 (30–11–74 तक)
सम्पन्न की गई साधारण सभाओं की संख्या	220	204	208	146
लोक न्यासी द्वारा साधारण सभाओं में भाग लिये जाने की संख्या	2	10	13	9
लोक न्यासी के प्रतिपत्री के रूप में कम्पनी कार्य विभाग के अधिकारियों द्वारा बैठकों में भाग लिए जाने की संख्या	9	5	22	41

धारा (187–ख) की उप-धारा (2) में व्यवस्था है कि लोक न्यासी, अपने स्वयं के अलावा, बैठक में भाग लिए जाने और अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार के अधिकारी की प्रतिपत्नी के रूप में नियुक्त कर सकता है या लोक न्यासी के निर्देशन के अनुसरण में इस प्रकार के अधिकारों और शक्तियों का स्वयं उपस्थित होकर प्रयोग कर सकता है, कथित धारा की उप-धारा (3) भी इस धारा द्वारा उस को प्रदत्त अधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करने से बचाये रखने में लोक न्यासी को समर्थ करती है अगर उसकी राय में न्यासों को आपत्तियां या न्यास के हिताधिकारियों के हित पर यदि इस प्रकार की अनुपस्थिति द्वारा विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना न की जाती है। लोक न्यासी सांविधिक अधिकारी है और कथित धारा द्वारा उसको दी गई स्वेच्छा को कि क्या उसको स्वयं साधारण सभा में उपस्थित होना है या अपने प्रतिपत्नी द्वारा या कि उसको उपस्थित होने से बचाना चाहिए या बैठक में मत देना है में प्रयोग करना पड़ता है।

कम्पनियों के स्वैच्छिक एवं अनिवार्य समापन के मामले

3965. श्री हेमेन्द्र सिंह बनेरा : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्पनियों के (1) स्वैच्छिक समापन एवं (2) अनिवार्य समापन के कुल कितने मामले विचाराधीन हैं;

(ख) इनमें से कितने मामले पांच वर्ष से अधिक से विचाराधीन हैं और कितने दस वर्ष से अधिक हैं;

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनमें स्वैच्छिक समापन कार्यवाही सरकारी परिसमापक से धारा 397(6) के अधीन प्रतिवेदन न मिलने के कारण रुका हुआ है;

(घ) सरकार ने परिसमापन कार्यवाहियों को शीघ्रता से पूरा करने के लिए क्या उपचारी उपाय किए हैं जिससे कि अंशदाताओं और ऋणदाताओं को हानि न होती रहे; और

(ङ) कितने मामलों में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 488(3) के अधीन ऋणशोध क्षमता की घोषणा गलत करने के कारण कानूनी कार्यवाही की गई ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ): (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और वह सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

बिलासपुर डिविजन म इमदादी 'साईडिंग' द्वारा वैगन प्राप्त न किये जाने का दावा

3966. श्री जगदीश भट्टाचार्य : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 तथा 1974 के दौरान दक्षिण-पूर्व रेलवे के बिलासपुर डिवीजन में प्रत्येक इमदादी 'साइडिंग' द्वारा कितने वैगन प्राप्त न होने का दावा किया गया है ; और

(ख) इस अवधि में इमदादी साइडिंग द्वारा प्राप्त किये गये 'अनकनैकटिड' वैगनों से उन दावों की प्रतिपूर्ति करने के बारे में क्या प्रबन्ध किया गया है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) पेश किये गये दावे स्टेशनवार और साइडिंगवार नहीं रखे जाते इस लिए, मांगी गयी सूचना देना संभव नहीं है।

(ख) बिलासपुर मण्डल की इमदादी साईडिगों में आये हुए असम्बद्ध मालडिब्बे दावे मिलने पर रवाना कर दिये गये और निम्नलिखित वर्षों में जो नहीं मिले वे इस प्रकार हैं :–

1972	96	असम्बद्ध मालडिब्बे
1973	135	असम्बद्ध मालडिब्बे
1974	245	असम्बद्ध मालडिब्बे

बिलासपुर डिविजन के इमदादी 'साईडिंग' में गैर सम्बद्ध वैगन

3967. श्री जगदीश भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के बिलासपुर डिवीजन के प्रत्येक इमदादी साइडिंग में 1972, 1973 और 1974 के वर्षों में कितने गैर-सम्बद्ध रेल वैगन रखे गए;

(ख) इन गैर-सम्बद्ध वैगनों के भाड़ों और माल की लागत की वसूली के लिए क्या प्रकिया अपनाई जाती है;

(ग) प्रत्येक इमदादी साइडिंग में उपरोक्त तीन वर्षों में भाड़े और माल की लागत की अलग-अलग राशि क्या थी और कितनी वसूल कर ली गई एवं कितनी अभी भी बकाया है ; और

(घ) बकाया की वसूली के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) पार्टी द्वारा पेश किये गये दावों के आधार पर 1972, 1973 और 1974 में प्रत्येक साइडिंग में पड़े असम्बद्ध माल डिब्बों की संख्या इस प्रकार थी :–

साईडिंग का नाम	पड़े हुए असम्बद्ध माल डिब्बों की संख्या		
	1972	1973	1974
जामुल सीमेंट साइडिंग	96	91	225
ओरिएंट पेपर मिल्स	—	44	—
बेल पहाड़ रिफैक्टरीज	—	—	20

(ख) किसी साइडिंग को पहले ही सुपुर्द किये गये असम्बद्ध मालडिब्बों का बुक किये हुए परेषणों के अनिर्णीत दावों के बदले मालडिब्बे से मालडिब्बे के आधार पर उसी तरह के परेषण के लिए समंजन किया जाता है। यदि कोई मालडिब्बा छोड़ने के बाद असम्बद्ध बना रहता है तो माल के मूल्य और मालभाड़ा प्रभार के लिए प्रतिपूर्ति बिल साइडिंग के धारक को पेश की जाती है जहां मालडिब्बा पड़ा है। और रकम वसूल कर ली जाती है।

(ग) 1972, 1973 और 1974 में निम्नलिखित रकम वसूल की गयी :—

रकम लाख रुपयों में

	1972	1973	1974
(i) जामुल सीमेंट साइडिंग	1.66	1.97	6.03
(ii) ओरिएंट पेपर मिल्स	—	0.89	—
(iii) बेलपहाड रिफ़ैक्टरीज़	—	—	0.28

इस रकम में माल भाड़ा प्रभार भी शामिल है जिसके लिए अलग से आंकड़े नहीं तैयार किये गये हैं। सारी रकम वसूल कर ली गयी है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिलासपुर डिविजन (दक्षिण-पूर्व रेलवे) के इमदादी साइडिंग में न्यून शुल्क का बढ़ाया जाना

3968. श्री जगदीश भट्टाचार्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-पूर्व रेलवे के बिलासपुर डिवीजन की प्रत्येक इमदादी साइडिंग में वर्ष 1972, 1973 और 1974 के दौरान न्यून शुल्क की कितनी राशि बढ़ायी गयी;

(ख) क्या इस बीच समूची राशि वसूल कर ली गयी है ;

(ग) यदि नहीं तो इन इमदादी साइडिंगों में से प्रत्येक की ओर अभी भी कितनी राशि बकाया है ; और

(घ) उसे वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) :

		औरियन्ट पेपर मिल साइडिंग	कोतमा कोयला खान साइडिंग
(क)	1972	23,649 रु०	94 रु०
	1973	11,731 रु०	कुछ नहीं
	1974	2,061 रु०	कुछ नहीं

(ख) जी नहीं ।

(ग) अभी तक बकाया रकमें इस प्रकार हैं :—

	औरियन्ट पेपर मिल साइडिंग	कोतमा कोयला खान साइडिंग
1972	15,711 रु०	94 रु०
1973	6,982 रु०	कुछ नहीं
1974	2,061 रु०	कुछ नहीं

(घ) बकाया रकमों के बारे में साइडिंग स्वामियों और रेल प्रशासन में विवाद है । इस विषय में साइडिंग के स्वामियों से लगातार सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है ।

तेल मूल्य समिति का प्रतिवेदन

3969. **श्री जगदीश भट्टाचार्य :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल मूल्य समिति ने अपना अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और यदि हां, तो प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सी० पी० माझी) (क) जी, अभी नहीं ।

Complaints against TTEs for Causing Harassment to Passengers at Haridwar, Laksar and Saharanpur Stations

3970. **Shri Mulaki Raj Saini :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government have received complaints about travelling Ticket Examiners causing harassment to people and realising money fraudulently from them at Haridwar, Laksar, and Saharanpur Railway Stations ;

(b) whether any enquiry has been made into the matter; and

(c) if so, whether any action has been taken against the persons found guilty?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes. At Laksar, one complaint about irregular demand for charges and at Saharanpur, one complaint about wrong charging have been received. No such complaints have, however, been received at Haridwar during this year.

(b) Yes.

(c) Does not arise, since the enquiries revealed that the parties were correctly charged as per rules and the allegations were not substantiated.

Short Supply of Wagons to Lime Industry in Madhya Pradesh

3971. **Shri G.C. Dixit :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether Government are aware that lime industry in Madhya Pradesh is facing difficulty due to short supply of railway wagons ; and

(b) the measures being taken by Government for the regular supply of railway wagons to this industry ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) & (b) Traffic in lime and limestone moves under different priorities to different industries according to their essentiality to the national economy. Within these priorities, every effort is being made to clear this traffic as expeditiously as possible. Loading of lime and limestone from stations in Madhya Pradesh has improved during the current year and between April and October, 1974, 71,962 wagons were loaded as against 65,998 wagons moved during the corresponding period of last year.

Wagons difficulty in Madhya Pradesh

3972. Shri G.C. Dixit : Will the **Minister of Railways** be pleased to state:

(a) whether Madhya Pradesh Government has to sell its forest produce to other States because it is found there in abundance and it has been experiencing great difficulty in getting wagons for despatching this produce as a result of which 300 wagon load forest wealth is awaiting movement ;

(b) whether in a meeting held on 19th November, 1973, an agreement had been reached between State and Railway officials that one wagon would be made available daily, except on Sunday, from Kodagaon, Jagdalpur and Konvet (out agency) but the Railway department has failed to implement the agreement ; and

(c) if so, whether Government propose to ask the South-Eastern Railway to implement the decision ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) Yes.

(b) The average loading of forest produce from these three points from 20th November' 73 upto the end of November' 74 was five wagons per week against the agreement to load six wagons per week.

(c) Efforts are being made to make up this marginal shortfall.

Transportation of Iron ore on Kiranadul-Kokatvasalar

3973. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Kiranadul-Kokatvasalar Railway line is being used only for transporting iron ore and all the strenuous efforts of Forest Department to get permission for transporting forest produce by this line have failed ;

(b) whether as a result, huge quantity of saleable forest produce is lying unsold because of heavy transportation charge ; and

(c) if so, whether Government propose to impress upon the Railway authorities to accord permission for transporting forest produce by the aforesaid railway lines ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) to (c) The Kiranadul Kokatvasalar Railway line was constructed for movement of iron-ore traffic for export. The capacity of this line is at present being fully utilised for movement of iron ore traffic. There is, therefore, no proposal at present to open this line for booking other traffic.

Allotment of Railway Land to Landless Persons and Harijans

3974. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Railways have laid down a policy that the Land along the railway lines would be given on lease to landless persons and Harijans;

(b) if so, the extent to which this policy has been implemented and the number of landless persons and Harijans who have been given such fallow land during the last one year ; and

(c) particulars of the land allotted in Bihar during the last one year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) As per extant policy, surplus cultivable railway land on either side of the track between stations is handed over to the concerned State Governments with instructions to license the land for Grow More Food purposes to actual landless tillers, preference being given to Railway casual labourers (who have worked for a minimum period of 3 years). No specific policy has been laid down to give preference to Harijans in the matter of allotment of such lands. Where the State Governments are reluctant to take over the land the same is directly licensed by the Railways to adjacent field owners/cultivators/unemployed agricultural graduates as the case may be.

(b) No separate records are maintained in respect of land allotted to actual landless tillers and Harijans.

(c) 17,677 acres of railway land have been handed over to the State Government/directly to cultivators under the above scheme in 1973-74.

Thefts of Goods from Trains

3975. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of outsiders and the number of railway empolyees arrested for having committed theft of goods from trains during the last six months in the various zonal railways, separately and the action taken against them ;

(b) the amount of the claims paid by Railways for the property stolen during the last six months, zone-wise ; and

(c) the steps taken by Government to check such incidents ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) & (b) A statement is attached. **[Placed in the Library See No. L. T. 8723/74]**

(c) The following steps have been taken to check thefts of goods from trains:—

(i) Goods trains particularly those carrying high-rated commodities are being escorted by the Railway Protection Force personnel in vulnerable sections.

(ii) All important yards etc. are being guarded round the clock by Railway Protection Force.

(iii) Special drives are conducted against receivers of stolen railway property and cases are prosecuted under the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966.

अधिकारियों सहित रेल-कर्मचारियों को नकद पुरस्कार

3976. श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हड़ताल के दौरान सेवा के लिये कितने रेल कर्मचारियों (अधिकारियों सहित) को नकद पुरस्कार दिये गये, ऐसे पुरस्कारों की दर कितनी है और इन पर कितनी धनराशि खर्च हुई ;

(ख) कितने रेल कर्मचारियों को अग्रिम वेतन-वृद्धियां दी गई हैं, वर्ष 1973-74 के दौरान इस बारे में कुल कितनी धनराशि खर्च हुई और प्रत्येक परवर्ती वर्ष में इस बारे में कितनी धनराशि खर्च होगी ;

(ग) हड़ताल के दौरान काम करने के कारण कितने रेल कर्मचारियों के सेवा-काल में 58 वर्ष की आयु से आगे वृद्धि की गई और इस कारण कितनी धनराशि खर्च हुई ; और

(घ) 2 मई, 1974 के बाद रेलवे में कितने पदों का दर्जा बढ़ाया गया है और इसमें अन्तर्ग्रस्त धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अब तक, लगभग 1.16 लाख कर्मचारियों को नकद पुरस्कार दिया गया है । ऐसे पुरस्कार की दर प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर भिन्न-भिन्न है, लेकिन अब तक दी गयी कुल रकम लगभग 91 लाख रुपये है ।

(ख) वित्तीय वर्ष 1973-1974 के दौरान रेल कर्मचारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि नहीं दी गयी थी । अब तक लगभग 4.58 लाख कर्मचारियों को अग्रिम वेतन वृद्धियां दी गयी हैं जिस पर इस वर्ष लगभग 2.5 करोड़ रुपये की लागत आयेगी ।

(ग) अब तक 478 कर्मचारियों का, जो सामान्य रूप से सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लिये थे, सेवाकाल बढ़ाया गया है । कितनी रकम खर्च हुई यह तत्काल ही उपलब्ध नहीं है क्योंकि प्रत्येक कर्मचारी के वास्तविक वेतन और भत्तों के संदर्भ में इसका हिसाब लगाना पड़ेगा ।

(घ) 2 मई, 1974 के बाद अधिकारियों के 280 पदों का ग्रेड बढ़ाया गया । इस सम्बन्ध में लगभग 15.18 लाख रुपये खर्च हुए हैं ।

'फ्यल एफिशियन्सी' में सुधार करने से भट्टी तेल की खपत में कमी

3977. श्री प्रसन्नभाई मेहता :
श्री आर० बी० स्वामीनाथन :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों ने कहा है कि 'फ्यूल एफिशियन्सी' में सुधार करने से भिट्टी तेल की खपत में 25 प्रतिशत की कटौती हो सकती है और औद्योगिक एककों की लागत भी कम हो सकती है ;

(ख) क्या सरकार ने भट्टी तेल की खपत के सिलसिले में प्रयाप्त बचत करने के बारे में कोई निर्णय किया है ;

(ग) क्या येह प्रस्ताव तेल की बचत करने में सहायक न हो सके ; और

(घ) यदि हां, तो किन प्रस्तावों को लागू किया गया और उनकी असफलता के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० माझी) : (क) भट्टी के तेल की कुछ खपत कम करने में सफलता धनईं क्षमता संबंधी तकनीकों से हो सकती है । तथापि तथ्यों की संख्या पर निर्भर रहने वाले संयंत्र से संयंत्र की बचत सीमा में अन्तर होता रहेगा ।

(ख) से (घ) भट्टी तेल की खपत कम करने में सफलता पाने के लिये सरकार ने सचिव और तकनीकी विकास महानिदेशक की अध्यक्षता में भट्टी तेल की एक स्थायी समिति को नियुक्त किया है कि ऐसे तेल का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों में कोयले का शीघ्र प्रयोग करने के लिये उपायों की सिफारिश करें जो प्रौद्योगिक विचारों पर ऐसा करने में समर्थ हैं । समिति उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिये भट्टी तेल का आबंटन करने के वास्ते प्राथमिकताओं को भी निर्धारित करती है और भट्टी तेल और ईंधन क्षमता का इस्तेमाल करने में बचत की दिशा में की गई प्रगति की जांच करें । उपस्कर और खपत में किफायत करने वाली व्यवहारिक प्रणालियों और ईंधन क्षमता सम्बन्धी कतनीकों का संयंत्रस्थ प्रदर्शन की व्यवस्था करने हेतु उद्योगों के लिये ईंधन क्षमता सम्बन्धी सेवा का गठन करने की दृष्टि से तकनीकी विकास महानिदेशालय इण्डियन आयल कारपोरेशन और राष्ट्रीय उत्पादक परिषद द्वारा सम्मिलित रूप से एक विशिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का गठन किया गया था । उसे ईंधन क्षमता दल द्वारा बम्बई, कोयम्बतूर और कलकत्ता के लगभग 150 औद्योगिक यूनिटों का सर्वेक्षण किया जा रहा है और यह सर्वेक्षण जनवरी 1975 में किसी समय पूरा हो जाने की आशा है । किये जा रहे सर्वेक्षण के मध्यावधि मूल्यांकन से अधिकांशतः अल्प अवधि मध्य, अवधि की दीर्घावधि उपायों से भट्टी तेल की खपत में बचत करने की कुछ गुंजाइश का पता चला है । सर्वेक्षण पूरा हो जाने के उपरान्त इसके परिणामों पर चर्चा की जायेगी और सम्बन्धित एककों को सूचित कर दिया जाएगा ताकि सर्वेक्षण परिणामों के अंक में सुअवसर उनको मिल सके और ईंधन क्षमता सम्बन्धी सुझावों को कार्यान्वित करने के लिये पृथक पृथक संयंत्रों में की जाने वाली कार्य पद्धति का निर्धारण किया जा सके ।

इन समस्त उपायों ने ईंधन तेल का इस्तेमाल करने में किफायत करने की सामान्य भावना पैदा की है । बहुत से उद्योगों ने किफायती उपायों से भट्टी तेल की खपत में 10% कमी करने की सफ़लता के लिये कदम उठाया है । इन प्रयत्नों के

फलस्वरूप चालू वर्ष के प्रथम सात महीनों में भट्टी तेल की बिक्री में गत वर्ष की उसी अवधि की कुल वास्तविक बिक्री के अन्दर लगभग 6% तक गिरावट आई है ।

इन्स्टीट्यूशन आफ रेलवे सिगनल इन्जीनियरिंग एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन, सिकन्दराबाद के सिगनैलिंग तथा टेलीकम्यूनिकेशन कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए हिन्दी माध्यम

3978. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के सिगनल एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन विभाग के कुछ कर्मचारियों को जिन्हें प्रशिक्षण के लिये इन्स्टीट्यूशन आफ रेलवे सिगनल इंजीनियरिंग एण्ड टेलीकम्यूनिकेशन, सिकन्दराबाद भेजा गया था, प्रशिक्षण अवधि में वापस भेज दिया गया था क्योंकि उन्होंने प्रशिक्षण के लिए हिन्दी माध्यम की मांग की थी और बाद में उन्हें असफल उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे प्रशिक्षणार्थी कर्मचारियों की संख्या क्या है और उन्हें असफल घोषित करने के क्या कारण हैं तथा और क्या इन्स्टीट्यूशन आफ रेलव सिगनल इंजीनियरिंग एण्ड टेलिकम्यूनिकेशन, सिकन्दराबाद प्रशिक्षण के माध्यम के रूप में हिन्दी लागू करने के कोई प्रयास किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो उन विभिन्न पाठ्यक्रमों की मुख्य बातें क्या हैं जिन के लिए 'हिन्दी' में प्रशिक्षण लागू किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में भारतीय रेलवे सिगनल इंजीनियरी और दूर-संचार संस्थान सिकन्दराबाद में प्रतिनियुक्त छः प्रशिक्षु अंग्रेजी में पढ़ाई समझ पाने में असमर्थ होने के कारण अपनी रेलवे को वापस भेजे गए । उनमें से कोई भी प्रशिक्षु भारतीय रेलवे सिगनल इंजीनियरी और दूर-संचार संस्थान द्वारा असफल घोषित नहीं किया गया था क्योंकि उन सब को अपनी रेलवे को लौटा दिया गया था ।

भारतीय रेलवे सिगनल इंजीनियरी और दूर-संचार संस्थान, सिकन्दराबाद में प्रशिक्षण के माध्यम के रूप में किसी पाठ्यक्रम में हिन्दी को चालू नहीं किया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) भारतीय रेलवे सिगनल इंजीनियरी और दूर-संचार संस्थान सिकन्दराबाद तकनीकी पाठ्यक्रमों को हिन्दी में पढ़ाने को स्थिति में नहीं है क्योंकि रेलवे सिगनल और दूर संचार इंजीनियरी सम्बन्धी तकनीकी पुस्तकें और नोट हिन्दी में नहीं उपलब्ध हैं ।

विभिन्न ग्रेड के मेन्टेनरो, सहायक इन्सपैक्टर और इंस्पेक्टरों की ड्यूटी लिस्ट

3979. श्री चन्द्रिका प्रसाद : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन रेलवे सिगनल इंजीनियरिंग मेन्युअल के अध्याय सात और चौदह के अनुसार विभिन्न ग्रेडों के मेन्टेनरों, सहायक इंस्पैक्टर और इंस्पेक्टरों की स्पष्ट रूप से पृथक रूप से और साफ-साफ तरीके से ड्यूटी लिस्टों का उल्लेख नहीं किया जाता ;

(ख) क्या इस पुस्तिका में दूर संचार कर्मचारियों के कार्यकरण और कर्तव्यों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है;

(ग) क्या इस विभाग के अधिकांश मेन्टेनरों और सहायक इंस्पेक्टरों को सामान्य और सहायक निगम, सिगनल इंजीनियरिंग पुस्तिका जैसी नवीनतम नियम पुस्तिकाएं, जो कुशलतापूर्वक कार्यकरण के लिए आवश्यक है, सप्लाई नहीं की गई हैं; और

(घ) ऐसे कितने प्रतिशत कर्मचारियों को नवीनतम नियम और सन्दर्भ पुस्तिकाएं उपलब्ध कराई गई हैं और क्या इन पुस्तकों की अपर्याप्त सप्लाई रेलवे की कार्यकुशलता और सुरक्षा को प्रभावित नहीं करती और इस बारे में प्रशासन की नीति और प्रतिक्रिया क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) :(क) भारतीय रेलवे सिगनल इंजीनियरी नियमावली के अध्याय 12 में केवल सिगनल और दूर संचार विभाग के संगठन का वर्णन है ।

अध्याय 13 और 14 में क्रमश: निरीक्षकों और अनुरक्षकों की ड्यूटी निर्दिष्ट है यह ड्यूटी सभी कोटियों के निरीक्षकों और अनुरक्षकों पर लागू होती है और इस सम्बन्ध में निरीक्षकों अथवा अनुरक्षकों के विभिन्न ग्रेडों में कोई भेद-भाव नहीं है । विभिन्न ग्रेड के निरीक्षकों की ड्यूटी अनुरक्षित उपस्कर की किस्म और उसके प्रकार पर निर्भर करती है और इसे नियमावली में स्पष्ट और अलग से निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता । नियमावली में तो केवल सहायक निरीक्षकों सहित निरीक्षकों द्वारा सामान्यत: की जाने वाली ड्यूटी के लिए मार्गदर्शन ही किया गया है । इसी तरह अनुरक्षकों की ड्यूटी को यांत्रिक और बिजली अनुरक्षकों की मुख्य कोटियों में वर्गीकृत किया गया है लेकिन इन दो कोटियों के अलग-अलग ग्रेडों के लिए ड्यूटी को स्पष्ट और अलग से निर्दिष्ट नहीं किया गया है ।

(ख) दूर संचार निरीक्षकों की ड्यूटी मोटे रूप में सिगनल इंजीनियरी नियमावली के अध्याय 13 में दी गई है । दूर संचार संगठन, उसके संचालन आदि के बारे में विस्तृत ब्यौरा दूर संचार नियमावली में दिया जा रहा है जो कि छप रही है और आशा है कि 1975 के शुरू में जारी हो जायेगी ।

(ग) जो नवीनतम नियम पुस्तकें नियमावलियां आदि उपलब्ध नहीं हैं, उनको छोड़कर शेष अधिकांश सहायक निरीक्षकों और कुछ अनुरक्षकों को सप्लाई की गई हैं ।

(घ) औसतन लगभग 70 प्रतिशत सहायक निरीक्षकों और कुछ अनुरक्षकों को ये अद्यतन नियम और संदर्भ पुस्तकें सप्लाई की गई हैं । रेलों की कुशलता और सुरक्षा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि सामान्य नियम, सिगनल इंजीनियरी नियमावली आदि नियम पुस्तकों में उल्लिखित नवीनतम नियमों एवं विनियमों से सम्बन्धित अनुदेश प्रशिक्षण स्कूलों में अनुरक्षकों और सहायक निरीक्षकों को अलग से बताए जाते हैं और समय-समय पर विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर परिपत्र जारी किए जाते हैं । इसके अलावा, सिगनल निरीक्षक कार्यालय में परामर्श के लिए सामान्य नियम और सिगनल इंजीनियरी नियमावली आदि पुस्तकें हमेशा उपलब्ध रहती हैं ।

धनबाद में रेल कर्मचारियों की बैठक

3980. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 15 सितम्बर, 1974 के कोलफील्ड गजट में प्रकाशित "रेलवेमेन मीट एट धनवाद" नाम समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) हड़ताली कर्मचारियों के विरुद्ध स्थानीय रेल अधिकारियों की बदले की भावना वाले व्यवहार, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार, अनियमित नियुक्तियां और अधिकारियों के अनुचित बर्ताव, की जैसा कि उस समाचार में बताया गया है, के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Theft of Railway Goods

3981. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether a substantial quantity of railway goods has been stolen in 1974-75;

(b) if so, the extent thereof ; and

(c) the number of persons arrested in this connection ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh) : (a) and (b) Booked consignments worth Rs. 1,98,38,855/- approximately were stolen/pilfered on all Railways during April to September 1974.

(c) In this connection 2401 persons were arrested under the Indian Penal Code and Railway Property (Unlawful Possession) Act 1966.

कालका-हावड़ा डाक गाड़ी में अपर्याप्त स्थान

3982. श्री वीरभद्र सिंह : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालका-हावड़ा डाक-गाड़ी में द्वितीय श्रेणी के स्थान अपर्याप्त हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस गाड़ी में द्वितीय श्रेणी के और अधिक डिब्बे लगाने का है?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Contracts of Tea Stalls, Refreshment rooms, Trollies given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes on Delhi-Bombay line

3983. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state the percentage of tea stalls, refreshment rooms, trollies on Delhi-Bombay line allotted to Scheduled Castes and Scheduled Tribes people indicating the total number of conrtacts given ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Siugh) : Out of a total of 846 contracts of tea stalls, refreshment rooms and trollies allotted, 55 such contracts have been given to Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The percentage of contracts allotted to Scheduled Castes and Scheduled Tribes is 6.5.

हड़ताल की अवधि के दौरान माल उतारने के सामान्य समय से अधिक समय तक मालशेडों में रुके हुए वेगन

3984. श्रीमती विभा घोष गोस्वामी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल हड़ताल की अवधि के दौरान माल उतारने के 6 घंटों के सामान्य समय से अधिक समय तक माल शेडों में कितने वैगन रुके हुए थे ;

(ख) उन वैगनों के रुक जाने से विलम्ब-शुल्क की कितनी राशि वसूल की गई और क्या कोई राशि एकत्रित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इससे कितनी हानि हुई ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

आयात लाइसेंस कांड के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : IMPORT LICENCE CASE

श्री मोरारजी देसाई (सूरत): कल की बैठक की समाप्ती के समय अध्यक्ष महोदय ने अपील की थी कि इस समस्या का कोई हल निकाला जाए । इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि मैंने प्रधान मन्त्री की पेशकश स्वीकार कर ली है कि सभी सम्बद्ध कागजात नेताओं के समक्ष, जिनमें आप भी शामिल होंगे, रखे जायें और आवश्यक गोपनीयता का ध्यान रखते हुए हम इन कागजात की छानबीन करने के बाद आगे जांच या कार्यवाही की मांग करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं । मैंने अभी निश्चय नहीं किया कि मैं इस बठक की अध्यक्षता करूंगा या नहीं ।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : (बेगुसराये) हम आपके अतिरिक्त और किसी व्यक्ति की अध्यक्षता स्वीकार नहीं कर सकते ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करके बताऊंगा । इस बात का निर्णय करने में मुझे 2-3 दिन का समय लगेगा ।

नियम 377 के अधीन मामले के बारे में
RE : MATTER UNDER RULE 377

श्री पी० के० देव (कालाहांडी): मैंने अनुरोध किया था कि मुझे 21 नवम्बर, 1974 के वादविवाद की, जिसका टेप-रिकार्ड किया गया था, सुनने की अनुमति दी जाए ताकि मैं अपने संदेह का निवारण कर सकूं।

अध्यक्ष महोदय : इसके सम्बन्ध में आपको स्थिति बता दी गई थी ।

श्री पी० के० देव : मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं ।

विशेषाधिकार के प्रश्नों के बारे में
RE : QUESTIONS OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी के इस कथन पर कि संसद 'रबड़ स्टैम्प' मात्र रह गई है मुझे श्री उन्नीकृष्णन, श्री एन० सी० पराशर, श्री बसंत साठे तथा कुछ अन्य सदस्यों से विशेषाधिकार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इस मामले पर विचार करने के लिये कुछ समय लगेगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : क्या मैं अनुरोध कर सकता हूं कि इस मामले को सीधे विशेषधिकार समिति को सौंप दिया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बात का निर्णय अभी करना है कि वह ठीक है या नहीं । श्री सी० एम० स्टीफन और श्री डी० सी० गोस्वामी ने श्री मधुलिमये के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना दी है कि उन्होंने श्री एल०एन० मिश्र द्वारा दिये गये वक्तव्य को फाड़ दिया था। श्री समर गुह ने 'न्यू वेव' सप्ताहिक पत्रिका के श्री गिरीश माथुर के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव की भी सूचना भेजी है । मैं इन सब पर विचार करूंगा ।

Sh. Atal Bihari Vajpayee : I rise on a point of order regarding rules of procedure. I have read in the newspapers that Sh. L. N. Mishra made a statement yesterday and you allowed him to lay it on the table. He continued to read the same but the same could not be heard. Same hon. Members also stood on a point of order. Was it not necessary to hear the point of order (*Interruptions*). I want to know as to how the statement of Shri L. N. Mishra was recorded when we could not hear his Statement ? I have written a letter to you and also discussed the matter personally that the new facts have came to light and we want to move a fresh motion of privilege. I could request you to kindly give us a hearing before giving your ruling.

श्री श्यामनन्दन मिश्र : मैं कल व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता था परन्तु आपकी अनुमति मिलने से पहले रेल मन्त्री ने अपना वक्तव्य आरम्भ कर दिया था । आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या जब एक माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता है तो उसकी उपेक्षा करके किसी अन्य सदस्य को तरजीह दी जा सकती है । दूसरी बात यह है कि कल कुछ बातों को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया है परन्तु इसके बावजूद उन्हें कार्यवाही वृत्तान्त से नहीं निकाला गया । हम नहीं चाहते कि इस प्रकार के तिरस्कारपूर्ण शब्दों का आल इण्डिया रेडियो द्वारा प्रसारण हो । मुझे पता चला है कि आल इण्डिया रेडियो के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा गया है । क्या आप इन सब बातों पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आल इण्डिया रेडियो ने समाचार दिया है कि आल इण्डिया रेडियो के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग करने सम्बन्धी प्रस्ताव की सूचना दी है परन्तु आपने उसका कोई उल्लेख नहीं किया जबकि आपने मेरे विरुद्ध ऐसे ही प्रस्ताव का उल्लेख किया है । आपको भेदभाव नहीं करना चाहिए ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर): मेरा निवेदन यह है कि जब किसी माननीय सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा जाता है तब उसे उसी व्यक्ति के पास भेजा जाता है ताकि वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर सके । इसी प्रकार जब

श्री मधु लिमये के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग का प्रस्ताव भेजा गया था तो आपको उसे श्री मधु लिमये को भेजना चाहिए था ताकि वह अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकते।

श्री एल० एन० मिश्र के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव में हमने स्पष्ट विवरण दिया है और आपका विनिर्णय बहुत महत्व रखता है। वाद-विवाद में श्री मिश्र के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का कुछ अंश ही शामिल किया गया है। अतः यह मामला अभी समाप्त नहीं हुआ। हम इस विषय पर फिर से चर्चा करने की मांग करेंगे क्योंकि अब मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं जिन्हें मैं आवश्यकता पड़ने पर सभा पटल पर रखना चाहूंगा। इस मामले में श्री एल० एन० मिश्र और प्रधान मन्त्री स्वयं अन्तर्ग्रस्त हैं और इसीलिये इस मामले को दबाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अभी अपनी अनुमति नहीं दी है। मैंने कहा था कि यदि प्रथम दृष्टि में कोई मामला हुआ तो मैं बताऊंगा। अभी तो मैंने उनके प्राप्त होने की सूचना दी है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा): 'पेट्रियाट' में चार दिसम्बर को यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि श्री आर० एन० गोयन्का तथा चार अन्य व्यक्तियों पर जालसाजी आदि के आरोप में मुकदमा चलाया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह वही श्री आर० एन० गोयन्का हैं जो विदिशा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हैं। यदि यह बात ठीक है तो यह एक गम्भीर मामला है। मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप मुझे इस मामले को **नियम** 377 के अधीन उठाने की अनुमति दें। मैंने आपको श्री गोयन्का के बारे में पत्र लिखे हैं। क्या आप सरकार को इस बारे में वक्तव्य देने के लिये निदेश देंगे?

Shri Madhu Limaye (Banka) : Sir, you have just now told the house that you have received two motions of privilege against me.

Mr. Speaker : I would tell you if they are to be taken up. I have not allowed them and therefore do not allow you to speak.

Shri Madhu Limaye : I have submitted my notice today.

Mr. Speaker : I have received three or four notices today but I will consider to them afterwards. I will inform the House in case of their admission.

Sh. Madhu Limaye : I have to raise a point of order regarding Shri L. N. Mishra statement. I am not prepared to accept it as his statement. But in your ruling you direct him to place it on the Table of the House. A point of order gets preference.

Mr. Speaker : On what subject you are speaking ?

Shri Madhu Limaye : I am speaking on procedure. They are interrupting me.

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रस्ताव के विषय पर बोल रहे हैं?

Shri Madhu Limaye : I am not speaking on the motion. But I am speaking on the privilege Motion against Shri L. N. Mishra. I want to know your ruling in this regard (*interruption*) Please see Bulletin No. (1) in which you have stated that Shri L.N. Mishra was allowed to lay his statement on the table. It is not a part of the proceedings. I have a moral right to tear of a thing which is not a part of the proceedings :

अध्यक्ष महोदय : आप सभा पटल से पत्र उठाकर फाड़ नहीं सकते।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहरी) : इनका पत्रों का फाड़ना विशेषाधिकार का मामला है (**व्यवधान**)

Shri Madhu Limaye : I want your ruling on the fact that the report or the proceedings included in the Bulletin Part (I) should be expunged. The point of order should be listened first and the Railway Minister should be asked to make a statement afterwards because any proceeding without hearing the point of order is irregular and illegal. These proceedings are irregular and illegal and do not form part of the official report of the proceedings. They may be expunged.

प्रो० मधु दण्डवतें (राजापुर): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप अपना विनिर्णय देने से पूर्व मेरी बात सुनें। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि श्री मोरार जी देसाई ने वक्तव्य देने के बाद प्रधान मन्त्री से इस बात का स्पष्टीकरण

देने की मांग की थी कि क्या उक्त प्रतिवेदन उन्हें केवल देखने के लिये उपलब्ध होगा । अथवा उक्त प्रतिवेदन विपक्षी सदस्यों द्वारा आगे कार्यवाही के लिये उपलब्ध होगा और क्या इस मामले में आगे जांच करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। प्रक्रिया सम्बन्धी इस विशेष व्यवस्था के मामले को निपटाया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवतें (राजापुर): मैंने समाचार पत्रों में आपकी टिप्पणी पढ़ी थी कि आप व्यवस्था के प्रश्न के बारे में नहीं सुन सके ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रधान मन्त्री को अपने वक्तव्य में कुछ और नहीं जोड़ना है ।

प्रो० मधु दण्डवते : अतः मैं इस बारे में आपका विनिर्णय चाहता हूं । चूंकि हम व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे और हमें उसे उठाने की अनुमति नहीं दी गई थी और उस समय कल कोई विनिर्णय नहीं दिया गया था अत: उसके बाद मदों पर की गई चर्चा अवैध थी तथा ऐसा करना सभा की प्रक्रिया का उल्लंघन करना था । अत: उन्हें रद्द समझा जाना चाहिए और श्री एल० एन० मिश्र को दुबारा वक्तव्य देने के लिये कहना चाहिए और सभा के अन्य सदस्यों को जिन्हें विशेषाधिकार के मामले पर बोलने की अनुमति दी गई थी अपने सुझाव देने की अनुमति दी जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : कल प्रधान मन्त्री के वक्तव्य से कार्यवाही आरम्भ हुई थी और उसके बाद श्री मोरार जी देसाई ने ववतव्य दिया था । उसके बाद कुछ स्पष्टीकरण दिया गया । वह व्यवस्था का मामला नहीं था । प्रधान मन्त्री ने कहा था कि उन्हें अपने वक्तव्य में कुछ और जोड़ना नहीं है ।

इसके बाद मैंने श्री एल० एन० मिश्र को पुकारा उन्होंने अपना वक्तव्य पढ़ना आरम्भ किया । तब मैंने कहा कि यदि शोर होता है तो आप अपना वक्तव्य सभा पटल पर रख सकते हैं । कोई सदस्य सभा की कार्यवाही नहीं सुन सका ।

जहां तक श्री मिश्रा से सम्बन्धित विशेषाधिकार के मामले का सम्बन्ध है, मैं इस मामले में श्री वाजपेयी से पूर्णतया सहमत हूं । वह मेरे पर विश्वास करें कि मैंने कुछ नहीं सुना और कुछ न सुनने के कारण मैंने कहा "कि यह ठीक है आप इसे सभा पटल पर रख दें" ।

उस समय बहुत शोर हो रहा था । मैं आपको आपके विशेषाधिकार के प्रश्न अथवा आपने मुझे जिस विषय पर बोलने के लिये लिखा है उस पर बोलने की अनुमति देता हूं ।

जहां तक अन्य व्यवस्था के प्रश्नों का सम्बन्ध है मुझे इस सम्बन्ध में, यदि माननीय सदस्य उन्हें उठाना चाहें तो, कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन श्री वाजपेयी के मामले में यह विशेषकर कहा गया है कि वह अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगूसराय): मेरे व्यवस्था के प्रश्न का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : आप अपना व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं । कल विशेष स्थिति उत्पन्न हो गई थी । मेरे तथा संवाददाताओं के लिये किसी भी सदस्य को सुनना बहुत कठिन था । जब श्री मिश्र कुछ बोल रहे थे तो मैं उन्हें नहीं सुन सका । मैंने महासचिव से यह पता करने के लिये कहा कि वह क्या कह रहे हैं । उन्होंने मुझे बताया कि वह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं । मैंने उनसे कहा कि वह उन्हें सूचित कर दें कि वह ऐसा कर सकते हैं । यदि शोर होता है तो पीठासीन तथा संवाददाता अपना कार्य नहीं कर सकते हैं ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : क्या आप उनके द्वारा पढ़े गये वक्तव्य की ओर ध्यान देंगे जिसे हम सुन नहीं सके ।

अध्यक्ष महोदय : उसे सभा पटल पर रख दिया गया था ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : उसे हम सबको परिचालित किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : वह सभा पटल पर रखा गया था । उसे परिचालित किया जा सकता है । **(व्यवधान)** ब्रिटेन में एक वर्ष में मुश्किल से एक विशेषाधिकार का मामला उठाया जाता है लेकिन यहां प्रति दिन 8, 9 अथवा 10 मामले उठाये जाते हैं । इस मामले को गम्भीरता से लेना चाहिए । मैं इस बारे में जांच करूंगा ।

श्री पी० जी० मावलंकर : आपने सदन को यह बताया है कि आपको श्री वाजपेयी और श्री मधु लिमये के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब कुछ विशेषाधिकार प्रस्ताव विचाराधीन थे तब उनको पहले निपटाये बिना आप इन दोनों प्रस्तावों का कैसे उल्लेख कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने बताया था कि मुझे उनकी जानकारी है और उन्हें यथा समय लिया जायेगा ।

श्री पी० जी० मावलंकर : पहले विशेषाधिकारों को निपटाये बिना आपने इन दो प्रस्तावों का कैसे उल्लेख किया ?

अध्यक्ष महोदय : पहले भी ऐसा किया गया है ।

श्री पी० जी मावलंकर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न कल की कार्यवाही से सम्बन्धित लोक सभा समाचार भाग एक के बारे में है । समाचार भाग का पृष्ठ 2 मद 7 अनुपूरक अनुदानों की मांगें (गुजरात) 1974-75 से सम्बन्धित है। गुजरात राष्ट्रपति के शासन के अन्तर्गत आता है। और यदि गुजरात के संसद सदस्यों का व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जाती तो इसका क्या उपचार है ?

अध्यक्ष महोदय : केवल अनुपूरक मागें प्रस्तुत की गई थी । उन पर चर्चा नहीं की गई थी ।

श्री पी० जी० मावलंकर : गुजरात में कोई विधान सभा नहीं है । मैं इस बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : जब इस विषय पर चर्चा की जाये तब आप व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं ।

डा० हैनरी आस्टिन (एरणाकुलम): इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि देश में लोगों के लिये अत्यधिक महत्व के विषयों पर विधान बनाने के कार्य को रोका जा रहा है अध्यक्ष महोदय को प्रति दिन सरकारी कार्यवाही के लिये कुछ समय निर्धारित करना चाहिए **(व्यवधान)** ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनिय, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, चीनी (1974-75 के उत्पादन के लिये मूल्य निर्धारण) आदेश, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 28 नवम्बर, 1974 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 670 (ङ) में प्रकाशित हुआ था । **[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 8709/74]**

भारतीय रेल अधिनियम 1890, और रेल रेड टैरिफ (सातवां और आठवां संशोधन) नियम 1974

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : मैं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अधीन जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) रेल रेड टैरिफ (आठवां संशोधन) नियम, 1974, जो दिनांक 23 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां० नि० 1253 में प्रकाशित हुये थे ।

(2) रेल रेड टैरिफ (सातवां संशोधन) नियम, 1974 जो दिनांक 23 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1254 में प्रकाशित हुये थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी० 8710/74]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 और कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1974

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री वेदव्रत बरूआ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 21(3)(ख) के अन्तर्गत मैसर्स टाटा इंजीनियरिंग एण्ड लोकोमोटिव कम्पनी लिमिटेड बम्बई के मामले में एकाधिकार तथा

अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति तथा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत उस पर केन्द्रीय सरकार का दिनांक 30 जून, 1972 का आदेश। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी०—8711/74]** ।

(2) कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1974 की धारा 12 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कम्पनी, (लाभांशों पर अस्थायी प्रतिबन्ध) नियम, 1974 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 नवम्बर, 1974 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 3126 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० —8712/74]** ।

मंत्री द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY MINISTER

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच०आर० गोखले) : विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी गतिविधि निवारण विधेयक पर बोलते हुए श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 दिसम्बर, 1974 को सभा में कहा कि मैंने श्री कृष्ण बुध गौडे को, जिसे आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किया गया है, प्रमाणपत्र दिया है। उन्हें पता चला कि 1971 के संसदीय चुनावों के पश्चात् मैंने अपने कई कार्यकर्त्ताओं को, जिनमें श्री गौडे भी सम्मिलित हैं, प्रमाणपत्र दिए हैं। यह प्रमाणपत्र इन कार्यकर्त्ताओं की सभी गतिविधियों पर आधारित नहीं हैं। और न ही यह अच्छे आचरण के बारे में सामान्य प्रमाणपत्र था। इस प्रमाणपत्र का संबंध केवल उस कार्य से है, जो कि श्री गौडे ने मेरे चुनाव अभियान के संबंध में किया है। इस बात को ऐसा नहीं समझा जाना चाहिए कि मुझे इस बात का पता था कि श्री गौडे का गैर-कानूनी तथा समाज विरोधी गतिविधियों जैसे तस्करी आदि में हाथ है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : बम्बई से प्रकाशित होने वाले एक दैनिक समाचार पत्र 'फ्री प्रेस जनरल' में प्रकाशित समाचर से प्रश्न उठता है...

अध्यक्ष महोदय : वैयक्तिक स्पष्टीकरण के बारे में चर्चा नहीं की जा सकती।

श्री श्यामनन्दन मिश्र : यह बिल्कुल स्पष्ट है कि तस्कर उनके लिए चुनाव में कार्य करते हैं।

श्री एच०एन० मुकर्जी : क्या मैं यह विश्वास करूं कि अच्छे आचार के प्रमाणपत्र तथ्यों की जानकारी के बिना दिए जाते हैं ?... **(व्यवधान)** यह बहुत गम्भीर मामला है। हम तुलमोहन राम गोइन्का तथा अन्य व्यक्तियों के मामले से चिन्तित हैं **(व्यवधान)** ।

श्री मधु लिमये : क्या उन्होंने ऐसा करके सभा की गरिमा को कम नहीं किया है ? आप इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपे **(व्यवधान)** ।

श्री ज्योतिर्मय बसु* :...

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

Shri Madhu Limaye : Are you satisfied with the explanation of the hon. Minister ? Is it not misconduct ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे संतोष की बात छोड़िये। रुग्ण कपड़ा मिल विधेयक के खंड 2 और उस के संशोधन पर कल हमने चर्चा की थी।

श्री श्याम नन्दन मिश्र : इससे पहले कि आप इस पर चर्चा करें क्या यह उचित नहीं होगा कि मंत्री महोदय उन सब तस्करों से प्रमाण पत्र वापिस लें जिन्हें उन्होंने उक्त प्रमाणपत्र दिए हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु* : ...

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*Not Recorded.

अध्यक्ष महोदय : आप ने जो कुछ कहा है वह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। चूंकि हम कोई भी बात कल नहीं सुन सके थे अतः हम खंड 2 पर मध्याह्न भोजन के पश्चात् पुनः चर्चा करेंगे।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।
The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर चार मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।
The Lok Sabha reassembled after lunch at four minutes past fourteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker ***in the Chair*** **]**

Mr. Madhu Limaye : I am thankful to you for giving advice to the Government and the opposition. (*Interruptions*) I want to give some suggestion . . .

Mr. Deputy Speaker : you have not given any notice.

Mr. Madhu Limaye : I have given a notice. A member of Parliament from Andhra has cheated the Government by acquiring waste land in the name of his sister-in-law and selling it at Rs. 50 lakhs to the Government for public purposes. I have been told that my notice is under consideration. It has badly hit the dignity of the House. I want that his name should be disclosed (*Interruption*).

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य इस तरह व्यवधान डालेंगे तो मेरे लिए सभा की कार्यवाही चलाना कठिन होगा।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : देश के सब भागों से हजारों विद्यार्थी संसद भवन के सामने मूल्य वृद्धि जमाखोरी और कालाबाजारी के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी एक मांग यह है कि संसद को मतदान के लिए आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना चाहिए। प्रदर्शन का उद्देश्य प्रतिक्रियावादी तत्वों के विरुद्ध लोकतंत्र की रक्षा करना है। मैं आप से निवेदन करूंगा, कि या तो आप प्रतिनिधि मंडल से भेंट करें अथवा प्रधान मंत्री जाकर युवक रैली को संबोधित करें क्योंकि हम न्याय चाहते हैं।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : इस मामले पर माननीय गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिए। लेकिन इस बारे में मंत्री महोदय ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है कि क्या यह व्यक्ति इस सदन का माननीय सदस्य है अथवा कोई अन्य व्यक्ति है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडाकर) : क्या आप गृह मंत्री को निदेश देंगे कि वह इस बात के बारे में वक्तव्य दें कि यह तथ्य है अथवा नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : संसदीय कार्य मंत्री ने मुझसे कार्यसूची के क्रम में मामूली सा परिवर्तन करने के बारे में मौखिक अनुरोध किया है। उनका अनुरोध यह है कि हम मद 7 को अभी ले लें और मद 6 पर बाद में विचार करें।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : वे सब इस बात से सहमत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी सहमति के लिए इसे सभा में रखता हूं। जहां तक छोटे सिक्के संबंधी विधेयक का संबंध है इसके लिए तीन वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। उक्त तीन वर्ष की अवधि कल समाप्त होती है। उक्त अधिनियम को जारी रखने के उद्देश्य से सरकार इसे आज पारित करना चाहती है। यदि माननीय सदस्य सहमत हों तो हम इस विधेयक पर अभी चर्चा आरम्भ कर दें।

छोटे सिक्के (अपराध) संशोधन विधेयक
SMALL COINS (OFFENCES) AMENDMENT BILL

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं संसदीय कार्य मंत्री और विपक्षी दलों के नेताओं को इस विधेयक पर चर्चा करने की सहमति देने के लिए धन्यवाद देती हूं। यह विधेयक शीघ्र ही पास किया जाना होगा। मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि छोटे सिक्के (अपराध) अधिनियम, 1971 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाए।"

विधेयक का उद्देश्य यह है कि छोटे सिक्के (अपराध) अधिनियम, 1971 को, जो इस समय है अस्थायी, स्थायी बनाया जाये।

जून, 1970 तथा 1971 के आरम्भ में छोटे सिक्कों की अत्यधिक कमी की गम्भीर शिकायतें मिलीं। क्योंकि छोटे सिक्कों को पिघलाया जाता था और इसी उद्देश्य से उनकी जमाखोरी की जाती थी। क्योंकि उनका असली मूल्य उन पर अंकित मूल्य से अधिक था। छोटे सिक्कों के गलाये जाने अथवा नष्ट किए जाने तथा गलाने अथवा नष्ट करने के लिए छोटे सिक्कों को इकट्ठा करने को रोकने के लिए 11 दिसम्बर, 1971 को छोटे सिक्कों (अपराध) अधिनियम, 1971 लागू किया गया था। छोटे सिक्कों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने भी कई कदम उठाये थे। परिणामतः उन्हें गलाने की शिकायतें कम हो गईं। क्योंकि सिक्कों की यह कमी थोड़े समय तक ही रहने वाली बात है अधिनियम की धारा 1(2) में यह उपबन्ध किया गया है कि यह 3 वर्ष तक लागू रहेगा।

अधिनियम ने अपना उद्देश्य ठीक प्रकार निभाया है। इसने निकल के सिक्कों के गलाए जाने पर रोक लगाई, जिनका धातु मूल्य 1970–71 और 1971–72 में बाह्य मूल्य से अधिक हो गया था क्योंकि तांबे और निकल के मूल्य बढ़ गए थे। परन्तु विश्वास से यह नहीं कहा जा सकता कि अब सिक्कों को गलाया नहीं जाता और भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में काफी लोगों पर मुकदमे भी चलाए गए हैं।

बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद स्थित टकसालों में सिक्कों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है। सिक्कों का उत्पादन वर्ष 1973–74 में सिक्कों का उत्पादन 21650 लाख था जबकि 1974–75 में इनका उत्पादन 22300 लाख होने की संभावना है। सिक्कों के उत्पादन में वृद्धि हैदराबाद स्थित भारत सरकार की टकसाल में दूसरी पारी चालू करने और सिक्कों की ढलाई में आधुनिक उपकरण प्रयोग करने के परिणामस्वरूप हुई। इसके परिणामस्वरूप छोटे सिक्कों की अनुभव की जा रही कमी दूर हो गई है।

अतः यह निश्चय किया गया कि छोटे सिक्के (अपराध) अधिनियम, 1971 को अस्थायी की जगह स्थायी बनाया जाये। यह कार्य अधिनियम के खंड 1(2) का संशोधन कर किया जा सकता है।

मैं विधेयक को सभा के समक्ष रखती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि छोटे सिक्के (अपराध) अधिनियम, 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाए।"

श्री दिनेश जोरदर (मालदा) : यह विधेयक छोटा सा तो जरूर है परन्तु इसका संबंध बाजार जाने वाले तथा बसों अथवा रेलगाड़ियों से यात्रा करने वाले असंख्य लोगों से है। छोटे सिक्कों की प्राप्ति में पूर्ववर्ती भारी कठिनाई में कुछ सुधार तो हुआ है परन्तु अब भी दिक्कत बनी हुई है और उनके अभाव में हमें अब भी प्रायः मूल्य से अधिक दाम देने पड़ते हैं। छोटे सिक्कों को गलाने या उन्हें नष्ट करने विरोधी इस विधेयक का हम स्वागत करते हैं परन्तु यह विचार करना शेष है कि क्या इस विधेयक के फलस्वरूप यह समस्या पूरी तरह हल हो जायेगी ?

हमें बताया गया है कि बम्बई, हैदराबाद, अलीपुर तथा कलकत्ता में छोटे सिक्के बनाने वाले कारखानों में देश भर की आवश्यकतानुसार सिक्के ढल नहीं रहे हैं। अतः इनके निर्माण को बढ़ाने के लिए अन्य साधन बनाने होंगे। साथ ही, देश में जाली सिक्कों के प्रचलन भी पूरी तरह रुक नहीं पाया है। उसे रोकने के उपाय भी करने होंगे।

सरकार ने सिक्कों को गलाये जाने को रोकने के लिए उसके मूल्य को इतना कम कर दिया है कि बाजार में उसका महत्व ही समाप्त हो गया है। सरकार ने इस वर्ष निर्मित सिक्कों की संख्या तो बताई है परन्तु गत वर्ष की संख्या कहीं प्रकाशित नहीं हुई है।

हमने रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंकों में एक ही नम्बर के दो-दो नोट देखें हैं। उसमें मुद्रण की गलती है या उनमें जाली नोट हैं। मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

अन्त में मैं अनुरोध करूंगा कि मंत्री महोदय छोटे सिक्कों की कमी की ओर ध्यान दें तथा उनका अधिक उत्पादन तथा वितरण करने की व्यवस्था करें।

Sh. Hukam Chand Kachwai (Morena) : I support this bill since there was no such law till now to stop melting and destroying coins. I had insisted on the Government for that and I am glad that my insistance has borne fruits.

Government has said that they have filed many cases against the defaulter. Let the hon. Minister State the number of such cases as also the number of persons punished in this connections,

Besides the deaths of small coins they are very light and unattractive. Whereas the metal for these coins should be unattractive from melting point of view, the shape, and weight of our coins should be catchy and there metal should be heavy and durable. Similarly the shortage of coins should be overcome by augmenting their number and also their circulation. Counterfeiting of coins and currency notes should also be checked and, if necessary, more comprehenssive laws should be framed for the purpose.

I hope my suggestions would be taken into consideration.

Shri S. M. Benarjee (Kanpur) : I rise to support this Bill, but I would like to make a few points before the Government. The metal value of the proposed one rupee coin should not be more than the coin's currency value otherwise it would encourage their melting by unscruplous people. Also I would like to khow when this new coins would be issued and whether it would prove less costlier than notes.

Then whereas the metal of 50 paise coin is quite good, it is very light and had in case of 5 and 10 paise coins. Also, it appears that a small scale industry is minting counterfeit coins. Shortage of coins is very acute, as a result of which, we do not get back the change. Beggars are also badly affected on account of one rupee having been divided into 100 paise, instead of 64 paise as before.

Finally, I would again like to know when the rupee note would be replaced by a rupee-coin. I suggest that the metal for this coin should be incapable of being melted.

Shri D. N. Tivari (Gopalganj) : The metal of the coins should be such as not to attract their melting and therefore it should be of less value than that of the coin itself. Only making a law would not help. The value of the coin is what is guaranteed by the Government and not the one which the coin stands for, on account of its metal.

The present one rupee note gets spoiled or damaged just in a few transactions. Therefore it should be replaced by a one rupee coin.

Then the misprinting should also be strictly checked and avoided lest it should create confusion and suspicion in the minds of the people at large.

***श्री जे० माता गौडर** (नीलगिरि) : इस छोटे से विधेयक का देश की समूची ग्रामीण जनसंख्या से संबंध है। वर्ष 1973–74 तथा 1974–75 में छोटे सिक्कों का निर्माण क्रमशः 21.65 करोड़ तथा 22.30 करोड़ होने पर

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil,

भी ग्रामीण क्षेत्रों में इन सिक्कों का भारी अभाव है, और लोग परेशान हैं। अतः मैं सरकार से कहूंगा कि वह वर्ष 1974-75 में 22.30 करोड़ के अपने लक्ष्य को अवश्य पूरा करे।

माननीया उपमंत्री ने अपने प्रारंभिक भाषण में कहा है कि सिक्कों की धातु बदल जाने पर भी उन्हें पिघलाने की गतिविधियां रुक नहीं पाई हैं। सरकार ने अवांछनीय तत्वों द्वारा इन सिक्कों को गलाने को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाये हैं ?

छोटे सिक्कों के जमाखोरों के विरुद्ध भारत रक्षा नियमों के अधीन तो कार्यवाही की जा रही है परन्तु उन पर छोटे सिक्के (अपराध) अधिनियम को लागू क्यों नहीं किया गया है ? सरकार को इसमें क्या कठिनाई है ?

रिजर्व बैंक में नोटों के बदले छोटे सिक्के गिनकर नहीं बल्कि तौल कर दिये जाते हैं तथा यदि ग्राहक को इस प्रकार वे सिक्के कम मिलें तो बैंक उसकी क्षतिपूर्ति नहीं करता। अतः तौल कर सिक्के देने की बजाय कोई अन्य त्रुटि-हीन तरीका अपनाया जाना चाहिए।

एक नम्बर के कई नोट मुद्रित हो जाना सरकार की अयोग्यता तथा अकुशलता का द्योतक है। इस संबंध में छोटी छोटी भूलें भी देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव डालती हैं। इसी प्रकार जाली सिक्कों का फैलना भी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत हानिकर है। इसका विशेषकर ग्रामीण लोगों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः सरकार को इन बातों के लिए अत्याधिक सावधान तथा चौकस रहना चाहिए।

कुछ वर्ष पूर्व सिक्कों पर संघीय राज-भाषाओं में भी उनके मूल्य मुद्रित किये जाते थे। परन्तु दुर्भाग्यवश अब ऐसा करना बन्द कर दिया गया है। यह प्रक्रिया फिर से चालू की जानी चाहिए ताकि देश भर के लोग अपनी अपनी भाषा में सिक्के का मूल्य सुगमता से पढ़ सकें।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : मैं बड़े उत्साह से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसका उद्देश्य बड़ा अच्छा है और इस संबंध में अधिक चर्चा की जरूरत भी नहीं है। परन्तु एक-दो समस्यायें भी हैं। वस्तुतः कम पैसे वाले लोग ही छोटे सिक्कों का अधिक उपभोग करते हैं और वही लोग हमारे देश के प्राण हैं। मंत्री महोदय की यह बात मैं मानता हूं कि अब इन सिक्कों का अभाव कुछ कम हो गया है परन्तु ग्रामीण क्षत्रों में यह समस्या अब भी विकट बनी हुई है। वहां यदि खरीज वापस लेते समय 10 या 5 पैसे भी छोड़ने पड़ें तो यह हानि भी उनके लिये असहाय सी है। मंत्री महोदय इस समस्या पर ध्यान दें।

मैंने पढ़ा है कि माननीय उप-मंत्री ने राज्य सभा में यह कहा है कि सरकार एक रुपये के नोट के स्थान पर एक रुपये का सिक्का चलायेगी क्योंकि ये नोट जल्दी खराब हो जाते हैं। तो सरकार को ऐसा शीघ्र ही करना चाहिए।

छोटे सिक्कों की कमी का बहाना करके न केवल टैक्सी या रिक्शा वाले ही खरीज वापस नहीं करते बल्कि सरकारी ऐजन्सियों, निगमों में भी यह धांधली चल रही है। बदले में जो डाक-टिकट दी जाती है हर कोई तो उसके उपभोग की जरूरत नहीं रखता। फिर यदि हम स्वयं छोटे सिक्के की जगह डाक-टिकट दें तो बस कंडक्टर आदि उसे स्वीकार नहीं करते। तो कम से कम सरकारी संस्थानों में तो छोटे सिक्कों की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए ताकि सामान्य लोगों को असुविधा न हो।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी (जमशेदपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। सिक्के पिघलाना एक अपराध है और सरकार सिक्कों के लिए किसी ऐसी धातु का उपयोग करे जिस की धातु का मूल्य सिक्के के मूल्य से सर्वथा कम हो। इस संबंध में आवश्यक अनुसंधान किया जाये। इससे सिक्कों की जमाखोरी तथा उनका पिघलाया जाना रुकेगा। इस प्रकार सरकार इस अपराध की जड़ में जाकर उसकी रोक-थाम करे।

देश भर में छोटे सिक्कों की कमी है, विशेषतया उत्तर भारत में इसका सर्वथा अभाव है। बैंकों से प्राप्त होने वाले एक रूपये के नोट भी सड़े-गले होते हैं। ऐसा क्यों है ?

सरकार ने उन लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है जो स्वयं देश की राजधानी दिल्ली की चुंगियों पर ट्रक-भर छोटे-सिक्के रखते हैं। जब सरकार राजधानी में ही ऐसे जमाखोरों को नहीं रोक सकती तो देश के अन्य भागों में क्या करेगी ?

छोटे सिक्कों की कमी के कारण सामान्य लोगों के लिए असली तथा जाली सिक्कों में भेद करना बड़ा कठिन है। उन्हें तो सभी प्रकार के सिक्के स्वीकार करने पड़ते हैं। उनकी विवशता है। सरकार इस संदर्भ में क्या कदम उठा रही है? यद्यपि इस विधेयक का उद्देश्य यही है परन्तु सरकारी व्यवस्था अनुशासित हुए बिना कोई भी कानून प्रभावी नहीं होगा। मुझे तो पता चला है कि यहां तक कि सरकारी टकसालें भी जाली सिक्के बना रही हैं। एक रुपये के सिक्के की धातु का मूल्य एक रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए ताकि उसे गलाने का प्रलोभन पैदा न हो। ऐसी धातु के बारे में जमशेदपुर स्थित धातु प्रयोगशाला में अनुसंधान किया जा सकता है।

छोटे सिक्के रखने की अन्तिम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ताकि उनकी जमाखोरी तथा पिघलाने को रोका जा सके। पुराने नोटों के बदले कमीशन पर नये नोट देने के कदाचार को भी रोका जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Darbara Singh (Hoshiarpur) : I won't make a speech but would point out that their is acute shortage of small coins in government agencies in particular. Taxi-drivers do not return 10 to 50 paise on the plea that there is a shortage of small coins.

I would request the hon. Members not to insist on having regional languages on the coins, otherwise it may lead to the demand of local and colloquial languages also. Instead, they should ask for minting more and more small coins.

Our coins do not make any sound when drop and thus often remain untraceable. Our coins should make sound.

Our currency notes get spoiled and damaged due to carefree handling. Damaged notes should be conveniently replaced. Check should also be kept on counterfeit coins and notes.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : विभिन्न सुझावों के लिये मैं माननीय सदस्यों की आभारी हूं। श्री सोखी ने ट्रक-भरे सिक्कों का जिक्र किया। यदि कहीं भी हमें इतनी मात्रा में सिक्कों का पता लगे तो हम उन के विरुद्ध भारत रक्षा नियमों, भारतीय दण्ड संहिता तथा छोटे सिक्के (अपराध) अधिनियम के अधीन कार्यवाही करेंगे।

मुझे प्रसन्नता है कि विभिन्न विचारधारा के राजनैतिक दलों ने भी इस विधेयक का स्वागत किया है।

सिक्कों के हल्के होने की शिकायत की गई है। किसी भी सिक्के की धातु का मूल्य उसके मुद्रा-मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए वरना फिर उनके पिघलाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी।

जाली सिक्कों का मामला भारतीय दण्ड संहिता तथा भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत आता है। सिक्कों को गलाने की प्रवृत्ति सिक्के की धातु के अधिक मूल्यवान होने या भविष्य में अधिक मूल्यवान होने की आशा के कारण पनपती है।

इस अधिनियम को लाने के समय छोटे सिक्कों की भारी कमी थी। इस बीच हमने इस कमी को दूर करने के अनेक उपाय किये हैं। टकसालों में दो शिफ्टों में काम होने लगा है तथा अब प्रतिदिन 12 लाख के स्थान पर 75 लाख सिक्के बनाये जा रहे हैं। हम इसमें और आगे वृद्धि करने का विचार रखते हैं तथा रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना चाहते हैं। वर्ष 1973-74 में हम 24000 लाख सिक्कों के लक्ष्य के बदले 21650 लाख सिक्के बना सके थे परन्तु इस वर्ष हम 24250 लाख के लक्ष्य के बदले 22950 लाख सिक्के बना सकेंगे। कोई अधिक अन्तर नहीं है।

यदि पता लगे कि अमुक स्थानों पर सिक्कों की कमी है और लोग परेशान हैं तो वहां सिक्के भेजे जा सकते हैं। रिजर्व बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में सिक्के उपलब्ध कराने के नये डिपो खोलने की योजना बना रहा है। बस स्टापों, होटलों आदि में अब काफी सिक्के उपलब्ध हैं।

एक ही नम्बर के नोटों के बारे में रिजर्व बैंक ने जांच कराई थी और पाया था कि ऐसा मशीनी दोष के कारण हुआ था। हमारे पास कुछ मशीनें पुरानी भी हैं। तथा हम अब उनके स्थान पर नई मशीनें लाने का प्रयास कर रहे हैं।

एक रुपये के नोट के स्थान पर एक रुपये का सिक्का चलाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। देश में एक रुपये के नोट हमारी कुल मुद्रा का 45 प्रतिशत है। ये नोट छः महीने में ही गन्दे तथा खराब हो जाते हैं तथा बेकार हो जाते हैं। हम रुपये के सिक्के के लिये क्यूपर-निकल मिश्रित धातु का उपयोग करने पर विचार कर रहे हैं।

जाली सिक्कों के संबंध में कतिपय लोगों के विरुद्ध की गई कानूनी कार्यवाही के आंकड़े तो इस समय मेरे पास नहीं हैं। परन्तु यह कानून लागू करने के पहले वर्ष में 80,000 रुपये के सिक्के पकड़े गए थे और अनेक लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी।

आज वस्तुतः सभा के सामने सिक्कों की कमी का मामला नहीं हैं। वह समस्या तो अब विकट नहीं है। जाली सिक्कों की मुसीबत भी इतनी नहीं है।

श्री पी० जी० मावलंकर : क्या डाकघर, रेलवे आदि सरकारी एजेन्सियां लोगों को छोटे सिक्के उपलब्ध नहीं करा सकते ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : रिजर्व बैंक ने सभी सरकारी संस्थानों और होटलों आदि को यह निदेश दिये हैं कि वे अधिक खरीज प्राप्त कर ले जिससे जनता को कठिनाई न हो।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : माननीय मंत्री ने इसका उत्तर नहीं दिया कि नोटों को बदलने के लिए लिए जाने वाले कमीशन के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : कमीशन सरकारी स्तर पर नहीं लिया जाता।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि छोटे सिक्के (अपराध) अधिनियम, 1971 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 2, खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जौड़ दिये गये।
Clause 2, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं :
"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

श्री पी०जी मावलेकर : महोदय ! सभा में गणपूर्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जाये। ...**अब** गणपूर्ति है। प्रश्न ५९
"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) विधेयक

SICK TEXTILE UNDERTAKINGS (NATIONALISATION) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करने से पूर्व मैं जानना चाहता हूं कि क्या श्री एस०एम० बनर्जी महान्यायवादी को सभा में बुलाए जाने के बारे में अपने प्रस्ताव को अभी प्रस्तुत करना चाहते हैं या संबंधित खण्ड आने पर।

श्री एस०एम बनर्जी (कानपुर) : खण्ड आने पर।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। अब हम खण्ड 2 पर विचार करते हैं।

उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालल में राज्य मंत्री (श्री बी०पी० मौर्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 2, पंक्तियां 3—9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

(b) "bank" means—

23 of 1955 (i) The State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955;

38 of 1959 (ii) a subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Bank) Act, 1959;

5 of 1970 (iii) a corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970;

2 of 1934 (iv) any other bank, being a scheduled bank as defined in clause (e) of Section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934;

(ख) "बैंक" से निम्नलिखित अभिप्रेत है —

1955 का 23 (i) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक;

1959 का 38 (ii) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित कोई समनुषंगी बैंक;

1970 का 5 (iii) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन गठित तत्समान कोई नई बैंक;

1934 का 2 (iv) कोई अन्य बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खण्ड (ङ) में यथापरिभाषित अनुसूचित बैंक हैं;]

(संख्या 39)

पृष्ठ 2,

[पंक्ति 22 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये।

12 of 1974 (fa) "Ordinance" means the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Ordinance. 1974;

1974 का 12 [(चक) "अध्यादेश" से रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1974 अभिप्रेत है;"],

(संख्या 40)

पृष्ठ 2, पंक्ति 26—27 में

"Sick textile undertakings" ['जो रुग्ण कपड़ा उपक्रम'] के स्थान पर "textile company" ['जो कपड़ा कम्पनी'] प्रतिस्थापित किया जाये।

(संख्या 41)

पृष्ठ 2, पंक्ति 28 में,

"such liquidator" ['ऐसा समापक या रिसीवर अभिप्रेत है'] के स्थान पर "includes such liquidator" ['ऐसा समापक या रिसीवर उसके अन्तर्गत है'] प्रतिस्थापित किया जाये।

(संख्या 42)

पृष्ठ 2, पंक्ति 29 में,

"and includes" ['और इसके अन्तर्गत ऐसे स्वामी का कोई अभिकर्ता या प्रबन्धक भी है'] के स्थान पर "and also includes" ['और इसमें ऐसे स्वामी का कोई अभिकर्ता या प्रबन्धक भी है'] प्रतिस्थापित किया जाये ।

(संख्या 43)

पृष्ठ 2, पंक्ति 29 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

'(ga) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act.'

['(चक) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।']

(संख्या 44)

पृष्ठ 2, पंक्ति 29 —

"manager of such owner" ['प्रबन्धक भी है'] के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये —

"but does not include and person or body of persons authorised under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, or the Sick Textile Undertakings
65 of 1951. (Taking over or Management) Act, 1972, to take over the management of the
72 of 1972. whole or any part of the sick textile undertaking;"

["किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय नहीं है जो सम्पूर्ण रुग्ण कपड़ा उपक्रम
1951 का 65 था उसके किसी भाग का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम,
1972 का 72 1951 या रुग्ण कपड़ा उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1972 के अधीन प्राधिकृत किया गया है ।"]

(संख्या 230)

डा० लक्ष्मीनारयण पांडेय (मंदसौर) : मैं संशोधन संख्या 158 और 159 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री सी० एस० स्टीफन (मुवन्तुपुजा) : मैं संशोधन संख्या 214 प्रस्तुत करता हूं । मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय ने अपने संशोधनों में मालिक (ओनर) शब्द की परिभाषा को सही रूप देने का प्रयास किया है कि नहीं । इस शब्द की वर्तमान परिभाषा के अन्तर्गत श्रमिकों को देय राशि के लिए राज्य कपड़ा निगम तो उत्तरदायी हैं किन्तु केन्द्रीय कपड़ा निगम नहीं । इस प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए ।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : I think that the word 'owner' includes the lessee and the occupier in it and therefore these words, lessee and the occupier should be omitted from the definition of the word owner.

Similarly the words agent or manager are superfluous. I hope the hon. Minister will accept my amendments.

श्री बी०पी० मौर्य : जहां तक श्री स्टीफन के संशोधन का प्रश्न है मैंने अपने संशोधन संख्या 230 में उनके आशय को सम्मिलित कर लिया है । मैं माननीय सदस्य की दूरदर्शिता की सराहना करता हूं । श्री पांडेय संशोधनों को मानने में असमर्थ हैं ।

श्री सी०एम० स्टीफन : मैं अपना संशोधन संख्या 214 वापस लेना चाहता हूं ।

सभा की अनुमति से संशोधन संख्या 214 वापस लिया गया

The amendment was by leave withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 3 से 9 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(b) "bank" means —

23 of 1955 (i) The State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955;

38 of 1959 (ii) a subsidiary bank as defined in the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959;

5 of 1970 (iii) a corresponding new bank constituted under section 3 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970;

2 of 1934 (iv) any other bank, being a scheduled bank as defined in clause (e) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934;"

['(ख) "बैंक" से निम्नलिखित अभिप्रेत है —

1955 का 23 (i) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक;

1959 का 38 (ii) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 में यथापरिभाषित कोई समनुषंगी बैंक;

1970 का 5 (iii) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन गठित तत्समान कोई नई बैंक;

1934 का 2 (iv) कोई अन्य बैंक, जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 2 के खण्ड (ङ) में यथापरिभाषित अनुसूचित बैंक हैं,]

(संख्या 39)

पृष्ठ 2, पंक्ति 22 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

12 of 1974 '(fa) "Ordinance" means the Sick Textile Undertakings (Nationalisation Ordinance 1974;'.

1974 का 12 ['(चक) "अध्यादेश" से रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1974 अभिप्रेत है।']

(संख्या 40)

पृष्ठ 2, पंक्ति 26–27 में :—

"sick textile undertaking" ['जो रुग्ण कपड़ा उपक्रम'] के स्थान पर "textile company" ['जो कपड़ा कम्पनी'] प्रतिस्थापित किया जाए।'

(संख्या 41)

पृष्ठ 2, पंक्ति 28 में—

"such liquidator" ['ऐसा समापक या रिसीवर अभिप्रेत है'] के स्थान पर "includes such liquidator", ['ऐसा समापक या रिसीवर उनके अन्तर्गत है'] प्रतिस्थापित किया जाए

(संख्या 42)

पृष्ठ 2, पंक्ति 29 में—

"and includes" ['और उसके अन्तर्गत ऐसे स्वामी का कोई अभिकर्ता या प्रबन्धक भी है'] के स्थान पर "and also includes" ['और उसमें ऐसे स्वामी का कोई अभिकर्ता या प्रबन्धक भी है'] प्रतिस्थापित किया जाए।

(संख्या 43)

पष्ठ 2, पंक्ति 29 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए —

"(ga) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;."

[(चक) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।"]

(संख्या 44)

पृष्ठ 2, पंक्ति 29—

"manager of such owner" [प्रबन्धक भी है] के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये —

"but does not include any person or body of persons authorised under the
65 of 1951. Industries (Development and Regulation) Act, 1951, or the Sick Textile Under-
72 of 1972. takings (Takings over of Management) Act, 1972, to take over the management of the whole or any part of the sick textile undertaking;."

['किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय नहीं है जो सम्पूर्ण रुग्ण कपड़ा उपक्रम
1951 का 65 या उसके किसी भाग का प्रबन्ध ग्रहण करने के लिए उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951
1972 का 72 या रुग्ण कपड़ा उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1972 के अधीन प्राधिकृत किया गया है।"]

(संख्या 230)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 158 और 159 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।
The amendment Nos. 158 and 159 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 2 as amended was added to the Bill.

खण्ड 3

श्री एस० आर० दामाणी : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सरकारी संशोधनों को मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा ।

संशोधन किये गये ।

पृष्ठ 3, पंक्ति 16 में—

'appointed day' ['नियतदिन'] के स्थान पर 'everysick textile undertaking and' ['प्रत्येक रुग्ण कपड़ा उपक्रम और'] शब्द प्रतिस्थापित किया जाये ।

(संख्या 45)

पृष्ठ 3, पंक्ति 17 में—

'every' ['प्रत्येक'] के स्थान पर 'every such' ['ऐसे प्रत्येक रुग्ण कपड़ा उपक्रम के संदर्भ के स्वामी का'] शब्द प्रतिस्थापित किये जायें ।

(संख्या 46)

(श्री बी० पी० मौर्य)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 3, संशोधित रुप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 3, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 4

श्री बी० पी० मौर्य : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 3, पंक्ति 30 में–

"textile company in relation to" ['रुग्ण कपड़ा उपक्रम के सम्बन्ध में कपड़ा कम्पनी'] **के स्थान पर** "owner of" ['रुग्ण कपड़ा उपक्रम के स्वामी'] प्रतिस्थापित किया जाये।

(संख्या 47)

पृष्ठ 3, पंक्ति 41 में–

"this act receiving the assent of the President" ['जिससे राष्ट्रपति का अनुमोदन इस अधिनियम को प्राप्त होता है'] के स्थान पर "the ordinance was promulgated" ['जिस को अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था'] प्रतिस्थापित किया जाये।

(संख्या 48)

पृष्ठ 4, पंक्ति 19 और 20 में;

"undertaking of the textile company is pending by or against the textile company" ['कपड़ा कम्पनी के द्वारा या उसके विरुद्ध लम्बित कपड़ा कम्पनी के उपक्रम'] **के स्थान पर** "undertaking instituted or preferred by or against the textile company is pending" ['कपड़ा कम्पनी द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या किया गया कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही लम्बित हो तो वह उपक्रम'] शब्द **प्रतिस्थापित** किये जायें।

(संख्या 49)

पृष्ठ 4, पंक्ति 23 में–

"of the textile company" ['कपड़ा कम्पनी का'] शब्द **लोप** किये जायें।

(संख्या 50)

पृष्ठ 4, पंक्ति 26-27 में–

"this Act receives the assent of the President, is in possession of, or has" ['इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है उस तारीख को कब्जा है अथवा रखता है'] **के स्थान पर** "the ordinance was promulgated, was in possession of or had" ['अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था, उस तारीख को कब्जा था अथवा रखता था'] शब्द प्रख्यापित किये जायें।

(संख्या 51)

पृष्ठ 3, पंक्ति 32 में–

"relating thereto" ['इसके अन्तर्गत आते हैं'] **के पश्चात्** "and shall also be deemed to include the liabilities and obligations specified in sub-section (2) of the section 5" ['और यह समझा जायेगा कि धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दायित्व और बाध्यताएं भी उसके अन्तर्गत हैं'] **अंतः स्थापित** किया जाये।

(संख्या 116)

पृष्ठ 4, पंक्ति 19 में–

"business of the sick textile" ['रुग्ण कपड़ा उपक्रम के किसी कारोबार के सम्बन्ध में'] **के स्थान पर** "matter specified in sub-section (2) of section 5 in respect of the sick textile" ['रुग्ण कपड़ा उपक्रम की बाबत धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के सम्बन्ध में'] **प्रतिस्थापित** किया जाये ।

(संख्या 231)

श्री इराज्मुद सेकेंरा (मारमागोम्रा): मैं संशोधन संख्या 179 प्रस्तुत करता हूं । खण्ड 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की जा रही है जिसके द्वारा केन्द्रीय सरकार को किसी भी सम्पत्ति को अपने अधिकार में लेने की शक्ति दी गई है । इसके लिये मुआवजे में एक निर्धारित धनराशि देने की व्यवस्था है । मैंने इस सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठाया था किन्तु उसे स्वीकार नहीं किया गया । मैंने नियम समिति को भी इस बारे में पत्र लिखा था किन्तु अभी तक कोई सूचना मुझे नहीं मिली । इसमें सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी सम्पति की जमानत के अधीन कोई ऋण दिया है तथा उस सम्पत्ति को सरकार अपने अधिकार में लेती है । तो सरकार को उस सम्पत्ति के नाम पर लिये गये ऋण आदि के भुगतान के लिये भी उत्तरदायी होना चाहिए किन्तु उस धारा के अन्तर्गत यह व्यवस्था नहीं की गई । मेरे संशोधन का यही उद्देश्य है कि सरकार को उक्त दायित्व भी लेना चाहिए ।

श्री बी०पी० मौर्य: खण्डवार चर्चा के दौरान सभापति महोदय ने इस बारे में अपना विनिर्णय दिया था किन्तु माननीय सदस्य फिर भी उस मामले को उठा रहे हैं । नियम 69 के अन्तर्गत वित्तीय ज्ञापन में आवर्ती और अनावर्ती खर्च का ब्यौरा दिया जाना होता है । सरकार प्रबन्ध ग्रहण के पश्चात अधिग्रहण के सभी दायित्वों को अपने ऊपर लेते हैं । अनुसूची 2, भाग ख के अनुसार सम्बन्धित पार्टियों के साथ बैठक के समय ऋण आदि हिसाब लगाया जाता है तथा यह राशि उनको देनी पड़ती है । इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य ने कोई विशेष बात नहीं उठाई है । मैं उनका संशोधन स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय: संशोधन मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं बताना चाहता हूं कि श्री सेकेंरा ने प्रश्न उठाया था कि क्या इस मामले में वित्तीय ज्ञापन की व्यवस्था प्रर्याप्त होगी । सभापति ने कहा था कि यह पर्याप्त होगा । जहां नियम समिति को पत्र लिखे जाने का सम्बन्ध है उस पर विचार किया जा रहा है ।

प्रश्न यह है :

पृष्ठ 3, पंक्ति 30 में–

"textile company in relation to" ['रुग्ण कपड़ा उपक्रम के संबंध में कपड़ा कम्पनी'] **के स्थान पर** "owner of" ['रुग्ण कपड़ा उपक्रम के स्वामी'] **प्रतिस्थापित** किया जाए ।

(संख्या 47)

पृष्ठ 3, पंक्ति 41 में–

"this Act receives the assent of the President" ['जिसको राष्ट्रपति का अनुमोदन इस अधिनियम को प्राप्त होता है'] **के स्थान पर** "the ordinance was promulgated" ['जिसका अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था'] **प्रतिस्थापित** किया जाए ।

(संख्या 48)

पृष्ठ 4, पंक्ति 19 और 20 में–

"undertaking of the textile company is pending by or against the textile company", ['कपड़ा कम्पनी के द्वारा या उसके विरुद्ध लम्बित, कपड़ा कम्पनी के उपक्रम'] **के स्थान पर** "undertaking, instituted or preferred by or against the textile company, is pending" ['कपड़ा कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित या किया गया कोई वाद, अपील या अन्य कार्यवाही लम्बित हो तो वह उपक्रम'] शब्द **प्रतिस्थापित** किये जायें ।

(संख्या 49)

पृष्ठ 4, पंक्ति 23 में–

"the textile company" ['कपड़ा कम्पनी का'] शब्द लोप किये जाये।

(संख्या 50)

पृष्ठ 4, पंक्ति 26, 27 में–

"this Act receives the assent of the President, is in possession of, or has" ["इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होनी है उस तारीख को कब्जा है अथवा रखता है"] **के स्थान पर** "the ordinance was promulgated, was in possession of, or had" ["अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था, उस तारीख को कब्जा था अथवा रखता था"] शब्द **प्रतिस्थापित** किये जाएं।

(संख्या 51)

पृष्ठ 3, पंक्ति 32 में–

"relating thereto" ['उसके अन्तर्गत आते हैं'] **के पश्चात्** "and shall also be deemed to includ the liabilities and obligations specified in sub-section (2) of the section 5" ['और यह समझा जायेगा कि धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दायित्व और बाध्यतायें भी इसके अंतर्गत हैं'] **अन्तःस्थापित** किया जाये।

(संख्या 116)

पृष्ठ 4, पंक्ति 19 में–

"business of the sick textiles" ['रुग्ण कपड़ा उपक्रम के किसी कारोबार के संबंध में'] **के स्थान पर** "matter specified in sub-section (2) of section 5 in respect of the sick textile" ['रुग्ण कपड़ा उपक्रम की बाबत धारा 5 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में'] **प्रतिस्थापित** किया जाए।

(संख्या 231)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 179 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।
The amendment No. 179 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।
Clause 4, as amended, was added to the Bill.

खण्ड 5

श्री बी०पी० मौर्य : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 28–

"1972" **के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित** किया जाए :

"and includes, the West Bengal State Textile Corporation Limited which has advanced amounts to sick textile undertakings in the State. 'अभिरक्षक के रूप में रखता है' **के स्थान पर**

"अभिरक्षक के रूप में रखता है और इसके अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल राज्य कपड़ा निगम लिमिटेड भी है जिसने राज्य में रुग्ण कपड़ा उपक्रमों को रकमें उधार दी हैं ।"

(संख्या 53)

पृष्ठ 4–

"the marginal heading to clause 5" ['खंड 5 के पार्शविक शीर्षक'] **के स्थान पर** "owner to be liable for certain prior liabilities" ['कतिपय पूर्विक दायित्वों के लिए स्वामी का दायी होना'] **प्रतिस्थापित** किया जाए ।

(संख्या 117)

पृष्ठ 4, पंक्ति 37–

"Every liability" ['प्रत्येक दायित्व') **के स्थान पर** "Every liability, other than the liability specified in sub-section (2)" ['ऐसा प्रयेत्क दायित्व, जो उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दायित्व से भिन्न हो'] **प्रतिस्थापित** किया जाए ।

(संख्या 118)

पृष्ठ 4, पंक्ति 41–

"Provided that any liability" ['परन्तु'] **के स्थान पर** "(2) Any liability" ['(2) कोई दायित्व जो'] **प्रतिस्थापित** किया जाए ।

(संख्या 119)

पृष्ठ 5, पंक्ति 4 और 5–

"be the liability of the National Textile Corporation and shall be discharged by that corporation". ['राष्ट्रीय कपड़ा निगम का दायित्व होगा और उक्त निगम द्वारा उसका उनमोचन किया जाएगा"] **के स्थान पर** "be the liability of the Central Government and shall be discharged, for and on behalf of that Government by the National Textile Corporation". ['के संबंध में प्रोद्भूत होता है, नियत दिन से ही केन्द्रीय सरकार का दायित्व होगा और उसका उन्मोचन उस सरकार के लिए और उसकी ओर से उस निगम द्वारा उसी समय किया जाएगा ।'] **प्रतिस्थापित** किया जाए ।

(संख्या 120)

पृष्ठ 5, पंक्ति 8–

"(2)" **के स्थान पर** "(3)" **प्रतिस्थापित** किया जाए ।

(संख्या 121)

पृष्ठ 5, पंक्ति 16–

"claim or dispute" ['दावे या विवाद'] के **पश्चात्** "in relation to any matter not referred to in sub-section (2)" ['उपधारा (2) में निर्दिष्ट है'] **अन्तःस्थापित** किया जाये ।

(संख्या 122)

पृष्ठ 5, पंक्ति 10–

"Pension gratuity ["पैंशन, उपदान"] का **लोप** किया जाए ।

(संख्या 127)

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय (मंदसौर) : मैं अपना संशोधन संख्या 76 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 77 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री राम सिंह भाई : मैं अपने संशोधन संख्या 83 से 87 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सीरमपुर): मैं अपने संशोधन संख्या 90 और 91 प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे : मैं अपने संशोधन संख्या 93, 94 और 95 प्रस्तुत करती हूं ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम): मैं अपना संशोधन संख्या 103 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री वसंत साठे (अकोला): मैं अपने संशोधन संख्या 109 से 111 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री त्रिदिब चौधरी (बरहामपुर): मैं अपने संशोधन संख्या 131 से 133 प्रस्तुत करता हूं ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बतूर): मैं अपना संशोधन संख्या 135 प्रस्तुत करती हूं ।

श्री एस० आर० दामाणी (शोलापुर): मैं अपने संशोधन संख्या 138 से 143, 146 तथा 147 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैं अपने संशोधन संख्या 172 और 173 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा) : मैं अपने संशोधन संख्या 183, 184, 194 से 196 प्रस्तुत करता हूं ।

चर्चा आरम्भ होने से पूर्व मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । इस खण्ड में दो उपखण्ड हैं जो कि परस्पर विरोधी हैं।

उप-खण्ड 5(1) (ग) के अनुसार, अधिकार में लिए जाने की तिथि से उत्तरदायित्व निगम का होगा ।

पहले उप-खण्ड में कर्मचारियों के वेतनों तथा अन्य देनदारियों का उल्लेख था जबकि अगले उप-खण्ड में बोनस, भविष्य निधि, पेंशन आदि का भी उल्लेख है । उप-खण्ड (2) के (ग) में कहा गया है कि उक्त तिथि से पहले की देनदारियों का उत्तरदायित्व निगम का नहीं है । इस लिये इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए । एक उप खण्ड द्वारा जो दिया गया है, दूसरे उप खण्ड द्वारा उसे वापस ले लिया गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपका कथन है कि जो वस्तु एक हाथ से दी गई है, वही दूसरे हाथ से वापस ले ली गई है ।

श्री बी० पी० मोर्य : खण्ड 5 में दो बातें कही गई हैं । उप-खण्ड 1(ग) अधिकार में लिए जाने के बाद को अवधि से सम्बन्धित है, जबकि उप-खण्ड 2(क) नियत तिथि के पहले की स्थिति से सम्बन्धित है । बाद को अवधि को देनदारियों का उत्तरदायित्व सरकार ले रही है । परन्तु इससे पूर्व की देनदारियों का उत्तरदायित्व सरकार का नहीं है ।

श्री सेझियान : इसका सम्बन्ध किसी अन्य खण्ड से होगा, उसी खण्ड से नहीं है ।

श्री वसन्त साठे : मन्त्री महोदय कानूनी दृष्टि से देखेंगे तो उन्हें विरोध स्पष्ट दिखाई देगा । खण्ड 5 के (1) और (2) उपखण्ड हैं । अतएव इस खण्ड को समग्र रूप से लिया जाना चाहिए । संकटग्रस्त कपड़ा मिलों का प्रबन्ध राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने 1 अप्रैल, 1974 से सम्भाला था जैसा कि मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है । उपखण्ड (1) (ग) में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा आर्थिक रूप से संकटग्रस्त कपड़ा उपक्रमों का प्रबन्ध अपने अधिकार में लेने के बाद की अवधि के दौरान 1-4-74 से कर्मचारियों की मंजूरी, वेतन तथा अन्य देय राशियों के भुगतान की जिम्मेदारी राष्ट्रीय कपड़ा निगम की होगी । उप खण्ड (2) उन बातों से सम्बन्धित है जिनका पहले उल्लेख हो चुका है और उसमें यह कहा गया है कि निश्चित तिथि से पहले के समय के लिये वेतन, बोनस. . .आदि के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार अथवा राष्ट्रीय कपड़ा निगम पर कोई दावा नहीं किया जा सकता । इसका अर्थ यह हुआ कि 1959 से 1974 तक के समय के लिये कोई दावा नहीं किया जा सकता ।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : अपने संशोधन में मैंने केन्द्रीय सरकार द्वारा उनका प्रबन्ध अपने हाथ में लिये जाने के पहले और बाद के समय के सम्बन्ध में कहा था । मैं चाहता था कि हाथ में लिये जाने से पहले के समय को भी शामिल किया जाये ।

श्री इराजमुद सेकैरा (मारमागोआ) : यह खण्ड बेकार का है, क्योंकि उप खण्ड (ग) में यह बताया गया है कि यह जिम्मेदारी राष्ट्रीय कपड़ा निगम की है और उसे निभाना चाहिए । फिर उससे अगले खण्ड में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम की यह जिम्मेदारी नहीं है । हर खण्ड में इसी प्रकार की बातें कही गई हैं ।

Dr. Laxmi Narain Pandeya (Mandsaur) : The "appointed day words should be deleted" from the clause then only the confusion could be done away with.

श्री बी० पी मौर्य : सदन द्वारा स्वीकृत खण्ड 4 के उप खण्ड (6) में पर्याप्त सावधानी बरती गई है कि यदि निश्चित दिन कोई मुकदमा, अपील अथवा अन्य कार्यवाही की जाये, तो राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अथवा उसके विरुद्ध की गई अपील अथवा अन्य कार्यवाही जारी रह सकती है ।

इस खण्ड के सम्बन्ध में संशोधन सं० 120 और 122 भी मैंने पेश किये हैं । इन संशोधनों पर विचार करने से स्थिति स्पष्ट हो जाती है ।

खण्ड 5 का उप खण्ड (2) (क) एक स्वतन्त्र खण्ड नहीं है । यह खण्ड 5 के उपखण्ड (1) (ग) का विरोधी भी नहीं है ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : अगर स्पष्ट देनदारी के बारे में पहले ही स्पष्ट निर्णय हो चुका हो, तो क्या स्थिति होगी ?

श्री सी० एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा): जितना ही इस विधेयक पर विचार करते हैं, उतना ही यह उलझा हुआ प्रतीत होता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा ।

श्री सी० एम० स्टीफन : पहला प्रश्न यह है कि क्या "यथा अन्यथा उपबन्धित के अलावा" वाक्य का उसी खण्ड के अन्य वाक्यों पर भी प्रभाव पड़ेगा । मेरे विचार से इसका प्रभाव उसी खण्ड के अन्य वाक्यों पर नहीं पड़ता है । इस विषय पर कानूनी सलाह का जानना जरूरी है । दूसरा प्रश्न यह है कि क्या "अन्य देय राशियों" में भविष्य निधि, पेंशन, उपदान इत्यादि सम्मिलित हैं अथवा नहीं ।

यदि वेतन, बोनस, भविष्य निधि, पेंशन, उपदान आदि सभी की जिम्मेदारी अर्जन की तारीख के पश्चात केन्द्रीय सरकार ले लेना चाहती है, तो खण्ड 2(क) की क्या जरूरत है ? इसका एक मात्र प्रयोजन यह है कि नियत दिन से पूर्व की सभी देय राशियां उत्तरवर्ती खण्ड से निस्प्रभावी हो जायेंगी । इस अन्तर्विरोध को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

श्री एस० एम० बनर्जी : खण्ड 2 में "अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय" से सारी चीज निस्प्रभावी हो जाती है ।

श्री वसंत साठे : सामान्य उपबन्ध की अपेक्षा विशेष उपबन्ध ही प्रभावी होगा । विशेष उपबन्ध से सारी चीज निस्प्रभावी हो जाती है ।

श्री सी० एम० स्टीफन : इसके दो कानूनी सिद्धान्त हैं । पहला यह है कि कोई देनदारी हो सकती है और दूसरा सिद्धान्त प्रवर्तनीय और गैर प्रवर्तनीय देनदारी का है । एक स्थान पर यह उपबन्ध किया गया है कि सरकार ने देनदारी ले ली है, किन्तु अगले खण्ड में कहा गया है कि यद्यपि उसने देनदारी ले ली है वह एतदद्वारा यह घोषणा करती है कि यह उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा । जो सारी स्थिति उत्पन्न हो रही है, उसका यही सारांश है ।

श्री बी० पी० मौर्य : संशोधन के बाद उक्त उपखण्ड (3) हो जायेगा । हम संशोधित उप खण्ड (2) का उल्लेख कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जितना ही ज्यादा मैं सुन रहा हूं उतना ही ज्यादा मेरे दिमाग में उलझाव पैदा हो रहा है ।

मैं चाहता हूं विधेयक ऐसा हो जो केवल वकीलों की समझ में नहीं बल्कि आम आदमी की भी समझ में आ सके । विधेयक गम्भीरता से पारित किया जाए, यह मेरी ही नहीं, सदन के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी और उनका कर्तव्य है ।

मैं जब भी यहां पीठासीन होने आता हूं तो विधेयक पर सरसरी तौर से नजर डाल देता हूं, परन्तु पूरे विधेयक का अध्ययन कर पाना किसी के लिये भी सम्भव नहीं हो सकता ।

मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय सारी स्थिति को समझने में हमारी सहायता करें। खण्ड 5 (एक) (ग) में मजूरी, वेतन तथा कर्मचारियों को देय अन्य रकमों के बारे में कहा गया है किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वे अन्य रकमें क्या हैं, जबकि खण्ड 5(2) (ग) में उनका स्पष्टीकरण किया गया है। क्या खण्ड 5(1)(ग) में उल्लिखित देय अन्य रकमों में खण्ड 5(2) (ग) में उल्लिखित अन्य रकमें भी शामिल हैं। इसका कानूनी रूप से खुलासा करने की आवश्यकता है। ऐसी कमी क्यों रखी जाये ? इस प्रश्न का समाधान कौन करेगा ? यहां इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए जिससे न्यायालय में जाने तथा कानूनी व्याख्या का प्रश्न ही न रहे। खण्ड 5(1) (ग) में सरकार ने कहा है कि ये देनदारियां निगम की होंगी। किन्तु खण्ड 5 (2) (क) में जो उपबन्ध किया गया है वह मेरी दृष्टि में एक विरोधाभास है। हम यद्यपि यह मान भी लें कि कोई विरोधाभास नहीं है फिर भी इस प्रश्न पर न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना है। यह व्याख्या का प्रश्न है। इसका अर्थ यह है कि सरकार चाहती है कि मजदूर न्यायालय से फैसला करवाएं जो उनकी शक्ति के बाहर है। अतः व्यवस्था के जो प्रश्न उठाये गये हैं वे वैध हैं। हमें इस मामले पर बारीकी से विचार करना चाहिए। मेरे विचार में इसमें अन्तर्दिरोध है।

Shri. B.P. Maurya : There is no contradiction.

So far Wages, Salaries, Provident Fund, gratuity and other dues of the employees before the pre-take over period are concerned, there has been made a provision as far as possible. The services of the employees before the pre-take over period would be taken into consideration for the purpose of pension and gratuity. But there might some illegal liabilities, debts or any such other liabilities, which will not be taken over by the Govt. or N.T.C.

Even in a main clause there might be a saving clause, but soving clause can never govern the main clause. But if the members feel that any amendment is absolutely necessary in the interest of the workers, I am ready to accept that amendment.

Shri S. M. Banerjee : If lines 9 to 13 clause 5 (2) (A)—is omitted, there would be no confusion then.

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय की कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति है। वह विधेयक को भी जल्दी से जल्दी पास कराना चाहते हैं। माननीय सदस्यों ने कुछ कानूनी मुद्दे उठाये हैं। मैंने भी प्रश्नों के रूप में उनका खुलासा करने की कोशिश की। अच्छा यह होगा यदि मन्त्री महोदय सोच विचार कर एक ऐसा वक्तव्य दें जिसमें उठाई गई सभी बातों का समाधान किया गया हो।

श्री बी० पी० मौर्य : जहां तक कार्यवाही का सम्बन्ध है मैंने सभी प्रशनों का समाधान कर दिया है। मैं सभी बातें बता चुका हूं। यदि आप मुझे व्यवधान के लिये क्षमा करें तो मैं कहना चाहूंगा कि मैंने यह सुझाव दिया है कि वे संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं और इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय का कहना है कि यदि सदस्यगण इस रुकावट को दूर करने के लिये संशोधन पेश करें तो उन संशोधनों को स्वीकार करने के लिये तैयार हूं। क्या आपने यही बात कही है ?

श्री बी० पी० मौर्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय इसका अर्थ यह हुआ कि आप इस बात के प्रति सतर्क हैं कि रुकावट तो है।

श्री बी० पी० मौर्य : मैंने तो यह कहा था कि अभी हम खंडवार विचार कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्यों को किसी बात पर आपत्ति है तो वे संशोधन पेश कर सकते है और वे पहले ही संशोधन पेश कर चुके हैं। यदि कोई गलती हुई है तो उसे ठीक करने के लिये वे संशोधन पेश कर सकते हैं। जब हम उस प्रक्रम पर विचार करेंगे तब यदि कोई गलती हुई है तो उस पर भी विचार कर लेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने जो चर्चा की है उसके संदर्भ में आप स्वयं या कुछ माननीय सदस्य संशोधन पेश करना आवश्यक समझ सकते हैं।

इस समय हम इस विशेष खंड की कानूनी आपत्तियों की बात कर रहे हैं। श्री स्टीफन ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था। अतः मैंने कहा है कि आप या वरिष्ठ मन्त्री महोदय या विधि मन्त्री आकर कानूनी आपत्तियों को स्पष्ट करें। तब तक हम इस खंड पर आगे विचार रोकते हैं।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं आपके निर्णय की सराहना करता हूं परन्तु खंड 6 में खंड 5 का उल्लेख है। खंड 9 में भी खंड 3, 4 और 5 के उपबन्ध का उल्लेख है। खंड 18 भी खंड 9 पर निर्भर करता है और खंड 9 में खंड 5 का उल्लेख है। अतः इन खंडों को भी स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : आप प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते है।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : आपके निर्णय के रहते खंड 5 के संशोधनों का क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : स्वभाविक है कि उन पर भी इस खंड के साथ ही विचार रोक लिया गया है।

श्री बसंत साठे (अकोला): अध्यादेश को ध्यान में रखते हुए, यह विधेयक इसी सत्र में पारित किया जाना है। यदि हम दोनों सदनों के सदस्यों की एक औपचारिक समिति बनायें तो वे इस विधेयक तथा संशोधनों का अध्ययन करके 3 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकती है।

श्री सेझियान : मैं श्री साठे के इस सुझाव को स्वीकार करता हूं।

श्री एस०आर० दामाणी (शोलापुर): मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं कि इसे प्रवर समिति को सौंपा जाए।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Shri Sathe has given a practical suggestion. I suggest that discussion on this Bill be postponed and supplementary demands should be taken up.

श्री एस०एम० बनर्जी (कानपुर) : मंत्री महोदय के साथ चर्चा का एक दौर और हो सकता है और हम इसे शनिवार या रविवार तक पूरा कर सकते हैं।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : जहां तक श्री साठे के सुझाव का सम्बन्ध है, यदि नियम 74 को देखा जाये तो उसमें विधेयकों के सम्बन्ध में प्रस्तावों का वर्णन है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री साठे का सुझाव स्वीकार नहीं किया है।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : नियमों में ऐसा व्यवस्था नहीं है कि विधेयक को अनौपचारिक समिति को सौंपा जाये।

Dr. Laxminarain Pandeya (Mandsaur) : Since clauses 6, 7, 8, 9 and 10 are related to clause 5, the discussion on the Bill should be postponed and next item be taken up.

श्री इराज्मुद सेकैरा (मारमागोआ): मेरी आपसे अपील है, यदि उस पर आप सहमत हों तो, कि चर्चा स्थगित की जाये और मन्त्री महोदय को चाहिए कि वह सदस्यों के साथ अनौपचारिक विचार विमर्श करें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इसे स्पष्ट करें और निर्णय लें। इस पर आगे चर्चा न करें। मैंने खंड 5 पर चर्चा रोक दी है।

मैंने कहा था कि हम अन्य खंडों पर विचार कर सकते हैं। इस पर कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि अन्य खंडों का खंड 5 से सम्बन्ध है। अतः इस विधेयक पर ही चर्चा स्थगित करें तो बेहतर होगा। नियम 109 के अधीन किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर ही विधेयक पर चर्चा स्थगित की जा सकती है। इस पर सभा निर्णय करे।

श्री मधु लिमये : श्री रघुरामैया, सदस्यों पर दबाव मत डालिए।

उपाध्यक्ष महोदय : शांत रहिये।

निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे दो मिन्ट दीजिए। यह महत्वपूर्ण मामला है, यह मेरा निदेश है।

इस विशेष खंड पर चर्चा रोक करके मैंने मन्त्री महोदय से कहा था कि वह श्री स्टीफन द्वारा उठाई गई कानूनी आपत्तियों को स्पष्ट करने के लिये अच्छी तरह तैयार किया गया वक्तव्य लेकर सभा में आयें। ऐसा वह अपनी सुविधानुसार कभी भी कर सकते हैं।

यदि माननीय सदस्य और प्रश्न पूछें तो विधि मन्त्री आकर उन्हें स्पष्ट करें।

श्री साठे द्वारा प्रस्तावित समिति का सुझाव स्वीकार्य नहीं है।

मैं समझता हूं कि इसे ध्यान में रखते हुए इस चर्चा को स्थगित करने के इन प्रस्तावों को स्वीकार करूंगा। श्री सेझियान और श्री मधु लिमये ने प्रस्ताव पेश किये हैं। एक प्रस्ताव ही काफी होगा। मैं इसे सभा के मतदान के लिये रखता हूं। या तो इसे वह प्रस्तुत कर सकते हैं या श्री रघुरामैया।

श्री के० रघुरामैया : यदि हम इसे अनिश्चित काल के लिये छोड़ते हैं तो चर्चा पुनः आरंभ करने का नया प्रस्ताव फिर लाना पड़ेगा।

कल तक मेरे सहयोगी आवश्यक वक्तव्य लेकर सभा में उपस्थित हो जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं संसदीय कार्य मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वह स्वयं प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री मधु लिमये : इसे अगले सप्ताह तक स्थगित कर दीजिए आप मेरा प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रख सकते हैं।

श्री सी०एम० स्टीफन (मुवत्तुपुजा): मैं श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर निम्न संशोधन प्रस्तुत करता हूं;

"अगले सप्ताह" के स्थान पर 'अगले दिन, 11 दिसम्बर, 1974' प्रतिस्थापित किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले श्री स्टीफन द्वारा प्रस्तुत संशोधन सभा के मतदान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

'अगले सप्ताह' के स्थान पर 'अगले दिन, 11 दिसम्बर, 1974' प्रतिस्थापित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मधु लिमये द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, संशोधित रूप में, सभा के मतदान के लिये रखता हूं
प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर वाद-विवाद अब अगले दिन, 11 दिसम्बर, 1974 तक स्थगित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगला कार्य आरंभ करते हैं।

Shri Madhu Limaye : Shri Shyamnandan Mishra is not here, please, tak mentary demands.

उपाध्यक्ष महोदय : अब संसदीय कार्य मन्त्री मेरी मदद कर सकते हैं।

(**व्यवधान**)

अब हमारे सामने दूसरी नाजुक स्थिति है। श्री श्यामनन्दन मिश्र, जिनका नाम अगले विधेयक के सांविधिक संकल्पों में है, यहां नहीं हैं। इस मामले में हम क्या करें।

गृह मन्त्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : जब कार्य सूची में कार्य की किसी मद में किसी सदस्य का नाम हो तो उनसे यहां रहने की आशा की जाती है।

श्री बसंत साठे : श्री श्याम नन्दन मिश्र ने मुझ से पूछा था कि 'क्या इस विधेयक पर पूरे दिन चर्चा होगी' तो मैंने भूल से कह दिया कि इसमें सारा दिन लग जायेगा।

कुछ माननीय सदस्य : श्री मिश्र आ रहे है ।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय) : मैं इस पर आज विचार करने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री सेझियान : अब हम सभा स्थगित कर सकते हैं । कल हम एक घंटा और बैठ सकते हैं ।

श्री के० रघुरामैया : आधे घंटे की चर्चा और होनी है ।

श्री सेझियान : हम कल 7 बजे तक बैठ जायेंगे ।

श्री के० रघुरामैया : मैंने अपने मित्रों से बात की है । हम सब सहमत हो गये हैं कि कल 8 बजे तक बैठेंगे और जितना संभव होगा उतना कार्य पूरा करेंगे ।

श्री पी०जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : आधे घंट की चर्चा को रद्द नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री के० रघुरामैया : यह अध्यक्षपीठ के निर्णय के अनुसार किसी और दिन रखी जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : जो मतैक्य हुआ है उसे ध्यान में रखते हुए हम कल 8 बजे तक बैठेंगे और शीघ्र ही किसी दिन के लिये आधे घंटे की चर्चा स्थगित की जाती है ।

तत्पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 11 दिसम्बर, 1974 19 अग्रहायण, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday, December 11, 1974/Agrahayana 19, 1896 (Saka)

MGIPNLK—2/Lok Sabha/75—12-4-75—200 Copies.